राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] बारहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का दसवां दिवस [संख्या : 7

गुरुवार

09 मार्च, 2006

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री निर्भय लाल।

राज्य के विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्ग का बैकलाग

103. श्री निर्भय लाल (रूपवास): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर तथा कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा विश्वविद्यालय में प्राफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, रीडर आदि के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने-कितने कार्यरत हैं? वर्गवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विश्वविद्यालयों में आरक्षण नियमों की पूर्ण अवहेलना की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के क्रमश: 16:12 प्रतिशत के हिसाब से नियुक्ति करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): (1) विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचनानुसार राज्य के सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालयों एवं कृषि विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की विश्वविद्यालयवार एवं वर्गवार सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। जब भी विश्वविद्यालय में पद भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी तो आरक्षण नियमों की पालना करते हुए नियमानुसार बैकलाग पूरा किया जायेगा।

(सूची के लिए कृपा परिशिष्ट-1 देखें)

श्री निर्भय लाल: माननीय अध्यक्षजी, मंत्रीजी ने बताया है, मैंने यह पूछा है कि ''क्या यह सही है कि उक्त विश्वविद्यालयों में आरक्षण नियमों की पूर्ण अवहेलना की गई है'' उन्होंने लिखा है कि जी नहीं। फिर मैंने यह पूछा है ''यदि हां तो क्या सरकार इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के क्रमश: 16:12 प्रतिशत के हिसाब से नियमानुसार नियुक्ति देने का विचार रखती है?'' तो इन्होंने लिखा है कि कोई विचार नहीं है तो क्या आप आरक्षण देने का कोई विचार नहीं रखते हैं? फिर लिखा है आपने और नीचे, जी हां, नियमानुसार। अब तक आपने न तो कोई नियम पूरे बनाये तो आप यह कहो कि हम एस.सी. एस.टी. के लिए कोई ऐसा आरक्षण नहीं देंगे। आप बता दें।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें। नहीं, आप कह रहे हैं कि दें।

श्री निर्भय लाल: पूछ रहा हूं साहब। वह कह रहे हैं जी नहीं। पूछ तो रहा हूं साहब। जवाब दें ना।

श्री वासुदेव देवनानी: विश्वविद्यालयों में किसी भी प्रकार की आरक्षण के नियमों की अवहेलना नहीं की गई है। 1991 के बाद में किसी प्रकार की कोई नियुक्ति हुई नहीं है तो इसलिए अवहेलना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर(दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं कि 1989 के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में चयन प्रक्रिया के द्वारा कोई भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। एडहांक बेसिस पर कुल कितने पदों पर नियुक्ति की गई और उसमें एस.सी., एस.टी. के जितने भी एडहांक बेसिस पर शिक्षकों को लगाया गया है, उसमें एस.सी.,

(श्री बाबूलाल नागर)

एस.टी. के कितने लोगों को एडहाक बेसिस पर लगाया गया है और जो भी, एस.सी., एस.टी. का बैकलाग बचता है, क्या सरकार का रोस्टर प्रणाली द्वारा विश्वविद्यालयों को एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. तीनों को दिशानिर्देश दे दिये? तो क्या सरकार ने जो विश्वविद्यालयों को दिशानिर्देश दिये हैं, विभाग उस दिशानिर्देशों के अनुसार इस बैकलाग की कब तक पूर्ति कर देगा?

श्री वासुदेव देवनानी: राजस्थान विश्वविद्यालय में 1982 से लेकर 1995 तक 156 एडहाक पद भरे गये और 1996 से 2000 के बीच में 127 पद एडहाक भरे गये। टोटल 283 एडहाक पद भरे गये, चूंकि उसमें किसी प्रकार की चयन प्रक्रिया नहीं थी इसलिए उसमें बैकलाग में विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल इस समय 157 पद रिक्त हैं। जैसे ही यह प्रक्रिया प्रारम्भ होगी, निश्चित रूप से बैकलाग का पूरा ध्यान रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्त्ता। आपका जवाब दे दिया ना इन्होंने। मूल प्रश्नकर्त्ता।

श्री बाबूलाल नागर: अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया था। नहीं, अध्यक्ष महोदय, आपने नहीं दिया जवाब। मैंने यह पूछा है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के 287 एडहाक पद आपने भरे हैं, एडहाक पदों पर जो शिक्षकों को लगाया है, उसमें एस.सी. के कितने हैं और एस.टी. के कितने हैं, मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से।

श्री सुरेश मीणा(करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें लीपापोती क्यों की जा रही है? सही बात बतायें कि भरे कि नहीं भरे? यह हमारे साथ बेईमानी की जा रही है। एस.सी., एस.टी. के लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं।(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: नहीं, कितने हैं यह तो आ जाये। अध्यक्ष महोदय, यह आ जाये कि कितने लोगों को, एस.सी., एस.टी. को एडहाक पर लगाया है 287 में से?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी। आप उनका जवाब तो आने दें।

श्री सुरेश मीणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि विश्वविद्यालय में आज तक बैकलाग पूरा नहीं हुआ, आज तक पद नहीं भरे यह।

श्री वासुदेव देवनानी: कृषि विश्वविद्यालय में आज भी चार विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां किसी प्रकार का कोई प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर

(श्री वासुदेव देवनानी)

का बैकलाग नहीं है। एम.डी.एस. यूनिवसिर्टी में कोई बैकलाग नहीं है। एम.एल.एस.ई. यूनिवर्सिटी में कोई बैकलाग नहीं है। इसलिए पद वहां पर बराबर भरे गये। राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए मैंने कहा कि जब भी चयन प्रक्रिया होगी, हम पूरा ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब सुनें आप उनका।

श्री बाबूलाल नागर: अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैंने मंत्री महोदय से यह पूछा है कि 287 पद....

श्री सुरेश मीणा: ये जवाब ही अलग दे रहे हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी को ध्यान नहीं है। वे कह रहे हैं कि बैकलाग खाली नहीं है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक सवाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण कर लें। आप पहले जवाब सुन लीजिये।

श्री बाबूलाल नागर: एक मिनट साहब।

श्री अध्यक्ष: ऐसे एक मिनट कैसे होगा, पहले जवाब सुनिये ना।

श्री वासुदेव देवनानी: जवाब मैंने दे दिया। मैंने इनको बताया है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में 157 पद बैकलाग के हैं जो चयन प्रक्रिया से जब भी भरा जायेगा, उस समय इनका पूरा ध्यान रखेंगे। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि 287 में से एस.सी. के कितने हैं तदर्थ बेस पर और एस.टी. के कितने हैं? मंत्रीजी से यह पूछा है, मंत्री महोदय इसका तो जवाब दे नहीं रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसमें यह बता दें कि इसमें एस.सी. के कितने हैं और एस.सी. के कितने हैं, यह बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी: राजस्थान विश्वविद्यालय में 283 पद एडहाक हैं, यह आपके शासन में एक भी पद नहीं भरा है। (व्यवधान) पिछले पाँच वर्षों में एक भी पद नहीं भरा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना बता दें कि 287 पद एडहाक भर लिये गये हैं, इन 287 प्राध्यापक लेने में क्या एस.सी., एस.टी. के लेने का प्रावधान नहीं था क्या? (व्यवधान) आप यह बता दें कि 287 में से एस.सी., एस.टी. के कितने लोग भरे गये? 287 में से कितने लोगों को भरा गया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, एक साथ खड़े होकर.... माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण कर लें। माननीय सदस्यगण, एक साथ खड़े होकर, एक साथ बोलकर आप क्या पूछना चाह रहे हैं? एक एक करके तो खड़ा होइये। फिर खड़े हो गये आप लोग। आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। (व्यवधान) मंत्री महोदय, यदि आपके पास इसकी सूचना हो कि एस.सी. के कितने हैं, एस.टी. के कितने हैं तो आप बता दीजिये, नहीं हों, तो कह दीजिये।

श्री वासुदेव देवनानी: मूल प्रश्न में यह जानकारी नहीं मांगी गई थी कि 283 में कितने हैं?

श्री बाबूलाल नागर: जयपुर विश्वविद्यालय इसमें लिखा हुआ है। वह भी नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आपने एस.सी., एस.टी. के 287 पद भरे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं गैर जिम्मेदारान?

श्री बाबूलाल नागर: उच्च शिक्षा मंत्री तिवाड़ीजी जवाब देना चाहें... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह बता दें कि विश्वविद्यालय में एस.सी., एस.टी. के प्रोफेसर के पदों को नहीं भरने के लिए क्या यह प्रेक्टिस रही है कि एडहाक बेसिस पर उनको नियुक्ति दी जाये और फिर उनको रेगुलराइज कर दिया जाये?

श्री वासुदेव देवनानी: अध्यक्ष महोदय, एडहाक में चयन प्रक्रिया से नहीं भरे जाते हैं इसलिए वेकेंसी के आधार पर एडहाक कार्य हेतु लिये जाते हैं इसलिए इसमें एस.सी., एस.टी. का विशेष चयन नहीं होता है। बैकलाग होता ही नहीं है एडहाक में और अभी सरकार ने तय किया है कि विश्वविद्यालय में खाली पद...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट: क्या आपके पास एस.सी., एस.टी. का कोई आवेदन नहीं है? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी: ...हम भरने जा रहे हैं, इसमें हम पूरा ध्यान रखेंगे। (व्यवधान) सरकार ने सारे पदों को...

श्री बाबूलाल नागर: अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय मंत्रीजी, आप एस.सी., एस.टी. के पदों को जनरल से भर लेते हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: ...एस.सी., एस.टी. के साथ अत्याचार कर रहे हैं। सरकार ने जो निर्देश दिये हैं, इस सरकार के निर्देश की क्यों नहीं पालना हो रही है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: यह सारे आप ही के समय का है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: सवा दो साल तो आपको हो गये हैं।

श्री सुरेश मीणा: माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी, आप जवाब दीजिये।

श्री बाबूलाल नागर: 25 प्रतिशत हम भर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... एक मिनट आप बैठें।

श्री निर्भय लाल: लेकिन माननीय अध्यक्षजी, माननीय अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: माननीय शिक्षा मंत्रीजी खड़े हुए हैं। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। शाहबाद से आने वाले माननीय सदस्य, शाहबाद से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री हेमराज मीणा: ...और लगाये तो कितने लगाये? यह चयन प्रक्रिया आप कब तक पूरी कर लेंगे, कब शुरू करेंगे? आप एडहाक पर लगाकर सारे पद भर लेंगे तो एस.सी., एस.टी. का आरक्षण खतम होता चला जायेगा, बैकलाग बढ़ता चला जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई विवाद का विषय नहीं है, यह सही बात है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में 1989 के बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई इसलिए जब से हमने ओ.बी.सी. का और एस.सी., एस.टी. का हमने 1984-85 में यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन का प्रावधान किया और 1989 के बाद से हमने ओ.बी.सी. का 21 प्रतिशत का किया लेकिन अभी तक राजस्थान में सब जगह मिलाकर 302 पद सभी विश्वविद्यालयों में बैकलाग के हैं, जो हमको भरने हैं। राजस्थान सरकार ने तय किया इस बार कि 25 प्रतिशत पद, जो खाली पद हैं, उनमें भरने का तय किया है और हम विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार और कई उच्च न्यायालय, सब न्यायालयों के फैसले हो चुके हैं उसके हिसाब से एससीएसटी का बेकलाग हम निश्चित रूप से भरेंगे। एक बात, और भरने के बाद ही प्रक्रिया आगे प्रारम्भ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

होगी। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो एडहाक हैं, सही बात है, एडहाक किस जमाने में हुए मैं उसकी चर्चा नहीं करता, लेकिन उसमें एससीएसटी के लोग नहीं हैं, बात सही है, सही बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए जब भी चयन प्रक्रिया पूरी होगी, एडहाक को भी शामिल करके इसमें भी जो कोटा एससीएसटी का कम हुआ है उसको भरकर इस प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे।

श्री निर्भय लाल: यह कब तक भरा जायेगा, सर। यह तो बतायें कि कब तक भरा जायेगा। मंत्री महोदय यह बतायें कि यह कब तक भरे जायेंगे।

श्री बाबूलाल नागर: मंत्री महोदय, आपके आने के बाद(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री निर्भय लाल: एससी एसटी के अधिकारियों की भरसक अवहेलना हो रही है। आपने कहा है, जी नहीं। आपने भरने के लिए ही मना कर दिया...

श्री घनश्याम तिवाड़ी: बता रहा हूं न।

श्री निर्भय लाल: इसमें दर्शाया है कि जी नहीं, बेकलाग 16:12 का जो...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: अध्यक्ष महोदय, आपके आने के बाद कृषि विश्वविद्यालय...(व्यवधान) निर्भयजी, एक मिनट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: मेरे आने के बाद, (व्यवधान) आप मत खड़े हों बीच में, मेरे आने के बाद...

श्री बाबूलाल नागर: मंत्रीजी, एक मिनट। आपके आने के बाद कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर में एक प्रशिक्षण आयोजक का एक पद एससी के लिए आरक्षित करके विज्ञापन किया गया, उसमें साक्षात्कार हो गया, वह विज्ञापन हो गया, इंटरव्यू दे दिया, इसके बाद एससी का जो आरक्षित पद था उसको बदल कर अन्य विषय का कर दिया गया क्योंकि वह आरक्षित एससी का था, यह अध्यक्ष महोदय, 19.3.2005 का विज्ञापन संख्या 2/2005 जो शिड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित था, उस पद को बदल दिया, क्योंकि वह आरक्षित ही एससी के लिए था.....

श्री अध्यक्ष: यह अलग से प्रश्न है।

श्री सुरेश मीणा: घोर अन्याय है मंत्रीजी, घोर अन्याय।

श्री अध्यक्ष: यह वैसे प्रश्न अलग से हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री बाबूलाल नागर: अध्यक्ष महोदय, इसमें है कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय पूछा है अध्यक्ष महोदय, इसमें।

श्री अध्यक्ष: यह अलग से प्रश्न है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: यह सूचना मेरे पास नहीं है, यह अलग से प्रश्न है, सूचना नहीं है लेकिन, सुनो न, मैं व्यवस्था कर रहा हूं न।

श्री बाबूलाल नागर: इसमें है अध्यक्ष महोदय।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अलग से इसलिए हो गया कि आपने इसमें केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के बेकलाग की बात करी है।(व्यवधान) आपने केवल बेकलाग की बात करी है..(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था इसलिए आपने उसको बदल दिया उसके विषय को ही और एक बाकायदा साक्षात्कार हुआ, बाकायदा उसका विज्ञापन निकाला और चूंकि एससी को देना पड़ रहा है, एससी को आप देना नहीं चाहते, इसलिए उसको बदल दिया।(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी: हां, एक मिनट। निर्भयजी, बिराजो तो सही। मैं कह रहा हूं कि जो भी पद खाली हैं या जो पद विज्ञापित करने के बाद बदला गया है तो वह गलत है और हम विश्वविद्यालय से इस बात का जवाब तलब करेंगे और मैं आश्वस्त करता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में हम 25 प्रतिशत पद हमने भरने की परमिशन दी है और जो भी पद भरे जायेंगे वह बेकलाग पूरा करने के बाद ही भरे जायेंगे, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

श्री निर्भय लाल: आपने यह लिखा है 16, 12 का, मैंनें पूछा है कि 16:12 का रिजर्वेशन देंगे या नहीं देंगे, आपने लिखा है, जी नहीं, आपने स्पष्ट मना किया है..

श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशोर मीणा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत रिजर्वेशन देंगे।

श्री निर्भय लाल: आपने स्पष्ट मना किया है इसमें, जी नहीं। जी नहीं, जवाब में है आपके।(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी: अब उसको संशोधित कर लीजिये, जी हां।

श्री निर्भय लाल: जी हां, तो कहो न आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जी हां। 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, तीनों भरेंगे। जी नहीं किसने दिया है।

श्री निर्भय लाल: कब तक भरेंगे? यह भी पूछना चाहता हूं आपसे मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से कि आप कब तक इन पदों को भरेंगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: आप तो यह बतायें, संस्कृत विश्वविद्यालय में जो अभी आपने 32 पद भरे हैं उसमें से अनुसूचित जाति, जनजाति के कितने हैं। एक भी नहीं लिया संस्कृत विश्वविद्यालय में 32 पदों में से।

श्री निर्भय लाल: कब तक भरेंगे? यह जुबानी बात कह रहे हैं। पचपन साल हो गये देश को आजाद हुए, अब तक आपने पद भरे ही नहीं और फिर आपने...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी: इसमें लिखा है यदि अवहेलना नहीं की हो, अवहेलना की ही नहीं अपन ने। (व्यवधान)

श्री निर्भय लाल: 1996 में स्थाई लिये थे...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: अध्यक्ष महोदय, आपके आने के बाद संस्कृत विश्वविद्यालय में आपने कुल कितने पद भरे और उसमें से अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने पद भरे, यह बता दीजिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: हाल ही में 32 आपने भरे, उसमें से एक भी अनुसूचित जाति, जनजाति का नहीं है।

श्री बाबूलाल नागर: आप यह बता दें एससी और एसटी के कितने लोगों को भर लिया।(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित: यह प्रश्नकाल का समय खतम कर रहे हैं। जो भी प्रश्नकर्ता हैं वह पूरक प्रश्न करें और प्रश्नकाल यह खतम कर रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर: मंत्री महोदय, आप बतायें।

श्री सी.डी.देवल: कोई प्रश्नकाल खतम नहीं है....(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित: यह व्यवस्था सब आप लोगों ने बिगाड़ी है, आप आइये ना, व्यवस्था करिये ना।(व्यवधान) यह कांग्रेस सरकार के किये गये पाप, उन पापों को धोने में समय लगेगा।(व्यवधान)

श्री सी.डी.देवल: जिन लोगों के भरोसे आप बात कर रहे हो, उनकी निष्ठा दूसरी है...

श्री अशोक (खण्डार): यह अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के प्रति इनकी भावना है...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: आप अनुसूचित जाति, जनजाति के विरोध की बात क्यों करते हो?(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी: मैं एक बार कह चुका सदन को, राज्य सरकार इस पर चिंतित है, राज्य सरकार सजग है, हमने चाहे आरपीएससी से पद भरे हैं, चाहे यह पद आगे भरेंगे, जो भी पद भरेंगे, जो विसंगतियां रह गई हैं उनको दूर करेंगे और एससी एसटी...

श्री बाबूलाल नागर: आपने खुद ने ही भरा है।

श्री सी.डी.देवल: ओबीसी भी तो बोलो साथ में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: मैंने भरा है तो मैं भी ठीक कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें आप। माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें आप।

श्री सी.डी.देवल: ओबीसी का तो कहें। यह बार-बार कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: मैं नहीं भरता हूं, भरने की एक प्रक्रिया होती है विश्वविद्यालय में, उस विश्वविद्यालय की प्रक्रिया में यदि कोई भी गलती रही है तो उसको ठीक करेंगे और अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीसी का सारा संविधान के अन्तर्गत जो कोटा है उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशोर मीणा। (व्यवधान) मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री रामकिशोर मीणा: प्रश्न संख्या 104 । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया, मंत्रीजी ने आश्वस्त कर दिया और मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया।

श्री सी.डी.देवल: इनको कुछ कहते नहीं हो, इन्होंने गलत जवाब दिया है कि आरक्षण करेंगे, नहीं।

श्री अध्यक्ष: क्या गलत जवाब दिया?

श्री सी.डी.देवल: इन्होंने यह दिया कि 16 और 12 आरक्षण करेंगे कि नहीं।

श्री अध्यक्ष: कोई गलत जवाब नहीं दिया।

श्री सी.डी.देवल: आप देखें इसको 16:12, इनका जवाब है-नहीं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी ने स्थिति स्पष्ट कर दी और मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया।

श्री सी.डी. देवल: यह खेद प्रकट तो करें।

श्री अध्यक्ष: मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: जी हां। कर दिया भाई।

श्री सी.डी. देवल : विधान सभा में खेद प्रकट तो करें यह मंत्रीजी, राज्य मंत्रीजी अगर तैयार नहीं हैं तो इन्होंने गलत जवाब क्यों दिया।(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: आपने जवाब तो अभी दिया है..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें कृपया।

सिकराय विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पेयजल योजनाएं

104.श्री रामकिशोर मीणा(सिकराय): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में पेयजल की कौन-कौन सी योजनाएं कब से संचालित हैं?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिकराय के ग्राम गडोरा, नाहरखोहरा, चांदेरा, रेटा तथा करौडी, ठीकरिया की योजनाएं आगामी गर्मियों से पूर्व स्वीकृत कर पेयजल सुलभ कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री चुन्नीलाल धाकड़): (1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में विभाग द्वारा संचालित एवं संधारित की जा रही विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं का वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ठ-अ पर उपलब्ध है।

(2) प्रश्न में वर्णित सभी 6 गांव हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित हैं। इन गांवों हेतु 11 नये हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं, जिन्हें माह अप्रैल, 2006 तक निर्मित कर चालू करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त ग्राम गडोरा तथा नाहरखोहरा में ग्रीष्म 2006 में आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन करना प्रस्तावित है। विवरण संलग्न परिशिष्ठ-ब पर उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री रामकिशोर मीणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जिन गांवों में योजनाएं प्रस्तावित हैं उनमें केवल अभी तक हैण्डपम्प से व्यवस्था की है लेकिन इनकी योजनाएं दो साल से विभाग के पास विचाराधीन

(श्री रामकिशोर मीणा)

हैं, एडीशनल चीफ इंजीनियर तक लेवल पर यह पड़ी हुई हैं और गत वर्ष एडीशनल चीफ इंजीनियर खुद इन गांवों में जाकर के योजना करके आये और उसके बावजूद अभी तक इन गांवों की योजनाएं मंजूर नहीं की उसके पीछे क्या कारण रहे? दूसरा प्रश्न यह है कि प्रश्न के उत्तर के एक भाग में दौसा पंचायत समिति के गांव हैं, करीब छह गांव हैं जिनमें पाईप की योजना है और स्कीम सरकार की है लेकिन उसमें लम्बे समय से बिजली के कनेक्शन के लिए, कनेक्शन नहीं होने की वजह से वह अभी तक कार्यरूप में परिणित नहीं हो पाई, लास्ट छोर तक के गांव हैं, उनको अभी तक पानी नहीं मिल पा रहा है, उनको कब तक पूरा कर दिया जायेगा, उनको कब तक पानी मुहैया कराने की योजना है।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि उनकी योजना एडीशनल चीफ इंजीनियर के यहां लम्बित रह जाती है, कर जाती है, यह हमारी जानकारी में लाया गया है, इसकी जानकारी करके शीघ्र जहां भी पड़ी हैं उनको निकलवाने की और क्रियान्वित की कोशिश की जायेगी। साथ ही आपने गाडोरा के गांवों की कोई प्रस्तावित योजना के बारे में बताया है, अभी तक हमारे पास योजना कोई पहुंची नहीं है और अगर कोई आवश्यकता हुई योजना की तो इसके लिए प्रस्तावित सर्वे करवाकर आगे इसके लिए प्रयत्न किये जायेंगे, पानी पिलाने के लिए कोई कमी नहीं रह पायेगी।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद एडीशनल चीफ इंजीनियर मेरे साथ गये हैं गत वर्ष और उन्होंने सारे अधिकारियों को साथ में ले जाकर योजना बनाई है। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास कोई योजना ही नहीं है। तो ऐसी योजनाएं को जो खुद जाकर के गये हैं और वहां पर इंतजार किया जाता है कि कहीं कोई आये, कोई हमको कहे तो उसके हिसाब से, अपने आप रूटीन वे में जो एडीशनल चीफ इंजीनियर हैं वह खुद अपने पास में, खुद ने बनाई है..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन में बैठे-बैठे बोलना नियमों के विपरीत है।

श्री रामकिशोर मीणा : तो उन योजनाओं को आपकी इन स्कीम्स में जहां पर बहुत ज्यादा फ्लोराइडयुक्त पानी है, रेटा गांव में कुबड़ा होने की एक बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है, वहां पर फ्लोराइड बहुत ज्यादा मात्रा में है, उसकी

(श्री रामकिशोर मीणा)

योजनाएं तीन साल पहले बनी पड़ी है लेकिन उसके बारे में जो जवाब है उसमें कुछ नहीं बताया गया है, तो अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि इनको जल्द से जल्द स्वीकृत कराकर इसी साल से और जिन योजनाओं में बिजली के कनेक्शन के लिए दो-दो साल से योजनाएं बन गईं, सारा काम कम्पलीट है, केवल कनेक्शन होने के अभाव में गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है....

श्री सांवर लाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने वैसे तो सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। माननीय सदस्य का एक सवाल तो यह है कि हैण्डपंप से पानी पी रहे हैं और योजनाएं बनाकर एडिश्नल चीफ इंजीनियर के पास लंबित हैं तो मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि हैण्डपंप भी पी.एच.ई.डी. की एक पानी उपलब्ध कराने की योजना है। जहां तक फ्लोराइड का सवाल है आप कह रहे हैं कि फ्लोराइड की वजह, पी.एंड टी. स्कीम के ट्यूबवैल खुदेगा सोर्स खुदने के बाद पता चलेगा कि उसमें फ्लोराइड है कि नहीं है। बाकी फ्लोरोसिस योजना हमने लागू कर रखी है एट सोर्स और इंडिविजअल के यहां पर ट्रीटमेंट हेतु इन्स्ट्रूमेंट हम लगाते हैं। उस लिमिट में अगर होगा तो वो लगेगा और बाकी है और भी हमको नीचे जाने की आवश्यकता होगी तो जाएंगे। बाकी यह जो प्रोसीजर है जे.इएन. योजना बनाता है, वो ए.ईएन. के दफ्तर में आती है फिर एक्स.इएन. भेजता है एस.ई. के पास और एडिश्नल चीफ इंजीनियर के पास तो यह प्रक्रिया में कुछ समय लग गया होगा बाकी आपके यहां जो चार पाँच आपने योजनाएं बताई हैं इसमें दो योजनाएं, हमने जवाब दिया कि इस गर्मी में ट्रांसपोर्टेशन से हमको पानी सप्लाई करना पड़ेगा तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं...

श्री रामकिशोर मीणा: वो तो लगातार चार साल से पिला रहे हैं इन गांवों में टैंकर से पानी।

श्री सांवर लाल: हां, वो ही तो मैं बता रहा हूं मैं और क्या कह रहा हूं। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता यह है कि जहां पर परिवहन से पानी उपलब्ध करवाया जाता है वहां पर अगर कोई सोर्स फिजीबल है तो वहां पर योजना बनाकर प्राथमिकता से स्वीकृत करें तो आपके यहां दो योजनाएं हम स्वीकृत कर देंगे फिर तकदीर की बात है पानी कैसा निकलता है क्योंकि जिस प्रकार आजकल अण्डरग्राउंड वाटर के संबंध में हम सब चिन्ता कर रहे हैं, जल अभियान की शुरूआत कर रहे हैं तो योजनाएं सैंक्शन कर देंगे सोर्स अगर

(श्री सांवर लाल)

फिजीबल होगा पानी अच्छा निकल जाएगा तो बाकी काम काज आपका करवा देंगे। दूसरा जो जानकारी आप लाये हैं, 6 योजनाएं हैं और बिजली कनेक्शन की वजह से वो योजनाएं लंबित हैं, आप हमारी जानकारी में लाये हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर इसमें कहीं पर भी सोर्स डवलप होने के बाद लापरवाही की और कनेक्शन के लिए एप्लाई नहीं किया तो उसके खिलाफ मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री रामकिशोर मीणा: अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न, जिन हैण्डपंपों को 1990 से पहले स्वीकृत किया था और चालू हैं लेकिन वो जलस्तर नीचे चले जाने की वजह से जो हैण्डपंप नाकारा हो गये हैं उनको बदलने के बारे में मंत्री महोदय कोई ऐसी स्कीम है क्या?

श्री सांवर लाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिना बदले ही आपके एरिया में इतने हैण्डपंप दे दिये जिनकी संख्या आप देखेंगे, पूरी सूची देखिये और कहीं जरूरत होगी तो और दे देंगे उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय मंत्री जी, आप इतना बता दें कि दो हजार से अधिक की आबादी के गांव में क्या हैण्डपंप से ही पानी की व्यवस्था को आप उपयुक्त समझते हैं?

श्री सांवर लाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो चाहते हैं कि बिलकुल शुद्ध और मीठा पानी लोगों को मिले और दो हजार से अधिक के गांव पन्द्रह सौ से अधिक के गांवों में हम पी.एंड टी. योजना लाते हैं और यह भी एक प्रोसीजर, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में एक साथ तो सारी हैण्डपंप योजनाएं पी.एंड टी. में परिवर्तित करना मेरे ख्याल से संभव नहीं है धीरे-धीरे हम इस और बढ़ रहे हैं । कई योजनाएं हमने दो साल में परिवर्तित की हैं और भी हमारे पास प्रस्ताव आएंगे उन पर विचार करके करेंगे।

श्री अध्यक्ष: हैण्डपंप में तो पानी है फिर कुए में क्यों नहीं है पानी? श्री रघुवीरसिंह मीणा। नैक्स्ट।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकर्ता संतुष्ट है प्रश्न सिकराय के बारे में था। आप स्थान ग्रहण कर लें। श्री रघुवीरसिंह मीणा।

श्री नंदलाल बंशीवाल (दौसा): आपने एक भी सप्लीमेंट्री पूछने की इजाजत नहीं दी अध्यक्ष महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): आप संतुष्ट हैं क्या? प्रश्नकर्ता तो संतुष्ट है, आप संतुष्ट हैं क्या इस जवाब से?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जब आपने पूछ लिया संतुष्ट होने के बाद तो इनको भी पूछ लेने दें।

श्री नंदलाल बंशीवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सप्लीमेंट्री तो पूछ लेने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष: सिकराय का प्रश्न है दौसा का थोड़े ही है। कोई दौसा का प्रश्न थोड़े ही है।

श्री नंदलाल बंशीवाल: सिकराय में पंचायत समिति दौसा का जिक्र आया है। पंचायत समिति दौसा का आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सिकराय से आने वाले माननीय विधायक ने...

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट पुकार लिया प्रश्न। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया ।

श्री नंदलाल बंशीवाल: कोई बात नहीं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया।

श्री महादेव सिह: उन को कैसे अलाऊ किया आपने?

श्री अध्यक्ष: मैंने उन को भी अलाऊ नहीं किया। कहां किया मैंने अलाऊ?

श्री महादेव सिंह: आपने अलाऊ किया है और आप संतुष्ट होने के बाद आपने खुद ने भी सवाल..।

श्री अध्यक्ष: नो-नो, श्री रघुवीरसिंह मीणा।

श्री महादेव सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ढाई इंच के हैण्डपंप थे उन को सवा इंच में बदलने की मंशा रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: आपको अनुमति नहीं है अब आप स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नंदलाल बंशीवाल: अध्यक्षजी ने मुझे ही बैठा दिया आपको क्या मुझे ही बैठा दिया।

उदयपुर संभाग में ठेकेदारों को आबंटित कार्यों का उप ठेका

105. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रथम श्रेणी के ठेकेदार कार्य अपने नाम आबंटन के बाद अन्य छोटे ठेकेदारों को दे देते हैं? यदि हां, तो उदयपुर संभाग में कौन -कौन से ऐसे ठेकेदार हैं, जिन्होंने कार्य अन्य लोगों को दे रखे हैं? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जी नहीं, ऐसा कोई प्रकरण विभाग में नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा: वाह मंत्री जी, वाह जोरदार जवाब दिया है। पूरे प्रश्न का जवाब पांच सैकण्ड में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से सवाल है और इस बात को पूरा सदन जानता है कि बड़े ठेकेदारों को ठेका देने के बाद वो छोटे ठेकेदारों को सबलेट करता है यह सब जानते हैं परन्तु मंत्री जी आपसे यह उम्मीद तो नहीं थी इतना छोटा जवाब देंगे। फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि आपने यह पैकेज बनाकर बड़े ठेकेदार ए क्लास, डबल ए क्लास ठेकेदारों को ठेका देने की जो नीति बनाई है इसके पीछे आपकी मंशा क्या थी और क्या आपकी मंशा पूरी हुई? दूसरा क्या यह सही है कि पी.एम.जी.एस.वाई. में कोई भी रोड 1 से 5 किलोमीटर के बीच में ही होती है और उसकी कोस्ट 50 से 1 करोड़ के बीच में ही आती है? बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास ठेकेदार होते हैं वो अगर यह नीति हो तो वो ठेका ले सकते हैं? आपने पूरे गांव का मिलाकर जो पैकेज बना दिया वह करोड़ों का बनता है बड़े ठेकेदार उसमें हिस्सा ले सकते हैं छोटे ठेकेदार उसमें हिस्सा नहीं ले सकते चूंकि यह मामला शिक्षित बेरोजगारों से भी जुड़ा हुआ है, डिप्लोमा डिग्री करने के बाद लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपना काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें न भाषण क्यों दे रहे हैं?

श्री रघुवीर सिंह मीणा: अध्यक्ष महोदय, पूछने तो दें। तो क्या सरकार कि इस बारे में क्या मंशा है? 1 दूसरा क्या बड़े ठेकेदार 30 प्रतिशत 40 प्रतिशत रेट काट कर छोटे ठेकेदारों को टेण्डर देते हैं? यह जवाब दें। टेण्डर नहीं सब्लेट करते हैं।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़: यह सही है जब से सरकार ने यह फैसला किया जो भी सड़कों का निर्माण राजस्थान में हो वे सारी सड़कें पेवर मशीन और प्लांट से बनायी जाएं चूंकि इस पेवर मशीन और प्लांट लगाने की क्षमता के लिए एक डेढ़ करोड़ उसको खर्च करना पड़ता है इसलिए इसमें जो छोटे ठेकेदार हैं वे कम इसमें भाग लेते हैं परन्तु यह नहीं कि छोटे ठेकेदारों को इसमें काम नहीं मिलता । भवन निर्माण का काम एक वर्ष में लगभग दो सौ करोड़ रुपये का होता है उसमें छोटे ठेकेदारों सी और डी श्रेणी के भाग लते हैं और सड़कों की मरम्मत का काम ये भी लगभग 60-70 करोड़ का होता है इस तरह कुल मिलाकर पी.डब्ल्यू.डी. में लगभग साढ़े चार पाँच सौ करोड़ का ऐसा काम निकलता है जिसमें सी और डी श्रेणी के ठेकेदार भी भाग ले सकते हैं। आपने यह कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना का बड़ा पैकेज बनाया, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए पूरे हिन्दुस्तान में एक नीति बनी हुई है, एक डाक्युमेंट है, उस डाक्युमेंट के आधार पर हम निविदाएं आमंत्रित करते हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें बड़ा पैकेज बनाकर और कोशिश यह की जाए कि काम की गुणवत्ता बनी रहे इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी काम अब दे रहे हैं वह सारा काम डिफेक्ट लायबिलिटी भी है यानी पाँच वर्ष तक उसी ठेकेदार को उस सड़क को उसी तरह से रखना पड़ेगा जिस तरह से वे निर्माण करते हैं तो छोटे ठेकेदार अगर छोटे-छोटे टुकड़ों में काम लेंगे तो डिफेक्ट लायबिलिटी में काफी दिक्कत आती है । मैं फिर भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई ऐसी बात हो कि सबलेटिंग का प्राविजन हमारे जो जनरल एग्रीमेंट राजस्थान पब्लिक वर्क्स अकाउंट-1000 है उसमें है परन्तु इसके लिए परमीशन लेनी पड़ती है चाहे नेशनल हाइवे का काम हो चाहे दूसरा काम हो चीफ इंजीनियर से परमीशन लेकर पी.एम.जी.एस.वाई. में भी 25 प्रतिशत पूरा काम चीफ इंजीनियर से परमीशन लेकर सबलेट किया जा सकता है। यह प्राविजन है और उस डाक्युमेंट में जिसके आधार पर हम निविदांए करते हैं उसमें लिखा हुआ है। तो सरकार की यह मंशा नहीं है कि बड़े ठेकेदार पहले काम ले लें उसको फिर छोटे ठेकेदार को कर दें। आपने जिस संभाग के लिए पूछा है, मैंने उस संभाग में सारे एक्स.इएन्स से एक सर्टीफिकेट मंगवाया है कि आपकी जानकारी के अनुसार कौन-कौन सी निविदाएं आमंत्रित की गईं और किस-किस ठेकेदार ने सबलेट किया? मेरे पास जो सूचना आयी है उसमें एक भी ठेकेदार ने उसको काम आबंटित हुआ है उसको सबलेट नहीं किया है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा मंत्री जी आप जांच करा ले। एन.जी. कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पूरी कोटड़ा तहसील का ठेका लिया पेवर रोड का। क्या यह सही है कि उसने लाभ कंस्ट्रक्शन को सबलेट किया और लाभ कंस्ट्रक्शन ने तीसरे ठेकेदार से गाड़ियां वगैरह हायर की डम्पर वगैरह कृष्णा ट्रांसपोर्ट कंपनी, उदयपुर से गाड़ियां हायर की और डम्पर हायर किये और उसने उनको पैसा नहीं दिया और चैक दिया और चैक बाउंस हुआ और क्या आपकी जानकारी में है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है उदयपुर में ? यदि हां, तो आपने यह कह दिया कि उदयपुर संभाग में कहीं सबलेट नहीं किया, क्या एन.जी. कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कोटड़ा में यह काम सबलेट किया, हां या नहीं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जो हमारा स्टेण्डर्ड बिडिंग डाक्युमेंट है उसके क्लाज 7(2) में यह साफ लिखा है कि मेटेरियल सप्लाई का अगर कोई काम करता है तो वह सबलेट की परिभाषा में नहीं आता । कोई लेबर सप्लाई करता है वह सबलेट की परिभाषा में नहीं आता । आपने जिस कंस्ट्रक्शन कम्पनी का हवाला देकर सवाल खड़ा किया है मेरे पास जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार किसी तरह का सबलेट उन्होंने नहीं किया है, सबकांट्रेक्ट का काम नहीं किया है । उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि इस तरह के मामले को लेकर वाद विवाद इतने बढे कि न्यायालय में चले गये तो मैं पूरी जानकारी लेकर जो सूचना मेरे पास आई है उदयपुर पूरे संभाग में कोई भी सबलेटिंग और सब कांट्रेक्ट का काम नहीं हुआ है उसके पश्चात भी हुआ है तो मैं निश्चित तौर पर पूरी जानकारी लेकर कार्यवाही भी करूंगा । अध्यक्ष महोदय, यह आपस में तो काम करते ही रहते हैं परन्तु किसी का पेमेंट रुक गया, किसने लेबर सप्लाई की, किसने मेटेरियल सप्लाई किया, किस ने डम्पर सप्लाई किया इसलिए मैं समझता हूं पूरी चीज की जानकारी लेकर यहां पर कोई बात करें ।

श्री अध्यक्ष: श्री सी.पी.जोशी। मैंने सी.पी. जोशी का नाम पुकार लिया है उसके बाद आप पूछना ।

डा.सी.पी.जोशी : माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है वह कानून की बात कही है । जो प्रेक्टिस है, जो पेवर रोड की जो केपेसिटी है उस केपेसिटी के अनुसार कांट्रेक्टर व्यवस्था कर ले तो सबलेटिंग नहीं होगी । उसकी पेवर की जितनी केपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा वह काम ले लेता है और फिर सबलेट करता है । यह जो सबलेटिंग की प्रेक्टिस है इसको रोकने के लिये आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । खुली निविदाओं में डबल ए, ए और बी श्रेणी के ठेकेदार भाग लेते हैं। वह अपना काम अपने आप लेते हैं उसके बाद अगर वह सबलेट करना चाहे तो भी परमिशन लेकर कर सकते हैं हमारे नियमों में प्रावधान है। उसके पश्चात भी अगर इस तरह की कोई बात होती है तो उसको कैसे रोका जा सकता है ।

डा. सी.पी. जोशी: पेवर कंडीशन डाल दी इसलिए इश्यू यह नहीं है । छोटे कांट्रेक्टर के पास पेवर मशीन नहीं है इसलिए वह काम नहीं ले रहा है । आपने प्रि कंडीशन डाल दी कि जिसके पास पेवर होगी वही कांट्रेक्ट ले सकेगा इसलिए आपने क्लब बना रखा है इसलिए इस प्रेक्टिस को रोकने के लिये क्योंकि वह आदमी इस कंडीशन में ठेके ले लेता है और फिर सबलेट करता है उन लोगों को जिनके पास पेवर नहीं है । यह जो आपकी प्रेक्टिस सी और डी लेवल के जो कांट्रेक्टर हैं वह बिड में पार्टिसिपेंट तो नहीं कर सकते लेकिन वह आदमी पेवर मशीन के नाम से कांट्रेक्ट ले लेता है और काम उन्हीं से करवाता है । यह जो प्रेक्टिस चल रही है उस प्रेक्टिस को रोकने के लिए जिससे आपकी गुणवत्ता भी बनी रहे और प्रेक्टिस भी रुके इसके लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: इस प्रेक्टिस में कोई नुकसान होता है क्या ।

डा. सी.पी. जोशी: अध्यक्ष महोदय, इससे नुकसान यह हो रहा है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक समय में एक ही बोलें ।

डा.सी.पी.जोशी: अध्यक्ष महोदय, इसमें नुकसान यह हो रहा है जो पहला कांट्रेक्टर अपने हिसाब से बिड करता है सबलेट करने वाले से कमीशन ले लेता है, वह तीसरे आदमी से कमीशन करता है । मान लो एक लाख रुपये की रोड है तो 30 हजार तो कट ही हो जाते हैं एक, दो और तीन सबलेट करने में तो एक्चुअल जो काम एक लाख रुपये का होना चाहिये वह काम 70 हजार रुपये का ही हो रहा है । इसलिए इसको रोकने के लिये, मैं यह नहीं कह रहा आपने क्वालिटी मेनटेन की है, अच्छा काम हो रहा है यह मैं मना नहीं कर रहा लेकिन सी और डी के केटेगिरी के आदमी इस प्रेक्टिस में इन्वाल्व होकर आपकी क्वालिटी से कम्प्रोमाइज कर रहे हैं और आप की यह प्रेक्टिस जारी है इसलिए इसको रोकने के लिए सरकार को कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे आपकी क्वालिटी भी मेनटेन रहे, सी और डी केटेगिरी के

(डा. सी. पी. जोशी)

लोगों को भी काम मिल सके और यह जो सबलेट करके कांट्रेक्ट में डाइरेक्ट पैसा ले रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कार्टेल बनाकर एक आदमी पूरी रोड का ठेका ले लेता है । मान लो 50 करोड का ठेका ले लिया और 50 करोड में 5-5 आदमी को ठेका दे देता है वह आदमी उनसे घर बैठे पैसा लेता है । इस प्रेक्टिस को रोकने के लिये आप निश्चित तौर पर कुछ कार्यवाही करें, यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्षः श्री नाथूसिंह जी ।

डा.एन.एस.गुर्जरः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा क्योंकि यह इनके शासन में भी और हमारे शासन में भी यह प्रेक्टिस जारी है तो यह कोई एक सरकार का सवाल नहीं है । क्या यह सही है कि आप जिस प्रोविजन का हवाला दे रहे हैं कि सबलेट कर सकता है वह केवल कांट्रेक्टर ही कांट्रेक्टर को तो सबलेट कर सकता है लेकिन जो रजिस्टर्ड कांट्रेक्टर नहीं है उनको वह सबलेट नहीं कर सकता । जिस नियम का आपने हवाला दिया है वह केवल एक काट्रेक्टर दूसरे काट्रेक्टर को सबलेट कर सकता है और वह इसलिए कर सकता है इन्होंने प्रोविजन इसलिए रखा है कि टुकडों में जल्दी बन जाये या कहीं छोटा काम है, बड़ा काम है उसके पास इतने साधन नहीं है इसलिए इन्होंने यह व्यवस्था की थी । मंत्रीजी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा यह एक संभाग का सवाल नहीं है पूरे राजस्थान में ही इस बात की जांच कराइए कि क्या इन बडे ठेकेदारों ने ए, बी और डबल ए क्लास यह इसलिए किया है कि सड़क की क्वालिटी मेनटेन रहे । अभी आपने ही सवाल किया था इससे नुकसान क्या है । अध्यक्ष महोदय, घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है । वह सड़क दो महीने बाद ही टूट जाती है उसके बाद पेचवर्क चलते रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ रहे हैं या जवाब दे रहे हैं ।

डा. एन.एस.गुर्जर : नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा, आपने स्वयं पूछा है कि इससे क्या नुकसान होगा । पाँच साल तक केवल उसके पेचवर्क होते रहते हैं, 6-6 महीने तक गड्ढे पडे रहते हैं और उसके बाद डिपार्टमेंट जोर डालता है तो फिर पेचवर्क कर देते हैं । मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या आप राजस्थान में जांच करायेंगे कि कितने ठेकेदारों ने जो ठेकेदार नहीं हैं उसको सबलेट किया है। नंबर दो, आपके जो अधिकारी इस कारोबार में शामिल हैं.....

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दे रहे हैं या पूछ रहे

डा.एन.एस.गुर्जर: मैं पूछ ही रहा हूं। क्या आपके अधिकारी जो इस कारोबार में शामिल हैं जिन्होंने खुद के ठेकेदार पार्टनरशिप में खडे कर रखें हैं और वह लोग आपको गलत सूचना देंगे क्या किसी तीसरी ऐजेंसी से जांच करा कर जो कमीशन खाकर गलत रिपोर्ट देते हैं आप यह जांच करा कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे । यह इनके समय में भी प्रेक्टिस थी, आज भी है । जितनी भी इंजीनियरिंग सेवाएं हैं उनमें कमीशन चलता है यह इनको भी मालूम है और हमको भी मालूम है इसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था करेंगे।

श्री कैलाश त्रिवेदी : ...यही तो प्रक्रिया है कि एक ठेकेदार से इकट्ठा कमीशन ले लो और मजे करो बाकी तो 10 जगह से कमीशन लेते हैं 10 जगह बदनाम होंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने देखा होगा कि इन वर्षों में सड़क की क्वालिटी पहले से बेहतर इसलिए है कि पेवर प्लांट से सड़क का निर्माण होता है । इसके अलावा यह बात उठी कि वहां खड्डे हो जाते हैं सड़क टूट जाती है। जब पांच साल जो ठेकेदार बनाता है उसके जिम्में रहती है सड़क और उसके बाद डिफेक्ट लायबिलिटी में हम हर वर्ष हमारे एक्स ईएन को उसको प्रमाण पत्र देना पडता है कि अमुक सड़क जिस तरह की बनी थी वह उसी तरह की सड़क है । वरना हम उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं । इसलिए यह कहना गलत है कि वहां खड्डे छोड़ देते हैं । तीसरा अध्यक्ष महोदय, जिसको कांट्रेक्ट कहते हैं इसमें लेबर, मैटेरियल और ट्रांसपोर्टेशन यह तीनो इस परिभाषा में ही नहीं आते । इसके अलावा, आपने एक बात सही कही कि छोटे ठेकेदार इस प्रतिस्पर्द्धा से बाहर चले जाते हैं । हम कोशिश करेंगे कि सी और डी श्रेणी के ठेकेदार यह जोइंट वेंचर करके अगर 4-5 ठेकेदार मिलकर भी कोई ठेका लेना चाहेंगे, उनकी केपेसिटी में क्योंकि 15 लाख तो डी श्रेणी की है और 50 लाख तक का काम सी श्रेणी का ठेकेदार ले सकता है। अब सी श्रेणी के 3-4 ठेकेदार मिलकर उस केपेसिटी में जोइंट वेंचर करके आएंगे तो मैं आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहूंगा कि हम उन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे । हमारी खुद की मंशा है कि इस पूरे निर्माण के माध्यम से लोगों को काम मिले और गुणवत्ता का काम हो ।

श्री सुरेश मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि एक महीने में जो रोड बनी है आज वह रोड खुदकर दूर पड़ी है उसमें कौनसा मैटेरियल लगा हुआ है उसके बारे में हमको बतायें ।

श्री अध्यक्ष : यह तो आप अलग से प्रश्न पूछ रहे हैं ।

डा.एन.एस.गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि एक कांट्रेक्टर दूसरे कांट्रेक्टर को ठेका दे सकता है, सबलेट कर सकता है ..

श्री अध्यक्ष : आपका तो दिया ही था ।

डा.एन.एस.गुर्जर: नहीं, एक कांट्रेक्टर दूसरे कांट्रेक्टर को सबलेट कर सकता है लेकिन जो रजिस्टर्ड कांट्रेक्टर ही नहीं है उसको सबलेट करने का प्रावधान है क्या? और क्या राजस्थान में उनको ऐसे सबलेट नहीं किया गया, क्या आप इसकी जांच करायेंगे , इसका जवाब कहां आया ।

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, कई तरह के ऐसे काम हैं जो बिना रजिस्टर्ड कांट्रेक्टर से भी करवा सकते हैं जैसे लेबर सप्लाई है, मेटेरियल सप्लाई है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक आश्वासन जरूर देना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी सड़क जो डिफेक्ट लायबिलिटी में है और उसमें उसके पीरियड से पहले उस सड़क में खड्डे पड गये हैं तो माननीय सदस्य मुझे लिखकर देंगे तो मैं यहां से एक क्वालिटी कंट्रोल की एक स्पेशल टीम बनाकर भेजूंगा और उसको ठीक भी करायेंगे और उस ठेकेदार पर पेनेल्टी भी लगायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, एक एक जिले के 5-5 ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्सट क्वेश्चन श्री ओ पी महेन्द्रा का स्थगित किया जाता है क्योंकि आज यह पुनर्वास को स्थानान्तरित कर दिया गया ।

केसरीसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र की कस्टोडियन भूमि का नियमितीकरण

106. श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राष्ट्रपति, भारत सरकार की भूमि से संबंधित प्रकरण पुनर्वास विभाग, जिसमें डी पी एक्ट समाप्त कर नया एक्ट लागू करने पर विचार

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

किया जा रहा है, को सरकार राज्य में कब से लागू किये जाने का विचार रखती है ।

(2) श्री गंगानगर जिले में व विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर में उक्त भूमि के कितने प्रकरण ऐसे हैं, जो गैर खातेदार हैं । सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार सनदें जारी करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या ऐसे गैरखातेदार जिन्होने भूमि का बेचान कर दिया है, को राज्य सरकार शास्ति (जुर्माना) लगाकर नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां तो समस्त प्रकरणों से राज्य सरकार को कितना राजस्व अपेक्षित है व नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट श्री ओ. पी. महेन्द्रा का प्रश्न स्थगित किया जाता है क्योंकि आज यह पुनर्वास को स्थानान्तरित कर दिया गया। श्री रामचन्द्र सराधना।

राज्य की रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनरुद्धार

107. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए कोई योजना घोषित की गई थी ? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त योजना की घोषणा के बाद राज्य में इस प्रकार की कितनी रुग्ण औद्योगिक इकाइयां चिह्नित की गईं और उनमें से कितनी इकाइयों को कितनी कितनी राशि की किस प्रकार की सहायता प्रदान कर पुनरुद्धार किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त योजना के लागू होने के बाद राज्य में कितनी रुग्ण औद्योगिक इकाइयां कहां कहां पुनर्जीवित हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : (1) जी हां । योजना का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है ।

(2) राजस्थान विनिवेश योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्य में

(श्री नरतप सिंह राजवी)

कुल 1023 रुग्ण इकाइयां चिह्नित की गई हैं । इनमें से 12 इकाइयों को योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है, 4 इकाइयों को ब्याज अनुदान एवं विद्युत शुल्क में छूट का लाभ दिया गया है तथा शेष 8 इकाइयों को केवल विद्युत शुल्क में छूट का लाभ दिया गया है ।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत लाभान्वित 12 इकाइयों की सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामचन्द्र सराधना: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग संख्या 2 में मंत्रीजी का जवाब है 1023 रुग्ण इकाइयों को चिह्नित किया गया और केवल मात्र 12 रुग्ण इकाइयों को लाभान्वित किया गया इसके क्या कारण है ..

क्या आपने जो रूग्ण इकायों को पुनर्जीवित करने के लिए उनका उद्धार करने के लिए जो योजना बनाई थी क्या वह शर्ते इसमें कठिनाई का कारण बन रही हैं और उन्हें सुधारना चाहते हैं ? दूसरा, इसमें मैंने पूछा था कि इन इकाइयों को कितनी-कितनी राशि, किस-किस प्रकार की सहायता दी गई, वह इसमें जवाब नहीं आया? तीसरा, मेरा प्रश्न है कि इन औद्योगिक इकाइयों को पुर्नउद्धार करने के लिए आपने जो प्रावधान रखा था इस वर्ष में, कुल कितना प्रावधान था और उसमें कितना खर्चा हुआ ?

श्री नरपत सिंह राजवी: अध्यक्ष महोदय, 2004-5 के बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन-जिन बातों का उल्लेख किया है उसी के आधार पर रिप्स योजना 2003, राजस्थान राजस्व विनियोजन प्रोत्साहन योजना 2003 में खंड 5 ए को अमेंड करके उन शर्तों को वापिस वहां पर रखा, अभी यह वालेंटरी है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने 38 हजार रूग्ण इकाइयां मानीं, अब वह एप्लाई ही नहीं करेंगे तो उसका लाभ कैसे मिलेगा और अभी तक तो लाभान्वित और कार्य आरम्भ करने का 31.3 तक का टाइम दिया है। 31.3 को जो 10 लाख रूपये या 5 लाख रूपये विनियोजन कर लेगा वह लाभ का हकदार होगा, अब शर्त पूरी करना तो आवश्यक है क्योंकि आइबीआई की गाइड लाइन के आधार पर 50 प्रतिशत नेट रोजान हो, नेटवर्क का, तो कम से कम वह उसका पात्र होगा। छोटी इकाइयां बीआईएफआर और उनमें तो जाती नहीं है लेकिन बीआईएफआर की भी उसके अंदर रखी हुई है। विद्युत शुल्क में इन्टरेस्ट और पेनल्टी वेव करना इन्सटालमेंट में देना इन सब बातों का, पात्रता

(श्री नरपत सिंह राजवी)

तो कंडीशन प्रेसीडेंट जो फुलफिल करेगा तो कंडीशन सब्सीक्यूंट में राज्य सरकार उसको देगी।

श्री अध्यक्ष: हां, फरमाइये प्रद्युम्निसंह जी1

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय मंत्री महोदय, क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने 1123 नम्बर बताया, क्या यह वह इकाइयां है जिनका कि रीको या आरएफसी के द्वारा फाइनेंस किया गया, पहला सवाल। इसके अलावा जिनको कि रीको और आरएफसी के द्वारा फाइनेंस नहीं किया गया ऐसी कितनी इकाइयां हैं राजस्थान के अंदर बंदी पड़ी हुई है, उनकी सरकार की कोई रिवाइव करने की योजना है तो बताने की कृपा करें। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने पिछले आम चुनाव में बड़े जोर शोर से होर्डिंग्स लगाये थे कि राजस्थान की हजारों इकाइयां रूग्ण इकाइयां होकर सरकार द्वारा, पिछली सरकार के कार्यकाल में बंद हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी बढ़ी है, यह डिस्टिंकशन जो मैं पूछ रहा हूं, आपने जो कुछ कहा था उसके सन्दर्भ में सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि यह रीको, आरएफसी वाली है? दूसरा, कितनी इकाइयां है, अगर आपके पास फीगर्स है उनके कि कितनी इकाइयां बंद हुई है स्माल सैक्टर के अंदर, मिडियम सैक्टर के अंदर जो कि इन फाइनेंशियल इन्स्टीटयूशन के द्वारा फाइनेंस नहीं की गई इनका नम्बर बताने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये पहले, मौका दूंगी, जवाब आ जाने दीजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी: 2004-5 में 679 रूग्ण इकाइयों के आवेदन प्राप्त हुये थे। (व्यधान) मुर्गा इतना बड़ा था, तो इतना होता नहीं है नीचे वाला हाथ तो देने दीजिये। उनमें से 389 इकाइयों का विधिवत रूप से रूग्ण चिह्नित किया। इस अवधि में रीको, आरएफसी, केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिग्रहित व नये प्रबंधन को बेची गई अथवा मूल प्रबंधन को लौटाई गई 365 औद्योगिक इकाइयों को जारी मार्गदर्शिका के अनुसार स्वत: रूग्ण मान लिया, इसलिए 2004-5 में 754 रूग्ण इकाइयां चिह्नित की गई। इसी प्रकार 5-6 में 263 इकाइयों को स्वत: रूग्ण माना क्योंकि आरएफसी और रीको या सेंट्रल फाइनेंस इन्स्टीटयूट द्वारा वह कब्जे में ले ली गई थी और 6 इकाइयां ऐसी थी जिन्होंने अप्लाई किया, इस हिसाब से 1023 इसमें क्वालिफाई करते हैं। शर्ते

(श्री नरपत सिंह राजवी)

वास्तव में सख्त हैं। आप इण्डस्ट्रीयल मिनिस्टर रहे हुये हैं ऐसी शर्तों में छोटे उद्योग जो टाइनी और स्माल के अति लघु लघु, उनके लाभान्वित होने के चांस कम रहते हैं और दूसरा एक और कारण बनता है कोई भी फाइनेंशियल इन्स्टीटयूट एक बार डिफाल्टर होने के बाद दुबारा उसका फाइनेंस नहीं करेगा इसलिए फाइनेंशियल इन्स्टीटयूट से जब तक टाइ अप नहीं बैठेगा तब तक मूल रूप से जिनको लाभान्वित करने का, लघु और अति लघु को लाभान्वित करने की मंशा है सरकार की वह पूरी नहीं हो पाएगी।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने एक प्रश्न और पूछा था कि ऐसी कितनी इकाइयां है जिन्होंने आरएफसी, रीको से लोन नहीं ले रखा और वे रूग्ण है, उसका जवाब भी दे दीजिए आप।

श्री रामचन्द्र सराधना: अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न था, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया, मैं यह कहना चाह रहा हूं, सीधी सी बात है। माननीय मंत्री जी से मैंने यह निवेदन किया है कि 1023 रूग्ण इकाइयों में से 12 आने का क्या कारण था यह कठिन शर्तों को क्या हटाना चाहते हैं, एक। दूसरा, मैंने पूछा था उसमें आपने जवाब दिया 12 इकाइयों को हमने लाभान्वित किया, 12 इकाइयों को कितना धन दिया है और किस किस क्षेत्र में दिया है? तीसरा, इस वर्ष में कितना बजट रखा गया था और उसमें कुल कितना खर्च हुआ है? एक भी प्रश्न का जवाब आपने नहीं दिया।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, मेरे को भी एक प्रश्न पूछने की इजाजत दी थी आपने। पूछ सकता हूं? अध्यक्ष महोदय, जयपुर मैटल क्या रूग्ण में शामिल.....

श्री रामचन्द्र सराधना: जयपुर मैटल तो बाद में आयेगा पहले मेरा तो जवाब आने दीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता: जयपुर मैटल की स्थिति बड़ी खराब है साहब। हजारों मजदूर रोजाना धरना देते हैं। 35 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। आपने प्रश्न पूछा अच्छा है, इसका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आपके प्रश्न के जवाब में यदि मंत्री महोदय यह बता दें, सदन को आश्वस्त कर दें कि जयपुर मैटल को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार की क्या योजना है ताकि उन मजदूरों को सदन आश्वस्त कर

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

सके कि हां, सरकार कुछ कर रही है उनके लिए। काफी तो आपसे मिल ही चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी: अध्यक्ष महोदय, जहां तक कितनी राशि से लाभान्वित करने का प्रश्न पूछा, इन्टरेस्ट सब्सिडी तो राशि, उतना पीरियड निकलने के बाद कितनी राशि आयेगी वह अभी 31 मार्च के बाद गणना होगी। इन 12 इकाइयों को कितनी इन्टरेस्ट सब्सिडी दी है या इलेक्ट्रिसिटी डयूटी में 50 प्रतिशत रिबेट जो सात वर्ष तक रहेगा, डिटेल आपने इस प्रश्न में मांगी होती तो सबकी डिटेल ले लेते। 31 मार्च तक उसकी गणना होगी वह आपको निश्चित तौर पर लिखित रूप में बता दूंगा। एक इन्टरेस्ट सब्सिडी है एक्चुअल सेज पर पेयबल है इसलिए वह फीगर्स भी है वह वर्ष के बाद तक मिलेगा।

श्री रामचन्द्र सराधना: मंत्री महोदय, आप गलत जवाब पढ़ रहे हैं। मैंने पूछा था कितनी राशि, किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई, मूल प्रश्न मेरा यह है। पूछा गया वह आपने बताया नहीं। 12 इकाइयों को कितनी राशि दी गई और किस किस क्षेत्र में दी गई आपने नहीं बताया।

श्री नरपत सिंह राजवी: राशि का आप.....

श्री रामचन्द्र सराधना: आपने जवाब सही नहीं दिया, आपके विभाग ने।

श्री अध्यक्ष: दो में पूछा है उन्होंने।

श्री नरपत सिंह राजवी: उक्त आयोजना में लागू होने के बाद राज्य में कितनी रूग्ण इकाइयों को, कहां कहां पुनर्जीवित हुई यह आपने पूछा है और वह परिशिष्ट मैंने रखा है, अगर राशि पूछी होती तो वह भी रखता, अगर राशि पूछते।

श्री अध्यक्ष: दो में पूछा है उन्होंने, कितना-कितना पैसा दिया यह भी पूछा है उन्होंने।

श्री नरपत सिंह राजवी: माननीय सदस्य ने जयपुर मैटल का पूछा...

श्री रामचन्द्र सराधना: मैंने नहीं पूछा माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरे प्रश्न का जवाब सही नहीं आ रहा है। शायद मंत्री जी को विभाग वालों ने सही जवाब नहीं दिया। दूसरा पन्ना पढ़ रहे हैं आप मैंने भाग संख्या दो में पूछा कि इन रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को चिह्नित किया गया है, उनमें से कितनी इकाइयों को कितनी कितनी राशि, किस प्रकार की दी गई सहायता, यह पूछा है मूल प्रश्न में।

श्री नरपत सिंह राजवी: अध्यक्ष महोदय, नकद राशि तो दी ही नहीं जाती। इन्टरेस्ट सब्सिडी का मैंने कहा है, इन्टरेस्ट सब्सिडी एक्चुअल कामर्शियल प्रोडक्शन के बाद दी जायेगी। जहां तक इलेक्ट्रिसिटी डयूटी है तो एक्चुअल पावर यूज करेगा उसके बाद में दी जाएगी। 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी डयूटी बिल में से ही कटेगा एडवांस में थोड़े ही मिल जाएगा। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 2004-5 की बात है वह अब बता रहे हैं मंत्री महोदय, दरअसल में आपके पास है नहीं। केवल मात्र राज्य सरकार ने रूग्ण इकाइयों को चालू करने के लिए वाह-वाही लूटने के लिए आपने घोषित कर दी नीति और जब नीति की बात करते हैं तो रूग्ण इकाइयों वालों से बात करते हैं तो वह कहते हैं अव्यवहारिक। आपने नीतियां ऐसी बनाई, शर्तें ऐसी रखी कि कोई भी औद्योगिक इकाई को लाभ नहीं मिल सके। आप उस पर विचार करना चाहते हैं क्या ? वस्तुत: उनको वह लाभ देना चाहते हैं और रूग्ण इकाइयों को चालू करना चाहते हैं तो आपको उन शर्तों को, उसमें ढील देनी पड़ेगी, उस पर विचार करना पड़ेगा, क्या वह करना चाहते हैं क्या, यह बताइये आप।

श्री नरपत सिंह राजवी: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जितनी भी रुग्ण इकाइयां हैं, उस अनुपात में लाभान्वित वह नहीं हो पा रही है और न हम कर पा रहे हैं। अव्यवहारिकता भी जहां-जहां पर है, हमारी कोशिश है कि उनको चिह्नित करके उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के संबंध में जो मैंने आपसे निवेदन किया कि वह एक जटिल समस्या है, क्योंकि एक बार डिफाल्टर होने के बाद, चाहे बैंक हो, चाहे स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे केन्द्रीय वित्तीय संस्थाएं हों, वह उनको फाइनेंस नहीं करती और जब तक फाइनेंस नहीं करेगी, रिवाइवल उसका, स्टार्ट नहीं होगा। कुछ इकाइयां इस प्रकार की हैं, जैसे एक बाई दो की टाइल्स हैं, अब वह व्यवहारिक नहीं है। चूरू, झुन्झुनूं में जितनी लगी हैं, सबकी सब सिक हुई हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि आपने नीति घोषित करने से पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से बात की क्या ? आपने नीति घोषित कर दी। विरोध नहीं कर रहे हैं और बीच में लटक रहा है रुग्ण इकाइयों वाला। आप करना क्या चाहते हैं? दरअसल में केवल ढिंढोरा पीट कर वाहवाही लूटना चाहते थे कि हमारी सरकार उद्योगों को चलाएगी। वह जयपुर मैटल के लिए

(श्री रामचन्द्र सराधना)
सही कह रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं? आपकी नीति घोषित करने से पहले आपको उनसे...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जयपुर मैटल पर जवाब आ जाने दीजिए। जयपुर मैटल के लोगों का भला हो जाएगा, आप जरा उनसे जवाब आ जाने दीजिए ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : आप उनके पुनरुद्धार करने के मामले, औद्योगिक इकाइयों को चालू करने के मामले में आप लोगों को बिजली बोर्ड से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से, रीको से, आर.एफ.सी. से, सबसे बात करके फिर आपको नीति घोषित करनी चाहिए थी ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जयपुर मैटल को चालू करवाओ साहब। माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठी हुई हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं। उन्होंने नीति घोषित की है। जयपुर मैटल के कर्मचारियों के हित में, मजदूरों के हित में बात बतायें। ...(व्यवधान) उस रुग्न इकाई को चालू करने के संबंध में आपकी क्या योजना है सरकार की वह ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): सवा दो साल तो गुजर गये हैं ।

श्री रामचन्द्र सराधना(जमवारामगढ़): आपने जो नीति घोषित की है वह घोषित नीति अव्यावहारिक है । क्या आप उस पर पुनर्विचार करना चाहते हैं या नहीं?

श्री नरपत सिंह राजवी : बैठ जाओ, एक बार कह दिया। जयपुर मैटल का, उसको भी बता दूंगा। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात जो आपने कही वह सही है लेकिन बिजली का और जितने भी टैक्स कंसेशंस दिये हैं वह तो वह सारे नोटिफिकेशन निकले हुए मेरे पास पड़े हैं। वह सदन की मेज पर रख दूंगा लेकिन उतने मात्र से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी मात्र से वे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। बी.आई.एफ.आर. में छोटा केस जाता नहीं है इसलिए उनको व्यवहारिक बनाने के लिए ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद नहीं थी इस सरकार से कि वह इस तरह का जवाब देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से अब सीधी-सीधी बात करना चाह रहा था कि 12 इकाइयों को आपने सहायता दी, 1083 इकाइयों को सहायता देते तो शायद आप पढ़ ही नहीं पाते उसको। 12 इकाइयों का नहीं बता पाये कि आप कितना पैसा आपने दिया।

श्री नरपत सिंह राजवी: वह पढ़ूंगा या नहीं पढ़ पाऊगा, यह आपकी मेहरबानी से नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आपने इस बजट में कितना प्रावधान रखा था वह नहीं बताया है आपने और कितना प्रावधान रखा था और उसमें कितना खर्चा हुआ वह नहीं बताया आपने। सीधी सी बात है आपने वह बताया है अभी ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी: प्रावधान कितना रखा ? जितना भी प्रावधान है, 50 परसेंट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है तो जितनी ड्यूटी ड्यू बनेगी, वह बिल तो उसको लेने दो। आज 12 इकाइयों में से जिनको लाभान्वित हो रही हैं, वह हो रही हैं तो 5 परसेंट जितनी सब्सिडी ...(व्यवधान) उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लिया, वह उसको मिलेगा । ...(व्यवधान) उतना मिलेगा । ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है, यह बताना नहीं चाहते हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री अमराराम धोद।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अब जयपुर मैटल का बता दीजिए। जयपुर मैटल का जवाब तो आने दीजिए। जवाब आ जाने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोद, जयपुर मैटल का जवाब आ जाने दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर मैटल के कर्मचारी मर रहे हैं। सड़कों पर भूखे मर रहे हैं, उनके जीने का कोई आसरा नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो सूचना मंत्रीजी के पास थी वह उन्होंने आपको दे दी ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जयपुर मैटल का जवाब आ जाने दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। श्री अमराराम धोद । ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आ जाने दीजिए। एक प्रश्न का भी जवाब नहीं आया । एक का भी जवाब नहीं आया । तीन भाग है, तीनों का जवाब नहीं आया है। ...(व्यवधान) जयपुर

(श्री अशोक बैरवा)

मैटल के कर्मचारियों के संबंध में मैं जवाब चाहता हूं। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य की पीड़ा को आप समझना नहीं चाहते और केवल सरकार वाहवाही लूट रही है। सैकड़ों कर्मचारी जयपुर मैटल के बेघरवार हो गये हैं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इजाजत दी है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अगला पूछो मत, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह कर्मचारी मर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। आसन पाँवों पर हैं। स्थान ग्रहण कर लें। खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। ...(व्यवधान) मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। The Chair is on legs. आसन पाँवों पर। आसन पाँवों पर है। स्थान ग्रहण कर लें, श्री अमराराम धोद ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी: यहां पर सरकार लोगों को लाना चाहती है, निवेश बढ़ाना चाहती है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। हरेक का प्रश्न यहां पर महत्वपूर्ण है। ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना(जमवारामगढ़): मेरे प्रश्न का एक का भी जवाब नहीं आया है और आपने आगे वाला प्रश्न पुकार लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया, एक पार्ट का भी, एक पार्ट का भी जवाब नहीं आया है मेरा निवेदन है ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जवाब नहीं आया है, माननीय सदस्य का जवाब नहीं आया है।...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मंत्रीजी या तो इस प्रश्न को आगे बढ़ाये। ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): इतना बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री बाबूलाल नागर: माननीय सदस्य का जवाब नहीं आया है।...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): जवाब तो आया ही नहीं है। ...(व्यवधान) आपने जयपुर मैटल के संबंध में भी मंत्री महोदय ने कोई बात कही है वह ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न अलग से प्रश्न है। आप ख्वाहमख्वाह खड़े हो रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है, माननीय मंत्रीजी। माननीय पशुपालन मंत्रीजी आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है।...(व्यवधान) मैंने कहा स्थान ग्रहण कर लें, माननीय सदस्य । ...(व्यवधान)

जितनी सूचना मंत्रीजी के पास थी वह उन्होंने दे दी। ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): उत्तर आया नहीं है। तीन भाग हैं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप यदि उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इजाजत दी थी।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप फिर आधे घंटे की चर्चा में आइये यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसको गम्भीरता से देखें। मेरे तीन भाग हैं, प्रश्न के। ...(व्यवधान) एक भाग का भी जवाब नहीं आया है। ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपने मुझे इजाजत दी थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम धोद। आसन पाँवों पर है। आसन पाँवों पर है।

श्री हरिमोहन शर्मा: प्रश्न को स्थगित कर दो। जवाब पूरा नहीं आया तो प्रश्न को स्थगित कर दो। जवाब आ जाने दो आप। स्थगित कर दो प्रश्न को ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इजाजत दी थी। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर मैटल के संबंध में।

श्री अध्यक्ष: जयपुर मैटल तो अलग से प्रश्न है। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: पूरा जवाब दिया है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप दूसरे नियमों से आइये। ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जयपुर मैटल भी रुग्ण इकाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वे देना चाहते हैं, माननीय मंत्री महोदय, जवाब ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आप ही जवाब से संतुष्ट नहीं हों तो स्थगित करने में क्या है? आप खुद ही संतुष्ट नहीं हो जवाब से तो ?

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पुकार लिया, उत्तर दिलवाइये।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब दूसरे नियम भी हैं। खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, ख्वाहमख्वाह खड़े हो जाते हैं यूं ही । आसन पॉवों पर है। आसन पावों पर है। ...(व्यवधान) यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो और नियम हैं, उन नियमों में आइये। उन पर चर्चा करिये, क्या दिक्कत है ? ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दी है और मंत्रीजी तैयार हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी थोड़ी कृपा हो जाए तो उन लोगों का भला हो जाएगा, मजदूरों का। आपकी थोड़ी कृपा चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जयपुर मैटल बिलकुल अलग प्रश्न है। जयपुर मैटल अलग से प्रश्न है। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संतुष्ट हैं तो आप कह दो कि आप संतुष्ट है । हम तो मान लेंगे। आप ही फैसला कर दो कि आप संतुष्ट हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: आसन जवाब नहीं दिया करता। आसन माननीय सदस्य का इस तरह से जवाब नहीं देता। आसन केवल आपको इजाजत देता है । सुनता है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष: हां, जवाब दें।

रसीदपुरा ग्राम (सीकर) में पशु चिकित्सालय की स्थापना

108. श्री अमराराम (धोद): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सीकर में आधुनिक नस्ल के अधिकतम दुधारू पशुपालन करने वाले ग्राम रसीदपुरा में पशु चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होने के क्या कारण हैं?

(2) पशु चिकित्सालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं तथा क्या यह ग्राम इन मानदण्डों पर आता है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम में पशु चिकित्सालय कब तक खोल दिया जावेगा?

पशुपालन मंत्री (श्री प्रभुलाल सैनी): (1) ग्राम खुड़ीबड़ी में पशु चिकित्सालय सन 1992 से संचालित है जो रसीदपुरा से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलने के निर्धारित मानदण्ड निम्नानुसार हैं:-

1. पशु चिकित्सालय से 6 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है।
2. न्यूनतम दुधारू पशु धन की संख्या लगभग 5000 हो।
3. पक्की सड़क, पानी, बिजली, दूरभाष की सुविधाएं उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे ।
4. 3-4 कमरों का पक्का भवन एवं 200 वर्ग गज जमीन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे ।

ग्राम रसीदपुरा इन मानदण्डों पर नहीं आता ।

श्री अध्यक्ष : कल आपने माननीय मुख्य मंत्रीजी का बजट भाषण नहीं सुना था ? उसमें आपने नये और कुछ खोले हैं न । आप यूं क्या कह रहे हो ? ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदस से एक तो यह जानना चाहूंगा कि जो आपने खुड़ीबड़ी में पशु चिकित्सालय बताया है, यह ग्राम पंचायत खुड़ीबड़ी में है लेकिन यह पशु चिकित्सालय नारायण का बास, उस पंचायत का एक गांव है और उसकी दूरी रसीदपुरा से छह किलोमीटर से ज्यादा है। आप करेक्ट कर लें। यह जो खुड़ीबड़ी ग्राम पंचायत है, पंचायत हैडक्वार्टर है और इसका यह पशु चिकित्सालय नारायण का बास में अवस्थित है, जिसकी दूरी छह किलोमीटर है और यह जो मानदण्ड आपने बताये हैं, यह तमाम मानदण्ड क्या मंत्री महोदय,

(श्री अमराराम धोद)

पूर्ण करते हैं? और जब भी पशु पालन विभाग ने दुधारू पशुओं की प्रतियोगिता की है, हमेशा पिछले पाँच साल से लगातार रसीदपुरा ही उसमें पहले, दूसरे और तीसरे नम्बर पर आया है और इस रसीदपुरा में जो आपका नारायण का बास पशु चिकित्सालय है, नेशनल हाई वे नम्बर 11 पर है, उन किसानों को उन कीमती पशु जो बीस-पच्चीस हजार रुपये की एक-एक गाय है, वे उसको नहीं ले जा सकते और यह जो आपके जितने भी मानदण्ड हैं पाँच हजार, उसकी दो किलोमीटर की परिधि में, भूखरों का बास, खुड़ी, यह आपका बढ़ाडर, महलासी, जो पाँच हजार से भी ज्यादा, ऐसे कीमती पशु हैं और सीकर जिले में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला गांव है, आपका सड़क दूरभाष ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, भाषण दे रहे हो आप तो ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, क्या यह जितने भी कमरे की और यह जो तमाम मानदण्ड आपने बताये हैं, छह किलोमीटर और बाकी मानदण्ड, रसीदपुरा उनको पूर्ण करता है तो क्या मंत्री महोदय, इसी वित्तीय वर्ष में जो बजट में घोषणा की है, इसमें पशु चिकित्सालय खोलने का क्या आप विचार रखते हैं? इन मानदण्डों को पूरा करने के बाद खोलने का इरादा रखते हैं या नहीं रखते हैं?

श्री नरपत सिंह राजवी: मंत्रीजी से काहे का प्रमाण-पत्र ले रहे हो कि सबसे ज्यादा पशु वहां पर ही रहते हैं। ...(व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सत्य है कि रसीदपुरा में दुधारू पशुओं की संख्या बहुतायत है और वहां पर दूध भी बहुत अधिक पैदा होता है और हमने जो परीक्षण कराया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि वहां लगभग 3365 दुधारू पशु हैं और अन्य पशुओं की संख्या 2003 की पशु गणना के अनुसार 3635 हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को इतना आश्वस्त करना चाहूंगा कि पशु चिकित्सालय तो वहां खोलना सम्भव नहीं है, लेकिन पशु उप केन्द्र शीघ्र वहां खोलने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष: हो गया आपका काम तो। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

सिद्धराज ढड्ढा श्री, सर्वोदयी नेता

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं आज दिवंगत हुए सर्वोदयी नेता श्री सिद्धराज ढड्ढा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं ।

स्वतन्त्रता सेनानी, विख्यात सर्वोदयी नेता, चिन्तन और विचारक श्री सिद्धराज ढड्ढा का जन्म 12 फरवरी, 1909 को जयपुर में हुआ। आपने राजनीति विज्ञान में एम.ए. तथा एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद आपने जयपुर में वकालत प्रारम्भ की, लेकिन आपको यह पेशा रास नहीं आया और आपने कुछ समय बाद ही वकालत छोड़ दी। आप पहले मारवाड़ी थे जो कलकत्ता स्थित चैम्बर ऑफ कामर्स के वर्ष 1934 से 1942 तक सचिव रहे। लेकिन भारत छोड़ो आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिये आपने यह नौकरी भी छोड़ दी। इस आन्दोलन में सक्रिय रहते हुए आप गिरफ्तार किये गये तथा वर्ष 1943 से 1945 तक बनारस जेल में बन्द रहे।

पत्रकारिता में रुचि रखने वाले श्री ढड्ढा ने श्री हीरालाल शास्त्री के सहयोग से वर्ष 1946 में दैनिक 'लोकवाणी' का प्रकाशन प्रारम्भ किया तथा वर्ष 1949 तक इसके प्रधान सम्पादक रहे। आप साप्ताहिक 'ग्रामराज' के सम्पादक भी रहे तथा देश की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से जन-जागरण का कार्य किया। आप वर्ष 1947-48 में तत्कालीन राजपूताना प्रान्तीय कांग्रेस के महामंत्री रहे। आप दिसम्बर, 1949 में जयपुर में आयोजित कांग्रेस के 55 वें महाधिवेशन की स्वागत समिति के संयुक्त मंत्री बनाये गये।

वर्ष 1949 में वृहद् राजस्थान का निर्माण होने पर आप श्री हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमण्डल में अप्रैल, 1949 से जनवरी, 1951 तक उद्योग और व्यापार मंत्री रहे। वर्ष 1951 में आपने सक्रिय राजनीति छोड़ दी और सर्वोदय का मार्ग अपना लिया। श्री जयप्रकाश नारायण के अनन्य सहयोगी रहे श्री सिद्धराज ढड्ढा ने समग्र सेवा संघ के अध्यक्ष के रूप में देश भर के रचनात्मक कार्यकर्ताओं को संगठित किया। आपातकाल लागू होते ही आप जून, 1975 में पटना में गिरफ्तार किये गये तथा जनवरी, 1977 तक राज्य की विभिन्न जेलों में बन्द रहे।

(श्री अध्यक्ष)

अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष श्री ढड्ढा भू-दान यज्ञ बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। मानवता और मानवीय मूल्यों के प्रति गहरी आस्था रखने वाले श्री ढड्ढा को सार्वजनिक मामलों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिये वर्ष 2003 में प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण देने की घोषणा की गई थी, लेकिन केन्द्र की आर्थिक नीतियों के विरोध में श्री ढड्ढा ने यह सम्मान स्वीकार नहीं किया। श्री सिद्धराज ढड्ढा को शांति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिये गत वर्ष महावीर फाउण्डेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वयोवृद्ध सर्वोदयी नेता श्री सिद्धराज ढड्ढा का लम्बी बीमारी के बाद आज दिनांक 9 मार्च, 2006 को प्रात: साढ़े सात बजे निधन हो गया।

मैं, दिवंगत श्री सिद्धराज ढड्ढा को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें। (दो मिनट मौन) सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिये स्थगित की जाती है। दस मिनट बाद पुन: मिलेंगे।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.04 बजे दस मिनट के लिये स्थगित हुई)

(समय: 12.14 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री जुबेर खान एवं पच्चीस अन्य सदस्यों की ओर से कोटा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में आयोजित गत गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य के एक मंत्री द्वारा दिये गये भाषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव अभी हाल ही की घटना से सम्बन्धित नहीं है। फिर भी इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(2) श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की और से कोटा संभाग में ओलावृष्टि से हुए करोड़ों रुपयों के नुकसान के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री भरत सिंह एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से हाल ही में राज्य के हाड़ोती संभाग में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसल नष्ट होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हेमराज मीणा एवं श्री प्रमोद जैन, सदस्य की ओर से राज्य के कोटा-बारां जिले में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सम्बन्ध में।

स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो उपरोक्त पर चर्चा की अनुमति देने में असमर्थ हूं लेकिन मैं चाहूंगी कि माननीय मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में अपनी सुविधानुसार एक वक्तव्य दें।

तीन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव हैं इनमें से एक माननीय सदस्य को मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात कहने का अवसर दूंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़: नहीं, वक्तव्य आये उसी दिन....(व्यवधान) जिस दिन आप आदेश देंगे उस दिन वक्तव्य दे देंगे, उसी दिन यह अपनी बात कह देंगे। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़: है महत्वपूर्ण इसीलिए, आसन ने निर्देश दिये, हम पालना करेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीन माननीय सदस्यों ने दिया है, बड़ा नुकसान हुआ है, दो मिनट में अपनी बात कह देंगे, क्या दिक्कत है इसमें।

श्री राजेन्द्र राठौड़: यस, जैसी आज्ञा आपकी। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठे-बैठे क्यों बोलते हैं?

मैं एक माननीय सदस्य को दूंगी तीन मिनट का मौका, खड़े हो गये आप। आसन पावों पर है, अभी पूरी व्यवस्था दी नहीं उससे पहले खड़े हो गये आप।

(5) श्री श्रवण कुमार एवं श्री रामनारायण चौधरी, माननीय प्रतिपक्ष की ओर से राज्य में पर्याप्त एवं समय पर वर्षा नहीं होने तथा विद्युत सप्लाई की अव्यवस्था के कारण फसलों की समुचित पिलाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। स्थगन प्रस्तावों के रूप में तो अनुमति देने में असमर्थ हूं फिर भी चूंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यह स्थगन प्रस्ताव रखा है इसलिए विषय वस्तु पर बोलने की तीन मिनट के लिए उन्हें भी अनुमति होगी।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): जानकारी मंगा लो। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर। नहीं, आपको बोलने का दूंगी न मौका, तब आप कहियेगा, देंगे।

(6) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल एवं दस अन्य सदस्यों की ओर से राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अकाल राहत कार्यों में कुशल श्रमिक आदि की मजदूरी डोवटेलकारी विभाग द्वारा वहन करने के आदेश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा की अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री बेनीवाल को दो मिनट में अपनी बात रखने की अनुमति होगी।

(7) श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से राज्य में किसानों की समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद नहीं होने आदि के सम्बन्ध में।

स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो चर्चा की अनुमति देने में असमर्थ हूं और कल माननीय मुख्यमंत्रीजी ने अपने भाषण में मुझे जहां तक ध्यान पड़ता है, कहा भी था कि इतने करोड़ की सरसों अब तक समर्थन मूल्य पर खरीद ली गयी है फिर भी इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी से चाहूंगी कि माननीय मंत्रीजी इस सम्बन्ध में सुविधानुसार आप अपना वक्तव्य दें।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

1. श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की आगरा की से गोविन्दगढ़ पाइप लाइन नये सिरे से डालने के संबंध में।
2. श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सीकर के अति पिछड़े 12 ग्रामों का विकास करने के संबंध में।
3. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से जिला बूंदी के बांक्या का नया गांव बांध की डुब क्षेत्र के खातेदारों की मुआवजा राशि हड़पने के संबंध में।
4. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्रामीण इलाकों की सड़कों की दयनीय हालत के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

5. श्री सी.डी.देवल, सदस्य की ओर से जिला पाली में पीने के पानी की भंयकर समस्या के सम्बन्ध में।
6. श्री प्रभुलाल वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिपल्दा के कस्बे खातौली में नायब तहसील खोलने के संबंध में।
7. श्री रामचन्द्र जारोड़ा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की सड़कों का नवीनीकरण करने के संबंध में।
8. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से चिड़ावा में नया बस स्टैण्ड से पुराने बस स्टैण्ड तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करने के संबंध में।
9. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर की सड़कों की दयनीय स्थिति के संबंध में।
10. श्री नवनीत नीनामा, सदस्य की ओर से वन विभाग की भूमि पर आदिवासी किसानों द्वारा किये गये कब्जों को नियमित करने के संबंध में।
11. श्री राकेश मेघवाल, सदस्य की ओर से नगरपालिका मकराना द्वारा मकराना शहर की गंदगी ग्राम मंगलाना की मुख्य सड़क पर डालने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
12. श्रीमती ममता शर्मा, सदस्य की ओर से तहसील बूंदी के जल संसाधनों का संधारण हेतु वित्तीय प्रावधान करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगी सदन से कि एक व्यवस्था इस आसन से यह दी जा रही है चाहे स्थगन प्रस्ताव हो चाहे 295 हो चाहे पर्ची हो, एक सदस्य एक ही बार चाहे पर्ची के माध्यम से चाहे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से और चाहे 295 के उससे एक सदस्य एक दिन में एक बार ही बोलेंगे।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जीतमल खांट: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दे रखा है पिछले तीन दिन से...

श्री मंगलाराम गोदारा: पाइंट आफ इन्फार्मेशन माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: जीरो आवर में, अभी जीरो आवर शुरू हो गया है, मेरी व्यवस्था के बाद

जीरो आवर शुरू हो जाता है और जीरो आवर में कोई व्यवस्था का पाइंट आफ इन्फार्मेशन नहीं होता।

श्री मंगलाराम गोदारा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां थाने का घेराव कर रखा है, बड़ी व्यापक चोरियां हो रही हैं और चोरियां रुक नहीं रही। किसानों का कहीं ग्वार चोरी हो रहा है और कहीं गाड़ियां चोरी हो रही हैं और थाने का घेराव कर रखा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्रीजी से...

श्री अध्यक्ष: गृह मन्त्रीजी से बात कर लें।

श्री जीतमल खांट: 295 के तहत ..(व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा: माननीय अध्यक्ष महोदय, भंयकर समस्या है एक महीने से बराबर डेली चोरी हो रही है। मैं मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि इसकी कोई व्यवस्था करें अन्यथा कोई भी घटना घट सकती है। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां थाने का घेराव कर रखा है लोगों ने और कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है।

श्री अध्यक्ष: 295 एक माननीय सदस्य का एक वीक में एक बार आता है।

श्री जीतमल खांट: एक भी नहीं लगा है अध्यक्ष महोदय ।

श्री मंगलाराम गोदारा: डूंगरगढ़ ...

श्री जीतमल खांट: माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी नहीं लगा, पिछले सप्ताह में नहीं लगा, इस सप्ताह में भी नहीं लगा है।

श्री अध्यक्ष: आपका कल आएगा।

श्री बृजकिशोर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी 295 का दे रखा है।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा, श्री हेमराज मीणा।

श्री बृजकिशोर शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी 295 का नोटिस दे रखा है।

श्री अध्यक्ष: 295 आपने दे रखा है एक माननीय सदस्य सप्ताह के अन्दर एक बार ही 295 दे।

श्री मंगलाराम गोदारा: माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरगढ़ थाने का

(श्री मंगलाराम गोदारा)

घेराव कर रखा है । माननीय मंत्रीजी बैठे हैं। मन्त्री जी थोड़ा जवाब दें, कई दिनों से चोरियां हो रही हैं ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अभी तक एक ही दिया हुआ है और अब तक 295 के नोटिस की मुझे इजाजत नहीं मिल रही है....(व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा: कभी ग्वार ले जा रहे हैं कभी गाड़ियां ले जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका थोड़ा जवाब मंत्रीजी दें।

श्री अध्यक्ष: सुनिए तो आप स्थान ग्रहण कर लें । दोनों माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लें ,आप भी स्थान ग्रहण करें, आसन पैरों पर है। मैं सदन को जानकारी देना चाहती हूं चूंकि बारह 295 ही एक दिन में पढ़े जाते हैं इसलिए जिस दिन ज्यादा आ जाते हैं वह नेक्स्ट डे हो जाएगा। जिन लोगों के आज नहीं आए हैं जिन्होंने दिया है 295 वह कल आ जाएगा।

श्री मंगलाराम गोदारा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का... थाने का घेराव कर रखा है मन्त्रीजी...

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ आर्डर जीरो आवर में नहीं होता है । क्वेश्चन आवर के बाद जो जीरो आवर होता है उसमें पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है ।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐसा विषय....

श्री मंगलाराम गोदारा: माननीय अध्यक्ष महोदय, भंयकर स्थिति है वहां थाने का घेराव कर रखा है, हजारों लोगों ने थाने का घेराव कर रखा है, कोई अप्रिय घटना घट सकती है ।

श्री अध्यक्ष: एक समय में एक बोलेगा तो मुझे सुनाई देगा एक समय में यदि दो बोलेंगे तो मैं नहीं सुन पाऊंगी।

श्री रामनारायण चौधरी: होम मिनिस्टर साहब आप कुछ....

श्री मंगलाराम गोदारा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सूचना दे रहा हूं, भंयकर स्थिति है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: माननीय सदस्य अभी ध्यान में लाए हैं। मैं यहां से अभी बाहर जाने के बाद पूरी घटना के बारे में जानकारी करूंगा और उचित जो भी व्यवस्था हो सकती है समझाइश से या और कोई कारण से जो कुछ हुआ उसमें कुछ कमी रही तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हिण्डोली से आने वाले सदस्य आपको बोलने के लिए आपने नाम पुकार दिया, मैं रोकना नहीं चाहता पर आपने व्यवस्था दी है कि माननीय मंत्री वक्तव्य देंगे तो जिस समय वक्तव्य दें उसी समय यह अपनी बात कह दें, मैं समझता हूं कि ....

श्री हरिमोहन शर्मा : स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की दो मिनट की अनुमति दी है और एक बार अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दे दिया तो फिर आपको क्या एतराज है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आसन ने व्यवस्था दे दी है कि वह तीन मिनट बोलेंगे, आपका समय शुरू हो गया है बोलिए ।

कोटा सम्भाग में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सम्बन्ध में

श्री हरिमोहन शर्मा: अध्यक्ष महोदय, प्रकृति के प्रकोप के कारण कोटा संभाग में बारां जिले में, कोटा जिले में, बूंदी जिले में, भरतपुर जिले में राजस्थान के अनेक जिलों में अलवर, सवाई माधोपुर में लगातार प्रकृति प्रकोप चल रहा है और लाखों बीघा जमीनों में किसानों के द्वारा बोई गयी गेहूं की, सरसों की, धनिया की फसलें बर्बाद हुई हैं और जो एस्टीमेट है उसके हिसाब से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है । लेकिन अभी तक भी उन किसानों को जिस प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए थी, जिस प्रकार की मदद की जानी चाहिए थी उस प्रकार की कोई भी सरकारी सहायता उन लोगों को उपलब्ध नहीं कराई गयी । माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी सी सहायता दी जा रही है एक मार्जिनल फार्मर को जो असिंचित जमीन है उसको एक हेक्टेअर छह बीघा जमीन पर केवल एक हजार रुपया और जो इर्रिगेटेड जमीन है वह मार्जिनल फार्मर को 2300 रुपया दिया जा रहा है जो उसकी लागत के हिसाब से काफी कम है । साथ ही जिन लोगों ने फसल बोई थी और जिन्होंने बैंकों से लोन लिया है, जिन्होंने क्राप लोन लिया है, जिन्होंने कोआपरेटिव सोसायटी से लोन लिया है, कम से कम उन लोगों ने जो क्राप लोन लिया है , कोआपरेटिव मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, वहां जाकर अनेक प्रकार के इधर उधर के आश्वासन दे आते हैं । जिन लोगों ने क्राप लोन लिया है और जिनका प्राकृतिक प्रकोप के कारण जो यह फसलें बर्बाद हो गयी हैं उनका क्राप लोन भी माफ किया जाना चाहिए।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता के माध्यम से जिन लोगों ने क्राप लोन और कम्पोनेंट बी के तहत जो खाद और बीज प्राप्त करने के लिए जो लोन लिया है उन लोगों को वहां इन्श्योरेंस बीमा कराने के लिए भी उनसे प्रिमियम काटी गयी है और जो मौजूदा कानून कायदे हैं, उन कायदे कानूनों के अन्तर्गत अब यह बताया जा रहा है कि वह क्राप लोन जो उन्होंने लिया है और जो बीमा उन्होंने कराया है वह चूंकि स्केटर्ड एरिया होने के कारण उन लोगों को बीमा का कोई लाभ नहीं मिलेगा तो ऐसी योजना जिसके तहत बीमा का लाभ कम्पलसरी रूप से विदाउट दी कंसेंट आफ दी एग्रीकल्चररिस्ट उस सारे के सारे को इन्होंने काटा है तो जो उनका बीमा का पैसा काटा है अगर उनको लाभ इस प्राकृतिक प्रकोप में नहीं मिल सकता है वह वापस किया जाना चाहिए, क्रोप लोन माफ किया जाना चाहिए और आगे के लिए किसानों के लिए समग्र व्यापक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी यहां विराजी हुई हैं , एक समग्र योजना बनानी चाहिए। मैं तो यह उम्मीद करता था 8 तारीख के दिन जिस दिन माननीय मुख्य मंत्रीजी का जन्मदिन था 8 तारीख के अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस थ़ा और संयोग से तेरपन वां वर्ष था उसका भी कुल योग आठ होता है। मैं उम्मीद करता था कि प्रकृति प्रकोप के मामले में माननीय मुख्य मंत्रीजी बजट अभिभाषण के दौरान कुछ न कुछ किसानों को राहत पहुंचाने की बात करेंगी। पुन: विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी हस्तक्षेप कर उन किसानों को तत्काल लाभ पहुंचाने के लिए कारगर कदम उठाएं।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता।

एक माननीय सदस्य: मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष: आपका है लेकिन बात तो वही कहनी है व्यवस्था मैंने यह दी थी कि आप तीनों का है लेकिन एक माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति होगी....

मैंने यह व्यवस्था दी थी। बात तो यही कहेंगे ना आप ? वह मुख्य मंत्रीजी ने सुन ली आपकी बात।

श्री भरत सिंह: इससे अलग हटकर कुछ कहूंगा मैं। इससे अलग हटकर सदन के काम की कुछ बात कहूंगा ताकि किसानों का भला हो सके। मुझे आप बोलने की तो इजाजत दीजिये दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट, आपको दो मिनट दिये जाते हैं। आप देखिये मंत्रीजी वक्तव्य देंगे। मंत्रीजी इस पर वक्तव्य देंगे।

श्री भरत सिंह: मंत्रीजी वक्तव्य देंगे। मुख्यमंत्रीजी सदन में हैं, आप जब बोलेंगी जब बैठ जाऊंगा। मुझे बोलने तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष: अब आप दो मिनट बोल दीजिये।

श्री हेमराज मीणा: बारां जिला तो पूरा ही प्रभावित हुआ है।

श्री अध्यक्ष: भरत सिंहजी को बोलने दीजिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय अध्यक्षजी, 4 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी उस समय कोटा के दीगोद विधान सभा क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई और 30 गांवों में आंशिक नुकसान हुआ और 16 गांवों की पूरी फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी...

श्री अध्यक्ष: जलदाय मंत्रीजी, आप मुख्यमंत्रीजी को सुनने दीजिये। जलदाय मंत्रीजी, सुनने दीजिये मुख्यमंत्रीजी को। उनके इलाके की बात है।

श्री भरत सिंह: साढ़े पांच हजार हेक्टेयर की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी। सरकार के जो प्रोविजन हैं, जो उत्तर माननीय मंत्रीजी देंगे, उस प्रोविजन के तहत काश्तकारों को इतनी कम सहायता मिलती है और जो काश्तकारों की सुरक्षा के लिये जो कृषि बीमा योजना है उसका हाड़ौती क्षेत्र के काश्तकारों को तो कभी लाभ मिल ही नहीं सकता। सिर्फ वह अपनी किश्त जमा कराने के लिये काश्तकार उसका पैसा जमा कराता है क्योंकि यह पूरी तहसील यूनिट है उसका लाभ नहीं मिलता। अभी जो ओलावृष्टि हुई है, ओलावृष्टि किस स्टेज पर हुई ? एक तो होता है कि आदमी फसल बोये और ओलावृष्टि हो जाये तो वह नुकसान कम है। अभी जो ओलावृष्टि हुई उस समय हुई है जब काश्तकार अपनी फसल काटने के लिये खेत में जाने वाला था। उसकी पूरी लागत, पूरा खर्चा जब उसका लग चुका है तो किसान बरबाद हुआ है और जब इस प्रकार की बरबादी होती है तो जिंदा रहते हुए भी किसान मर जाता है। जब मर जाता है तो जिसके पास हम जाते हैं, जिस घर में गमी हो जाती है उस घर में हम जाते हैं तो मरा हुआ आदमी तो लौटकर नहीं आता मगर उसको संवेदना जरूर मिलती है। मुझे दुःख है कि 4 तारीख को ओलावृष्टि हुई है, चार दिन तक सदन में छुट्टी थी, अगर सरकार का कोई मंत्री जाकर, उनको सहायता राशि तो वही मिलती मगर उनके आंसू पोंछने तक के लिये क्षेत्र में नहीं गया। मैं आपसे निवेदन करता हूं और सदन में यह सुझाव रखना

(श्री भरत सिंह)

चाहता हूं ताकि कोई शोर शराबा करके ही अपनी बात कहकर पत्रकारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से छप जाये कि कांग्रेस ने या एक अमुक सदस्य ने जो यह मुद्दा उठाया और किसानों को लाभ नहीं मिले तो उससे किसानों का हित होने वाला नहीं है। मैंने इस सदन में पहले भी कहा है कि अगर आप किसानों का हित चाहते हैं तो कुछ बुनियादी कदम लीजिये। किसानों से जो यह राशि है कृषि उपज मंडी जो टैक्स के रूप में करती है, जो कम से कम 260 करोड़ रुपये सालाना होती है उसमें एक सफेद हाथी किसानों की छाती पर बैठा रखा है जिसका नाम है कृषि विपणन बोर्ड । इस बोर्ड को कम्पलसरी रूप से हर कृषि मंडी की 30 प्रतिशत आय आती है और उस बोर्ड का लक्ष्य क्या है ? उस बोर्ड का लक्ष्य है सड़कें बनाना और मंडी में भवन बनाना। यह बोर्ड हटा दीजिये आप। यह पैसा, मैंने पहले भी कहा है कानून में संशोधन और यह पैसा कोटा की मंडी की सालाना आय और इस प्रकार अलग संभाग की जो आय है वह लगभग 16 से 20 करोड़ रुपये होगी। पूरी व्यवस्था का खर्चा देने के बाद इस राशि में से आपदा के समय आपको कहीं कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है सिर्फ इस बोर्ड की व्यवस्था, जो सफेद हाथी है इसको हटा दीजिये और मंडी अपने आपमें सक्षम रहेगी कि अपने काश्तकारों का जो नुकसान होगा उसका जिला परिषद् के नीचे इसको करिये और उसी राशि को कोई नया टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा आपको और आप किसानों की मदद कर सकते हैं। मगर इसके लिये मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी यहां सदन में हैं, इस पर निर्णय लें ताकि किसानों का भला एक सार्थक रूप में हो सके और मैं मंत्रीजी से यह भी चाहूंगा कि उस क्षेत्र का जाकर अवलोकन करें और किसानों से जाकर मिलें और आज किसान इतना पीड़ित है कि वह अपनी फसल का मुआवजा जो चार सौ रुपये बीघा है और वह भी सीमान्त और लघु कृषक को मिल रहा है, वह लेने को तैयार नहीं है इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी जब अपना उत्तर दें उसके साथ में इनसे यह भी निवेदन करूंगा उस क्षेत्र में जाकर भी लोगों से मिलने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री हेमराज मीणा: अध्यक्षजी, बारां जिला भी पूरा प्रभावित हुआ है। मैं भी आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा...

श्री ओम बिड़ला (संसदीय सचिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, सरकार ने उनसे हाल नहीं पूछे, यह माननीय

(श्री ओम बिड़ला)

सदस्य गलत सूचना है। आप गये थे, उसके साथ मैं भी एक-एक गांव में जाकर आया हूं और हमने यह कहा कि सरकार किसानों के साथ है और उनका वाजिब हक, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा सदन जानता है कि केन्द्रीय सहायता के तहत उनको मुआवजा मिलता है। उस मुआवजे को देने के लिये सरकार तैयार है, उससे भी ज्यादा सरकार हमेशा मुआवजा देती हुई आयी है।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खुद जाकर आया हूं। माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं। मैं खुद काश्तकारों से मिलकर आया हूं और लगभग 20 गांवों में मैं घूमकर आया हूं जहां ओलावृष्टि हुई है। सबके सर्वे करने के बाद और जिला कलक्टर को मुआवजा वितरित करने के निर्देश देकर आया हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आधा मिनट, सिर्फ आधा मिनट।

श्री अध्यक्ष: हेमराजजी, अब क्या कहेंगे ? वह बोल चुके हैं, अब क्या करेंगे आप ?

श्री हेमराज मीणा: अध्यक्ष महोदय, बारां जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। 12 तहसील में 22 ग्राम ऐसे हैं जिनकी फसल पूरी चौपट हो गयी और साठ परसेंट जितना खराबा हुआ है...(व्यवधान) 6 गांव प्रभावित हुये हैं और कुछ तहसीलों में...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय परम्पराओं में यह है स्थगन प्रस्ताव जब बजट भाषण पर चर्चा हो रही है उस समय ...(व्यवधान) इसमें बोला जा सकता है फिर भी आपने समय दिया है और मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर लोगों की इच्छा यह है कि उनको राहत मिलनी चाहिये।

श्री हेमराज मीणा: अध्यक्ष महोदय, 26 गांव प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं छबड़ा, छीपाबड़ोद में भी सारे गांव प्रभावित हुए हैं। छबड़ा और छीपाबड़ोद में तो जो अफीम की फसल होती थी उसका भी भयंकर नुकसान हुआ है। अफीम तो इतनी महंगी पड़ती है कि काश्तकार की माली हालत बहुत खराब कर देगी। फसल पकने का जो टाइम था पूरे बारां जिले के कम से कम 75 गांव प्रभावित हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन: माननीय अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि से किसानों को सहायता दी है तो इस सरकार ने दी है। कभी ओलावृष्टि से किसानों को कोई सहायता दी है क्या ? अब उस पर कोई इंकार नहीं है और केवल चर्चा करने के लिये चर्चा करते हैं...(व्यवधान) आज तक था नहीं। आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया, पहली बार इस सरकार ने जो सहायता दी है और यह...

श्री प्रमोद जैन 'भाया': आप खाली गुमराह कर रहे हो काश्तकारों को।

श्री अध्यक्ष: अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?

श्री हेमराज मीणा: मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार जो मुआवजा देती है वह एक एक का दे जमीन का। केन्द्र सरकार बढ़ाये नहीं, बढ़ाये लेकिन इसको बढ़ायें। क्योंकि जिन किसानों की फसल चौपट हो गयी है उन किसानों की माली हालत बहुत खराब हो गयी है।

श्री महीपाल यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान में किसान बरबाद हुआ है...

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण करें, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य क्यों खड़े हैं आप?

श्री महीपाल यादव: और यह सरकार किसानों के नाम पर घडियाली आंसू बहा रही है। किसान पूरा चौपट हो गया है, कल भी ओलावृष्टि हुई है पूर्वी राजस्थान में। यह सरकार जो है....

श्री अध्यक्ष: जो बीच में बिना आज्ञा के बोलें उनका अंकित न किया जाए।

श्री महीपाल यादव: ×××

श्रीमती ममता शर्मा: ×××

श्री हेमराज मीणा: सरकार जो मुआवजा देती है वह मुआवजा बहुत कम है। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो ऋण मिल रहा है उस ऋण के ऊपर जो बीमा राशि काटी जाती है या तो किसानों को मुआवजा दिया जाए या उस बीमा राशि को काटने से बैंकों को पाबंद किया जाए क्योंकि किसानों के ऊपर वित्तीय भार भी बढ़ रहा है और किसान को लाभ भी नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार भी कोई न कोई कोष बनाये ताकि किसानों को ओलावृष्टि से लाभ मिल सके।

मोहम्मद माहिर आजाद: ×××

श्री अध्यक्ष: अब नहीं, अब आपका कोई नहीं है। मंत्रीजी। आप स्थान ग्रहण करें नगर से आने वाले माननीय सदस्य। आपका न कोई प्रस्ताव है, न कोई बात है। मंत्रीजी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप सुनो तो सही मंत्रीजी की।

मोहम्मद माहिर आजाद: ×××

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें, अंकित नहीं होगा।

डा. किरोड़ी लाल (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनकी चिंता वाजिब है, सरकार भी इससे पूरी तरह से चिंतित है और आप इसमें समय तय कर दें चार बजे का। चार बजे मैं पूरा वक्तव्य दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। वह स्टेटमेंट दे रहे हैं। वह खुद कह रहे हैं, सुओ मोटो खुद कहा कि मैं दे दूंगा वक्तव्य।

श्री निर्भय लाल जाटव: ×××

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण करें। प्रतिपक्ष के माननीय नेता, वैसे तो देखिये बिजली पर चर्चा हो चुकी है, इससे पहले विद्युत मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य दिया जा चुका है और पर्याप्त वर्षा नहीं हुई इस बारे में क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता आप हैं, इसलिए आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है तो मैं आपको अनुमति दे रही हूं। आप लिख कर भेजें कि श्रवण कुमार को बुलायें, यह तो श्रवण कुमार को इजाजत नहीं मिलेगी, आप बोलें तो बोलें। आप बोलना चाहें, बोलें।

बिजली अव्यवस्था से फसलों की पर्याप्त पिलाई न होने से उत्पन्न स्थिति

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैंने बिजली और अकाल दोनों के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था और उसी पर मैं बोलना चाहता हूं। है कि नहीं, मैंने आपका नाम इसलिए कोट किया था कि आप वहां से निर्वाचित होकर आती हैं और आपका गांव भी वही है।

मैंने आपका नाम इसलिए कोट किया था कि आप वहां से निर्वाचित होकर के आती हैं और आपका गांव भी वहीं है । इस समय पर आपको... (व्यवधान) अगर आप उस वक्त निराकरण कर देती तो आज मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं होती। मैं तो शहादत में आपको पेश करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष: यहां पर माननीय सदस्य जो कुछ प्रश्न पूछते हैं आसन उसका जवाब नहीं दिया करता है।

श्री रामनारायण चौधरी: मैं जवाब थोड़े ही मांग रहा था। मैं जवाब नहीं मांग रहा था। मैं आपसे जवाब मांग भी नहीं सकता। लेकिन आपसे अनुरोध तो मैं कर सकता हूं वह तो मेरा अधिकार है। एम.एल.ए. की हैसियत से भी है और प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से भी है। अगर आपसे नहीं पूछेंगे, जवाब नहीं लेंगे तो किससे लूंगा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सरकार जवाब देगी।

श्री रामनारायण चौधरी: उसमें भी आप ही माध्यम होंगे।

श्री अध्यक्ष: जवाब देगी सरकार (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आपके माध्यम से ही कहेंगे सरकार से, आपके माध्यम से ही कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप माध्यम कहिये ना, माध्यम से कहिये (व्यवधान) सरकार देगी जवाब।

श्री अमराराम (धोद): यह संसदीय मंत्री व्यवधान कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: लेकिन जवाब हमसे लें आप (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, सरकार से लें।

श्री रामनारायण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, आप जानती थी कि झुंझुनूं जिला पूरा अकाल में है, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा और आपसे कुछ नहीं बुलवाऊंगा, मैं तो इतना ही अनुरोध करूंगा कि कृपा करके आप मुझे पांच मिनट बोलने दें ।

श्री अध्यक्ष: बोलें तो आप।

श्री रामनारायण चौधरी: मान्यवर, अगर मेरी बात गलत हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं, पूरा जिला अकाल में है और खास तौर से मंडावा विधान सभा क्षेत्र में भयंकर अकाल है, पीने का पानी है, रोजगार नहीं है, गरीबों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं है। यह विशेष तौर पर वहां है। हमारे मंडावा विधान सभा क्षेत्र के जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों ने आमरन अनशन किया था। सात दिन तक जिला परिषद के सदस्य विद्याधर जी अनशन पर रहे। उनको हास्पिटिलाइज करवाया गया, जबरदस्ती उन्हें खुराक दी गयी। उसके पश्चात् रामकुंवार कुमावत वहां पर आमरन अनशन पर

(श्री रामनारायण चौधरी)

बैठे। यह स्थिति वहां की हुई। कलेक्टर ने आश्वासन दिया था कि मैं सहमत हूं आपकी बात से लेकिन गिरदावरी में मैं चेंज नहीं कर सकता हूं । मैंने उनको बताया था कि आप गिरदावरी में चेंज नहीं कर सकते हैं तो आपने ऐसी गिरदावरी को स्वीकार कैसे की? मीटिंग के अंदर उन्होंने मुझसे स्वीकार किया था कि आपकी बात सही है कि मंडावा विधान सभा क्षेत्र में दूसरे जिलों के अन्य भागों की तुलना में ज्यादा अकाल है । आपका जन्म स्थान वहां है । आपकी ससुराल भी वहीं है...(व्यवधान) आपसे मैंने पहले भी कहा था माननीय सरकार मुख्य सचेतकजी कि आप पानी में आग मत लगायें । आप पानी में आग लगाने का काम मत करें (व्यवधान) आप मेहरबानी करके मेरी बात को अंकित हो जाने दें (व्यवधान) मैं आपसे चाहता हूं कि मुख्यमंत्रीजी बिराज रही हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं क्षमा चाहूंगी माननीय नेता, प्रतिपक्ष आपसे (व्यवधान) आप बीच में ना बोलें । माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं क्षमा चाहूंगी कि आपको जो प्रस्ताव है उसमें गिरदावरी का गलत होने के बारे में नहीं लिखा है। आपने केवल लिखा है कि अपर्याप्त वर्षा, विद्युत सप्लाई आप उस पर तो बोल नहीं रहे हैं ।

श्री श्रवण कुमार: पूरा पढ़ें ना आप। अध्यक्ष महोदय, पूरा पढिये, इसमें लिखा है, कैसे नहीं लिखा है, मैंने लिखा है। इसमें गिरदावरी का लिखा है नीचे। आपने पूरा नहीं पढ़ा है, अधूरा पढ़ा है।

श्री रामनारायण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, अगर आप बाल की खाल निकालेंगी तो आप कहीं भी किसी भी पाइंट पर रोक सकती हैं क्योंकि आपका अधिकार है। जब अकाल पड़ा, बरसात नहीं हुई तभी तो गिरदावरी की आवश्यकता पड़ी थी, नहीं तो क्या जरूरत थी, तभी तो गलत हुई और मुझे दु:ख है कि राज्य सरकार के यहां ट्रेजरी बैंचों पर बैठे लोगों के आदेश पर गलत गिरदावरी हुई है । इन्होंने आदेश दिया है कि कहीं पर भी खराबा नहीं दिखाया जाए । कहीं पर भी 50 प्रतिशत से नीचे ही खराबा दिखाया जाए और ऊपर नहीं दिखाया जाये । इसका मतलब आप अकाल नहीं चाहते थे । यहां से जो गया है इसका मुझे दु:ख है और यह भी कि अगर मैं गलत बोलता हूं तो, आप यहां से कोई कमेंट नहीं करें । जब आप अपने विधान सभा क्षेत्रों में जाए तो जो वहां आपका विश्वास का अधिकारी है उससे पूछ लें । जान-बूझकर के इन्होंने किया है । मुझे कहा कि हम मजबूर हैं, मैंने कहां कि क्यों मजबूर हो, क्योंकि ऊपर के आदेश हैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़: आप जिम्मेदार पद पर हो आप बिना किसी आधार के कह रहे हैं कि ऊपर के आदेश हैं गिरदावरी के, यह क्या बात हुई । ऐसे आरोप लगा देंगे ।

मोहम्मद माहिर आजाद: बैठ जाएं, बैठ जाएं, नहीं तो हम भी नहीं बोलने देंगे सदन की नेता को ।

श्री रामनारायण चौधरी: मैं भगवान को हाजिर नाजिर करके और, अध्यक्ष महोदय, आपके सामने मैंने शपथ उठायी है कि सच-सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा । आप जिस किसी की कसम लो, मैं सौगंध खाकर के कहता हूं कि मुझे अधिकारियों ने बताया, मैं नाम प्रकट नहीं करूंगा, नहीं तो वह मर जाएंगे । आप विश्वास नहीं करते हैं मैं क्यों झूठ बोलूंगा, बैठें राठौड़ साहब ।

श्री राजेन्द्र राठौड़: यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री रामनारायण चौधरी: मैंने मेरी जिंदगी में कभी झूंठ नहीं बोला । कभी नहीं बोला और अब क्यों बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, मेरी शादी कराके लाये यह असत्य बोला है आपने ।

श्री रामनारायण चौधरी: मैंने यह नहीं कहा कि आपकी शादी मैं करा कर के लाया हूं । आपने गलत सुना, मैंने यह कहा था कि आपकी शादी में मैं भी गया था ।

श्री अध्यक्ष: आप नहीं गये थे । आप मेरी शादी में नहीं गये थे ।

श्री राजेन्द्र राठौड़: नहीं गये थे ।

श्री रामनारायण चौधरी: गया था, मैं गया था ।

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, इसका फैसला होना चाहिए (व्यवधान) इस सदन की जांच समिति बनायी जाये और इस पर फैसला होना चाहिए (व्यवधान) सी.पी. जी इसके अध्यक्ष बनें (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: आप पानी को बू कहते थे, यह भी जांच का विषय होगा फिर(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: वहां तीन टाइम बारात रही थी । वहां तीन टाइम बरात के साथ था, आपकी और नाहर सिंहजी की जब विदा हुई थी उसी गाड़ी के अंदर मैं भी था (व्यवधान) अगर यह बात गलत हो तो मैं अभी आपको इस्तीफा लिखकर के दे देता हूं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड: अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि इसकी जांच समिति बना दें ।

श्री श्रवण कुमार: आप क्यों खड़े हुए हैं, बैठें आप ।

श्री सी.डी.देवल: नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष: मैं इस आसन पर बैठकर के व्यक्तिगत बातों पर नहीं पड़ना चाहती हूं । लेकिन इस बात के दो प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं । शिवनाथ सिंह जी जो इस सदन के सदस्य रह चुके हैं । वह अगर यहां पर आकर कह देंगे कि यह मेरी शादी में मौजूद थे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़: इसकी जांच समिति बनायें, जांच समिति बनायें । सी.पी. जोशीजी को अध्यक्ष बनाइये इसका ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: इसकी जांच होनी चाहिए । आप शादी में नहीं गये इसकी जांच होनी चाहिये ।

श्री रामनारायण चौधरी: आप गुस्से से क्यों कह रहे हैं । आप क्यों गुस्से हो रहे हैं । गुस्सा तो अध्यक्ष महोदय का ही बहुत है । आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं । आपको क्या पता है आप तो उस समय जन्में भी नहीं थे । इनकी जब शादी हुई थी तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था कहां बोल रहे हो (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: उस समय हमारी माननीय अध्यक्ष नहीं जानती थी कि रामनारायणजी कौन हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अकाल की चर्चा करें । आप नहीं गये, असत्य बोलते हैं, बिलकुल असत्य बोलते हैं (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: अध्यक्ष महोदय को संबोधित नहीं कर रहा हूं, माननीय सुमित्राजी से अनुरोध कर रहा हूं । अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा लें (व्यवधान) मेरे माननीय सदस्यों की इच्छा यह है कि मैं इस प्रकरण को छोड़ दूं तो मैं इसको यही छोड़ता हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, अब ना बोलें । छोड़ दिया प्रकरण ।

मोहम्मद माहिर आजाद: आग में घी लगाने का काम मत किया करो, महावीर जी । आग में घी मत डालें ।

श्री रामनारायण चौधरी: हमारे माननीय सदस्यों की इच्छा यह है कि इस प्रकरण को यहीं छोड़ दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष: छोड़ दें ठीक रहेगा ।

श्री रामनारायण चौधरी: उनको आशंका है कि और कोई अप्रिय बात हो जाएंगी ।

श्री कैलाश त्रिवेदी: अध्यक्षजी भी सही हैं और हमारे नेता भी सही कह रहे हैं, हमारे नेता मांडे की तरफ से नहीं थे और बरात में थे ।

श्री अध्यक्ष: अकाल की बात करें, अकाल की बात करें आप ।

श्री रामनारायण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि आप सरकार को कहें कि मुख्यमंत्रीजी कोई स्पेशल इनक्वायरी करा लें । स्पेशल गिरदावरी करवा लें । अगर झुंझुनूं जिले में अकाल नहीं हो तो अकाल नहीं करें और अगर है तो आप उसमें अकाल की घोषणा करें और उनको राहत पहुंचायें। गरीब सब जगह एक जैसे ही हैं । आपका कल बर्थ डे था और आज महिला वर्ष चल रहा है । इस महिला वर्ष में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि स्पेशल गिरदावरी आप करवा लीजिये जिले में । अगर अकाल है तो आप कर दीजिये नहीं है तो हम संतोष कर लेंगे ।

श्री सी.डी.देवल: पाली जिले में भी है ।

श्री श्रवण कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं कि झुंझुनूं जिला अकाल से ग्रसित है और 80 प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति दे दी थी । अब श्री वीरेन्द्र बेनीवाल भी अपनी बात दो मिनट में समाप्त करेंगे ।

श्री श्रवण कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि झुंझुनूं जिले इस समय पानी और अकाल से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो ।

श्री श्रवण कुमार: ×××

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया उसके बाद बाकी क्या रहा है। वह भी जांच करने को ही कह रहे हैं ।

श्री श्रवण कुमार: ×××

श्री मंगलाराम गोदारा: ×××

अकाल सहायता निर्देशिका में किये संशोधन से उत्पन्न स्थिति

श्री अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अकालग्रस्त क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अन्तर्गत 1 जनवरी, 2006 से अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कराए गए और अकाल राहत कार्य जिस नीति के अन्तर्गत, जिस सहायता निर्देशिका के अन्तर्गत कराए जाते हैं, उस सहायता निर्देशिका में संशोधन करने के नाम पर 18 जनवरी को एक आदेश जारी किया जाता है और उस आदेश में यह हवाला दिया गया है कि ऐसे कोई भी कार्य जिन कार्यों के लिए मैटेरियल के पेटे राशि किसी भी संस्था या एम पी लेड, एम एल ए लेड द्वारा दी जानी है, ऐसी राशि में दी जाने वाली सामग्री मद के अन्दर श्रम मद की राशि को कुशल श्रमिकों के पैसों में समायोजित किया जाएगा।

मेरा निवेदन है कि पूर्व के वर्षों में भी हमेशा श्रम मद के अन्तर्गत जितनी राशि रहती थी उसको सहायता विभाग द्वारा ही दिया जाता था लेकिन यह संशोधन किया गया तो किस आधार पर किया गया और इस संशोधन के पीछे राज्य सरकार की मंशा क्या है? एक ओर वह व्यक्ति और संस्था है जो अपनी राशि इस आपदा के समय में आगे बढ़कर राज्य सरकार की सहायता के मकसद से मुहैया करा रहे हैं, उसके अन्दर किन्तु परन्तु लगाना, यह भेद बरतना, इसके अन्दर सरकार का मन्तव्य क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं और उसके साथ-साथ अकाल राहत कार्यों पर लगे हुए श्रमिकों की टास्क को बढ़ाने के लिए जो ऊंट गाड़े या बैल गाड़ी की वहां पर व्यवस्था की जाती है जिससे कि अगर वहां पर मिट्टी उठाने का काम किया जा रहा है या कोई अन्य काम किया जा रहा है उसकी राशि भी सामग्री पेटे एडजस्ट किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं इन हालात को देखते हुए सब विभाग, चाहे हम टैन्थ फाइनेन्स कमीशन की बातें करें, चाहे हम एम पी लेड की बात करें, चाहे हम एम एल ए लेड की बात करें, चाहे हम बी ए डी पी की बात करें, ये सभी विभाग हैं जिनकी राशि का समायोजन करके आज के समय अकाल राहत कार्य चल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इन सब के कारण से जो राशि उपलब्ध कराई जा रही है चाहे किसी भी संस्था या

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

किसी भी विभाग द्वारा, उस राशि के अन्दर कमी आ रही है। यदि एक लाख रुपए की राशि किसी विधायक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है तो उसको जो सामग्री पेटे राशि एक लाख रुपए दिए, उस पेटे उसे जो श्रम राशि मिलने वाली है वह पूर्व में 35 हजार रुपए जो मिलती थी वह घटकर 20 हजार रुपए के आसपास ही रह जाएगी। मेरा यह मन्तव्य सभी सदस्यों से सम्बन्धित है, मैं निवेदन करूंगा कि तत्काल प्रभाव से इसे संशोधित करे और उसमें किसी प्रकार की कोई बन्दिश का हवाला दिया जाए कि केन्द्र सरकार द्वारा कोई संशोधन किया गया है तो राज्य सरकार अपने स्तर पर उसको बीयर करे और यह सहायता जो पूर्व में जैसे जारी रहती थी उसको जारी रखा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।

श्री अध्यक्ष: 295.

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय,..

सर्मथन मूल्य पर सरसों की खरीद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर

श्री अध्यक्ष: आपको तो वह वक्तव्य देंगे।

श्री अमराराम (धोद): मैं कुछ चीजें आपके माध्यम से मंत्री महोदय के सामने रख देता हूं। मैं इस बात के लिए अपनी ओर से आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने निर्देश दिया कि सरकार की तरफ से मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में 1 मार्च से केवल कोटा डिवीजन में ही सरसों की खरीद शुरू की है जबकि राजस्थान के भरतपुर और जोधपुर डिवीजन के 10-12 जिलों में सरसों पक कर मण्डियों में आना शुरू हो गई है। कोटा डिवीजन के जो आंकड़े आएं हैं उनके अनुसार 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक 82 हजार क्विंटल सरसों खरीदी गई है जबकि रोज अकेले कोटा डिवीजन की मण्डियों में 40 से 50 हजार क्विंटल पर डे सरसों आ रही है।

कल मुख्य मंत्रीजी ने भी अपने बजट भाषण में कहा कि किसान को बचाने के लिए समर्थन मूल्य पर 20 लाख मीट्रिक टन की खरीद केन्द्र सरकार ने मंजूर की है फस्ट फेज में कि इतनी सरसों हम खरीदेंगे। 42 से 48 लाख टन पैदा होगी सरसों लेकिन जिस तरह से मैं समझता हूं कि जहां 40-50 हजार क्विंटल अकेले कोटा डिवीजन में आ रही है और वहां पर मात्र 8 दिन के अन्दर 82 हजार बोरियां खरीदी गई है, जितनी सरसों मण्डियों में आ रही

(श्री अमराराम (धोद)

है उसकी मात्र 10 से 15 प्रतिशत खरीद रहे हैं और उसकी 80 प्रतिशत सरसों किसान चौदह सौ, सवा चौदह सौ, तीन सौ रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से नुकसान अकेले कोटा डिवीजन में ही नहीं पूरे राजस्थान के 10-12 जिलों में हो रहा है। जहां खरीद शुरू नहीं की है और मैं समझता हूं कि अगर पूरे राजस्थान की जितनी मण्डियों में सरसों आ रही है उनका तीन सौ रुपए पर क्विंटल के हिसाब से नुकसान जोड़ें तो पर डे 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्थान के किसान को हो रहा है और जिन्होंने भी सरसों पैदा की है और समर्थन मूल्य, अध्यक्ष महोदय, समर्थन मूल्य वह है जो कम से कम, इससे कम कीमत पर राजस्थान के किसान की पैदा की हुई सरसों एक किलो भी न बिके, यह पुख्ता इन्तजाम सरकार को करना चाहिए इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि एक तो तुरन्त जहां भी सरसों आ रही है वहां खरीद केन्द्र शुरू किए जाएं और यह जो पाबन्दी लगा रहे हैं कि गिरदावरी लाई जाए उसकी तो हालत यह है कि कितने ही कलक्टरों ने आदेश निकाला है, इनके गृह ज़िले के कलक्टर महोदय ने आदेश निकाला है, कार्यालय जिला कलक्टर, बारां, सरसों खरीद के लिए गिरदावरी प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व बकाया राशि वसूल किए जाने पर। गिरदावरी उस किसान को देंगे जिसने ऋण की तमाम जो वसूलियां हैं वह चुकाने के बाद उसको गिरदावरी देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, 90 प्रतिशत किसान जो गरीब किसान हैं, छोटे और मध्यम किसान हैं, जिस पर बकाया है ऋण किसी भी तरह का वह पूरा नहीं चुकाएगा तो वह गिरदारी नहीं प्राप्त करेगा और न बेचने जाएगा। इससे कितना बड़ा नुकसान होगा। इनके गृह ज़िले के जिला कलक्टर ने आदेश दिया है और यह लिखा है कि जो पटवारी अगर समस्त ऋण चुकाने से पहले गिरदावरी देगा तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है, इससे वहां करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है और जहां हमारी सरकार की तरफ से कलक्टर...

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर सम्भाग में क्यों नहीं सरसों की खरीद चालू हो रही है?

श्री अध्यक्ष: वह बोल रहे हैं न।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस तरह की कार्यवाही करके उन गरीब किसानों को जो

(श्री अमराराम (धोद)

आज भी इस नीति के कारण वह तमाम किसान, सर्वे यह कहता है, 92 प्रतिशत किसान कर्जदार हैं, केवल 8 प्रतिशत किसान जो बड़े किसान हैं, जिनके बकाया नहीं हैं, किसान अपने ऋण चुकाने के लिए ही तो अपनी सरसों बेच रहा है, वह मजबूरी में खरीद केन्द्र पर नहीं बिक रही इसलिए बाजार में 140 रुपए में बेच रहा है और आपने यह पाबन्दी लगाई है इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एक तो यह गिरदावरी समाप्त करें और जितनी भी मण्डियों में आढ़तिएं हैं वहां जितनी भी फसल आती है, मैं समझता हूं कि सरसों कहीं भी आकाश पर पैदा नहीं होती, छत पर पैदा नहीं होती, किसान ही पैदा करके लाएगा इसलिए गिरदावरी की जो पाबन्दी और बकाया ऋण चुकाने की जो पाबन्दी है उसको तुरन्त निरस्त करें और ऐसे अधिकारी जिन्होंने या तो सरकार की यह मंशा थी तो वह सरकार के अनुसार काम कर रहे थे तो सरकार इसके लिए क्षमा प्रार्थना करे।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब देंगे तब इन सब बातों के बारे में भी बता देंगे। मंत्रीजी, नोट कर लें। अब आप विराजो।

श्री अमराराम (धोद): हां, वही बात तो मैं कह रहा हूं अगर इसके लिए इन्होंने कोई आदेश निकाला है, सरकार की मंशा के खिलाफ तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी आपको कार्यवाही करनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि खरीद की प्रक्रिया में जब तक आप सलामत नहीं करेंगे।

श्री बद्रीलाल जाट: अध्यक्ष महोदय, दूसरे जिलों में भी खरीद क्यों नहीं चालू की जा रही है, यह भी मंत्री महोदय बताएं।

श्री अध्यक्ष: श्री जुबेर खान। 295.

श्री अमराराम (धोद): जिस तरह हनुमानगढ़ और गंगानगर के तमाम (व्यवधान) उनके आढ़तियों के यहां होती है उसी तरह से करेंगे, लिमिटेड केन्द्र पर करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 295 पढ़ें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी अपना वक्तव्य देंगे, अपनी सुविधानुसार वक्तव्य देंगे उस समय सारी बातों को स्पष्ट करेंगे।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैं इन सारे बिन्दुओं पर साढ़े चार बजे वक्तव्य दूंगा।

श्री अध्यक्ष: कब देंगे?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आज साढ़े चार बजे अपना वक्तव्य देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, पूरी तैयारी के साथ दें वक्तव्य।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): पूरी तैयारी के साथ आऊंगा, सब बिन्दुओं का जवाब होगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इनके वक्तव्य पर बहस होगी।

श्री अध्यक्ष: क्यों? वक्तव्य पर तो प्रश्न पूछे जाते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कैसे नहीं होगी, पब्लिक इम्पोर्टेन्स का है।

श्री अध्यक्ष: बहस क्यों होगी?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष):होगी।

श्री अध्यक्ष: क्यों हागी?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की आगरा से गोविन्दगढ़ पाइप लाइन

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के ग्राम आगराकी से गोविन्दगढ़ की पेयजल योजना हेतु एक पाइप लाइन डली हुई है। वह पाइप लाइन गोविन्दगढ़ से आगराकी के लिए जाने वाले आम रास्ते डली हुई है। कुछ वर्षों पूर्व उस आम रास्ते में एक सड़क का निर्माण हो गया है। कुछ समय पूर्व सड़क के नीचे डली हुई पाइप लाइन कई स्थानों से लीक हो गई है जिसके कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है।

(समय: 13.00 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री जुबेर खान)

उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में स्थानीय पेयजल विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को ग्रामीणवासियों, ग्राम पंचायत एवं स्वयं मेरे द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आगराकी से गोविन्दगढ़ जाने वाली पाइप लाइन को अब नये सिरे से सड़क के पास-पास होते हुए डाली जाए एवं पूर्व वाली पाइप लाइन जो कि अब सड़क के नीचे है, को बंद कर दिया जाए, परन्तु बड़े दुःख की बात है कि अनेक बार निवेदन करने के बाद भी आज तक उपरोक्त पाइप लाइन को बदला नहीं गया है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। अत: प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत इस विषय को मुझे सदन में उठाने की अनुमति प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

सीकर के अति पिछड़े 12 ग्रामों का विकास करने बाबत

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये सीकर विधान सभा के अति पिछड़े 12 ग्रामों को विकसित किये जाने के संबंध में निवेदन करना चाहूंगी।

सीकर विधान सभा के 12 ग्रामों के नाम से प्रख्यात ग्राम यथा शाकम्भरी, शोभ, कालाखेत, डाब पनोरा, भगोवा, धोकर, श्यामगढ़, राजपुरा, गुढाखुर्द, बराल एवं पलासरा ग्राम है। इन ग्रामों में मुख्यत: अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा हैं। ये ग्राम मुख्यत: पहाड़ों में अवस्थित हैं। इन पहाड़ों में पेयजल का सहारा मुख्यत: वर्षा का जल ही है। इन्हीं ग्रामों से होकर सीकर जिले की चौबीस कोसी परिक्रमा माह भादवा में निकलती है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। इन ग्रामों की जनसंख्या पहाड़ों में छितराई हुई तथा दूर-दूर रहती है। ग्रामवासी पहाड़ों से पेयजल हेतु भी नीचे आते रहते हैं। इन ग्रामों में रोजगार का कोई साधन नहीं है। ग्रामवासियों का पशुधन ही मुख्यत: आय उपार्जन का सहारा है या दैनिक मजदूरी पर इन ग्राम के लोगों को दूर-दूर जाना पड़ता है। अभी तक भगवा जैसे राजस्व ग्राम में विद्युत की सुविधा तक नहीं पहुंची है। हाल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने उक्त ग्रामों को विद्युतीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अकाल यहां पड़ता नहीं है, क्योंकि यहां की भूमि पर अन्न उगाना मुश्किल है। यदि फसल बोयी भी जाती है तो या तो अतिवृष्टि की शिकार हो

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

जाती है या फसल न के बराबर होती है, परन्तु दुर्भाग्यवश इन ग्रामों को अकाल राहत में भी नहीं लिया जाता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अति पिछड़े ग्राम होने के कारण मैंने जिला कलक्टर, सीकर को भी अर्द्धशासकीय पत्रांक 398 दिनांक 20.9.2004 द्वारा न केवल लिखा है, अपितु बारम्बार पत्रांक 74 दिनांक 29.5.2005, 138 दिनांक 30.7.2005, 217 दिनांक 29.9.2005, 262 दिनांक 21.10.2005 एवं 307 दिनांक 8.12.2005 द्वारा 12 ग्रामों के विकास हेतु विशेष परियोजना बनाये जाने बाबत स्मरण भी कराया है। प्रकरण में कार्यवाही शून्य होने के कारण मैंने पत्रांक 307-08 दिनांक 8.12.2005 द्वारा माननीय एस.एन.गुप्ता, अध्यक्ष, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, जयपुर को भी अवगत कराया है।

अंत में, मैं पुरजोर शब्दों में सीकर विधान सभा के अति पिछड़े 12 ग्रामों के विकास हेतु एक विशेष परियोजना बनाये जाने पर बल देते हुए इन ग्रामों के विकास की माननीय उपाध्यक्ष महोदय के मार्फत सरकार से निवेदन करती हूं। इन ग्रामों के विकास के बिना इन ग्रामों के लोगों को रोजगार मिलना एवं इनके जीवन स्तर में सुधार आना नामुमकिन है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा।

बूंदी जिले के वांक्या का नयागांव बांध की डूब क्षेत्र के खातेदारी की मुआवजा राशि हड़पने बाबत

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत बांक्या का नयागांव बांध (नैनवां), जिला बूंदी के डूब क्षेत्र के खातेदारों की मुआवजा राशि हड़पने वाले अपराधियों के विरुद्ध सिंचाई, पुलिस एवं राजस्व विभाग की निष्क्रियता के कारण त्वरित कार्यवाही में शिथिलता बरतने बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

जिला बूंदी के बांक्या का नयागांव बांध रतनगंज के डूब क्षेत्र की भूमि की मुआवजा राशि के कृषकवार चैक अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग, बूंदी द्वारा सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग नैनवां के जरिये तहसीलदार नैनवां को दिये गये। इन चैकों की राशि अन्य व्यक्तियों द्वारा तहसील/बैंक स्टाफ से मिलीभगत कर प्राप्त कर ली गई। कई दिनों बाद इस तथ्य का वास्तविक खातेदारों को पता चलने पर षड्यंत्र उजागर हो जाने से अखबारों में खबरें भी प्रकाशित हुईं, किन्तु सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन व बैंक के

(श्री रामनारायण मीणा)

उच्चाधिकारियों द्वारा किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तथा पुलिस में एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं कराई। खातेदारों की तरफ से पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराये 17 माह का समय हो जाने पर भी पुलिस द्वारा दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। फर्जी व्यक्तियों को भुगतान किये जाने के इन प्रकरणों में बैंक अधिकारियों की संलिप्तता की जांच भी आवश्यक है।

इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 290 सन् 2004, संख्या 359 सन् 2004 पुलिस थाना नैनवां में दर्ज हुई है। इन दोनों की तफ्तीश एक साथ एक ही अधिकारी के द्वारा की जानी न्यायिक दृष्टि से आवश्यक होते हुए भी एफआईआर नं. 290/2004 की तफ्तीश सीआईडी (सीबी) से तथा अभियोग संख्या 359/2004 की तफ्तीश सी.ओ., नैनवां द्वारा अलग-अलग की जाने से सही तफ्तीश कतई संभव नहीं है। इस प्रकरण में उप जिलाधीश, नैनवां द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के तथ्य स्वत: स्पष्ट हैं। जांच अधिकारी जान -बूझकर बैंक के रिकार्ड को जब्त नहीं कर उसे नष्ट करने का अवसर दे रहे हैं।

पीड़ित काश्तकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब व्यक्ति हैं, जबकि मुलजिम सवर्ण एवं धनी वर्ग के प्रभावशाली व्यक्ति होने से उनके प्रभाव में आकर सीआईडी (सीबी) के अधिकारियों द्वारा मुलजिमान के खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं करने से अपराधियों को बचाव का मौका मिल रहा है। इस षड्यंत्र में लिप्त प्रशासनिक व बैंक कार्मिकों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करके मामले को कमजोर करना चाहती है, जिससे गरीब जनजाति के व्यक्तियों का शोषण व आर्थिक नुकसान हो रहा है। बैंकों में गलत विवरण देकर खुलवाये गये अल्प बचत खाते में गलत खातेदारों की पहचान करके इस षड्यंत्र में शिनाख्तकर्ता के रूप में सम्मिलित व्यक्तियों को मुलजिम के रूप में अभी तक भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। सिंचाई विभाग के द्वारा दोषियों को बचाने की गर्ज से बदनीयतिपूर्वक भावना रखकर जुर्म करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है। मुआवजा राशि के सरकारी चैक बैंकों में दूसरे व्यक्तियों के फोटो लगाकर खाते खुलवाकर पहचानकर्ता के बतौर जान-बूझकर गलत शिनाख्त करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ बैंकों द्वारा भी आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं करवाये गये हैं जिससे स्पष्ट होता है कि संबंधित बैंक कर्मचारी भी इन आपराधिक प्रकरणों में सहयोगी रहे हैं।

(श्री रामनारायण मीणा)

अत: निवेदन है कि 17 माह पुराने इस प्रकरण में धोखाधड़ीपूर्वक षड्यंत्र करके फर्जी भुगतान उठाने वालों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही की जाकर सभी दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए मुकदमे का न्यायालय में चालान प्रस्तुत करवाने की कृपा करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी तो गायब हो गये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

श्री रामनारायण मीणा: मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, गृह मंत्रीजी का जवाब आ जाए, यह ऐसा मामला है ...(व्यवधान) गृह मंत्रीजी कहां है? गृह मंत्रीजी तो गायब हो गये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी के पास आपकी सूचना पहुंच गई।

श्री रामनारायण मीणा: नहीं पहुंची।

श्री सांवर लाल: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं, इस तरीके से कहना कि गृह मंत्रीजी गायब हो गये, उचित नहीं है। कोई भी मंत्री बैठे हों वे सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा: आपके ऊपर विश्वास है।

श्री सांवर लाल: आप किसी व्यवस्था में आएंगे तो उस हिसाब से रेस्पोंड होगा। अब आप चाहते हैं हर बात उठाएं और यहां जवाब दो वह ठीक नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा: आपके ऊपर विश्वास है, लेकिन आप ध्यान दोगे या नहीं दोगे इतना सा बता दो।

श्री सांवर लाल: ध्यान ही इस राज के आने के बाद हो रहा है, पहले तो था नहीं।

श्री रामनारायण मीणा: सांवरलाल जाट, सिंचाई मंत्रीजी ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से मामला बैठ जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

डेगाना की ग्राम सड़कों की दयनीय हालत

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) की विलेज पोर्शन की सड़कों की दयनीय हालत के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) की विलेज पोर्शन की सड़कों की हालत अत्यन्त दयनीय है। जिससे आवागमन में आम व्यक्ति और वाहन चालकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में बार-बार संबंधित अधिकारियों को लिखित में निवेदन किया जा चुका है परन्तु पिछले कई वर्षों से यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। तहसील मुख्यालय डेगाना जंक्शन के विलेज पोर्शन की सड़कें सांजू रोड़ रेलवे फाटक से चांदारूण रेलवे फाटक तक करीब 2 किलोमीटर मेहराणा की जावलां मेहराणा सड़क का विलेज पोर्शन थांवला हरसौर सिरासणा आलनियावास जैतपुरा कलां आदि अनेकों गांव इस समस्या से ग्रस्त हैं। अत: मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इन समस्त विलेज पोर्शन की सड़कों का शीघ्र निर्माण करवाने की कृपा करावें ताकि इस समस्या का समाधान हो सके तथा आम नागरिकों को आवागमन में राहत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सी.डी. देवल, कल बात हो तो गई थी न ?

श्री सी.डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन कर रहा हूं कि कल पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी ने हमारी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दे दिया है इसलिए मैं कोई उल्लेख नहीं करना चाहता। (व्यवधान) दे दिया।

श्री सी.डी. देवल (रायपुर): इस समस्या का समाधान कर दिया फिर धन्यवाद का बोर्ड बनाकर देऊं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष: प्रभुलालजी वर्मा। प्रभुलालजी वर्मा नहीं हैं क्या ? – अनुपस्थित। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल (रायपुर): धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

मेड़ता में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों का नवीनीकरण

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मेड़ता (नागौर) की सन् 1995 से बनी हुई कृषि विपणन बोर्ड

(श्री रामचन्द्र जारोड़ा)

द्वारा निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं मरम्मत करने बाबत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में कई सड़कों का निर्माण सन् 1995 में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया गया था।। परन्तु खेद का विषय है कि इनकी मरम्मत एवं नवीनीकरण कभी नहीं किया गया जिससे इनकी हालत अत्यन्त दयनीय हो गई है जिनमें आरोड़ा से मेड़ता रोड 7 किलोमीटर धनेरिया से डूकिया 3 किलोमीटर कात्यासनी से आकेली 4 किलोमीटर, खेडूली से मेड़ता सिटी 2 किलोमीटर सोगावासस 1 किलोमीटर, लाम्बा से बासनी सेजा 5 किलोमीटर, लूनियास 5 किलोमीटर, मेमलियावास से जसवन्ताबाद 5 किलोमीटर प्रमुख हैं। अत: निवेदन है कि कृषि मंत्रीजी इन सड़कों का नवीनीकरण एवं मरम्मत शीघ्र करावें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री श्रवण कुमार।

चिड़ावा में नया बस स्टैण्ड से पुराने बस स्टैण्ड तक सड़क में पड़े खड्डों की मरम्मत

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्रश्न उठाने बाबत।

महोदय, निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र चिड़ावा में नया बस स्टैण्ड से पुराने बस स्टैण्ड तक सड़क में खड्डे पड़े हुए हैं। तीन वर्ष से गुहार करने के बावजूद भी आज तक कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मिट्टी से पूरे दुकानदार परेशान हैं और वहां एक सीमेंट फैक्ट्री कर तरह से मिट्टी का धुआं बनता रहता है। परन्तु आज तक भी कोई ध्यान नहीं दिया है। अत: मेरी सरकार से विनती है कि यह अपने आपको संवेदनशील बताने वाली सरकार जनता मन को भी सांत्वना दे जिससे सरकार की नीति और नियती में कोई अन्तर नहीं दिखाई दे।

मुझे आशा है कि स्वायत्त शासन मंत्रीजी से विनती है कि जून तक इस मार्ग को सीमेंट से सी.सी. सड़क बनायेगी और जनता की समस्या का समाधान करवायेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे विनती करता हूं । धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। (व्यवधान)

जोधपुर शहर की सड़कों की दयनीय स्थिति

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत जोधपुर शहर की सड़कों की स्थिति के बारे में चर्चा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान जोधपुर शहर की सड़कों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहती हूं। वर्तमान सरकार ने कार्य भार संभालते ही शहर की मुख्य सड़क जालोरी गेट से फतेहपोल को आर.सी.सी. से करवाने का कार्य हाथ में लिया और तत्परता से उसे पूरा भी करवाया। शहर की जनता ने इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार भी व्यक्त किया। परन्तु इसके पश्चात् सड़कों के विकास की गति धामी पड़ती गई। इसमें ए.डी.बी. परियोजना की कछुआ चाल ने कोढ़ में खाज का काम किया है। शहर में लगभग सभी मुख्य सड़कों को डामर के बजाय ग्रेवल सड़क का रूप दे दिया गया है। जगह-जगह खड्डे पड़े हुए हैं जिससे रात दिन दुर्घटना होने का भय बना रहता है। स्थिति तो यह हो गई है कि सड़कें बनवाने एवं इन्हें ठीक करवाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय को दखलअंदाजी कर निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस बारे में संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए समुचित धनराशि की व्यवस्था करवाई जाए जिससे शहर की सड़कों के नवीनीकरण एवं मरम्मत का कार्य 31 मार्च, तक पूरा किया जा सके। इस बारे में शहर की अन्य मुख्य सड़कों (1) नाजरजी की बावड़ी से चांदपोल वाया सिवांची गेट, अजनेश्वर आश्रमा, (2) सिवांची गेट से खाण्डा फलसा वाया मिंयों का चौक, (3) आडा बाजार से साइकिल मार्केट वाया सराफा बाजार, मिर्ची बाजार, कटला बाजार, (4) जालोरी गेट से पुंगलपाड़ा वाया कबूतरों का चौक, भजन चौकी, (5) कबूतरों का चौक से सोजती गेट वाया घांचियों का बास, घोड़ों का चौक, (6) कबूतरों का चौक से सुनारों काबास, (7) कबूतरों का चौक से मोती चौक, (8) कन्दोई बाजार से सोजती गेट वाया गोरिन्दा बावड़ी, त्रिपोलिया बाजार, (9) सोजती गेट से नई सड़क वाया घास मण्डी, जवाहर खाना को आर.सी.सी. से पूरा करवाने की व्यवस्था। करने का भी निवेदन करती हूं जिससे शहर की जनता को राहत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां मंत्रीजी भी नहीं हैं, कोई जवाब तो देते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति है शहरों की सड़कों की स्थिति की ।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री जी हैं नहीं, मंत्री जी के पास सूचना चली गई है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिए, मैंने पर्ची लगा दी, उसमें नम्बर नहीं आया। इसलिए मैं बात कहूं तो फिर कहां कहूं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शहरों के अन्दर नगर निगम के अलावा कोई काम नाहीं करता है और 3-4 सड़कों जो पी.डब्ल्यू.डी. को दी गई हैं उसमें एक भी सड़क नहीं बनी है आज तक दो साल के अन्दर । पहले सरकार थी उसने भी नहीं किया और अब दो साल में पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें तो करवाने का बिलकुल इंतजाम करें।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आपका निवेदन बिलकुल सही है पर मंत्री जी यहां नहीं हैं इसलिए उनके नोटिस में चला गया है, कह देंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): स्वायत्त शासन मंत्री जी से कहकर के कोई वैसे व्यवस्था करवाएं।

डा. बुलाकीदास कल्ला: उपाध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में मंत्रियों को बैठना चाहिए न कम से कम।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह स्थिति है कि इतनी इजी अप्रोच है, कोई सब्जी लेने जावे तो मेरे मकान के अन्दर आवे, कोई दूध लेने जावे तो मेरे मकान के अन्दर आवे और बुजुर्ग औरतें क्या कहती हैं, मैं आपको बिलकुल जो आप कह रही हैं वही बता रही हूं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता से आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप विशेष तौर से ध्यान देवें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो क्या कहती हैं ? (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को बोलने का कभी नम्बर ही नहीं आता (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, या तो मंत्री जी से मेरे को उत्तर दिलवाओ आप।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मानानीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी हमारा भी साथ-साथ जवाब दे दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन सड़कों की चर्चा आप कर रही हैं सबसे पहले तो मुझे यह जानकारी प्राप्त करनी है कि वे स्वायत्त शासन विभाग के पास हैं या मेरे विभाग के पास हैं। अगर मेरे विभाग के पास होगी तो निश्चित तौर पर मैं अधिकारियों से बात करके आपको भी बुला लूंगा और उसमें क्या कुछ उसको ठीक कराने के लिए जो कुछ संभव होगा निश्चित तौर पर करूंगा और माननीय सदस्य, आपको भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपने जो अभी 295 के माध्यम से बात कही उसमें भी ...(व्यवधान)...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी अजीबोगरीब बात है, इतने जिम्मेवार मंत्री राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ वे कहते हैं कि मैं पता करूंगा, ये सड़कें सन् 82 से सार्वजनिक निर्माण मंत्री के पास हैं। शिवचरण जी माथुर थे। माननीय मुख्य मंत्री जब की हैं और इनको तो 4 सड़कें दी हुई हैं और ये कहते हैं कि पता करवाऊंगा। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: पता कर लेंगे ये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): पता क्या, वे सड़कें ही इनकी हैं, आप यों ही क्या बात कह रहे हो ?

श्री उपाध्यक्ष: श्री नवनीत नीनामा।

वन विभाग की भूमि पर कब्जों को नियमित करने बाबत

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 23 नवम्बर, 2005 राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.5/145/वन/05 जयपुर के अनुसार वन विभाग की अतिक्रमण की गई भूमि की जो कमेटी तहसील स्तर पर गठित की गई है जिसका क्रियान्वयन करने हेतु निम्नलिखित जिला कलक्टरों को आदेश देने बाबत्।

मान्यवर, उपरोक्त विषयान्तर्गत नियम 295 के तहत निवेदन करता हूं कि 23 नवम्बर, 2005 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के जिला कलक्टर- 1. चित्तौड़गढ़; 2. बांसवाड़ा; 3. डूंगरपुर; 4. उदयपुर; 5. राजसमंद; 6. सिरोही; 7. बारां; 8. पाली जिलों के जिला कलक्टरों को आदेश जारी करा वन विभाग की भूमि पर आदिवासी किसानों द्वारा गत वर्षों में 1980 के दरमियान किये गये कब्जों की मौक़े पर जांच के लिए तहसील स्तर पर कमेटी गठित की गई है जिसमें क्षेत्रीय विधायक, प्रधान, सहायक वन संरक्षक (कंवीनर), तहसीलदार, नायब तहसीलदार, क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं सम्बन्धित ग्राम

(श्री नवनीत नीनामा)

पंचायत का सरपंच सहित गठित कमेटी मौक़े पर आदिवासी किसानों द्वारा वन विभाग की जमीन पर किया गया कब्जा जांचने के बाद तहसील व जिलेवार आदिवासी किसानों द्वारा अतिक्रमण मौक़े पर बराबर नहीं पकड़ा गया है जिसकी एफ. आई. आर. काटने में वंचित रह गये हैं उसे कमेटी द्वारा मौक़े पर सत्यापन करा तहसील व जिलेवार नाजायज कब्जे की लिस्ट जिला कलक्टर एवं वन संरक्षक के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजने के आदेश है।

महोदय, जो जमीन आदिवासी किसानों को दी जावे उतनी ही जमीन केन्द्र सरकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वन विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश हैं किन्तु उदयपुर संभाग में जिला कलक्टरों द्वारा कमेटियों को आदेश करने में शिथिलता बरती जा रही है उसे तत्काल गठित की गई कमेटियों को मौक़े पर सत्यापन करने के लिए आदेश जारी नहीं किये जा रहे हैं। अंत: उदयपुर संभाग के जिला कलक्टरों को गठित की गई कमेटियों को मौका-ए-जांच के लिए तत्काल आदेश करा आदिवासी किसानों को राहत दिलाने हेतु आदेश फरमावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राकेश मेघवाल।

मकराना शहर की गन्दगी ग्राम मंगलाना की मुख्य सड़क पर डालने से उत्पन्न स्थिति

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यानाकर्षण करने बाबत्।

मान्यवर, मैं सदन का ध्यान इस विशेष उल्लेख के माध्यम से आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम मंगलाना, तहसील परबतसर की सरहद में राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका मकराना को मार्बल पत्थर के कचरे एवं मार्बल स्लरी डालने हेतु रेलवे फाटक एवं मंगलाना मकराना मुख्य सड़क से एक किलोमीटर दूर उत्तरी तरफ पहाड़ों की तलहटी में आबंटित 55 बीघा भूमि पर अवैध रूप से उक्त भूमि के आबंटन शर्तों का खुल्लम-खुला उल्लंघन कर मुख्य सड़क के किनारे पर मकराना शहर की गन्दगी का ढेर लगाने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा लगाये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 348 दिनांक 23.03.05 के

(श्री राकेश मेघवाल)

द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक विवरण में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा गलत सूचनायें देकर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। विभाग द्वारा बताया गया है कि नगर पालिका एवं औद्योगिक इकाइयों के मालिकों द्वारा मार्बल कचरा/स्लेरी एवं दैनिक कचना मुख्य सड़क पर नहीं डाला जाता है, अपितु जिला कलक्टर द्वारा आरक्षित उपरोक्त भूमि ही इस प्रयोजनार्थ काम में ली जाती है। यदि नगरपालिका एवं औद्योगिक इकाइयों के मालिकों द्वारा मार्बल कचरा/स्लेरी एवं दैनिक कचरा मुख्य सड़क पर नहीं डाला जाता है, अपितु जिला कलक्टर द्वारा आरक्षित उपरोक्त भूमि ही इस प्रयोजनार्थ काम में ली जाती है तो श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा आरक्षित भूमि का नक्शा मय समस्त विवरण सदन के पटल पर रखवाने की कृपा करावें। उक्त भूमि के आस-पास कोई बस्ती/कच्ची बस्ती एवं सार्वजनिक स्थान नहीं होने के कारण पालिका द्वारा उक्त भूमि पर कचरा डालने से किसी प्रकार की कोई मौसमी एवं अन्य बीमारी होने की संभावना नहीं है, जबकि उक्त भूमि के आस-पास ग्राम गुढा व कई छोटी-बड़ी ढाणियां हैं। जिससे उक्त भूमि पर कचरा डालने से किसी प्रकार की कोई मौसमी एवं अन्य बीमारी होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। विभाग के अनुसार एहतियात के तौर पर पालिका द्वारा कचरे पर कार्बोलिक पाउडर का समय-समय पर छिड़काव किया जाता है, यदि उस जमीन पर कभी कार्बोलिक पाउडर छिड़का गया है तो यह बताया जावे कि उक्त कार्बोलिक पाउडर कब-कब छिड़का गया है तथा उस पर कितना-कितना व्यय किया गया है, व्यय वाउचर सहित विवरण सदन में रखें। विभाग द्वारा कहा गया है कि माननीय विधायक एवं जन-प्रतिनिधियों से इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होने पर नगर पालिका द्वारा जे. सी. बी. मशीन लगवा कर उक्त भूमि पर डाले गये मलबे को साफ करने की कार्यवाही समय-समय पर की जाती है जिस पर अब तक 1.11 लाख रुपये का व्यय हुआ है। नगर पालिका द्वारा सदन को उक्त जवाब देकर गुमराह करने की कोशिश की गई। क्योंकि न तो कभी उस स्थान पर कोई सफाई करवाई गई है और न ही वहां से कभी मलबा हटाया गया है। फिर भी कभी वहां सफाई करवाई गई है या मलबा हटाया गया है तो यह बताया जावे कि मलबा हटाने हेतु कब-कब सफाई की कार्यवाही की गई व किस प्रकार सफाई की गई। सफाई हेतु व्यय राशि 1.11 लाख रुपये किस प्रकार व किस-किस समय खर्च किये गये तथा इस राशि से किस-किस को कितना कितना भुगतान किया गया, इन सबका पूर्ण विवरण सदन में मंगाया जावे।

(श्री राकेश मेघवाल)

पुन: सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन है कि उक्त स्थान पर नगर पालिका, मकराना द्वारा मकराना शहर की गन्दगी डालने के कार्य को तत्काल रुकवाया जावे तथा पूर्व में डाले गये कचरे एवं गन्दगी को जिला कलक्टर, नागौर द्वारा प्रस्तावित भूमि को कचरा डालने हेतु आबंटित करवा कर उस स्थान पर डलवाया जावे। साथ ही सदन को गलत सूचना देकर गुमराह करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करवाई जावे ताकि भविष्य में इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती ममता शर्मा।

बूंदी के जल एवं संसाधनों का संधारण हेतु वित्तीय प्रावधान करने बाबत

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रकृति प्रदत्त जल संसाधनों का संधारण एवं सम्पूर्ण निर्धनता उन्मूलन हेतु वित्तीय प्रावधानों की अविलम्ब व्यवस्था हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं।

मैं आपका ध्यान प्रकृति प्रदत्त जल संसाधनों, उपजाऊ भूमि, चावल उत्पादन एवं निर्यात अर्थव्यवस्था की ओर आकर्षित कर रही हूं जो समृद्ध अर्थव्यवस्था के स्थायी साधन हैं। भौगोलिक परिदृश्य बूंदी जिले की बूंदी तहसील के पठारी भाग में ऐरू नदी, घोड़ापछाड़ नदी, मांगली एवं तालेड़ा नदी और इनके सहायक नाले पर्याप्त है। इनमें प्रवाहित जल व्यर्थ बहकर जा रहा है। बूंदी रियासत काल में कृषि और पेयजल के लिए इस क्षेत्र के प्रत्येक गांव में एनीकट निर्मित थे, जिससे कृषि और पीने के लिए जल उपलब्ध होता था, अब ये टूट गये हैं। पहले इनसे सिंचित सिंचाई कर लागू कर दिया और उसे राजस्व कर में सम्मिलित कर दिया गया है। सिंचाई विभाग की उपेक्षा और निष्क्रियता के कारण इनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। चम्बल प्रयोजन की बायीं मुख्य नहर की डिस्ट्रीब्यूटरीज एवं माइनरों में सिल्टिंग होने के कारण 125 क्यूसेक्स जल नदी-नालों में बह रहा है। नदियों के संगम स्थल भैंसखेड़ा में जांच होने से यह पता चला है। कृषि विकास में इस नुकसान के कारण इस जिले के बूंदी शहर के 36 कारखानों में केवल चार रह गये हैं। पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण उत्पादन अभाव के फलस्वरूप शेष बन्द हो गये हैं। चावल निर्यात प्रभावित हुआ और आदिवासी क्षेत्र में भीलों की स्थिति निर्धनता के कारण दयनीय हो गई है। जल के अभाव में जीवन एवं कृषि उत्पादन नगण्य

(श्रीमती ममता शर्मा)

हो गया है। अत: आर्थिक जीवन का कायापलट एवं आधुनिकीकरण करने, कृषि में द्वितीय क्रांति में चार प्रतिशत अभिवृद्धि करने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान की अतिशीघ्र आवश्यकता है। जल अभियान की सफलता स्थायी रोजगार के साधन, आदिवासियों को रोजगार एवं निर्धनता का उन्मूलन, कृषि का स्थायी विकास, समृद्धि में अर्थव्यवस्था में अग्रणी स्थान, चावल निर्यात अभिवृद्धि के कार्यों के लिए उपरोक्त विवरण प्रस्तुत कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री रामनारायण मीणा। माननीय सदस्य, आपका शायद यह सरसों की खरीद के सम्बन्ध में है। वैसे मंत्री महोदय अभी साढ़े चार बजे इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देंगे।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

नैनवां में सरसों खरीद केन्द्र

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) **:** जी उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही लाइन में बोलूंगा ताकि मंत्री महोदय उस बारे में भी बता दें। इतना सा कहूंगा, चार बजे मौका देंगे तो चार बजे भी बोल लूंगा। मेरा अर्ज करना यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं विशेष कारणवश मेरे निर्वाचन क्षेत्र में था। तहसील नैनवां में, उस इलाके में टोंक में, बूंदी जिले में सरसों सबसे ज्यादा पैदा इसलिए हुई है कि वहां बिजली के संसाधन नहीं है, पानी कम है, सब लोगों ने सरसों पैदा कर ली। मात्र एक केन्द्र देई गौण मण्डी में खोला है पूरी तहसील का और 400 के कूपन दोगे और वहां 3000-4000 की भीड़ थी। वहां हमने गये साल भी चिट्ठी लिखी थी कि करवर में केन्द्र खोला जाये, करवर मुख्य केन्द्र है। नैनवां में खोला जाये, सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर है। खटकड़ में खोला जाये, बांसी में खोला जाये, समिधी में खोला जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति खराब होती जा रही है। कल भी लोगों ने मुझसे कहा था कि रास्ता ब्लाक कर दें, ला एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसी स्थिति में मैंने उनसे अनुरोध किया है कि मैं कल विधान सभा में रहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इस बात को सरकार के सामने रखें इसलिए ऐसी स्थिति है उपाध्यक्ष महोदय। बहुत गम्भीर स्थिति है और किसान ओने-पौने दाम में, 1700 रुपये की जगह 1200 रुपये में सरसों बेचने को आज मजबूर हो जायेंगे

(श्री रामनारायण मीणा)

तो कल को क्या स्थिति बनेगी, महीने भर में क्या स्थिति बनेगी? इसलिए केन्द्र पूरे खोलें और यदि सरकार यह सोचती है कि हमारे पास आदमी नहीं है, केन्द्र चलाने की स्थिति नहीं है, को-आपरेटिव सक्षम नहीं है, को-आपरेटिव मंत्रीजी नहीं है, लेकिन हो सकता है सोसायटी डिफंक्ट हो, उसकी व्यवस्था करने के लिए यहां बैठकर, सरकार सर्वदलीय मीटिंग करके, किसी तरह से भी इसको निकालें क्योंकि यह मामला केवल शासकीय दल का और विरोध का नहीं है। सवाल है राजस्थान के लोगों को बचाना। केन्द्र समय पर पैसा नहीं दें तो हम ब्याज पर पैसा ले सकते हैं। 20 लाख का यदि ब्याज भी सरकार को लगे तो कोई नुकसान नहीं है, किसान बच जायेगा। किसान की कोई कौम नहीं है। वह हरिजन हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, मीणा हो सकता है, राजपूत हो सकता है, जाट हो सकता है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इस सरसों के मामले को अपन सब एक भावना से लेंगे तो हम सब मिलकर कोई हल निकाल पायेंगे। अकेली सरकार कोई हल निकालना चाहे, श्रेय लेना चाहे तो श्रेय भी नहीं मिल पायेगा और हमारी अराजकता बढ़ेगी, यह मुझे कहना है, मेरा अर्ज करना यह है कि देई के साथ-साथ ही नैनवां तहसील के लिए खटकड़ में, करवर में, समिधी में, उपखण्ड हैडक्वार्टर नैनवां में, दुगारी में, बांसी में और खजूरी में, यहां सरसों के केन्द्र खोले जायें क्योंकि सबसे ज्यादा सरसों पैदा हुई है ताकि किसानों को बचाया जा सके और बिचोलिये के माध्यम से जो किसान लुट रहा है वह बच सके, व्यवस्था बन सके, मुझे आपके माध्यम से यह अर्ज करना है और मुझे उम्मीद है कि मंत्रीजी इस बारे में भी अपने चार बजे के वक्तव्य में बतायेंगे, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेश मीणा।

करौली के मण्डरायल ग्राम पंचायत में तहसीलदार द्वारा ब्राह्मण को दिया गया अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक ऐसा मामला आपकी निगाह में लाना चाहता हूं। जो सरकार एस.सी. एस.टी. के गीत गाती है लेकिन उनकी जड़ें खोदने का काम भी इस सरकार में हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करौली जिले की मण्डरायल ग्राम पंचायत के जब चुनाव हुए तो वहां पर जुगल किशोर जोशी, वह वहां चुनाव लड़ा जबकि वहां पर सीट एस.सी. की थी। जिस समय यह

(श्री सुरेश मीणा)

चुनाव हो रहे थे, कास्ट सर्टिफिकेट लिया गया वहां पर उस समय तहसीलदार ब्राह्मण समाज का था, वहां पर जो पटवारी था वह भी ब्राह्मण समाज का था। उन्होंने उनको सर्टिफिकेट दे दिया और सर्टिफिकेट देने के बाद में उसको वह रोक नहीं पाये और वह चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद वह चुनाव जीत गया और चुनाव जीता तो दूसरे एस.सी. के लोगों ने उसके ऊपर केस दायर किया और केस करने के बाद न्यायालय से उसको दण्ड मिला, छह दिन तक वह जेल भी गया और उसकी जमानत भी खारिज हुई बीच में। जब पंचायत राज मंत्रीजी से वे लोग बार-बार मिले कि ऐसे धोखाधड़ी से जिन्होंने यह कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है और वह चुनाव लड़ा है, इस सरपंच को हटाया जाये, इसके खिलाफ कार्यवाही की जाये लेकिन आज तक पंचायती राज मंत्रीजी ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जबकि सारे डाक्यूमेंट उसके खिलाफ हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो जुगल किशोर जोशी जो ब्राह्मण समाज का है, जो पहले मंदिरों में पूजा करता था, जो उन लोगों के बीच में आ गया जिन लोगों से पहले वह घृणा करता था लेकिन राज के लिए कितना भी नीचे आ सकते हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे घिनौने, ऐसे 420 के मामले को देखें और जो सर्टिफिकेट एस.सी. का गलत बनाया है, उन अधिकारियों के खिलाफ, उस पटवारी के खिलाफ और उस जुगल किशोर जोशी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां मंत्रीजी बिराजमान नहीं है इसलिए मैं यह....(व्यवधान) आप समाज कल्याण मंत्री हो, आप तो समाज का कल्याण करो, आप समाज कल्याण भी नहीं कर सकते लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कोर्ट ने जिसको सज़ा दी है, उसकी जमानत खारिज हुई है और उसके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि वह जुगल किशोर जोशी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और जब हमारे लोग आये, एस.सी. एस.टी. के अधिकारों का हनन हो रहा है, जब वे लोग माननीय मंत्री महोदय से मिलने आये तो धक्का देकर बाहर निकाल दिया कि बाहर निकल जाओ। मैं कहना चाहता हूं यदि जुगल किशोर जोशी एस.सी. का सदस्य है तो उसकी बेटी की शादी एस.सी. के एक व्यक्ति से करके देखे.....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुरेश मीणा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा अन्याय है

(श्री सुरेश मीणा)

इसलिए जब तक यहां पर मंत्रीजी नहीं आयेंगे, मैं धरने पर बैठता हूं, वे आयेंगे और मुझे आश्वासित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा : मैं बैठा हुआ हूं।

श्री अमराराम (धोद)**:** बैठे हैं तो आप हटाओ।(व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा : कोई बात है, जानकारी में लाये हैं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इससे बड़ी घृणित कार्यवाही नहीं हो सकती कि शिड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट पर जनरल का आदमी नाजायज सर्टिफिकेट बनाकर के चुन जाय और सरकार नहीं हटाये, इससे बड़ी और क्या बात होगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बात सुनिये आप, बात सुनिये भई।(व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ने...(व्यवधान)

(श्री सुरेश मीणा एवं श्री मुरारीलाल मीणा द्वारा सदन में धरना)

(श्री मुरारीलाल मीणा एवं श्री निर्भयलाल सदन कूप में आये और जोर-जोर से बोलना प्रारम्भ कर दिया)

श्री बाबूलाल वर्मा: मंत्री महोदय हैं यहा।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): बैठे हुए हैं तो हटाओ न आप...

श्री बाबूलाल वर्मा: हां, तो आप जवाब तो देने दो।

श्री अमराराम(धोद): एससी की सीट पर जनरल आदमी चार सौ बीसी करके सर्टिफिकेट बनाकर चुनकर जीत गया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप मेरी बात सुनिये। माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये। बात यह है माननीय सदस्य कि आपने जो एतराज उठाया है, वह अदालत ने अभी तक उसका कोई फाइनल फैसला दिया है कि नहीं दिया है... (व्यवधान) फैसला दिये बिना कौन फैसला करेंगे। ऐसा है...(व्यवधान) फैसला हाउस तो कर नहीं सकता। यह फैसले यहां थोड़े ही होंगे।

श्री अमराराम (धोद): हाउस नहीं करे, मंत्रीजी यह बता दें कि यह एससी का है या सामान्य का है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा: सुरेशजी, एक मिनट। एक मिनट। सवाल यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: घोर अन्याय के आधार पर फैसला कोई, अदालत में मामला चल रहा है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस अधिकारी ने उसका जाति प्रमाण-पत्र जारी किया है, जिस अधिकारी ने, उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय। (व्यवधान) एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामनारायण मीणा: आप तो एक काम करवा दीजिये, जिस अधिकारी ने उसका जाति प्रमाण-पत्र जारी किया है (व्यवधान) बाबूलालजी, (व्यवधान) नहीं-नहीं, बात कैसे नहीं है...

श्री बाबूलाल वर्मा: अभी कोई बात जानकारी में आयी है, निश्चित रूप से उसमें कोई जांच करके कार्यवाही करवायेंगे।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपने स्थान पर जाइये।

श्री रामनारायण मीणा: सुनिये, यह जानकारी में नहीं आई है, दूसरी पार्टी के दवाब पर आप कार्यवाही करते हैं।

श्री अमराराम (धोद): यह उसकी जमाबंदी, जमाबंदी में बाकायदा जाति लिखी जाती है...

श्री उपाध्यक्ष: मैं कहता हूं, यह जांच का विषय है (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): जमाबंदी में जाति है, यह इसका जमाबंदी रेकार्ड है, रेवेन्यू रेकार्ड में...

श्री रामनारायण मीणा: उसकी जाति जमाबंदी में लिखी हुई है। जिस पटवारी ने उसकी रिकमंड की, जिस एसडीओ ने उसको जाति प्रमाण-पत्र जारी किया उसको ससपैण्ड किया जाय, जांच कीजिये, इतना ही तो चाहते हैं हम लोग, और क्या चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। मेरा आपसे यह निवेदन है, कोई भी मुकदमा अदालत के अंदर निर्णय के लिए जायेगा (व्यवधान) आप चुप रहिये पहले। माननीय सदस्य, आप पहले बात सुने मेरी।

(श्री उपाध्यक्ष)

पहले बात सुनिये आप। (व्यवधान) आप पहले बात सुनिये, अदालत के अंदर कोई मुकदमा है, उसका निर्णय होना है तो यहां पर उसकी विवेचना नहीं हो सकती नियमों के मुताबिक (व्यवधान) क्या हो गया, बताइये आप, किस जगह, निर्णय हुआ है या नहीं हुआ है क्या निर्णय हुआ है।

श्री रामनारायण मीणा: यही तो मंत्रीजी कहें कि चार सौ बीस का हमने मुकदमा दर्ज किया है। क्या मुकदमा दर्ज करवा देंगे, सरकार जांच करवा देगी, हम यही तो चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं-नहीं, अदालत के अंदर बात गई है तो यहां नहीं हो सकता...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा: हम यही चाहते हैं कि सरकार इसका जवाब दे कि हम पन्द्रह दिन में कार्यवाही करवा देंगे, हम मुकदमा दर्ज करवा देंगे। मुकदमे में चालान करवा देंगे। सरकार यह आश्वासन दे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय मीणा साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अंदालत के अंदर अगर कोई विवाद है निर्णय के लिए...(व्यवधान) उस संबंध में यहां चर्चा नहीं हो सकती। यह सही है या गलत है, ससपैण्ड करना अदालत की बात है। पहले निर्णय होगा जब होगा न। (व्यवधान) कर सकती है, कोई सरकार को प्राइमाफेसी मामला समझ में आयेगा तो कर देगी। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी क्या कह रहे हैं, सुनिये आप।

श्री बाबूलाल वर्मा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, इस प्रकरण के बारे में निश्चित रूप से सरकार आवश्यक कार्यवाही करके जांच करवायेगी और यदि सत्य है तो बाद में इसमें कार्यवाही की जायेगी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा: मुकदमा दर्ज करवायेगी? मुकदमा दर्ज करवायेगी, कब तक करवायेगी? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा: मैं निश्चित रूप से यह माननीय सदस्य को... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री हरिसिंह रावत।

श्री महावीर प्रसाद जैन: उपाध्यक्ष महोदय, आप नियंत्रण करिये। यह सदन का दुरूपयोग है।

श्री बाबूलाल वर्मा: माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामनारायण मीणा: कब तक? कब तक? आप तो हमें टाइम दे दो, कब तक चालान करवा देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन: इस तरह से कोई भी बिना प्रस्ताव के मूव किये हुए, केवल 295 के आधार पर केवल पढ़ने का वह है।

श्री रामनारायण मीणा: नहीं-नहीं, यह नहीं है, माननीय मुख्य सचेतकजी...

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह कोई बहस का विषय है, पर्ची के आधार पर कोई भी कुछ भी बोलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। श्री हरिसिंह।

श्री रामनारायण मीणा: इस सरकार में तो ऐसा ही होगा। (व्यवधान) आपकी सरकार एससी को नहीं छोड़ रही है तो क्या करेंगे सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन: क्या होगा यह। यह सदन का दुरुपयोग है, हम विधान सभा का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई माननीय सदस्य मान लो यहां पर नहीं है...

श्री रामनारायण मीणा: सरकार शिड्यूल कास्ट के हितों की रक्षा नहीं कर रही है, सरकार जानबूझकर एससी के लोगों को, एससी के लोगों को तो किया नहीं,यह क्या बात है इसमें।

श्री महावीर प्रसाद जैन: कोई जांच का विषय है तो जांच होगी। कोई सबज्युडिस मामला है, आप क्या कर रहे हैं..

श्री रामनारायण मीणा: जिसने भी सर्टिफिकेट दिया उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करना चाहते...

श्री महावीर प्रसाद जैन: ऐसे मजाक कर रखा है इस सदन को। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): सबज्युडिस तो चार सौ बीस का मुकदमा है, चार सौ बीस का मुकदमा है, सबज्युडिस यह क्या...

श्री महावीर प्रसाद जैन: मुकदमा है तो उसका निर्णय होगा। मुकदमा होने से क्या होगा, मुकदमा होने से क्या वह अपराधी हो गया...

श्री अमराराम (धोद): महावीर प्रसादजी, मुकदमा तो चार सौ बीस

(श्री अमराराम (धोद)

किया, उसका मुकदमा है। वह शिड्यूल कास्ट की रिजर्व सरपंच की पोस्ट पर चार सौ बीस करके एससी का सदस्य...

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा यह कहना है धोद से आने वाले माननीय सदस्य, मैं कोई रोकना बिलकुल नहीं चाहता, मैं यह चाहता हूं कि अपने नियम और प्रक्रियाओं में नियम है, आप कोई प्रस्ताव लाओ, उस पर चर्चा करो, उसकी जानकारी आये, उसका...(व्यवधान) आपके पास कोई कागज है, अभी यह परसों के दिन एक बोतल लाकर इन्होंने यहां पर सनसनी पैदा कर दी। क्या सनसनी पैदा करने का हमारा कोई वह है।

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा यहां से। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: इसकी जांच में वह आया ही नहीं। पता नहीं कहां से पानी उठा लाये। आप कोई भी कागज ले आयेंगे...

श्री अमराराम (धोद): सचेतक महोदय, जाति उसकी जमाबंदी में लिखी हुई होती है। (व्यवधान) क्या तथ्य दिये हैं...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिराजें। ..(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आप पांच साल बाद में निर्णय करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन: आप सदन में कोई आप मान लो सदस्य नहीं हैं और कोई भी यह कहे कि अमरा रामजी ने, यह मेरे पास कागज है, बलात्कार किया है, इनको सज़ा दे दो, दे सकते हैं क्या।

श्री रामनारायण मीणा: न्याय करिये। न्यायप्रिय मुख्य सचेतक महोदय, आप तो न्याय कर दीजिये।

श्री अमराराम (धोद): यह मेरे कागज नहीं हैं, यह सरकार के कागज हैं, सरकार के।

श्री महावीर प्रसाद जैन: सरकार के कागज हैं तो नियमों में आइये, नियमों में।

श्री अमराराम (धोद): जमाबंदी मेरी नहीं होती। राजस्थान सरकार का डाक्यूमेंट है, इसमें जाति लिखी हुई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन: तो डाक्यूमेंट के आधार पर आप प्रस्ताव लाइये।

श्री रामनारायण मीणा: प्रस्ताव आ गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन: आप यह केवल पर्ची के माध्यम से...

श्री रामनारायण मीणा: प्रस्ताव आ गया। हम पचास से ज्यादा सदस्य इसके पक्ष में प्रस्ताव के, चलो आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह बातें तय होती हैं क्या...

श्री अमराराम (धोद): आप पांच साल तक नहीं करेंगे। पाँच साल तक रिजर्व की सीट पर जनरल आदमी बैठा रहेगा क्या। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: नियमों में प्रावधान है, आइये ना। यह पर्ची के माध्यम से क्या मजाक कर रखा है। आप कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): क्या नियम बाकी रह गया। नियम यह है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, एससी की सीट पर जनरल आदमी को बैठाये रखना चाहती है...

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह बहुत एससी, एसटी, महिला, फलानां, यह नाम लेकर इस सदन का दुरूपयोग किया जावे, यह अच्छा नहीं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा: सदन आपका नहीं है अकेले का।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह क्या है, यह। (व्यवधान) यह क्या है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : सदन आपका अकेले का नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: कोई एससी, एसटी, आप केवल नाम लेकर दुरूस्पयोग कर रहे हैं। एससी एसटी की हमको भी उतनी ही चिंता है। (व्यवधान) हम भी एससी एसटी के कोई घोर विरोधी नहीं हैं। एक बार एमएलए क्या बनकर आ गये जिसमें क्या लाट साहब हो गये। घोर विरोधी हो गये। बिना, और दूसरों के आगे...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन: आप जातिवाद का द्वेष फैला रहे हैं। हमको एससी एसटी वोट देती है..

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप पहले स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन: द्वेष फैला रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी: बैठो तो सही पहले जाकर के।(व्यवधान) पहले उधर जाइये।

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई स्टेज नहीं है। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिये।(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सत्ता पक्ष के सरकारी मुख्य सचेतक हैं, यह इस तरह के व्यक्तिगत आक्षेप माननीय सदस्य पर कर रहे हैं कि आप एक बार चुनकर आ गये तो लाट साहब हो गये, यह कोई तरीका है क्या आपका बोलने का। यह क्या तरीका हुआ आपका। (व्यवधान) आपकी तरह वह भी चुन कर आये हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह कोई तरीका है क्या? यह कोई तरीका है क्या? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: कोई किसी की मेहरबानी से नहीं आये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: मेहरबानी-वेहरबानी नहीं होती। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मेहरबानी तो मेहरबानी होती है..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: यह बिलकुल अनडेमोक्रेटिक तरीका है आपका। आप इस तरह से माननीय सदस्य के बारे में नहीं कह सकते। आसन की अनुमति से बोलने के लिए खड़े हुए हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: मेरे ऊपर भी वही है और आपके ऊपर भी वही है। भले ही आप पहले पत्रकारिता में ब्लेकमेल करते थे, करते होंगे, इससे क्या हो गया, लोगों ने चुनकर भेजा है, मानते हैं हम आपको। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप नहीं मानो तो भी क्या फर्क पड़ेगा। आप मानो या नहीं मानो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: मैं जब पैदा हुआ ना, तब मेरे बाप ने इतनी सम्पत्ति छोड़ी थी, आपके पूरे खानदान के पास नहीं होगी, किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पहले स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री संयम लोढ़ा: ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप पहले स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये माननीय सदस्य। पर्ची के माध्यम से उठाया गया विषय है और इस विषय के अंदर आपने जो तथ्य रखे हैं उन तथ्यों के मुताबिक अदालत में मुकदमा चल रहा है, कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं...(व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिये।

आप अपनी सीट पर बैठिये। बीच में नहीं बोल सकते आप। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप बीच में नहीं बोल सकते। कहने का मतलब यह है कि आपका ऐसा कोई प्रश्न है तो आप किसी दूसरे रास्ते से उठाइये पर्ची के माध्यम से सीधी आपने कह दी बात और अदालत में मुकदमा चल रहा है नियमों के मुताबिक अदालत में क्या फैसला होगा, सही होगा, गलत होगा, कैसा चल रहा है, इसके बारे में यहां पर कोई चर्चा सदन में नहीं की जा सकती।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री उपाध्यक्ष: सर्टीफिकेट होगा फर्जी ...(व्यवधान)... आपने निर्णय कर लिया। सर्टीफिकेट फर्जी है। कौन कह सकता है यह ? यह निर्णय कर लिया सर्टीफिकेट फर्जी है। क्या बात करते हो? निर्णय होगा तब होगा। क्या बात करते हो। नहीं, नथिंग। माननीय श्री हरिसिंह रावत।

श्री संयम लोढ़ा: ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से एक मामला उठा दिया जो भी मामला सदन में उठता है माननीय मंत्री जी यहां पर नहीं है तो जब दूसरे मंत्री यहां पर उपस्थित हैं, हमने इसका नोट ले लिया है विषय जिस प्रकार का इन्होंने उठाया है प्रथमदृष्ट्या साफ दिखता है कि जोशी है तो जोशी तो ब्राह्मणों में होता है तो शिड्यूल्ड कास्ट का सर्टीफिकेट कैसे मिलेगा तो इस सारे मामले की माननीय मंत्री महोदय को मैं

आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी जांच करके माननीय सदस्यों को अवगत करा देंगे और सरकार को जो भी कार्यवाही करनी होगी सरकार करेगी नियमानुसार।

श्री सुरेश मीणा: ×××

श्री निर्भय लाल: ×××

श्री सुरेश मीणा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

श्री जुबेर खान: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने निर्णय कर दिया ...(व्यवधान)... यह निर्णय होगा क्या?

श्री जुबेर खान: ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो।

श्री जुबेर खान: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिना परमीशन के बोल रहे हैं। मंत्री महोदय ने सरकार की तरफ से कह दिया और यह कोई रिसेंट मामला नहीं है आज कल में हुआ हो। साल दो साल से मुकदमा चल रहा है और आज की आज फैसला चाहते हो आप। गलत बात है यह जब मुकदमा चल रहा है, कब पंचायत चुनाव हुए हैं? पंचायत चुनाव आज हुए हैं क्या? और आज इस मुद्दे पर पर्ची के माध्यम से फैसला कराना चाहते हैं। नहीं।

श्री हरिसिंह रावत: उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह मुद्दा मैं उठाने जा रहा हूं वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होकर किसी एक प्रदेश का नहीं होकर बल्कि पूरे भारतवर्ष का मुद्दा है। आज के इस आधुनिक युग में यातायात नियम एवं कानून में संशोधन करने की जरूरत है। आज हमारे देश में...।

श्री बृजकिशोर शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। दो माननीय सदस्य धरने पर बैठे हुए हैं और सदन की कार्यवाही चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष: उन्होंने शुरू ही नहीं किया अभी क्या पाइंट ऑफ आर्डर? शुरू ही नहीं किया अभी तो।

श्री हरिसिंह रावत: उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा देश भारतवर्ष...।

श्री सी.डी.देवल: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सरकार की तरफ से जवाब दे दिया गया है।

श्री सी.डी. देवल: ×××

श्री उपाध्यक्ष: उचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री सी.डी. देवल: ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई तरीका थोड़े ही है। आप जाकर के बताइये कौन ना कर रहा है?

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सरकार की तरफ से कह दिया गया है।

श्री सी.डी. देवल: ×××

श्री उपाध्यक्ष: नो, आगे चर्चा नहीं। सरकार की तरफ से मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया अब इस पर आगे चर्चा नहीं।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: दूसरे माननीय सदस्य ने बोलना शुरू कर दिया है बीच में नहीं माननीय सदस्य। कोई अंकित नहीं हो। आप बात कर लेना समय सीमा बता देंगे। समय-सीमा इस तरह तय नहीं होती है। आप बात करना बता देंगे।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री सुरेश मीणा: ×××

श्री मुरारीलाल मीणा: ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, यहां कोई फैसला नहीं होता है आपने अपनी बात रखी आपने जिन तथ्यों के साथ रखी, तर्क के साथ रखी उसमें जो कुछ भी आपने बातें रखीं उसके आधार पर ही फैसला होगा पर यहां कोई आप कहें

कि हम निर्णय करा दें यह नहीं हो सकता।

श्री मुरारीलाल मीणा: ×××

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री सी.डी. देवल: ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया: यह गलत परम्परा डाल देंगे आप। ऐसा नहीं होता है।

श्री सी.डी. देवल: ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया: समय सीमा कोई संबंधित व्यक्ति होगा तो बतायेगा। मैं बता सकूंगा क्या? इस केस में कैसे समय सीमा तय कर सकता हूं? मैं कह दूंगा कि तीन दिन में हो जाएगा तो यह संभव है क्या? यहां आपने अपना विषय रखा है अच्छी बात है आपने अपने तरीके से रखी। आपकी बात में वज़न लग रहा है। हमने सुना है हमें भी समझ में आ रहा है लेकिन यहां बैठ करके निर्णय नहीं कर सकते कि इस पर यह फैसला हो जाएगा।

श्री सुरेश मीणा : ×××

श्री सी.डी. देवल : ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बोल रहे हैं आप बीच में नहीं। माननीय सदस्य ने बोलना शुरू कर दिया बीच में नहीं आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे मामलों में यहां पर इमीजिएट कोई फैसले नहीं हुआ करते, न हो सकता है ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश मीणा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य। कोई अंकित नहीं हो।

श्री सुरेश मीणा : ×××

श्री निर्भय लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ने बोलना शुरू कर दिया है ।

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री सुरेश मीणा : ×××

यातायात नियमों में संशोधन

श्री हरिसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो मैं मुद्दा उठाने जा रहा हूं वह किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक ही राज्य का नहीं है बल्कि पूरे भारतवर्ष में रहने वाले नागरिकों के लिये है । यह मुद्दा है यातायात के नियमों में संशोधन संबंधी । उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा देश प्रदेश विकासशील देश से विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि रोड से रोड जोड़कर गांव से गांव जोडे गये, ढाणी से ढाणी जोड़ी जा रही है, देश से प्रदेश जोड़ा जा रहा है और इसी के अंतर्गत आज पूरे भारतवर्ष में गांवों से लेकर ढाणी तक रोड़ों का मकड जाल फैला हुआ है । चतुर्भुज योजना के अंतर्गत मेगाहा वे बन रहे हैं और आज राज्य से दूसरे राज्य तक 6-6 लाइन के रोड बन रहे हैं । अब जब यह व्यवस्था हो गई तो इसके लिये हमें कानून में संशोधन करने की जरूरत है । पहले किसी जमाने में हमारे जो पूर्वज हैं वह कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे कभी एरोप्लेन चलेगी जो सुबह जापान से जायेगी और शाम को अमेरिका से सामान खरीद कर वापस आ जायेगी । कभी यह भी नहीं सोचा होगा कि 100 से लेकर 140 की स्पीड में हमारी गाडियां सड़कों पर दौड़ेंगी । आज यह सब हो गया हैवी व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत जो ट्रके हैं जो लोडेड, अनलोडेड वेट है इसमें भी संशोधन की जरूरत है क्योंकि आज यह पुरानी पद्धति हो गई है आज हमारी जो गाड़ियां हैं उनकी भार क्षमता 25 टन से लेकर 300 टन तक ही हो गई है लेकिन हमारे जो आर एल डब्ल्यू यू एल डब्ल्यू है वह 16240 टन तक ही है जबकि हमें इसका जो वज़न है उसको ध्यान में रखते हुए बढ़ाना पड़ेगा ताकि यह जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है इस पर भी अंकुश लग सकेगा । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां इन सब चीजों को देखते हुए, आज हमारे पास 40 से लेकर 100 फीट तक के ट्रेलर हैं जो 12 फीट से लेकर 14 फीट तक की मशीन ढोती हैं । हमारे राजसमंद में जो आज बहुत बडी मार्बल की मंडी है उसमें भी जो ब्लाक बनते हैं वह 10 टन से लेकर 35 टन तक के ब्लाक होते हैं और इसके अलावा आज हमारा देश विकासशील की तरफ अग्रसर हो रहा है तो हमारी आज मशीनरी इम्पोर्ट होती है उसमें भी 100,200,300 टन की मशीनें आती हैं । जब वह रोडो पर चलती है तो चैकपोस्ट पर आर टी ओ या इंस्पैक्टर उनको खड़ी करवा देते हैं और खड़ी करवाकर बोलते हैं कि आपका तो अनलोडेड वेट, लोडेड वेट इतना है नहीं इसके अंतर्गत अभी गाड़ी तो छूट जाती है लेकिन इसमें कश्मकश हो जाती है। सरकार को उसमें कोई रेवेन्यू मिलता नहीं है, जो वसूली

(श्री हरीसिंह रावत)

करते हैं उन्हीं की जेब में वह पैसा जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यातायात मंत्रीजी से और सरकार से निवेदन है कि इस मुद्दे को आगे उठाये और भारतवर्ष तक ले जायें ताकि इसमें संशोधन हो सके । यह संशोधन होने से हमारे आर एल डब्ल्यू, यू एल डब्ल्यू बढ़ जायेंगे जिससे हमारी जो बड़ी-बड़ी ट्रेक हैं उसके हिसाब से हमको रेवेन्यू मिलेगी और रास्ते में जो व्यवधान पैदा होते हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिलेगी । आज हमारे पास जो लेटेस्ट टैक्नोलोजी की जो गाड़ियां आ गई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे आर एल डब्ल्यू, यू एल डब्ल्यू बढाये जाये ताकि यह रोज-रोज की जो समस्या आती है उसका समाधान हो जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा यातायात मंत्रीजी से निवेदन है कि आज हमारे एक्सप्रेस हाई-वे बन गये लेकिन उस एक्सप्रेस हाई-वे पर तीन चार ट्रेक बने हुए हैं उन रोड पर हम जब भी जाते हैं तो उन चारों रोडों पर ट्रक ही ट्रक चलते रहते हैं। जिस कार को फर्स्ट ट्रेक पर चलना चाहिये वह हार्न बजा बजाकर परेशान हो जाता है लेकिन कभी ड्राइवर ध्यान नहीं देता है। इसलिए यातायात मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा जो इंस्पैक्टर या आर टी ओ जो हाई-वे पर रहते हैं वह चौथवसूली कम करें और कम से कम यह ध्यान रखे जिसका जो ट्रेक है वह उसी पर चले । कानून व्यवस्था सुदृढ़ कराई जाये ताकि यह व्यवस्था ठीक हो । इसके कारण आये दिन कई परिवार के परिवार स्वाह हो जाते हैं । माता बहनें विधवा हो जाती है इसलिए मेरा निवेदन हैं कि संशोधन करके अतिशीघ्र इसको कार्य रूप दें इसी आशा के साथ जय भारत, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरसिंह राजपुरोहित ।

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : किस संबंध में ?

श्री विष्णु मोदी : इसी संबंध में । राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है उससे पूरे राजस्थान में और मैं अजमेर जिले से आता हूं सबसे ज्यादा ट्रोले अजमेर जिले के हैं और आज स्थिति यह हो रही है कि लोगों के मकान नीलाम होने की नौबत आ गई है । यह सारी परेशानी भारत सरकार से है । राजस्थान सरकार का इसमें रोल नहीं है । जो माननीय सदस्य ने कहा है कि माननीय यातायात मंत्रीजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात को लेकर भारत सरकार को आगाह करे और इसमें आवश्यक रूप से संशोधन कराये । आज डीजल ज्यादा जल रहा है वह हम इम्पोर्ट करते हैं यह ऐसा काला कानून बना है जिससे कि राजस्थान में व्यापार में, इंडस्ट्रीज में और सब में नुकसान हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, आप विराजिए मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं ।

श्री यूनूस खान (यातायात मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि राज्य सरकार से कोई कानून ऐसे नहीं बने हुए हैं यह सारे के सारे कानून मोटर अधिनियम,1988 के तहत केन्द्र सरकार को इसका सारा पावर है सैक्शन 58 में इसलिए वही इसमें कुछ कर सकती है । पिछले दिनों हमने 30 नवम्बर,2005 को इससे पीड़ित जो राज्य हैं उन सारे 11 राज्यों की यहां बैठक भी की थी और उसमें एक प्रस्ताव भी पास किया था कि माननीय केन्द्रीय परिवहन मंत्री जी को इस संबंध में ज्ञापन दें । हमने उनको ज्ञापन भी दिया है कि वर्तमान में लेटैस्ट टैक्नोलोजी आने से और बढ़िया सड़के बनने के बाद जो निर्धारित मापदंड हैं, जो मानक तय किये गये हैं उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है । सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को पुन: केन्द्र सरकार को पहुंचा दिया जायेगा और जहां तक दूसरी आपने बात कही उसमें तो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय का जो जजमेंट आया हुआ है उसकी पालना हम कर रहे हैं । उसमें थोड़ी परेशानी मार्बल व्यवसायियों को जरूर हो रही है लेकिन उसके लिये भी यह है कि जो दूसरे मानक हैं, अधिक टन की जो मान्यता प्राप्त गाड़ियां हैं उनसे अपना माल ढोहे ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित ।

आहोर विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांवों को डी-कमाण्ड घोषित किये जाने बाबत

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में जंवाई नहर से लगभग 23 गांव सिंचित होते हैं । उन 23 गांवों में लगभग 82-83 में सैटेलमेंट अधिकारियों ने कमाण्ड से डी कमाण्ड में मतलब एक ही गांव में लगभग 60 प्रतिशत कमाण्ड में है और 15 से 20 प्रतिशत खेत डी कमाण्ड में कर दिये । उस समय जिसने उनको दाना पानी दिया उनको तो कमाण्ड में रख दिया और जो 5 बीघा, 10 बीघा के गरीब किसान थे उनको डी कमाण्ड में रख दिया, जो मजबूत किसान थे वह तो आ गये । यह लगभग ऐसे 50 किसान हैं ज्यादा लंबी चौडी फाइलें भी नहीं हैं । ऐसे 50 से 95 केस ऐसे हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अधिकारियों से जानकारी मंगाकर उन छोटे छोटे किसानों के प्रति न्याय करें ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखी जाने वाली अधिसूचनाएं । श्री रामनारायण डूडी, उपनिवेशन मंत्री चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

(उपनिवेशन विभाग)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं ।

1. अधिसूचना संख्या-एफ.4(1)उप/2001 दिनांक 7.12.2005 एवं अधिसूचना संख्या-एफ.4(1)उप/2001 दिनांक 7.12.2005 जिनके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या-एफ.4(3)उप/99 दिनांक 9.1.2006 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंगनहर क्षेत्र में भूमि का स्थायी आबंटन तथा विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।
3. अधिसूचना संख्या-एफ.4(2)उप/99 दिनांक 17.2.2006 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भांखड़ा परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम जी तिवाडी, शिक्षा मंत्री ।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से (1) मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयुपर अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (जुलाई, 2003 से जून, 2004) एवं

(2) बीकानेर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 सदन की मेज पर रखता हूं ।

राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड़ का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन 2004-05

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरपत सिंह राजवी, उद्योग मंत्री।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा (4) के अन्तर्गत दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-5

राजस्थान वित्त निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन, 2005

2. वित्त अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अंतर्गत राजस्थान वित्त निगम के लेखें पर (31 मार्च, 2005 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिये) अंकेक्षण प्रतिवेदन एवम्

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड़ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेख विवरण 2004-05

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवम् लेखा विवरण वर्ष 2004-5 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह जी।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ का 5वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष, 2004-05

श्री गजेन्द्र सिंह (ऊर्जा, राज्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम की धारा 619-ए के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 5वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-5 सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, सदस्य विधान सभा चार याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री अर्जुन लाल मीणा, सदस्य विधान सभा तीन याचिकाए उपस्थापित करेंगे।

सलूम्बर नगरपालिका परिक्षेत्र सीमा बढ़ाने बाबत

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलुम्बर): 1. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सलुम्बर नगर पालिका परिक्षेत्र सीमा बढ़ाने बाबत, 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलूम्बर को क्रमोन्नत करने बाबत

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलुम्बर में शयन (बेड) 50 से 100 शयन(बेड) में क्रमोन्नत करने बाबत, 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

सलूम्बर को जिला बनाने बाबत

3. सलूम्बर उपखण्ड क्षेत्र को जिला बनाने बाबत, 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकायें उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सदस्य विधान सभा, तीन याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

ढ़ाणी छिल्ला (लूणकरणसर) का विद्युतीकरण

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : 1. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ढाणी छिल्ला (राजस्व ग्राम) ग्राम पंचायत शेरपुरा तहसील लूणकरणसर का विद्युतीकरण करने बाबत, 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

खीमेरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत

2. अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम पंचायत एवम पंचायत मुख्यालय खीमेरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत, 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

नवलगढ़ के छोटे बस स्टेण्ड से बसें चलाने बाबत

3. नगरपालिका नवलगढ़ के छोटे स्टेण्ड से होकर राजस्थान पथ परिवहन की बसों का संचालन करने बाबत, 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित चार याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र ग्राम हरजी से नीलकण्ठ मंदिर सड़क काफी क्षतिग्रस्त है और साल में एक बार मेला भरता है। (व्यवधान) वह ही बोल रहा हूं।

नीलकण्ठ महादेव मंदिर से हरजी तक सड़क निर्माण

1. ग्राम हरजी तहसील आहोर जिला जालौर में नीलकण्ठ महादेव मंदिर से हरजी तक(5 कि.मी.) सड़क का डामरीकरण करने बाबत।

(श्री अध्यक्ष)

ददिया व सुगालिया जोधा में पेयजल व्यवस्था

2. ग्राम पंचायत नोसरा के ग्राम दुदिया व सुगालिया जोधा के विभिन्न मोहल्लों में पेयजल की व्यवस्था हेतु सार्वजनिक टांका निर्माण करने बाबत।

सराणा गांव में व्यवस्थित सिंचाई योजना लागू करने बाबत

3. सराणा गांव की सेवज भूमि में खेर का बाला(नाला) से पानी मोतीडा नाडा में डालकर व्यवस्थित सिंचाई योजना लागू कराने बाबत।

नोसरा ग्राम में महिला प्रसूति गृह खोलने बाबत

4. ग्राम नोसरा में महिलाओं की चिकित्सा सुविधा हेतु महिला प्रसूति गृह खोलने बाबत याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाला विधेयक। श्रीमती उषा पूनिया राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी।

श्रीमती उषा पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष(संशोधन) विधेयक,2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष(संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक पुर:स्थापित भी करेंगी।

श्रीमती उषा पूनिया: उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान संस्मारक,

(श्रीमती उषा पूनिया)

पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करती हूं।

घोषणा

समय का बंटवारा

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद के लिए

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मुझे सदन को सूचित करना है कि आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-7 पर सामान्य वाद विवाद के लिए सदन दो घंटे अतिरिक्त रूप से बैठेगा, इस समय को सम्मिलित करते हुए कुल 24 घंटे उपलब्ध है। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलत है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

भारतीय जनता पार्टी	14 घंटे 30 मिनिट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	6 घंटे 36 मिनिट
इंडियन नेशनल लोकदल	29 मिनिट
जनता दल यूनाइटेड	15 मिनिट
बहुजन समाजपार्टी	15 मिनिट
भारत की क्म्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी	7 मिनिट
लोकजन शक्ति पार्टी	7 मिनिट
राजस्थान सामाजिक न्यायमंच	7 मिनिट
निर्दलीय	1 घंटा 34 मिनिट
	कुल समय: 24 घंटे।

सूचना

श्योपतसिंह श्री, पूर्व सदस्य को विधान सभा में प्रवेश से रोकना

श्री अमराराम (धोद) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इनफोरमेशन, इजाजत हो तो, आपके माध्यम से रखना चाहूंगा कि हमारी यह व्यवस्था रही है कि जो इस सदन के पूर्व माननीय सदस्य हैं उनको विधान सभा के सचिव की तरफ से आइडेंटीकार्ड इश्यू होता है और जितने भी इस सदन के माननीय पूर्व सदस्य हैं उनको इस परिसर में आने के लिए, उनकी पेंशन लेने के लिए, यहां की चिकित्सा सुविधाएं उपयोग करने के लिए हमेशा माननीय सदस्य आते रहे हैं लेकिन बड़े अफसोस की बात है.....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पाइंट आफ इन्फार्मेशन इसमें क्या है, यह तो माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में जाकर बात कर लीजिए । आप कोई नई इन्फार्मेशन तो दे नहीं रहे।

श्री अमराराम (धोद) **:** इन्फार्मेशन इतनी है कि श्योपतसिंहजी जो इस सदन के चार दफा सदस्य रहे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह कर जायेंगे जो आवश्यक बात होगी।

श्री अमराराम (धोद) : लोकसभा के सदस्य रहे और कल जब वह आये तो उनको इस बात के लिए विधान सभा परिसर में घुसने नहीं दिया, यह कहकर नहीं घुसने दिया कि गृह विभाग की तरफ से उनको अवांछनीय तत्व घोषित कर दिया गया है। यह अफसोसजनक। सचिवालय के लिए नहीं, गृह विभाग....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह बात जो है चैम्बर में बैठकर अध्यक्ष जी के सामने.....

श्री अमराराम (धोद) : यह अध्यक्ष जी की नहीं है। अध्यक्ष जी की या चैम्ब्र की या सेक्रेटरी साहब की मैं नहीं कह रहा।

श्री उपाध्यक्ष: यह कौनसा (व्यवधान) व्यवस्था का विषय है।

श्री अमराराम (धोद) : वह यह है कि गृह विभाग का जो अवांछनीय सदस्य, जो इस सदन का चार बार सदस्य रह जाए, लोकसभा का सदस्य रह जाए और मैं सचिवालय या विधान सभा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से नहीं गृह विभाग क्योंकि जो सूचना मिली है, उन्होंने यह आइडेंटीकार्ड जो विधान सभा के सेक्रेटरी द्वारा जारी है। वह यहां से पेंशन उठाते हैं, लोकसभा से पेंशन उठाते हैं। यह लोकसभा का कार्ड, विधान सभा का कार्ड, उन्होंने जब दोनों दिखा दिये, उन्होंने कहा कि आप प्रवेश पत्र के लिए आज्ञा प्राप्त कीजिए, भरकर भेजा तो इसलिए मना कर दिया गया कि आप हनुमानगढ जिले से, गृह विभाग की तरफ से अवांछनीय सदस्यों की सूची में है। क्या राजस्थान में किसान या गरीब या मजदूर की आवाज उठाना ही, राजस्थान का गृह विभाग अवांछनीय घोषित कर देगा तो मैं समझता हूं कि इस सदन का सबसे बड़ा अपमान होगा। या तो गृह विभाग इस बात को स्पष्ट करें कि किस तरह से, श्योपतसिंह जी इस सदन के चार बार माननीय सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे है। सचिवालय नहीं, गृह विभाग की तरफ से यह सूचना देना और ऐसे माननीय सदस्य को यहां विधान सभा में प्रवेश नहीं करने देना मैं

समझता हूं कि आज हम जो 200 माननीय सदस्य यहां हैं, हो सकता है कि पौने तीन साल, तीन साल बाद चुनाव हो और बहुत से माननीय सदस्य होंगे जो अगली बार नहीं चुनकर आयेगें, उनकी पेंशन का खाता यहां पर बैंक में है, उनकी और सुविधाओं के लिए यहां खाता है, वह रोडवेज का पास लेने के लिए यहां आते हैं और उनको अगर सदन चलते हुए अवांछनीय गृह विभाग कर देगा तो मैं समझता हूं कि अफसोसजनक और इस सदन का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। या तो गृह विभाग बता दें कि कौनसी अवांछनीय कार्यवाहियां श्योपतसिंह जी ने की हैं जिसके कारण उनको अवांछनीय सूची में डाला गया है। कम से कम यह सूचित तो करें गृह विभाग वरना हमारे तमाम माननीय सदस्य जो वर्तमान में हो सकता है सवा तीन साल बाद में उनमें से कोई भूतपूर्व हो जायेगा। और हम अब इस बात को नहीं करें तो मैं आपके माध्यम से इन्फार्मेशन देना चाहता हूं कि इस तरह की कार्यवाही की गयी है वह बहुत ही निन्दनीय है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगर कोई गलतफहमी हो गयी है तो इसको..(व्यवधान).. कोई गलतफहमी हो गयी है तो इसका चेम्बर में हल निकाला जा सकता है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : नहीं गलतफहमी नहीं, साहब वे इसलिये चलकर आये हैं कि गलतफहमी अगर कोई है तो जिन्होंने रोका है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, गलतफहमी किस बात की है, जब आइडेंटी कार्ड विधान सभा के सचिव महोदय द्वारा यही आइडेंटी कार्ड हमें दिया जाता है, कल हमारे लिये हो जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पूरी जानकारी प्राप्त करके, माननीय सदस्य ने जो बात कही, निश्चित तौर पर इस सदन के …(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह आइडेंटी कार्ड ही हमको है, राजेन्द्र जी और इसमें गलतफहमी अगर हमारे हो जाए, कल को गेट पर रोक देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसकी पूरी जानकारी करके, उपाध्यक्ष महोदय, समुचित कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान) पूरी जानकारी करके समुचित कार्यवाही की जाएगी।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खान। बोलिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से,

(श्री जुबेर खान)

जो कल 8 मार्च को राज्य की मुख्य मंत्री और जिनके पास वित्त विभाग का भी प्रभार है, उन्होंने जो बजट 2006’07 के लिये प्रस्तुत किया है, उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट का पुलिन्दा है, जो बजट है, 66 पेज का बजट है, इसमें दो बातें के ऊपर ज्यादा जोर देकर बात कही गयी है। एक तो यह कहा गया है कि यह सरकार जब से आसीन हुई है राजस्थान में तब से बहुत अच्छा कुशल आर्थिक प्रबन्धन, बजट प्रबन्धन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया गया है। और बजट को सरप्लस में लाया गया है। दूसरी बात कल मुख्य मंत्रीजी ने पोस्ट-बजट की प्रेस-कांफ्रेंस में भी कही कि यह बजट सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक योजनाओं के उऊपर थ्रश करने वाला बजट है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बइस बजट में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मैनेजमेंट आप फाइनेंस का बजट नहीं, बल्कि यह मूवमेंट आप फाइनेंस का बजट है। इसमें जो बजट है उसको मूव किया गया है। मूव कैसे किया गया है कि जो भी योजनाएं इस बजट में हैं, ज्यादातर, चाहे नौकरियों में ले लीजिए, चाहे विद्यालयों में ले लीजिए, चाहे मिड-डे मील में ले लीजिए, चाहे सर्वशिक्षा अभियान में ले लीजिए, चाहे अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण योजनाओं में ले लीजिए। आप किसी में भी ले लीजिए, उसमें ज्यादातर अंश केन्द्रीय सरकार का अनुदान है और उस केन्द्रीय सरकार के बजट को अपने बजट में वाह-वाही लूटने के तरीके से जो पेश किया है इसलिये मैं कह रहा हूं कि यह फाइनेंशियल मूवमेंट का बजट है। इसमें अपनी तरह से कुछ नहीं किया गया है। इस बजट में कहा गया, उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है राजस्थान की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग 15673 रुपये के करीब है जबकि देश की अगर हम वार्षिक आय देखें तो 23308 के करीब है इसमें आप देखिये, हम दसवें स्थान पर लुढके पड़े हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के माध्यम से कह दिया कि राजस्थान में बड़ा कुशल आर्थिक प्रबन्धन और बजट का प्रबन्धन हो रहा है। दूसरा मैं एक बात और कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि बजट में कहा गया कि राजस्व आय, रेवेन्यु रिसीप्ट और कर भिन्न राजस्व बढ़ रहा है और राजस्व घाटा कम हो रहा है। बिलकुल आंकड़ों के हिसाब से हो रहा है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व व्यय क्यों नहीं बढ़ रहा है और अनुमानित ऋण की राशि बढ़ रही है। जो व्यय होगा, राजस्व व्यय किया जाएगा और जो ऋण बढ रहा है, इसका वज़न क्या राज्य सरकार और जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा। यह मायाजाल कहकर बच नहीं सकते हैं । मंत्री महोदय, आप चाहे

(श्री जुबेर खान)

कितना ही कह लें कि राजस्व आय बढ़ रही है और राजस्व भिन्न बढ़ रहा है लेकिन यह इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि राज्य के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है और राजस्व व्यय भी बढ़ रहा है। आप देखें, 2005-06 में जो बजट में कर्जा था, 59977 करोड़ के लगभग ऋण था, वह ऋण बढ़कर 31 मार्च, 2006 को अनुमानित ऋण होगा 68 हजार करोड़ के लगभग, राजस्थान की जनता के ऊपर ऋण का भार पड़ेगा । और यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यहां वार्षिक राजस्व आय 14929 करोड़ रुपये है, उसके विरुद्ध में राजस्व व्यय 22061 करोड़ रुपये है। आप लगा लीजिए, लगभग 7-8 हजार करोड़ रुपये का राजस्व आय और राजस्व व्यय में फर्क है। यह कहां से आयेगा, इसका गैप कैसे पाटा जाएगा। यह सारा ऋण लेकर किया जाएगा। आज राज्य की स्थिति क्या है । प्रति वर्ष राजस्थान की जनता को 5317 करोड़ रुपये का ब्याज चुकाना पड़ रहा है, सिर्फ ब्याज। उपाध्यक्ष महोदय, 5319 करोड़ रुपये का ब्याज राजस्थान की जनता को चुकाना पड़ रहा है और राजस्थान की आर्थिक दर 4.7 प्रतिशत से घटकर आज की तारीख में 4 प्रतिशत के स्तर पर आ गयी है। यह इनका कुशल आर्थिक और बजट प्रबन्धन है। जबकि देश की आर्थिक दर, विकास दर 7 प्रतिशत के लगभग है, यह सब लोग जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय। मैं आपसे यह भी निवेदन करुंगा कि इन्होंने कहा कि ऋण तो पूर्व सरकारों ने ज्यादा लिया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो अनुमानित ऋण 2003-04 में 53309 करोड़ के लगभग था वह 2004-05 में 59977 करोड़ के लगभग हो गया। और इस बजट 2005-06 में, जो 31 मार्च, 2006 को समाप्त होगा उसमें 68 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का ऋण हमारे ऊपर पड़ जाएगा। एक निवेदन और करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हर व्यक्ति के ऊपर इस सरकार के कुशल प्रबन्धन की वजह से, मैं कहुंगा अकुशल प्रबन्ध की वजह से 12 हजार रुपये से ऊपर कर्ज प्रत्येक व्यक्ति पर है। चाहे वह एक साल का बच्चा हो, चाहे 90 साल का वृद्ध हो, 12 हजार रुपये के कर्ज से इस प्रदेश का व्यक्ति दबा हुआ है और यही नहीं, यह जो बच्चा इस प्रदेश में पैदा हो रहा है, मुख्य मंत्रीजी ने महिला सशक्तिकरण के नाम से बजट दिया, जो महिला अपना बच्चा पैदा कर रही है, उसके ऊपर 12 हजार रुपये का कर्जा और उस कर्जे के अतिरिक्त 925 रुपये का ब्याज उस बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। आप यह देखिये, जिस प्रदेश में पैदा होते ही बच्चे के ऊपर 12 हजार रुपये का कर्ज और 925 रुपये का ब्याज लदा

(श्री जुबेर खान)

हुआ हो उस राज्य को हम समृद्धशाली और बीमारू श्रेणी से निकलने वाला प्रान्त और कुशल प्रबन्धन नहीं कह सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कर्ज लेने की स्थिति में भी आज राजस्थान देश में छठे नम्बर पर है। 30-35 प्रान्तों में से हमसे ऊपर सिर्फ 5 ही प्रान्त हैं जो हमसे ज्यादा ऋण ले रहे हैं और उनकी पापुलेशन हमसे ज्यादा है । हम छठे स्थान पर हैं, यू.पी., महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात और आन्ध्र-प्रदेश के बाद। आज हम इन प्रान्तों की तुलना करें कि आज इन प्रान्तों में जिस तरह का औद्योगिकीकरण हो रहा है, निवेश हो रहा है, रोजगार के साधन मुहैय्या हो रहे हैं, जिस तरह से विदेशी कम्पनियां आकर पैसा लगा रही हैं उसकी तुलना में राजस्थान में 10 प्रतिशत भी निवेश नहीं हो रहा है। आप इससे तुलना कर लीजिए कि हम कर्ज लेने में इन स्टेट से कम्पीटीशन कर रहे हैं जो हमसे बहुत समृद्धशाली और विकसित हैं और आज हम इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा, इसका सबसे बड़ा जो कारण है, ऋणों का बोझ बढ़ने का, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा गैर योजनागत व्यय अधिक किया जा रहा है और योजनागत तरीके से जो व्यय होना चाहिए जो धन व्यय होना चाहिए, परिसम्पत्तियां बढ़ाने के लिये, सड़क बनाने के लिये, बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये, चिकित्सालय बनाने के लिये, बच्चों के स्कूल बनाने के लिये, छात्रावास बनाने के लिये, कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिये, वहां बजट खर्च नहीं करके बजट खर्च किया जा रहा है अधिकारियों-कर्मचारियों की तनख्वाह के लिये, पेंशन के लिये, मंत्रियों और सबके भत्तों के लिये और मुख्य मंत्री की हवाई यात्राओं के लिये, यह पैसा जो नॉन-प्लांड एक्सपेंडीचर बढ़ता जा रहा है और प्लांड एक्सपेंडीचर कम हो रहा है, यह चिन्ता का विषय है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज हालत यह है कि राज्य के सकल उत्पादन का 55.8 प्रतिशत हम ऋण और उसका ब्याज चुकाने पर दे रहे हैं।

राजस्थान का जो सकल उत्पादन है उसका आधे से ज्यादा, 55.8 परसेंट पैसा, राजस्थान के ऊपर जो कर्ज है और उसका जो ब्याज है, उसके ऊपर हमें देना पड़ रहा है। हमको जो सिर्फ बच रहा है वह 44.2 परसेंट के करीब ही हम और योजनाओं पर खर्च का पा रहे हैं। यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे चलते राजस्थान में योजनागत विकास कैसे होगा क्योंकि जब आप इतना अधिक खर्च गैर योजनागत मदों पर खर्च करेंगे

(श्री जुबेर खान)

और भारतीय जनता पार्टी का तो जब गत वर्षों में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार थी तो प्रमुख मुद्दा ही यह रहता था। आप आज सार्वजनिक निर्माण मंत्री बैठे हैं। जब वे इधर से बोल रहे थे, आप कर्जे में डुबो दोगे, कर्जा लेते जा रहे हो, क्या होगा? इनका प्रमुख मुद्दा ही यह रहता था कि ऋण क्यों लिया जा रहा है ? और आज आओ ऋण दे जाओ और जनता के ऊपर 12 हजार रुपये का आम जनता के ऊपर वजन डालते जाओ, यह इस सरकार की सोच है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता इस बजट में यह सरकार बताती कि कैसे सरकार अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाएगी, इस पर ज्यादा जोर देते कि किस तरह से सरकार आय बढ़ाकर राज्य का विकास करेगी। जनता का भला करेगी इस पर जोर देते। प्रशासनिक, सरकारी तंत्र, हवाई यात्राएं, फिजूलखर्ची को नियंत्रित करते, नोन प्लान एक्सपेंडिचर को नियंत्रित करके प्लान एक्सपेंडिचर को बढ़ाते तो तब हम यह समझते कि यह सरकार का बजट और इस सरकार का प्रबंधन, अर्थव्यवस्था प्रबंधन अच्छा है और नहीं तो यह आकड़े देखकर और यह वास्तविकता देखकर मैं यह कहूंगा कि कोई नहीं है। मात्र यह वाहवाही लेने के अलावा इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी एक बात और कही गयी है। क्या कहा गया? यह सामाजिक, उसके ऊपर है, सामाजिक क्या है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक सेवाओं के लिए, आपने कहा कि 31 हजार अध्यापकों की भर्ती करेंगे। आप यह सारी भर्ती, इसमें अधिकतर पैसा आपको सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से मिलेगा क्योंकि माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में केन्द्र सरकार पैसा नहीं देती। तो आपने उनमें क्यों नहीं कहा कि इतने उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक क्रमोन्नत होंगे, इतने माध्यमिक से उच्च माध्यमिक क्रमोन्नत होंगे । इतने सरकारी राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे, वह तो आप जनभागिता से और निजी सहभागिता से खोलने की बात कर रहे हैं और क्योंकि इसमें आपको केन्द्र सरकार से पैसा आ रहा है तो आप धड़ाधड़ मार रहे हैं, वाहवाही ले रहे हैं कि 31 हजार अध्यापकों की हम नियुक्ति इसमें करेंगे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह इस सरकार का तीसरा बजट है। दो बजट आये इसमें इन्होंने कुल, दोनों बजट को देखें तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने जो नौकरियों की बात की थी, इन्होंने कहा था

(श्री जुबेर खान)

2004-05 में कि 38 हजार टीचर्स की भर्ती करेंगे, वह तो सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्र सरकार की योजना में था। 1119 ए.एन.एम. भर्ती करेंगे, 710 हैडमास्टर और व्याख्याता की भर्ती करेंगे। 29829 का तो आकड़ा यह है और 2005-06 में देखिये कि 7200 टीचर्स, 4000 कांस्टेबल, 456 लेक्चरार, 570 ए.एन.एम., 35810 सहयोगिनियां, यह टोटल दोनों का मिलाकर हो गया 87870, यह सरकार जब जवाब दे तो मैं यह स्पेसिफिक कहना चाहूंगा कि वह सूची सदन के पटल पर रख दे कि राजस्थान में गत दो वर्षों में इन्होंने 87870 कौनसे ऐसे कर्मचारी हैं, जिनको सरकारी नौकरी में भर्ती किया गया है? यह खाली... (व्यवधान) इनसे वाहवाही कराने की आदत है, इनको असत्य कहने कि आदत है, इनको लागू नहीं करते हैं। माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, वे कहते थे, जब पहली बार चार-पांच ही मंत्री बने थे तो बिजली पर इन्होंने एक जवाब दिया था कि 2007 के मार्च तक हम बिजली के लिए आओ और जाओ कर देंगे कि यह घनश्याम तिवाड़ीजी के घर पर जो दरख्वास्त लायेगा बिजली के कनेक्शन की वह लगवाकर ही जाएगा लौटकर। आज 2006, एक साल बीत रहा है, क्या आपको लग रहा है कि यह प्रक्रिया पूरी होने वाली है ? इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है बिजली के ऊपर कि साहब, हम तो 2007 तक आत्मनिर्भर कर देंगे बिजली में । आत्मनिर्भर का मतलब है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं होगी । किसी के मातहत, किसी की तरफ भी देखना नहीं पड़ेगा। न पंजाब की तरफ, न हिमाचल की तरफ, न मध्यप्रदेश की तरफ और न दिल्ली की तरफ, आप स्वयं आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आप भी किसान हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या 2007 तक यह बिजली की व्यवस्था सुधर जाएगी ? आज हालत यह है कि तीन और चार घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने यह बात कही कि आंगनबाड़ियों में हम सहयोगिनियों का, कितनी हजार सहयोगनियों की भर्ती करेंगे? बिलकुल करेंगे। क्योंकि अब आने वाले समय में आप इन आंगनबाडियों को, यह सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत या तो आप प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र बनाएंगे या शिक्षा केन्द्र बनाएंगे। जाल मंत्र चलाएंगे कि केन्द्र सरकार से पैसा ले सकें और उनमें यह भर्ती होगी। क्योंकि वे देंगे सर्व शिक्षा अभियान के, तो आपने कहा कि इन साथिनों की भर्ती करेंगे। आप अपने बजट से कितना पैसा लगाएंगे, यहां पर यह जरूर कह दीजिएगा।

(श्री जुबेर खान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि बी.पी.एल. के लिए कहा है इन्होंने कि 11वीं और 12वीं क्लास में जो बी.पी.एल. और ए.पी.एल. बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम छात्रवृत्ति देंगे। पूरे राजस्थान को क्या देंगे ? डेढ़ करोड़ रुपये का प्रावधान है और इसमें भी केन्द्रीय सरकार की योजना में मेचिंग ग्रांट के आधार पर देंगे। इस पूरे बजट में अगर देखें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक भी घोषणा या प्रावधान ऐसा नहीं है जो अकेले बलबूते पर राजस्थान सरकार का पैसा हो और अगर है तो वह एक और डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं है। यह इनकी हालत है। ...(व्यवधान) वह तो बैठे हैं न मंत्री की लाइन में, वह करेंगे। जो मंत्री बनना चाहते हैं । ...(व्यवधान)

एक बात और कही कि सोशल सैक्टर में वृद्धावस्था पेंशन को 200 रुपये से बढ़ाकर हम 400 रुपये कर देंगे। आप इसमें कौनसा अहसान कर रहे हैं ? यह केन्द्र की योजना है कि जितना पैसा केन्द्र सरकार देगी आपको अगर इस योजना का लाभ लेना है तो आपको उतना ही मेचिंग ग्रांट देना पड़ेगा वरना आपको लाभ नहीं मिलेगा। जब केन्द्र सरकार ने इस बजट में यह कर दिया कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए 200 रुपये केन्द्र सरकार देगी अगर आप यहां के वृद्धावस्था वालों को सहायता करेंगे तो आपको 200 रुपये मिलाने ही पड़ेंगे वरना तो आप उनको दे नहीं सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्य है तो इसमें वाहवाही लूट ली कि हम 200 रुपये से बढ़ाकर 400 कर रहे हैं । इसमें क्या अहसान कर रहे हैं? यह तो आपको देना ही पड़ेगा। एक बात और कही कि पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, बी.पी.एल. और ए.पी.एल. की योजना, इसमें आप कितना सा, आप केवल नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, पन्नाधाय का, आप नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय का और पैसा क्या लगा रहे हैं? सिर्फ थोड़ा सा। आर.एस.एस. को खुश करने के लिए, क्योंकि मुख्य मंत्रीजी जिस गाड़ी में बैठी हैं, उसके अगले पहिये तो है 21वीं सदी के और पिछले दोनों पहिये बैलगाड़ी के हैं। अब उनकी परिस्थिति, जब वह अगले पहियों की सोचती हैं तो हवाई जहाज में घूमती हैं और जब पिछले पहियों के दबाव में आती हैं तो यह एक-एक, डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये की योजनाएं जो केन्द्र से मिल रहा है पैसा, उनमें अपना थोड़ा शेयर डालकर नाम बदल कर कहीं पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, कहीं पर गुरु गोलवालकर योजना, कहीं

(श्री जुबेर खान)

पर दीनदयाल उपाध्याय योजना, यह योजनाएं बनाने का काम यह सरकार कर रही है ।

मानीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़े जोर-शोर से और कही कि महिला विकास अभिकरणों में जिला स्तरीय जो पद थे वे एबेयंस में चले गये थे, उनको पुनर्जीवित करेंगे। आपको पता है क्या था यह ? यह पी.ओ.होती थी, जिला लेवल पर प्रोजेक्ट आफिसर, जो महिलाओं के विकास के लिए योजनाओं को कार्यरत करती थी। चैनलाइज करती थी । डी.आर.डी.ए. में पी.डी., डी.आर.डी.ए., एन.डी.ए. सरकार ने यह योजना खतम कर दी। पी.ओ. बनने डेपुटेशन में बंद हो गये तो अब यह एबेयंस में चली गयी। अब मनमोहन सिंहजी ने घोषणा की कि हम महिलाओं के लिए पायलट प्रोजेक्ट बनाएंगे और उनके तहत योजना बनाएंगे। आपको पायलट प्रोजेक्ट को लागू करना है, योजना बनानी है तो अधिकारी तो चाहिए ही। तो यह जो प्रोजेक्ट आफिसर लगेगी महिला अभिकरणों में, जिला स्तर की, यह आप केन्द्र सरकार के पैसे से लगाएंगे। आपको इसमें कोई लेना-देना नहीं है। एक पैसा आप इस पर खर्च नहीं करेंगे। खाली वाहवाही लूट रहे हैं और गलती भी आपकी एन.डी.ए. सरकार ने की है। आज सरदार मनमोहन सिंह की यू.पी.ए. सरकार इसको लागू कर रही है तो आप यहां से खड़े होकर कहते कि हम लागू कर रहे हैं तो यह कह देते कि जो अटल बिहारीजी की एन.डी.ए. सरकार ने व्यवस्था खतम की थी, मनमोहन सिंहजी ने चालू कर दी, उसको भी हम लोग लागू कर देंगे तो हमको अच्छा लगता ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और आयी कि अनुसूचित जनजाति के बारे में काफी कहा। यह भी मैंने जैसे पहले कहा वही योजनाएं हैं। ट्राइबल सब प्लान के नाम से, बोर्डर डिस्ट्रिक्ट के नाम से, डेजर्ट के नाम से जो पैसा केन्द्र सरकार से मिलता है, उसी की योजनाएं हैं और इसका उदाहरण मैं यह दूंगा कि बाकी जगह तो इन्होंने कहा कि सरकार करेगी क्योंकि केन्द्र सरकार से पैसा आएगा और भरतपुर जो नया सम्भाग बना है, उसमें एस.सी., एस.टी. की बच्चियों के लिए आवासीय विद्यालय कौन बनाएंगा? वो निजी भागीदारी से बनायेंगे क्योंकि वहां केन्द्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, वहां भी बनाते, क्यों नहीं कहा? क्या भरतपुर राजस्थान में नहीं है? क्या वहां की एस.सी;, एस.टी. की बच्चियां राजस्थान की पुत्रियां नहीं हैं ? इससे यह साबित

(श्री जुबेर खान)

होता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह आंकड़ों का मायाजाल है। कुछ इनको अपने पास से करना नहीं क्योंकि करेंगे कहां से, सरकार बनते ही इन्होंने कहा 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी। इन पर 700-750 करोड़ साल का खर्चा बढ़ता, दो साल बढ़ा नहीं । दो साल की 1500 करोड़ के लगभग बचत हो गयी। अब एक बात बताइये वह जितना भी लाखों-करोड़ों रूपया है वह करोड़ रूपये तो, अब दो साल हो गये, रिटायरमेंट होंगे कर्मचारी, उनको देना ही पड़ेगा न। वह कहां से दें, इसलिए इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वह गले पड़ेंगे, इसलिये उनको देने के लिये पैसा इसमें रखा है। इसलिए यह योजनाओं में कहीं खर्च नहीं करना चाहते जहां राज्य सरकार को अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा इस बजट में इन्होंने कहा पेज 36 बिन्दु नम्बर 107 पर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जहां पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रतिदिन चार कि.मी. सड़क बनती थी व एक गांव को सड़क से जोड़ा जाता था, उसकी तुलना में आज हमारी सरकार प्रतिदिन 12 कि.मी. सड़क बनाकर चार गांवों को सड़क से जोड़ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें इनकी क्या नई बात है। पहले यह योजना थी कि एक हजार के गांव जुड़ेंगे तो एक हजार के गांवों की संख्या तो निश्चित रूप से राजस्थान में कम हैं। उसके बाद द्वितीय चरण में आई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कि इसमें 750 से 1000 के गांव जुड़ेंगे, फिर आया कि 500 से 750 के जुड़ेंगे तो 500 और 1000 के बीच में, क्योंकि गांवों की संख्या तो बढ़ी, यह कितनी हो गयी उपाध्यक्ष महोदय ? आज के जो गांव जुड़ने बाकी हैं सिर्फ 171 और गांवों को 500 से 999 तक के जनसंख्या के गांव हैं 2001 की जनगणना के आधार पर, उसमें 4524 गांव जोड़े जाने हैं। जब आप 200 गांवों के लिये सड़क बनाओगे, तब प्रतिदिन कम बनेगी, 4500 के लिये बनाओगे जब ज्यादा बनेगी। यह मायाजाल का चक्कर है। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा सार्वजनिक निर्माण मंत्री से, आप बताइये कि राजस्थान सरकार अपनी आय में से, अपने बजट में से जो राज्य सरकार का बजट है, राजस्थान में कितनी कि.मी. सड़क बनायेगी, यह अपने जवाब में जरूर बता दें।

इन्होंने रिडकोर की बात की। रिडकोर में इनका क्या है? रिडकोर प्राइवेट कम्पनी पांच करोड़ में 1500 करोड़ का काम देकर कोई कम्पनी बनायेगी, कोई ठेकेदार बनायेगा, कोई बिजनैसमैन बनायेगा, वह गलत बात है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : इन्होंने अपने कार्यकाल में बनाई उससे ज्यादा ही बनायेंगे।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्षजी, इनको कहो मुख्य धारा में बहे।

श्री जुबेर खान : रिडकोर का क्या है, यह जो सड़क बनायेंगे, जो उस पर चलेगा उससे सारी राशि वसूल करेंगे टोल-टैक्स के माध्यम से। आज हम जाते हैं देखते हैं तो इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है कि इसमें राज्य सरकार कुछ कर रही है। आप बाहर के लोगों को लाकर ...(व्यवधान)..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : जुबेर भाई, एक मिनट। जो रिडकोर की आप पांच करोड़ की बात कर रहे हो, यह उस कम्पनी को 125 करोड़ रूपये सरकार उधार दे रही है कि आप काम चालू करो, फिर बिल बना देना, फिर काम हो जायेगा। 125 करोड़ रूपये प्राइवेट कम्पनी को उधार और दे रहे हो सरकार की तरफ से, यह कौनसा कायदा-कानून है। मोदीजी की मदद करो फिर तो हम बोल भी नहीं सकते। ललित मोदी की ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद : ललित मोदीजी की कम्पनी है क्या यह?

श्री जुबेर खान : सड़कों के मामले में तो राज्य सरकार अपने बजट के बिलकुल नगण्य राशि का उपयोग नहीं कर रही है। कहीं कृषि उपज मण्डी से बनेगी, कहीं प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनेगी, कहीं अकाल के पेटे बनेगी, कहीं बाढ़ग्रस्त, अतिवृष्टि के पेटे बनेगी, लेकिन राजस्थान की सरकार ने अपनी जेब से एक भी कि.मी. सड़क बनाने का प्रावधान नहीं रखा है। अब यह कृषि के ऊपर देखिये, कृषि प्रधान है, किसानों के लिये क्या किया, किसानों के लिये आप स्वयं पढ़ लीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, कोई प्रावधान रखा है क्या? घोषणा पत्र में, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा कि सरसों की खराबी और अन्य जिन्सों की खराबी के लिये उचित मुआवजा देंगे, किसानों के ऋण माफ करेंगे, बिजली के बिल माफ करेंगे, जमाबंदी माफ करेंगे। मेरा आरोप है इस सरकार पर कि अलवर में पाले से भारी नुकसान हुआ सरसों का। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों अलवर और भरतपुर जिले में होती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी नीमराणा गयी थी किसी कार्यक्रम में, वहां अखबारों में कहकर आईं कि तुरन्त गिरदावरी कराके खराबे की रिपोर्ट भेजी जाये ताकि लोगों को मुआवजा मिले। दुबारा वहां गयीं तब लोगों का डेलीगेशन मिला। आज तक कोई गिरदावरी नहीं हुई है और यह सरकार गिरदावरी कराती है तो कलक्टर और एस.डी.ओ. को पहले ही फोन कर देती है खराबा ज्यादा मत

(श्री जुबेर खान)

दिखाना। आप ऐसा मत करिये कि एक तरफ जनता के रखवाले जनता के भक्षक बनने की कोशिश करेंगे तो यह सरकार जन कल्याणकारी नहीं होगी और गरीब को गणेश मानने वाली सरकार इसको नहीं कहा जा सकता ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा बिजली के बारे में इन्होंने कहा और सत्ता पक्ष के बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं गहलोत साहब के टाइम में तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई परि-सम्पत्ति नहीं बनी, कोई बिजली नहीं, कोई सड़क नहीं बनी। मैं यहां कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि 2007 तक आत्मनिर्भर बनेंगे। आज तक एक भी मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं किया है और जहां गहलोत साहब के समय में 1732 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ था उसकी तुलना में आज कुछ नहीं है। गत सरकार जहां देश में बिजली के सुधार के मामलों में दूसरे और तीसरे नम्बर पर थी आज उनके कार्यकलापों से दसवें नम्बर पर पहुंच गयी बिजली के सुधार कार्यक्रमों में। निगमों में दिन-ब-दिन घाटा बढ़ता जा रहा है और घोषणा पत्र में कहा था, परिवर्तन यात्रा में जब घूमते थे कि बिजली की बढ़ी दरें वापस लेकर तर्कसंगत बनायेंगे। आपके 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल देंगे, 8-10 घण्टे बिजली देंगे। आप यह बताइये आपने कौनसी बिजली बनाई, क्या किया इसमें ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि बिजली के मामले में यह सरकार कुछ नहीं कर पाई है। एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जन-सहभागिता योजना 2005-2006 में इन्होंने शुरू की थी। जन सहभागिता योजना, गुरु गोवलकर योजना और उसमें प्रावधान क्या रखा था सिर्फ दो करोड़ रूपये पूरे राजस्थान के लिये और लोगों ने कुछ रूचि दिखाकर इसमें 30% जन-सहभागिता नकद देकर और लोग अपने सड़क, बिजली, पानी या नाली वगैरह बनवाने का काम करते थे। इस बजट में भी उसको साफ कर दिया है। गुरु गोवलकर की जगह ले ली दीनदयाल उपाध्याय जी ने, तो इसलिये अब यह देखिये, मैं यह पूछना चाहूंगा क्या हुआ इस योजना का, जो आपने गत वर्ष शुरू की थी ? आज इस बजट में इसका नाम क्यों उड़ गया, यह मैं पूछना चाहूंगा।

गौ-वंश की यह पार्टी बड़ी बात करती रहती है। हम भी गौ को माता मानते हैं, गौ की रक्षा करते हैं ज्यादा से ज्यादा, देखिये, जो गौ माता के नाम से राजनीति करते हैं और वोट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने गत

(श्री जुबेर खान)

वर्ष में बजट प्रावधान रखा सिर्फ दो करोड़ रूपये का और उसमें एक आंकड़ा उठाकर देख लीजिये एक करोड़ कुछ रूपये ही अभी खर्च हो पाये हैं। अब कह रहे हैं कि इस बजट में वास्तविक खर्च के अलावा एक करोड़ और बढ़ा देंगे, क्यों भाई? जब गौ को माता मानते हैं और पूजते हैं और ढिंढ़ोरा आप पीटते हो तो इसमें 10-20 करोड़ रूपये रखने में आपको क्या आपत्ति थी? मैं मांग करता हूं इसमें कम से कम 20 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा जाये। अगर अब आप गौ माता के वंश को बचाना चाहते हो और सिर्फ इसके नाम से राजनीति खेलना चाहते हो तब तो भैया आप जो तरीका अपनाते हो, अपनाते रहो। लेकिन यह मंशा ठीक नहीं है, अगर आपके मन में पीड़ा है गौ वंश की, गौ माता की तो इसके ऊपर आपको प्रावधान रखना चाहिये।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा मंत्री) : आप आसन को सम्बोधित करके कहिये।

श्री जुबेर खान : एक बात और कही, बजट के शुरू में मुख्य मंत्रीजी ने कहा गरीब की हृदय की वेदना को पूरी संवेदना के साथ समझना और जिस हद तक हो सके, उसे कम करना ही हमारी पहली और आखिरी जिम्मेदारी है और जहां सत्ता और जनता के बीच में सेतु बनने पर हम गर्व कर सकें। अब आप इनसे पूछिये नि:शक्तजन, इसमें भी कहा है एक-दो जगह, लेकिन आप यह पूछिये जो सरकार सवा दो साल में नि-शक्तजन विभाग का आयुक्त नियुक्त नहीं करने की मंशा रखती हो वह सरकार कैसे नि:शक्तजन के प्रति गंभीर हो सकती है?

मेरा आरोप है कि इस समाज में जो निर्धन लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं उनकी प्रति आपकी कोई सहानुभूति नहीं है अगर सहानुभूति होती तो निशक्तजन विभाग का कमिश्नर नियुक्त कर देते ताकि वह इनकी सेवा के लिए काम करता। आपको तो यू.टी.आई. का चेयरमैन बनाना है, जो मुखर स्वर उठाते हैं उनको चेयरमैन बनाना है, राज्य मंत्री का दर्जा देना है क्योंकि राजनीतिक इच्छा आपकी जनता की और गरीब की सेवा करनी नहीं है, आपको तो सत्ता में कैसे बने रहना है, यही आपकी मंशा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की बात यहां काफी आयी और इन्होंने कहा भी है कि हम को केन्द्र सरकार से 415 करोड़ 60 लाख के एवज में अब 300 करोड़ 73 लाख ही मिल पाये हैं, में आपसे पूछना चाहूंगा कि इनके पास 500

(श्री जुबेर खान)

से ज्यादा करोड़ रुपये अकाल और नैचुरल क्लेमिटी के फंड में पड़े हैं, इन्होंने काम शुरू करवाए एक जनवरी से जबकि गत सरकारें एक अगस्त से काम शुरू करा देती थीं। आज अकाल में इससे भी बढ़कर जो घिनौना काम है, उपाध्यक्ष महोदय, वह यह है कि जहां अकाल से लोग प्रभावित हों, जहां पशुधन को पानी की आवश्यकता हो, लोगों को काम की आवश्यकता हो वहां पर यह टेलीफोन कर के एस.डी.ओ.को, कलक्टर को कहते हैं कि गिरदावरी कम करना, इससे अकाल राहत कार्य नहीं खुलेंगे, तो जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उपाध्यक्ष महोदय। अकाल के प्रति यह सरकार की संवेदनशीलता दर्शाती है, मैं कहता हूं संवेदनहीन है यह सरकार अकाल के प्रति, गांव और दूरदराज के किसानों के प्रति जिस तरह की परिस्थिति अकाल में बनी हुई है, राजनीतिक भेदभाव, पिक एण्ड चूज और लोगों के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहते। अभी आप काम तो करिये, अगले बजट में जब बजट पेश होगा केन्द्र सरकार का आपको खूब पैसा मिलेगा लेकिन पहले खर्च करिये मत, केन्द्र सरकार के मत्थे पड़ जाइये और जहां पहले केन्द्र सरकार दे चुकी है वहां अपनी वाहवाही लूटिये। यह तरीका ठीक नहीं है।

और एक बात और कही कि पहली बार हमने 50 करोड़ रुपये का मैटेरियल कम्पोनेंट रखा है, आपने एम.एल.ए. का पैसा, एम.पीज. का पैसा इसमें डवटेल करा दिया, इसमें आपके बजट से क्या है? हम तो जब मानते जब अपने बजट से आप इसमें मैटेरियल कम्पोनेंट के लिए पैसे देते। आप विधायकों की अनुशंसा के बगैर ही डवटेल कर रहे हैं, इससे बड़े खराब बात क्या हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, हम कहते हैं कि पैसा विधायकों का भी जनता के लिए है, डवटेल की आवश्यकता है करिये लेकिन अपनी वाहवाही तो मत लूटिये, अपने बजट से भी तो इसमें कुछ प्रावधान आपको रखने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : कन्क्लूड करिये।

श्री जुबेर खान : जहां बिजली की छीजत की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, जहां 22 प्रतिशत इनको करनी थी 2007 तक, जो इन्होंने सुधार कार्यक्रम में लागू करने की बात की राजस्थान की सरकार ने कि 2007 तक हम छीजत को 22 प्रतिशत घटा लेंगे, आज स्थिति यह है कि 40 प्रतिशत से अधिक छीजत बिजली में है और घोषणा-पत्र में तो कहा ही था आत्मनिर्भर

(श्री जुबेर खान)

बना देंगे, अब यह कह रहे हैं कि 2011 तक 1500 मेगावाट बिजली बना देंगे। अब माननीय मंत्री महोदय ने एक अख़बार में साक्षात्कार दिया कि, भाई, 2007 तक तो संभव नहीं 2011 तक हम बना देंगे। अब इनसे पूछिये कि 2011 तक की तो इन्होंने कोई पट्टा लिखवा रखा है क्या, यही रहेंगे 2011 तक? ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय, यहां मेरा यह निवेदन है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम से एक योजना आयी कि देश के जिन गांवों में, राजस्व गांवों में, ढाणियों में बिजली नहीं है, विद्युतीकृत नहीं हैं, इस योजना के अन्तर्गत लगवाया जाए। पूरा पैसा केन्द्र सरकार दे रही है, आज हालत यह है कि एक भी गांव को विद्युतीकृत करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जबकि 31 मार्च तक यह कार्य पूरा करना था, आज 9 मार्च हो गया है राजीव

(समय: 14.54 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

गांधी ग्रामीण विद्युत योजना, जिसके अन्दर वह गांव, मजरे, ढाणियां जुडनी थीं जो आज तक विद्युतीकृत नहीं हो पाये, केन्द्र सरकार ने शत-प्रतिशत पैसा दिया है, 31 मार्च तक इस योजना के अन्तर्गत देश के तमाम, राजस्थान के भी तमाम ढाणियां, मजरे और गांवों को विद्युतीकृत करना था, आज तक इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जब अधिकारियों से पूछें तो कहते हैं कि जयपुर के लेवल पर टेण्डर ही फाइनल नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? या तो आपकी आवश्यकता के अनुसार कोई टेण्डर भरने वाला आपकी शर्तें पूरी नहीं कर रहा होगा इसलिए इसको आप तुरन्त करवाएं कि जो पैसा केन्द्र सरकार से आ रहा है, 31 मार्च तक होना था आपने आज तक उसको नहीं करा है।

गृह मंत्रीजी बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय, इस पूरे 66 पेज के बजट में पुलिस विभाग का और कानून व्यवस्था का कहीं नाम नहीं है। जिस बजट में जन-भागिता और निजी भागिता कम से कम 25 बार आयी हो कि निजी भागिता से करेंगे, जन-भागिता से करेंगे उसमें पुलिस प्रशासन का नहीं है, आज यह प्रान्त सीमावर्ती प्रान्त है, पाकिस्तान के साथ बोर्डर लगता है, तस्करी का खतरा रहता है, अपराधियों का, आतंकवादियों का खतरा रहता है और दूसरे प्रान्तों की सीमाएं लगती हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, बिहार

(श्री जुबेर खान)

के साथ लगता है। अध्यक्ष महोदय, कल के अख़बारों में था कि हरियाणा के बदमाश रुके नहीं, पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं, गांव में एक आदमी जख्मी हो गया और एक अपराधी हो गया और उस मद के लिए आप एक पैसे का प्रावधान बजट में नहीं रखें, इससे बड़ा अन्याय कोई हो नहीं सकता। हम यह समझेंगे कि आपने इस प्रान्त की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल को दे दी है जो माननीय सहकारिता मंत्रीजी की देखरेख करेंगे इसलिए आपको आवश्यकता ही नहीं है पैसे की।

गृह मंत्रीजी, आज यह हो सकता है क्या? आपने स्वयं ने कहा है कि हम को आवश्यकता है। आप अलवर भी गये, आपने कहा कि इतने थाने खोलेंगे, इतनी टास्क फोर्स बनायेंगे क्राइम रेट कम करने के लिए, गौ तस्करी रोकने के लिए, बगैर पैसे के कहां से बनायेंगे आप? उदयपुर में कोई संस्था है क्या जो आपको पुलिस फोर्स दे देगी और चौकियां बनवा देगी? यह बहुत गलत किया, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान के अन्दर आज जिस तरह की क्राइम रेट बढती जा रही है उसके अन्दर कानून व्यवस्था के लिए और पुलिस विभाग के लिए एक पैसे का प्रावधान इस सरकार ने इस बजट में नहीं रखा है। 2005-06 में घोषणा करी थी कि राजस्थान के जो डिवीजन हैडक्वार्टर्स हैं, संभागीय मुख्यालयों पर ऐसी सेवा करेंगे कि घर पर बैठ कर के इन्टरनेट से आदमी एफ.आई.आर. दर्ज करा दे। यह बजट भाषण में है 2005-06 के में। अब मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि कौनसे मुख्यालय पर जाकर एफ.आई.आर. करा सकते हैं इन्टरनेट से? कुछ हुआ है क्या? आप घोषणा करिये वो ही जो आप कम्प्लीट कर सकें, आप घोषणा कर देते हैं और उनका अमल करते नहीं और आगे उसका कोई उल्लेख भी नहीं करते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : आप एक बार फिर पढ़ लेना, जयपुर के लिए कहा था और जयपुर में हमने कर दिया। जयपुर के लिए कहा था, उसको हमने पूरा कर दिया और बाकी संभागीय केन्द्रों पर हम आगे करने का प्रयास करेंगे, यह है उसमें।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इन्टरविन कर के पूछना चाहूंगा, शायद जानकारी कम है, राजस्थान का कौन सा पार्ट बिहार से लग गया है? शायद मेरी जानकारी में नहीं हो, आप बतायें कौनसी सीमा बिहार से जुड़ रही है?

श्री जुबेर खान : बिहार का नाम ही नहीं लिया मैंने।

श्री विजय बंसल : आपने लिया है अभी।

श्री जुबेर खान : मैंने कहा पाकिस्तान से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है, पंजाब से लगती है।

श्री जोगाराम पटेल : जोश में बोल गये जोश में।

श्री जुबेर खान: मैंने कहा लोग बाहर से आ रहे हैं, मैंने कहा बाहर से आतंकवादी के रूप में, तस्कर के रूप में लोग यहां आ रहे हैं, आप बाहर को बिहारी समझते हो तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप आसन की ओर मुखातिब होकर बोलें।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, देखिये किसी भी प्रान्त का विकास करने के लिए इन्फ्रास्ट्रैक्चर के ऊपर जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि रोजगार जरनेट नहीं हो सकता और सुविधाएं नहीं हो सकतीं, इन्फ्रास्ट्रैक्चर एक महत्वपूर्ण चीज है।

मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को तो इस बात के लिए कि महिलाओं के लिए इन्होंने कृषि भूमि के पंजीयन के लिए सामान्य से कम रेट पर करी है। इसके लिए तो आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि जब कोई उद्योग लगाने जा रहा है, हमारे यहां ज्यादातर आजकल कहां है इन्फ्रास्ट्रैक्चर, या तो होगा उद्योग के नाम से या संस्थाएं बन रही हैं कोई यूनिवर्सिटी के नाम से, कोई स्कूल के नाम से, कोई एन.जी.ओ. के नाम से या फिर यह हाउसिंग कंस्ट्रैक्शन में आयेंगे, आपको अगर इनको बढ़ावा देना है तो आप इनको थोड़ी बहुत रियायत और छूट क्यों नहीं देते पंजीयन में? इसकी वजह से तो यह हो रहा है कि यह तो बड़े लोग हैं जो डी.एल.सी. की रेट पर अपना पंजीयन करा लेते हैं और गरीब आदमी उस रेट पर करा नहीं सकता, एक तरह से इस आधार पर आप यह पक्षपात कर रहे हैं। गरीब आदमी तो कोई जमीन खरीद ही नहीं पायेगा, यह बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट और बड़े-बड़े ग्रुप्स ही खरीद पायेंगे। आपको अगर यहां उद्योगों को बढ़ावा देना है, इन्फ्रास्ट्रैक्चर लाना है, नये इंस्टीट्यूशंस बनवाने हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज को लाना है तो आपको, मान्यवर, इनके लिए भी कोई न कोई रियायत दिलाने की कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा : एक मिनट, जुबेरजी।

माननीय गृह मंत्रीजी, यह 2004-05 का अभिभाषण है, इसमें आपने कहा है कि जयपुर में हम इन्टरनेट से व्यवस्था करेंगे और 2005-06 में हर संभागीय मुख्यालय का कहा हुआ है। पढ़ लो आप।

श्री अध्यक्ष : अब आप बीच में क्यों बोल रहे हो?

श्री संयम लोढ़ा : हर संभागीय मुख्यालय का कहा हुआ है, पढ़ लो आप।

श्री अध्यक्ष : आवश्यक नहीं है इस समय उनका जवाब देना। आप माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारे माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं तो गृह मंत्रीजी जब उनको करक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री संयम लोढ़ा: वह गलत जानकारी दे रहे हैं तो आपने हमको यह अधिकार दिया हुआ है कि हम इनको भी करक्ट करें।

श्री अध्यक्ष: इस तरह से काम नहीं चलेगा। उनको पहले बोलने दीजिए, इसका जवाब देंगी मुख्य मंत्री, गृह मंत्री नहीं देंगे ..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री दोनों ही गायब हैं। वित्त मंत्री भी नहीं हैं, वित्त राज्य मंत्री भी नहीं हैं।

श्री जुबेर खान: मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार की सोच में ...

श्री अध्यक्ष: आप तो गृह मंत्री की बात करें, गृह मंत्रीजी बैठे हैं ना।

श्री जुबेर खान: इस राजस्थान की सरकार के मस्तिष्क में यहां ....

डा. बुलाकीदास कल्ला: वित्त मंत्री को रहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: रहना चाहिए।

श्री जुबेर खान: इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए लोगों को बुलाना, निवेश करने के लिए लोगों को बुलाना, इनके पास महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा और हीरो हौंडा के अलावा कोई जगह नहीं है इस बजट में अगर आप देखेंगे तो इन दो कम्पनियों के अलावा किसी को फायदा पहुंचाने की बात इन्होंने नहीं की है । या तो यह चाहते हैं कि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा या हीरो हौंडा के मुंजाल साहब ही राजस्थान का बेड़ा पार कर दें तो यह इनका सोच है क्योंकि जब तक आप किसी को सुविधा नहीं, आप देवास तो जा आइये लोगों को बुलाने के लिए सम्मेलन कर लीजिए, बाम्बे जा आइये, अमरीका जा आइये लेकिन उसके लिए सुविधा कुछ मत दीजिए। ऐसे यहां पूंजी का निवेश होना संभव नहीं है। आज क्या हालत है मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया की अलवर में आज वहां सरकारी तौर पर जो जमीन का भाव है उससे आधी कीमत पर री-सेल में जमीन उपलब्ध है

(श्री जुबेर खान)

और आपसे अगर वहां कोई खरीद लेता है तो आप डी.एल.सी रेट लेते हैं जो कभी पीक पर था 1984-85 में एम.आई. एरिया उस आधार पर आप क्या संगति करना चाहते हैं । आप उद्योग लगाने की कोई कार्यवाही करें ताकि लोगों को रोजगार मिले। आप कहते हैं एक लाख लोगों को रोजगार देंगे, आप कहां से देंगे ? आप उद्योग तो बता दीजिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक उद्योग का नाम बता दें कि इस उद्योग की स्थापना हुई है हमारे समय में और इस पर रोजगार मिलेगा, जो आलरेडी उद्योग चल रहे हैं उनकी आप वाहवाही ले रहे हैं ।

एक बात और कही इन्होंने टैक्सटाइल पार्क बनाने की बात कही, यह टैक्सटाइल पार्क में घुमाइये, कहां से आयी यह उपज टैक्सटाइल पार्क की ? यह उपज है केन्द्रीय वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब की जिन्होंने देश में काफी जगह टैक्सटाइल पार्कों की घोषणा की और राजस्थान में भी एक पार्क देने की बात की। वह यह सोचकर कि भीलवाड़ा टैक्सटाइल के मामले में अग्रणी है,राजस्थान में आपको एक टैक्सटाइल पार्क दिया जाए और इसमें सौ प्रतिशत योगदान तो केन्द्र सरकार का ही रहेगा और बाकी रहेगा निजी भागीदारी का, आपने उसको राजनीतिक द्वेष से, भेदभाव से भीलवाड़ा में नहीं रखकर आप उसको अजमेर के पास ले आए। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि सिलोरा किशनगढ़ से अजमेर में ले आए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भीलवाड़ा में लगाते टैक्सटाइल पार्क तो भीलवाड़ा के उद्यमी आते और उसमें पार्टीसिपेट करके इसको लगवाते, आपको पता है अजमेर में कोई नहीं आएगा तो इसकी आड़ में आप बाम्बे से अपने मित्रों को बुलाकर या जो लोग आपकी पार्टी को चंदा देते हैं उनको बुलाकर इस पार्क को देना चाहते हैं। यह पक्षपात है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप भी स्वयं जानती हैं भीलवाड़ा से बड़ी टैक्सटाइल सिटी इस राजस्थान में नहीं है। इस पार्क को जो केन्द्रीय सरकार की पहल पर पार्क डवलप करने की बात है पार्क को भीलवाड़ा में स्थापित करने की बात इस सरकार को कहनी चाहिए।

मैं यहां एक निवेदन और करूं वैट की बात की, आपने वैट लागू कर दिया, आपका अधिकार है, बड़ी अच्छी बात है लेकिन आपने उसमें कहा है कि इसमें जो कमी खामियां होंगी, परेशानियां होंगी इनके लिए हम अभाव अभियोजन समिति बनाएंगे। एक तो राजस्थान में पहले ही अभाव अभियोजन

समिति है जिसके सत्यनारायण गुप्ता अध्यक्ष हैं और आपने वैट को लागू कराने में भी उन्हीं की सेवाएं ली हैं कि इस व्यापारी से जाकर समावेश बैठा कर करो। अब आप अपने हाथ में जो यह रख रहे हैं कि किसको वैट में लाएं, किसको नहीं लाएं, अभाव अभियोजन समिति का अध्यक्ष बनायेंगे वह यह तय करेंगे लोगों से मिलकर, यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कदम है आपका । मेरा आरोप है अध्यक्ष महोदय, कि आप पिक एण्ड चूज करना चाहते हैं कि टैक्स लगायेंगे, वैट में डालेंगे किसी आइटम को फिर खलबली मचेगी वह अध्यक्ष के पास जायेंगे, वह लाइजनिंग करायेंगे, इसको सैटल कराने के लिए यह तरीका राज्य सरकार का नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको बीच में व्यवधान तो नहीं डालना चाहती लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का समय छह घंटे छत्तीस मिनट हैं और अब तक आप 43 मिनट बोल चुके हैं । मुझे कोई आपत्ति नहीं आप और बोलें लेकिन फिर आपके माननीय सदस्यों को ही उनका बोलने का समय नहीं मिलेगा।

श्री जुबेर खान : आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, समाप्त करता हूं, खतम कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा आप बोलें लेकिन मैं आपके नोटिस में ला दूं कि बाकी फिर और लोग...

श्री जुबेर खान : बहुत अच्छा है आपने याद दिला दिया, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं इसको दो तीन मिनट में समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है वहीं मैंने आपको याद दिलाया है कि you have taken 43 minutes.

श्री जुबेर खान : सरप्लस बजट की बात कही। हमने सरप्लस बजट दिया है। आप सरप्लस कह लीजिए, जब आप खर्चा ही नहीं करेंगे, जब आप घर में कुछ बनायेंगे ही नहीं, कुछ खरीदेंगे ही नहीं, घर में चुपचाप बैठे रहेंगे, अच्छा खायेंगे भी नहीं, खाली दाल रोटी खायेंगे तो बचत तो होगी तो आप उसको सरप्लस कह लीजिए। जब आप कहीं स्कूलों पर खर्चा करना नहीं चाहते, आप कहीं सड़कें अपने बजट से बनाना नहीं चाहते, चिकित्सालय अपने पैसे से बनाना नहीं चाहते, किसानों को बिजली का उत्पादन करना नहीं चाहते, अकाल राहत कार्य खोलना नहीं चाहते तो आप कहां करोगे ? तो यह तो बचेगा ही इसको आप सरप्लस बजट कर लीजिए तो आपका सरप्लस बजट है।

(श्री जुबेर खान)

लेकिन मैं यहां एक निवेदन करना चाहूंगा आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट हैं चौबीस हजार करोड़ के लगभग जो नोन प्लान में हैं और आपकी कैपीटल रिसीप्ट हैं 9600 करोड। तो एक तरह से आप चौबीस हजार करोड़ रुपये की तुलना में जो विकास पर खर्चा कर रहे हैं वह 9600 करोड़ रुपये ही कर रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय, सार्वजनिक मंत्री महोदय जरा आप नोट कर लीजिए, जब आप नोन प्लान पर खर्चा करेंगे चौबीस हजार करोड़ और प्लान पर चौबीस हजार की तुलना में अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 9600 करोड़ तो सरप्लस ही रहेगा, जब आप खर्चा ही नहीं कर रहे हो तो वह आपको बचत होगी ही । वह तो आपकी यह मजबूरी है कि जो आपको तनख्वाहें देनी हैं और देने हैं जो खर्च पल गया है वह देना है नोन एक्सपेंडिचर में है तो प्लान एक्सपेंडिचर को काट कर प्रान्त में प्लान्ड तरीके से इन्फ्रास्ट्रक्चर या विकास करने का एक रोक कर आपने यह सरप्लस का प्रावधान रखा है जो बिलकुल गलत है। आज जिस तरह से सरकारें देती हैं पुलिस विभाग को पैसा देते, आप अस्पतालों को देते, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षाओं को देते और अकाल राहत के पेटे देते, किसानों को जिनका नुकसान हुआ उनको मुआवजा देते तो आपका सरप्लस रहता क्या बजट? आप सरप्लस का ढिंढोरा किसान का गला काटकर, गरीब का गला काटकर कर रहे हैं , आप इसको सरप्लस कह लीजिए कि यह सरप्लस है लेकिन लोगों को मारकर आपने क्यों वह कम की? आप के मुख्य मंत्रीजी ने 250 घंटों की हवाई यात्राएं की हैं 200 से अधिक हवाई यात्राएं की हैं सरकारी विमान से जो राजकीय विमान है और अकेले 2005 में चार्टेड प्लेन से तीस लाख से ऊपर की हवाई यात्राएं की हैं । आपको उसमें कमी करनी चाहिए थी, आपको प्लान्ड योजनाओं में, योजनागत तरीके से काटकर यह नहीं करना चाहिए था और मैं यह निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुख्य मंत्री ने शेरो शायरी काफी की थी।

श्री नंदलाल बंशीवाल : गहलोतजी ने कितनी की थी यह और बता दो जुबेर खानजी?

श्री जुबेर खान : वह तो आप एम.एल.ए थे आप बता देना, मैं तो था नहीं यहां।

श्री नंदलाल बंशीवाल : नहीं, मैं तो बता ही दूंगा 200 घंटे का दर्द हो रहा है और 900 घंटे अशोक जी के..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उन्होंने अकाल राहत कार्यो का निरीक्षण करने के लिए पांच साल में कीं, अकाल राहत कार्यों के निरीक्षण के लिए कीं... (व्यवधान) शहीद हुए उनके परिवारों को ...

श्री विजय बंसल : पूरे पांच साल ....

श्री जुबेर खान : सांत्वना देने के लिए की, कारगिल में जो शहीद हुए उनकी अंत्येष्टि में सम्मिलित होने के लिए की।

श्री जोगाराम पटेल : अकाल राहत कार्यो का निरीक्षण हवाई जहाज से?

श्री जुबेर खान : ग्वालियर जाने के लिए, गुना जाने के लिए, बम्बई जाने के लिए, देहरादून जाने के लिए की यह मेरा आरोप है।

श्री जोगाराम पटेल : अकाल राहत कार्यो का निरीक्षण हवाई जहाज से नहीं होता है।

श्री अमराराम चौधरी : जब आपके मेहमान पाकिस्तान से आ रहे थे और वहां पर अगर वसुन्धराजी गयी हैं तो उसमें बुरी बात क्या है, आप मुनाबाव का उदाहरण ले रहे हो, दोनों के हृदय को जोड़ा है, आपको पता होना चाहिए, आपने नहीं जोड़ा।

श्री जुबेर खान : आप इसको माननीय सदस्य छोड़िए वरना और पोलपट्टी, खुल जाएगी, बैठ जाइये।

श्री श्रवण कुमार : आप एक तरफ तो कहते हो आप लोग बोलते हो यह क्या हो रहा है, हमारे जुबेर जी बोल रहे हैं तो खड़े होने की जरूरत कहां पड़ गयी बीच में ?

श्री नंदलाल बंशीवाल : इक्कीसवीं सदी में बैलगाड़ी में जाओगे क्या ?

श्री श्रवण कुमार : आप जवाब किसको दे रहे हो?

श्री नंदलाल बंशीवाल : इक्कीसवीं सदीं में क्या बैलगाड़ी में घूमोगे कि हवाई जहाज में घूमोगे?

श्री जुबेर खान : जब सरकार अपना जवाब दे तो वह यह बात कह दें मैंने अपनी बात कह दी कि वर्तमान मुख्य मंत्री ने हवाई जहाज से यात्राएं कीं हैं। बम्बई जाने के लिए, आर.एस.एस के हैडक्वार्टर नागपुर जाने के लिए, अपनी निजी यात्रा से देहरादून जाने के लिए, अपने पीहर ग्वालियर जाने के लिए, गुना जाने के लिए और हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने यह यात्राएं

(श्री जुबेर खान)

कीं थी कारगिल के शहीदों की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, अकाल राहत कार्यों की देख-रेख के लिए...(व्यवधान) अगर इसका सरकार जवाब दे देती है इसमें इनको किस बात की पीड़ा है ?

श्री जालम सिंह रावलोत : आपके मुख्य मंत्री ने पांच साल में 900 बार कीं हैं और सोनिया गांधी से मिलने के लिए कीं हैं और राजस्थान प्रदेश का सत्यानाश आपके मुख्य मंत्रीजी ने किया है ।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : जुबेरजी, पांच साल में 900 किये हैं और सोनिया गांधी से मिलने के लिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुख्य मंत्रीजी को पूरा इस बात का अवसर मिलेगा। वह जवाब देंगी, सब बतायेंगी वह कौन, कहां, कितने पैसे खर्च करके गया, नहीं गया। आप क्यों बीच में बोल रहे हो? जवाब देंगी वह.. (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : गहलोत साहब बम्बई जाया करते थे अपने पानी के जहाज को संभालने के लिये बारम्बार। खुद के निजी काम से बम्बई जाया करते थे अशोकजी गहलोत।

डा. जालम सिंह रावलोत: अशोक गहलोत ने अपने नाम से... (व्यवधान) अब वह लक्ष्मणसिंह गहलोत कौन थे ? महापुरूष थे? बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत के नाम से करोड़ों रुपये का जोधपुर शहर में नाश हुआ है। करोड़ों रुपये का एक जादूगर के नाम से, कौन से महापुरूष थे बताइये माननीय सदस्य ? हां, अशोक गहलोत के नाम से कहीं...(व्यवधान) जोधपुर में बनाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। उन्हें बोलने दें। व्यवधान न डालें।

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्य जब अपनी बात रखें, पूछ लें। मैं तो ऐसी कोई, मैंने ऐसा कोई असंसदीय या कोई आरोप, या कोई गलत बात रखी है, मैंने कोई तथ्य हैं उसके आधार पर मैंने बात कही है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह जनता ने पूछ लिया है, वह क्या बतायेंगे ? आप बीच में नहीं टोकें, बोल लेने दो। जब मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगी...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। हमारे अच्छे बोलने वालों के समय में व्यवधान हो रहा है..(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत : आप बोलना, जैसे आपके प्रतिपक्ष के नेता...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी शेरोशायरी की थी, मैं कहना चाहूंगा हवाई यात्राओं के ऊपर – तुम आसमां की बुलंदी से लौट आना, अध्यक्ष महोदय, आसमां की बुलंदी से जल्दी लौट आना, हमें जमीं के मसाइल पर बात करनी है, हमें राजस्थान की जनता के दुःख दर्द की बात करनी है। इसलिये हवाई जहाज छोड़कर सड़क से चलिये और जनता के जहां अकाल राहत के काम चल रहे हैं, जहां अस्पतालों में सुविधा नहीं है, जहां स्कूलों में, वहां के दौरे करिये, यह कहना चाहूंगा मैं।

श्री अध्यक्ष : शांत रहें। शांत रहें।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात रखी थी कि मुख्य मंत्री आवास पर, सचिवालय पर फिजूलखर्ची की जा रही है। चूंकि पहले भी यहां मोहनलाल सुखाड़िया जैसे मुख्य मंत्री ने भी 17 साल बैठकर राज चलाया है। हरिदेव जोशीजी ने दो-तीन बार चलाया है। भैरोंसिंहजी ने तीन बार चलाया है तो इन दफ्तरों में जो करोड़ों रुपयों की फिजूलखर्ची की गयी है उनके ऊपर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह आज स्थिति है। सरकार की योजना है कि विधवा महिलाओं की बच्चियों की शादी के लिये सरकार योगदान देती है दस हजार रुपये का, आज स्थिति यह है कि सतरह सौ महिलाओं के आवेदन लम्बित हैं, पड़ें हैं और उनको मदद नहीं मिल रही है। शादियां बेचारी कैसे कर पा रही हैं, एक तरफ तो यह स्थिति है और दूसरी तरु अनाप शनाप पैसा आवासों पर, कार्यालयों पर, जोधपुर हाउस दिल्ली में खर्चा किया जा रहा है। यह सरासर राजस्थान की जनता के साथ अन्याय है। इस पर निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत: बढ़ाकर चार सौ रुपये कर दिये सरकार ने, कल बजट में नहीं सुना था क्या ?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एम.एल.ए. को हाइटैक एम.एल.ए. बनाया है ना, मुख्य मंत्रीजी ने ? हाइटैक एम.एल.ए. बने कि नहीं बने ?

डा. जालम सिंह रावलोत : पांच साल पहले क्या हुआ था ? पांच साल में एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं है वहां। पांच साल में एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं होना, एक लाख अध्यापकों की नियुक्ति की है हमने।

श्री महीपाल यादव : ऐसा है ज्यादा चिन्ता की जरूरत नहीं है। यहां नेकर वाले बैठे हैं, यह इंतजाम हो रहा है। नेकर वाले बचे हैं बस, कोई बचेगा नहीं। उलटा उछल रहे हो। यह पेट में जो मरोड़ हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, हमेशा आप इर्रेलेवेंट बाते करते हैं। स्थान ग्रहण करें।

श्री महीपाल यादव : यह व्यवधान कर रहे हैं, आप बोलते नहीं हैं इसलिये हमेशा खड़ा होना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : आप लोगों की...(व्यवधान) इर्रेलेवेंट बात कहेंगे तो आसन नहीं सुनेगा...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : अध्यक्ष महोदय, इनको, अपनी गरिमा में रहकर ही बोलें, ऐसा सुझाव दें वरना ऐसे आरोप लगाने से पहले सोच लें। हम जवाब देने के लिये तैयार हैं, अपने आप सोच लें। हमारे ऐसे विश्व हिन्दू परिषद्...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बंशीलाल खटीक : ×××

श्री महीपाल यादव : ×××

श्री अध्यक्ष : खोपड़े में सबके आनी चाहिये यह बात। इनके ही नहीं सबके आनी चाहिये खोपड़े में।

श्री जुबेर खान : घर ऐसा गुलशनमय बनाना चाहिये, अध्यक्ष महोदय, घर ऐसा गुलशनमय बनाना चाहिये जिसका उजाला गैर के घर में भी जाना चाहिये, सिर्फ मुख्य मंत्री आवास और कार्यालय पर ही नहीं जाना चाहिये। मैं एक निवेदन और करूंगा क्योंकि आपने आज सीमा, हमारे नेता महोदय भी कह रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : तो आप ही बनाकर लाये हैं क्या ? रचयिता आप ही हैं क्या इसके ? रचयिता आप ही हैं क्या इस शेर के ? इस शेर के रचयिता आप ही हैं ?

डा. जालम सिंह रावलोत: अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां राजीव गांधी पाठशालाएं हैं इस वजह से बिना भवन के चल रही हैं, क्यों नहीं किया उस समय निर्माण ? दो हजार पाठशालाओं का निर्माण यह सरकार कर रही है। खोले आपने, कम हम रहे हैं। हम कर रहे हैं जो आपने नहीं किया।

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में यह बात कहलवायी गयी थी 28 तारीख को। ग्रामीण क्षेत्र कृषि कस्टोडियन भूमि पर वर्षों से काश्त कर रहे हैं किसानों को निश्चित राशि देकर नियमानुसार खातेदारी अधिकार देने का निर्णय लिया गया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा यह कस्टोडियन भूमि वह भूमि है जिन पर 30-35-40 साल से यहां पर कब्जा..

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से क्या पूछना चाहेंगे, उनसे पूछिये ना।

श्री जुबेर खान: आपके माध्यम से।

श्री अध्यक्ष: आपने कहा, आपसे पूछना चाहूंगा। अब मेरे से क्यों पूछ रहे हो ?

श्री जुबेर खान: आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा। माननीय गृह मंत्रीजी, आप ही सबसे वरिष्ठ मंत्री यहां बैठे हो कि यह कस्टोडियन भूमि के ऊपर लोगों का 30-35-40-50 साल से कब्जा है। लोगों ने मकान बनाये हुये हैं, लोगों ने कुए खोदे हुए हैं, लोगों ने कनेक्शन लिये हुए हैं, आज उस जमीन में जो बारह सौ रुपये बीघा की दर से नियमन होता था, आज आपने उसका डी.एल.सी. का आधा 50 परसेंट रेट कर दिया और एस.टी., एस.सी. के लिये 25 परसेंट कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप किसान की बेटी हैं, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा जो किसान जिस जमीन को चालीस साल से बो रहा है, जोत रहा हो, उसका मकान बना हुआ है, वह अपनी जान दे देगा, अपना खून दे देगा, उस जमीन से कब्जा नहीं छोड़ेगा और आप उसको डराने के लिये एक नया तंत्र ले आये हो कि सरकारी जमीन जो खातेदारी में नहीं है उसको जे.डी.ए. के माध्यम से, यू.आई.टी. के माध्यम से अपने नाम करने जा रहे हैं। यह किसानों के लिये सरासर अन्याय है। आप इसको तर्कसंगत करिये कि जो किसान का कब्जा है उस जमीन पर, वर्षों से जमीन पर वह काश्त कार्य कर रहा है, कोई विवाद उसमें नहीं है उसको आप नोमिनल जो रेट थी आपकी बारह सौ रुपये बीघा में नियमन कराइये तब तो आपको मानेंगे कि आप संवेदनशील हैं। वरना आप भाषणों में ही संवेदनशील होंगे, कार्य करने में संवेदनहीन कहलायेंगे।

एक और बात कही इस बजट में कि जे.डी.ए. ने 55363 विहंग भूमि की तलाश करके लैंड बैंक बनाया है। तो क्या दूरबीन लेकर गये थे जे.डी.ए. के कमिश्नर ? यह पहले तो गांव वालों को, सरपंचों को, ग्राम पंचायतों को, जिला परिषदों को, जन प्रतिनिधियों को तो पता ही नहीं था, यह जमीन कहां थी ?

(श्री जुबेर खान)

यह जमीन गोचर की थी। यह जमीन गोशालाओं के लिये थी। सिवायचक वगैरह जो सार्वजनिक उपयोग के लिये ली जाने वाली जमीन को आपने जबरदस्ती ग्राम पंचायतों से, किसानों से, मवेशियों से अधिकार छीनकर जो जे.डी.ए. का लैंड बैंक बनाया है, इसको आप कह रहे हो कि आप तलाश करके लाये हैं, कहीं दूसरे प्रान्त से तलाश करके लाये हो क्या इस जमीन को ? यह सरासर अन्याय है। वहां ग्रामीणों में जो गांव बढ़ेंगे, आपने चारों तरफ तो कालोनियां कटवा दीं, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा को खरीदवा दी। दूसरी और वाटिका को खरीदवा दी। यह किसान अपने पशुओं को कहां लेकर जायेंगे ? यह कालोनियों में घुसने नहीं देंगे। आप मेहरबानी करके गोचर की जमीन को मत छेड़िये। गोचर की जमीन को पशुधन के लिये रहने दीजिये। मैं तो कहता हूं बल्कि उसकी तारबंदी कराइये ताकि उस पर अतिक्रमण नहीं हो।

दूसरी बात, मुख्य मंत्रीजी कामां गयी थीं पब्लिक मीटिंग अटेंड करने। यह सितम्बर, अक्टूबर की बात है। वहां घोषणा की थी मेवात विकास बोर्ड का पैसा बढ़ाकर दुगुना करने की मैं घोषणा करती हूं। यानि की दो करोड़ से चार करोड़ हुए। शुरूआत हुई तो अधिकारियों ने लिया कि आपने घोषणा की है, यह थोड़ी की है कब से करें ? तो टरका दिया नये 2006-07 में और अब बजट में क्या प्रावधान रखा कि ढाई करोड़ रुपये की लागत से बच्चियों के आवासीय योजना, विद्यालय बनायेंगे। इसका तो मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं क्योंकि मेवात में छात्राओं की, महिला शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है। इस पहल के लिये तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन पब्लिक मीटिंग में जो बात मुख्य मंत्रीजी ने अपने मुख से कही है उस पर अमल होना चाहिये, उसको पूरा करना चाहिये, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

एन.सी.आर. की एक बीमारी हमारे अलवर में है। नेशनल केपिटल रीजन, अलवर जिला पूरा इसमें है। अब आप तो कहते हैं हम विकेन्द्रीयकरण, एन.सी.आर. का जो डिप्टी टाउन प्लानिंग का आफिस है उसको अधिकारियों के कहने से जयपुर में लेकर आ रहे हैं। अब आप ताज्जुब करेंगे कि अलवर जिले की तहसील तिजारा, बहरोड़, रामगढ़, कठूमर, गोविन्दगढ़ का आदमी अपना आवेदन दर्ज, इसमें ही रहे और आदमी को रहने के लिये भी घर बनाना है, कुछ भी बनाना है तो एन.सी.आर. से एन.ओ.सी. लेनी पड़ेगी। अब वह बेचारा किसान, गरीब आदमी जयपुर लेकर दरख्वास्त आयेगा कि एन.सी.आर. वालों के यह उलटा काम कि गरीब आदमी और किसान जयपुर आये और इनका

(श्री जुबेर खान)

एक-दो अधिकारी जयपुर जाकर बैठने को तैयार नहीं है। भवन बना पड़ा है। सारी व्यवस्था है। सारा स्टाफ है। बजट है लेकिन आप वहां नहीं कर रहे हैं, इससे बड़ा अन्याय आप क्या कर सकते हैं ? इसको रोकिये और मैं अंत में निवेदन करूंगा कि ...

श्री अध्यक्ष : 3.21 पर आपको पूरा एक घंटा हो जायेगा।

श्री जुबेर खान : मैं कहना चाहूंगा कि आप यह संख्या पर घमण्ड मत करिये कि ऐसे ही हमेशा इतनी ही सीट मिलती रहेंगी।

इसमें अर्ज किया है आपके मुख्यमंत्री के भाषण के तरीके से और राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों के तरीके से अहम की बू आती है और हमारे राज चलाने वालों में अहम नहीं होना चाहिए । मैं कहना चाहूंगा,

ओजोपस्ति से मुकामात बदल सकते हैं,

देखते-देखते हालात बदल सकते हैं,

लोग तो वही रहते हैं लेकिन ख्यालात बदल सकते हैं ।

जहां 1984 में 25 की 25 लोकसभा सीटें कांग्रेस को और 1989 में जनता दल, बीजेपी को और इस ज्यादा संख्या पर घमंड मत करो ऐ सरकार में बैठे हुए लोगों। अगली बार 120 से सिर्फ 20 भी रह सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, यह जो बजट प्रस्तुत किया है यह केन्द्र सरकार के पैसे से यह मायाजाल घुमाया गया है, सरप्लस के नाम से जो किसानों के लिए खर्च करना चाहिए था, बिजली के लिए, पानी के लिए, पेयजल योजना के लिए, सिंचाई योजनाओं के लिए इनके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है । इस नाते मैं इस बजट का विरोध करता हूं और मैं अपनी बात कहकर आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। धन्यवाद, जय हिन्द ।

श्री अध्यक्ष : पूरा एक घंटा लिया आपने । श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो-सवा दो साल से जब भी कोई बात आती है तो इस तरफ के, प्रतिपक्ष के लोग कहते हैं कि यह तो केन्द्र सरकार का पैसा है, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि अभी रामगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने पूरे बजट को केन्द्र सरकार का बजट बना दिया । हम फेडरल स्ट्रैक्टचर में जी रहे हैं । गर्वनमैंट

(श्री विष्णु मोदी)

ऑफ इंडिया यूनियन गवर्नमैंट कहलाती है । हर स्टेट का उसमें हिस्सा है, जायज हिस्सा है । आपकी पिछली सरकार अकाल में जूझ रही थी तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लाखों टन गेहूं नहीं दिया । मैं फिर कहना चाहूंगा कि भारत सरकार से जो मिल रहा है वह हमारे हक, हुकूकात का है वह कोई खैरात नहीं है या हमारे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं है, अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया है वह एक इच्छाशक्ति से किया है और इस बजट के माध्यम से ही आने वाले समय में राजस्थान एक विकसित राजस्थान होगा, राजस्थान एक प्रगतिशील राजस्थान होगा और जब उस प्रगतिशील राजस्थान और विकसित राजस्थान में कुछ लोग शोध करेंगे, जब उस पर रिसर्च करेंगे तो इस डाक्यूमेंट का एक-एक शब्द, वाक्य अक्षरश: सही साबित होगा । माननीय मुख्य मंत्रीजी की कल्पना है और उसमें प्रतिबद्वता भी है जब वह पार्टी की अध्यक्ष बनी तो उन्होंने परिवर्तन यात्रा की और इस यात्रा से वह उस आदमी से रूबरू हुई, गांव, ढाणी, मजरे की क्या-क्या समस्याएं हैं उनको उन्होंने अपनी आँख से देखा । मुझे भी सौभाग्य मिला था उनके साथ परिवर्तन यात्रा में कई जगह जाने का । वह ऐसी-ऐसी जगह ठहरी जहां बिजली का अभाव था, स्वच्छ पानी का अभाव था और उसी के कारण उनसे राजस्थान की जनता का संवाद बना और वही एक कारण था कि आप लोग अहम में थे राजस्थान में कि हमारी सरकार वापिस बन रही है और तो और चार दिसम्बर तक जिस दिन नतीजे आने वाले था उस दिन भी दिल्ली से लोगों को बुलाया था कि हमारी सरकार बनेगी । लेकिन नतीजा क्या हुआ । पहली बार राजस्थान के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी को 120 सीटों का बहुमत मिला और कुछ सीटें तो उस वक्त आपसी खींचतान में हो गयी, नहीं तो यह आंकडे 150 भी आ जाते ।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार का यह तीसरा बजट है । 120 सीटें ही नहीं आयीं बल्कि उसके बाद में निरंतर जितने चुनाव हुए हैं, लोक सभा के चुनावों में क्या हुआ, कितनी सीटें जीती, फिर पंचायतों में क्या हुआ, नगरपालिकाओं में क्या हुआ (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : कुल 17 हैं ।

श्री हेमाराम चौधरी : आपको तो करना पड़ेगा ।

श्री विष्णु मोदी : मुझे तो क्या करना पड़ेगा । मैं खुद सक्षम हूं करने के लिए और आपकी सलाह के लिए धन्यवाद ।

श्री हेमाराम चौधरी : आप सक्षम हो इसलिए तो कह रहा हूं ।

श्री विष्णु मोदी: अभी आपने जन आंदोलन छेड़ने की बात की । तब मुख्य मंत्रीजी ने भी जन सम्पर्क यात्रा शुरू की । क्या नतीजा था, कितने लोग थे आपकी मीटिंगों में और क्या नजारा था ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : हाड़ौती में तो कहीं आंदोलन ही नहीं चल पाया इनका ।

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये, बोलने दीजिये ।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो यह बजट पेश किया है । अभी कह रहे थे माननीय रामगढ़ से आने वाले विधायक कि उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन पर जोर दिया है । भारत सरकार का चाहे उसमें जयपुर अजमेर किशनगढ़ जो रोड बना है वह पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से ही बना है । जो अभी आगरा से चार लाइनिंग हाइवे है वह भी पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से ही है और अभी किशनगढ़ से ब्यावर तक भी 4 लाइनिंग की घोषणा हुई है वह भी पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से ही है । जयपुर-रींगस और जयपुर-टौंक यह 4 लाइनिंग स्वीकृत हुआ है । अध्यक्ष महोदय, आपने तो स्वयं ने देखा भी है, आपने कई वित्त मंत्रियों के भाषण पढ़ें होंगे, सुने हैं । जिस प्रतिबद्वता से पिछले तीन बजट मुख्य मंत्रीजी ने पेश किये हैं जिससे राजस्थान में कायापलट हुई है । इसको आप बता रहे हैं कि इसमें आपसे पास से पैसे कहां से आये । पैसे आये तभी तो सरप्लस बजट हुआ और पैसे तो आगे भी आयेंगे । अभी वैट लागू किया है । पहले साल में इससे भले ही कमी आये लेकिन वैट से भी ज्यादा पैसा आयेगा और पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के बगैर कोई गाड़ी आगे चलने वाली नहीं है । यह तो मनमोहन सिंहजी ने और चिदम्बरम साहब ने ही बता रखा है और इस बजट में तो मैंने यही महसूस कि है कि सर्वांगीण विकास में, मैंने मुख्य मंत्रीजी यह बजट भाषण कल सुना और उसके बाद में जब मैंने इसको चार-पाँच बार पढ़ा तो उसमें एक ऐसे राजनेता की झलक थी, एक ऐसी अभिव्यक्ति थी कि वह समाज के सारे वर्गों को इसमें नौकरी की बात कहीं, इसमें किसानों के हितों की बात कही और पूछ रहे थे रामगढ़ से आने वाले माननीय विधायक की आबियाना किसने माफ किया, पुरानी नहरों की मरम्मत की कौन बात कर रहा

(श्री विष्णु मोदी)

है, इंदिरा गांधी कैनाल के सुदृढ़ीकरण की कौन बात कर रहा है । आपके तो अगर चश्मा ही दूसरा लग गया तो आपकी कुछ नहीं समझ में आयेगा ।

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्य, मेरे तो चश्मा एक ही लगा हुआ है शुरू से और आपके जरूर दूसरा लग गया है ।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें ।

श्री विष्णु मोदी : सिंचाई सुविधाएं । इस सरकार का दो साल का रिकार्ड रहा है बल्कि अभी भारत सरकार ने तो राजस्थान सरकार को खैरात देने की बजाय अडंगा डालने की बात कर रखी है । पहले उन्होंने इलेवन्थ फाइनेन्स कमीशन की कही कि हम मार्च तक जो प्रमाण-पत्र आ जायेंगे उनको इन लोगों ने अब नहीं माना। जब हमने एफआरबीएम लागू कर दिया, बजट शुरू कर दिया, जो हमें इसमें रियायत मिलनी थी वह पूरी नहीं दी तो भारत सरकार कोई खैरात नहीं बांट रही है । हम हमारे हक-हुकूकात की ले रहे हैं और राजस्थान के विकास में मुख्य मंत्रीजी जितनी कोशिश कर रही हैं, सबको साथ लेकर, मैंने कभी नहीं सुना किसी वित्त मंत्री के भाषण में कि यूनिवर्सिटी के कैम्पस में अपोइंटमेंट होंगे । आज उन्हीं की कल्पना है कि यूनिवर्सिटी के कैम्पस में अपोइंटमेंट हों । आज वह युवाओं की बात कर रही हैं, स्टेडियम की बात कर रही हैं । आज यूनिवर्सिटी के अंदर पुरातत्व का विषय शुरू हो उसकी बात कर रही है । आप उनकी सोच के साथ में तालमेल से उस दिशा में कदम रखेंगे तो आपको इस बजट की सार्थकता महसूस होगी अन्यथा तो आप इस तरह जो कहते आये हैं वही कहेंगे ।

पूरे पांच साल में पूर्ववर्ती सरकार ने खजाना खाली है, खजाना खाली है, नौकरियों पर पाबंदी बल्कि पद समाप्त और अभी पैसे की बात की तो कहने लगे कि यह तो भारत सरकार की स्कीम है ।

मुख्य मंत्रीजी की मानसिकता, मंशा, उनका इरादा, उनकी प्रतिबद्धता यह है कि राजस्थान का पूरा विकास हो और उसमें सभी जाति का, सभी समुदाय का, विद्यार्थी का, किसान का, उद्योगपति का, सभी का विकास हो। चूज एण्ड पिक तो आप लोग करते आए हैं। मुख्य मंत्रीजी ने तो कभी पिक एण्ड चूज किया नहीं। पिछले पांच साल में नौकरी भी दी तो काण्ट्रेक्ट पर, डाक्टर 2 हजार रुपए महीना, टीचर 12 सौ रुपए महीना, नर्स 5 सौ रुपए महीना और आज राजस्थान सरकार ने जो नौकरी दी है वह आर पी एस सी के माध्यम से दी है, इन्टरव्यू करके दी है और पक्की नौकरी दी है।

(श्री विष्णु मोदी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारें तो पहले भी थी, किसी ने एक विधवा को नौकरी दी? किसी एक परित्यक्ता को नौकरी दी? क्यों नहीं सोचा आपने? महिला सशक्तिकरण के लिए तो मुख्य मंत्रीजी इतनी बधाई की पात्र हैं। मैं अजमेर को- आपरेटिव बैंक में गया, महिला समूहों को जो 100 करोड़ रुपए की लोनिंग हुई है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खुद गया हूं और तीन-चार फंक्शन्स में गया हूं और इस बजट में उन्होंने दो लाख करने की बात कही है। यह तो एक आन्दोलन का रूप ले रहा है, दो लाख रजिस्ट्रियां हो गई, महिलाओं को हक मिल गया उससे सशक्तिकरण नहीं हुआ? विधवाओं को नौकरी मिली उससे सशक्तिकरण नहीं हुआ? परित्यक्ताओं को नौकरी मिली उससे सशक्तिकरण नहीं हुआ?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : शिक्षा का एक रूप दे दिया, प्राइमरी और मिडल तक को, सैकण्डरी में हैड मास्टर्स के पद खाली पड़े हैं, सब्जैक्ट टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। अब यह बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर बार बीच में बोलना आवश्यक नहीं होता है।

श्री विष्णु मोदी : जब आपका मौका आए तो आप भी बोल देना। मैं तो यह कहना ही नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि हम यह कर रहे हैं और हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा कमिटमेण्ट है कि हम इस राजस्थान का सर्वांगीण विकास करें, इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाए, इसको प्रगतिशील राजस्थान बनाएं ।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में व्यवधान डालने वालों की बात का जवाब न दें। आप अपना भाषण जारी रखें। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी एक मुख्य मंत्री ही नहीं हैं, एक मास लीडर भी हैं और मास लीडर के साथ-साथ उनमें विभागों की पूरी समझ है, प्रशासनिक काम काज के नियमों और प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी है, निर्णय लेने की क्षमता है, नौकरशाहों से सतत सम्पर्क है, इण्टरएक्शन है, कम्पलीट... (व्यवधान)... और सबसे बड़ी बात वर्किंग कल्चर की। जब मैं पहले हाउस में था तब भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे तो मैंने कहा था कि आप तो और कुछ करें या न करें एक वर्किंग कल्चर ला दें तो मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले सवा दो साल में मुख्य मंत्रीजी ने एक वर्किंग

कल्चर लाने की जो बात की है और जल्दी ही उसके अच्छे नतीजे आएंगे। कुशल वित्तीय प्रबन्धन तो है ही है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। भारत सरकार ने माना है, योजना आयोग ने माना है और देश-विदेश के जो बड़े-बड़े अर्थशास्त्री हैं उनका सर्टिफिकेट है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बोलें तो आप टोक देते हैं और ये कमेण्ट किए जा रहे हैं।

हम तो आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम
और ये कत्ल भी कर देते हैं तो परवाह नहीं होती

श्री अध्यक्ष: शेर अच्छा है आपका।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, देख-देख कर मुख्य मंत्रीजी के पूरे गुण बोल रहे हैं, जैसे कि इनको मालूम ही नहीं, मुंह से कोई गलत न निकल जाएं कहीं।

श्री अध्यक्ष : लेकिन वह नहीं हैं यहां पर, यह गुण कितने ही गाए, वह तो सुनने नहीं, वह तो है नहीं यहां (व्यवधान)।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री) : माहिर साहब ने पूरा शेर नहीं बोला, पूरा पढ़वाओ।

श्री अध्यक्ष : लोकतंत्र में मुजरे की कोई वो नहीं है। (व्यवधान) वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, यह है आखिरी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, चर्चा नहीं होती। आप अध्यक्षजी से इजाजत दिलवाओ तो पूरा मुशायरा पढ़ दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : ये मुशायरा ही तो करते हैं और कुछ नहीं करते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : आप मुजरा करते हो, आप अपनी तो कहो। (व्यवधान) आपको मेरी पूरी जानकारी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : हां, पूरी। आप कहां जाते हो, क्या करते हो, इसकी पूरी जानकारी है, पूरी स्क्रीन रखता हूं। आपने बैंग्लोर में जाकर क्या-क्या किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : वैरी गुड।

श्री विष्णु मोदी : (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, उनका सबसे बड़ा गुण है कि वह इन्सपायर और एनकरेज करती है, अच्छा काम करने वालों को शाबाशी देती है और उससे कुछ कम खराब होता है उसको सीख देती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे दो-तीन बातें पूछूंगा तो मेरे साथियों को नागवार लगेगा।

श्री अध्यक्ष : पूछेंगे किससे?

श्री विष्णु मोदी : आपके माध्यम से।

श्री अध्यक्ष : मेरे से क्यों पूछेंगे, सरकार से पूछिए।

श्री विष्णु मोदी : आपसे नहीं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : अभी तो इनको मद है कि हम सरकार में हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नोर्थ वेस्टर्न जोन का ऑफिस खुला, कब खुला? तब खुला जब वसुन्धराजी आई। तेल कब निकला?

श्री अध्यक्ष : यह पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि वसुन्धराजी के आने के बाद। आप हस क्यों रहे हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :रिफाइनरी कब लगी? वसुन्धराजी के आने के बाद।

श्री विष्णु मोदी : रिफाइनरी लगने की बात आई।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं बोले।

श्री विष्णु मोदी : कब? वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनी तब।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : विष्णुजी मोदी मंत्री कब नहीं बने? जब वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनी तब। यह भी तो याद रखना चाहिए साथ में।

श्री विष्णु मोदी : वह तो बन जाऊंगा मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है लेकिन सेना का मुख्यालय कब आया? वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनने के बाद। सेना का हैड क्वाटर छोटी बात नहीं है (व्यवधान) उसमें राजस्थान सरकार की क्या बात हुई?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : गवर्नर अभिभाषण में जिक्र ही नहीं है, न बजट में जिक्र है, कितनी बड़ी बात है, गलती रह गई।

श्री विष्णु मोदी : तो विष्णु मोदी का नाम विष्णु मोदी कैसे होता? वह सब पढ़ देते तो।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे जो ही काफी है, गवर्नर स्पीच के नहीं बने, अच्छा है, घोषणा पत्र के अध्यक्ष भी आप ही थे।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, अब तो एयर फोर्स भी सांगानेर में अपना बेस बनाना चाहती है। (व्यवधान) इण्टरनेशनल एयर पोर्ट तो दो बन रहे हैं, एक तो उदयपुर में बन रहा है और एक जयपुर में बन रहा है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि मुख्य मंत्री निवास पर, सचिवालय पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे जीवन में पहली बार 1967 की गर्मी के दिनों में सचिवालय आया था, उस वक्त घास की टाटियां लगा करती थी, उसके बाद से निरन्तर सचिवालय जा रहा हूं, फिर समय आया कि वाटर कूलिंग सिस्टम लगा, एयर कूल्ड लेकिन उसके बाद में सरकारें आई, आई चली गई, मुख्य मंत्री बने और चले गए लेकिन पहली बार जहां से शासन तंत्र चलाया जा रहा है है वहां इतना सौन्दर्यीकरण हुआ कि बाहर से कोई आदमी आएगा तो वह राजस्थान की अपनी एक शान लेकर जाएगा।

श्री हरिमोहन शर्मा: यह तो ऐलीगेशन है मुख्य मंत्री पर।

श्री विष्णु मोदी : मुख्य मंत्री का जो घर है उसमें जब वह रिनोवेट हो रहा था उस वक्त मुझे वहां जाने का मौका मिला। इन्जीनियर ने कहा कि साहब, प्लास्टर को गिराना नहीं पड़ा, जरा सा हाथ लगाया तो नीचे आ गिरा, ऐसी हालत थी मुख्य मंत्री निवास की।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : वह बिजली की आग लगी थी।

श्री विष्णु मोदी : वह तो बहुत बाद की बात है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : मसूदा से आने वाले माननीच सदस्य जिस निवास की बात कर रहे हैं मैंने तो कहा कि आज तक वह किसने देखा ही नहीं, वह आपको कहां दिख गया, वहां तो कहते हैं कि कोई जा ही नहीं सकता, आप कैसे पहुंच गए?

श्री विष्णु मोदी : मैं आपको असत्य बयान तो करूंगा नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह कहा कि जब वह रिनोवेट हो रहा था तब मैं वहां गया था और रिनोवेट होने के बाद निरन्तर जा रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : महावीरजी तो गए ही नहीं, आप कैसे गए थे? (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्किंग की सचिवालय के अंदर बड़ी परेशानी थी, वहां अण्डरग्राउण्ड पार्किंग की व्यवस्था हो रही है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं? महावीरजी गए कि नहीं, वह पूछ रहा हूं मैं तो। वह तो गए कि नहीं गए, हमको ही जाना है वहां पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : मैं तो अभी जाकर आया हूं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : कहां बाहर से। बाहर वाले कमरे में?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : बाहर-वाहर आपके लिए है, मैं मुख्य सचेतक हूं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : बहुत गलतफहमी में हो, वह मकान हमारे लिए बन रहा है, हमें उस मकान में रहना है, आप गलतफहमी निकाल दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : मैं मुख्य सचेतक हूं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं कि खाली वहां के चौकों को ठीक करा दिया या बरामदों को ठीक करा दिया। वहां पूरे सेक्रेटेरियट को इंटरनेट से और कंप्यूटर से जोड़ा। अभी मैं जो इंटरस्टेट वाटर ट्रिब्युनल का काम देखता हूं, उस 219 कमरे में दो कम्प्यूटर, प्रिंटर अलॉट होकर वहीं से सचिवालय में आये। अभी आर ए एस की लिस्ट निकली तो मैंने डीओपी डिपार्टमेंट में फोन किया कि दो-चार मालूम करने हैं ट्रांसफर हुए या नहीं। उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर देख लें। इंटरनेट पर देखा तो सारी लिस्ट निकल गई।

श्री अध्यक्ष: ज्यादा बात मत करो, नहीं तो आप भी अयोग्यता की श्रेणी में आ जाओगे। आप तो रहो।

श्री विष्णु मोदी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं भी कम्प्यूटर फ्रेंडली नहीं हूं, लेकिन जो जमाना आ गया है वह जमाना अब इंटरनेट और कम्प्यूटर के बगैर कोई आदमी, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी तबके का आदमी हो जब तक वह उससे जुड़ेगा नहीं तब तक वह कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकेगा।

श्री अध्यक्ष : ऑफिस ऑफ प्रोफिट की बात मत करो।

श्री विष्णु मोदी : मैं लेता ही नहीं हूं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह कांता खतूरिया करा गयी थी, मुझे मालूम है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वृद्धावस्था पेंशन की बात हो रही थी कि भारत सरकार ने बढ़ा दिया। भारत सरकार ने बढ़ा दी तो हम भी मैचिंग ग्रांट दे रहे हैं। शिक्षा के ऊपर जब बात आयी तो कहा गया कि यह तो सर्व शिक्षा अभियान का पैसा है। सर्व शिक्षा अभियान का पैसा भी तब मिला जब राजस्थान सरकार ने 250 करोड़ रुपया अपने बजट से उसमें दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां एक बात सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वृद्धावस्था पेंशन के जो नियम, कायदे, कानून हैं वे बहुत पुराने हैं। आज आपके अगर एक बेटा है, वह कमाता है तो आप उस क्राइटेरिया में नहीं आते। दो बीघा जमीन अगर बंजर भूमि है, आपके नाम है तो आप उस कैटेगरी में नहीं आते और आप तो खुद गांव से जुडी हुई हैं आप किसी भी गांव में चले जाइए, आज ऐसे आदमी जरूर मिलेंगे जिनको बच्चों ने छोड़ दिया, आज उनकी देखभाल नहीं करते। मैं समझता हूं मिल-बैठकर इसके क्राइटेरिया को ठीक करने की आवश्यकता है ताकि जरूरतमंद आदमी को पेंशन मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने एनुअल प्रतिवेदन में बताया है व्यय के आधार पर प्रदेश का महिला स्वास्थ्य में प्रथम, महिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण में द्वितीय एवं महिलाओं की सहायता में तीसरा स्थान है।

जेण्डर बजटिंग की भी शुरूआत कर दी। जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने जिक्र किया था आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नयी साथिनों की भर्ती और जो आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के मकान में चल रहे हैं उनके लिए मकान बनाने की व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए तो भारत सरकार पैसा दे नहीं रही है, वह तो राजस्थान सरकार अपने बजट से उसको उपलब्ध कराएगी।

श्री युनूस खान : माननीय सचेतक महोदय कह रहे हैं आज मजा नहीं आ रहा है।

श्री विष्णु मोदी : मैं कोशिश करूंगा कि आगे आपको मजा आये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये कह रहे हैं वोल्टेज कम पड़ रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा: मुख्य सचेतकजी को ही दुबारा गुणगान करने से एतराज है, अब आप इससे अंदाजा लगाओ। आप खुद ही कह दें मंत्रीजी से क्यों कहलवा रहे हो?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने मंत्रीजी को कहने के लिए कुछ नहीं कहा। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अच्छा बोल रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी: वर्षों से बंद मुनाबाव खोखरापार रेल पुन: शुरू हुई, वह भी वसुन्धराजी के टाइम में हुई। ये तो राजस्थान में जबसे आई हैं जबसे पगफेरा ही ऐसा है ...(व्यवधान)... फिर आप भारत सरकार पर आ जाते हो। तेल की खोज भी भारत सरकार कर रही थी, लेकिन डाइरेक्ट्रेट पेट्रोलियम बनाया। सेना का मुख्यालय आया। उसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने जाकर पर्सनल तौर पर एक्सप्लेन किया। भारत सरकार से जो कुछ आ रहा है वह कोई खैरात में नहीं आ रहा है। एक दिन भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ। ...(व्यवधान)... राजस्व आय में बढ़ोतरी। कर्मचारियों की बकाया राशि, बोनस आदि का भुगतान। योजना आकार में बढ़ोतरी, यह सब परफेक्ट कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण ही राजस्थान में संभव हो सका है।

बारहवें वित्त आयोग से भी हमारी स्थिति ठीक हुई है, आगे और होगी। इंदिरा गांधी नहर के लिए वर्षों से कोशिश होती रही कि भारत सरकार इसके लिए पैसा दे, लेकिन इन प्रिंसिपल बारहवें फाइनेंस कमीशन ने इंदिरा गांधी परियोजना, फोरेस्ट और एजुकेशन के लिए अलग से व्यवस्था करने का जो काम किया है वह भी राज्य सरकार ने जो ज्ञापन दिया उसी के कारण संभव हो सका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का बड़ा भारी योगदान है। उस पशुधन में डेयरी शिक्षा। मुझे इस बात का दु:ख है कि उदयपुर और विजयनगर के अलावा डेयरी पाठ्यक्रम नहीं है। जैसे संग्रहालय का कोर्स राजस्थान विश्वविद्यालय में खोलने की जरूरत माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में बतायी है। वैसे हर जिले में किसी न किसी कालेज में डेयरी के लिए निश्चित रूप से कोर्स होना चाहिए, क्योंकि हमारी इस अर्थव्यवस्था में पशुधन का भी काफी बड़ा योगदान है।

रामगढ़ से आने वाले माननीय विधायक को इस बजट में कुछ नहीं मिला, स्टोरेज, स्टोरेज। पिछली बार भी जब सरसों की फसल आयी तब उस बारे में यह चिन्ता थी कि स्टोरेज होगा या नहीं होगा। इस बार भी अखबारों में पढ़ने को मिला कि स्टोरेज होगा या नहीं होगा, लेकिन इस बार इस बजट में सहकारी संस्थाओं के द्वारा भण्डारण के लिए 484 सहकारी संस्थाओं से एक लाख 14 हजार मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता की वृद्धि की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी सहभागिता की बात आयी। प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन। मैंने आज तक कहीं नहीं सुना था कि पोलीटेक्निक कालेज में या कालेज में जो भवन बनेंगे उसका भी 50 परसेंट राज्य सरकार देगी। यह एक अनूठी शुरूआत है। जैसा मैने कहा कि जब इस बजट को पढ़ो तो उसमें सर्वांगीण विकास की बात है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा गया है, जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म का जिक्र भी मुख्य मंत्रीजी ने किया। वह भी एक अच्छी बात है। शिक्षा में तो मैं समझता हूं इस सरकार ने जितना काम किया है वह सराहनीय है। चाहे स्कूल खोलने की बात हो और मुख्य मंत्रीजी की एक कार्यशैली है कि वह हर किसी काम में ऊंचाइयां, एक जोर की छलांग लगाना चाहती है कि एक ओवरनाइट तक कुछ काम हो जाए। पांच हजार प्राइमरी स्कूल जब मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत होंगे तो आप सोचिए राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति होगी। राजीव गांधी पाठशाला की तो सुना था एक साथ खोली थीं।

श्री अध्यक्ष : 16 हजार तो इस वर्ष होगी।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राजस्थान ने काफी प्रगति की है और इस बजट में पूर्ण रूप से प्राइवेट और पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से टेलीमेडिसन भी शुरू हो गई है। तो मैं समझता हूं यह सरकार का सराहनीय काम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई अभूतपूर्व काम हुआ है तो मिड डे मील में हुआ है। कोई माने या न माने क्या स्थिति थी मिड डे मील की। आज क्या है? वास्तव में कायापलट हो गई है और यह भी कायापलट है, गर्म भोजन, हाइजेनिक फूड, वह भी प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन के कारण से ही सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन उसका सारा श्रेय मुख्य मंत्रीजी को है, उन्होंने अपनी तनख्वाह में से जो ट्रस्ट बनाने की बात कही है। तो मैं भी जो एम.एल.ए. की तनख्वाह है उसमें 10 परसेंट उस ट्रस्ट को देने की घोषणा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप तो 20 परसेंट भी दे सकते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय कह रही हैं कि अपनी आय का 10 परसेंट दें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जनता से अनुरोध किया है कि वह अपनी आय का एक प्रतिशत दें लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता से तो अनुरोध कर दिया लेकिन एक प्रतिशत नहीं किया, केवल वेतन का 10 प्रतिशत दिया है इसीलिए ये घोषणा कर रहे हैं इन पर प्रभाव नहीं पडा जनता वाली बात का।

श्री कालूलाल गुर्जर : आप भी तो दो कुछ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : मैं इससे भी ज्यादा दे दूंगा वक्त तो आने दो।

श्री कालूलाल गुर्जर : वक्त आ गया। ...(व्यवधान)... इससे बढ़िया वक्त तो आना भी नहीं अभी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : यह आपके लिए लागू होगा, माननीय मंत्री जी, कि इससे बढ़िया वक्त कोई दूसरा नहीं आने वाला।

श्री कालूलाल गुर्जर : मैं कहता हूं कि ऐसा इसके बाद तो कोई वक्त आना ही नहीं है, यह तो पहला अवसर है कि आप बन गये और अच्छा है। ...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : ममता जी कह रही हैं कि आपका अच्छा वक्त आएगा।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : अनुसूचित जाति, जनजाति के क्षेत्र में मुख्य मंत्रीजी की हमेशा रूचि रही है और वही कारण रहा है कि उदयपुर संभाग में बालक और बालिकाओं के लिए हास्टल, कालेज में विषयों की बढ़ोतरी, स्कूलों में, कालेजों में कम्प्यूटर की बढ़ोतरी और समाज कल्याण में तो 3 वर्ष में ही 20 परसेंट से ऊपर की बढ़ोतरी हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान से बाहर कहीं जाएं तो हर जगह एक बात सुनने को मिलती है कि Rajasthan is happening, Jaipur is happening. मैं लम्बे अरसे से जयपुर में रहता हूं लेकिन जहां 'सी' स्कीम में मेरा घर है वहां एक जमीन बिकी है वह 50 हजार रुपये गज के दाम से बिकी है। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी ? ...(व्यवधान) अब किसानों से तो जब चुनाव में सबसे बड़ा मापदण्ड है और निरन्तर हमारी पार्टी चुनाव में जीतती आ रही है।...

(व्यवधान) किसने रोका था।, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आप सेज नहीं लाएं और अब सेज के लिए क्या कहते हैं कि सेज हम कोई एतराज नहीं है, सेज लगना चाहिए, फिर भाई, किस बात पर एतराज है ? आप, हरियाणा की सरकार तो कांग्रेस की सरकार है, क्या किया उन्होंने ? रिलायंस को जो सेज दी है हरियाणा की भूमि तो जयपुर से ज्यादा महंगी है, घाट की गुणी में जो योजना बन रही है, रिंग रोड की, टनल की, किसने रोका था। आपको ? टोंक रोड को 10 करोड़ रुपये खर्च करके उसका सौन्दर्यीकरण कर रही है, किसने रोका था आपको ? खोल के हनुमानजी का सौन्दर्यीकरण हो रहा है, अजमेर रोड और टोंक रोड के बीच से बाइपास बन रहा है, गोल्ड सूक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क क्यों नहीं ला पाए आप ? लेकिन आपको विकास से मतलब नहीं है, आपको तो अंगुली उठानी है, आपको तो कुछ न कुछ किसानों से भी मतलब नहीं है, यह स्टेडियम के बाहर क्या हालत थी, जहां अमर जवान ज्योति बनी और अभी माननीय रामगढ़ से आने वाले सदस्य कह रहे थे ओमेक्स, वाटिका मैं कुछ नाम और गिना दूं कि जो एन.एच. 8 है आप तो वहीं से, उधर से निकलते हैं, वहीं से जो डी.एल.एफ. की रोड है उस 4 किलोमीटर की रोड पर जो बिल्डर हैं वह आज जयपुर में आए हैं, वह चाहे सनसिटी है, वह चाहे आमेक्स है, चाहे वाटिका है, चाहे पार्श्वनाथ है, वह क्यों आए हैं ? क्योंकि राजस्थान में उनको निवेश की एडमोस्फियर डिसीजन मैकिंग पावर इसलिए सब आए हैं, ये तो प्राइवेट हैं । जिनको जहां सुविधा मिलेगी जहां जिनको अपने इन्वेस्टमेंट की रिटर्न मिलेगी वहीं जाएंगे और अभी रामगढ़ से आने वालों माननीय सदस्य कह रहे थे कि सड़क में क्या किया, गांवों की संख्या बढ़ गई, वह तो केन्द्र सरकार की योजना थी।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने तो रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को टारगेट कर लिया।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : वही थे मेरे से पहले बोलने वाले, मेरी मजबूरी है तो किसने रोका था। पूर्ववर्ती सरकार को ? पी.डब्ल्यू.डी. से रेलवे और ब्रिज बनाने से ? मैं तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब राजस्थान के अन्दर रेलवे लाइन डली उस वक्त उन शहरों में, उन गांवों में इतना विकास नहीं था।, इतनी आबादी इनमें बढ़ी थी अब तो शहर को दो हिस्सों में बांट दिया गया है और जब रेलवे

(श्री विष्णु मोदी)

की बात करते हैं तो वह कहते हैं कि हमारी गाइडलाइंस में नहीं हैं तो अब जहां गेज कन्वर्जन का काम हो रहा है जहां नई लाइन बिछाने की बात हो रही है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को एक पहल करनी चाहिए और वह पहल करके रेल मंत्रालय से वहां जहां शहर के बीचोंबीच दो हिस्सों में शहर कट जाता है, विजयनगर और ब्यावर, जहां से मैं आता हूं, बीकानेर की समस्या तो कई सालों से सुनते आ रहे हैं लोकिन विजयनगर और ब्यावर की भी यह स्थिति है अध्यक्ष महोदय, कि एक एक घंटे तक शहर से इधर से उधर आ जा नहीं सकते और खूब लिखा पढ़ी मैंने भी की, आरओबी के लिए लेकिन उनका एक टाइप्ड लैटर आ जाता है, यह हमारे नार्म्स में नहीं है, इतनी व्हीकल संख्या नहीं है। आज व्हीकल संख्या के आधार पर बनाएंगे या मानवीय आवश्यकताओं के आधार पर बनाएंगे लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने पहल करके पिछले बजट में भी और इस बजट में भी रेलवे ओवरब्रिज का प्रावधान रखा है।

इन्दिरा आवास योजना, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो इस बजट में प्रदर्शित नहीं है, 33 हजार मकान बनाएंगे, अभी भीलवाड़ा का जिक्र हो रहा था कि भीलवाड़ा में टैक्सटाइल पार्क बनना चाहिए, भारत सरकार ने टैक्सटाइल पार्क दिया है, भारत सरकार कोई पाकिस्तान की सरकार तो नहीं है, है तो यूनियन आफ गवर्नमैंट and we are one of the components of Union. तो यह हमारा राइट है और मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार ने सलोरा अजमेर में जो एक टैक्सटाइल पार्का लगाने की घोषणा की है और वह सर्वथा उपयुक्त है, सर्वथा अच्छी घोषणा है और अच्छा एटमोस्फियर है।

प्रदेश में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, खुशी का विषय है क्योंकि पिछले पाँच साल से पर्यटन से हमें भारी रोजगार मिलता है,मुनाफा भी मिलता है और ये पिछले जो दो साल गये हैं वह दो साल तो रिकार्ड बढ़ोतरी हो रही है और इसमें भी एतराज है। मुख्यमंत्री जी कहती हैं कि मेरा आस्था में विश्वास है, अच्छी बात है, वह प्रदेश के, देश के सब मंदिरों में पूजा पाठ में विश्वास रखती हैं और इस प्रदेश को आस्था के भरोसे ही चलाना चाहती हैं। ब्रज क्षेत्र में एक करोड़ रुपये खर्च करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में जिक्र किया है कि मेरे मसूदा में भी परकोटे और गेट जो राजा-महाराजाओं ने बनाये थे। जिनकी आज कोई

देखभाल नहीं कर रहा है वह इस बजट में प्रावधान किया गया है कि हम उनको ठीक करेंगे, उनका सौंदर्यीकरण करेंगे और उसके लिए एक बड़ा सराहनीय और पुरातत्व भवनों के लिए पुरा विषय के महत्व को देखते हुए हेरिटेज प्रोटेक्शन एण्ड प्रमोशन बोर्ड बनाने की जो बात है वह भी बहुत ही सराहनीय है और तो और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्सीडेंट की बात भी वह करते रहे...

श्री अध्यक्ष : आप 37 मिनट बोल चुके हैं और आपकी पार्टी के बोलने वाले बहुत सदस्य हैं।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : मैं पाँच मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट क्या, आप दो तीन मिनट में समाप्त करें क्योंकि 5 बजे मुझे मंत्री का वक्तव्य दिलवाना है।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : अच्छा।

श्री अध्यक्ष : जल्दी करें आप।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : दो मिनट में खतम कर दूंगा। फीडर सुधार का जो कार्यक्रम है और जो जनरेशन की बात है, एक मेगावाट जनरेट नहीं किया, मुख्य मंत्रीजी ने जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर 441 मेगावाट गिनाया था फिर भी आप एक मेगावाट और बायो मास जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है उसके लिए एक नीति बनाने जा रही हैं और भू-जल की व्यवस्था पर जो यूनिसेफ से जो रेन वाटर हारवेस्टिंग बीसलपुर से पेयजल और जापान बैंक फार इंटरनेशनल को-आपरेशन से जो पुरानी नहर चम्बल और माही को ठीक करने की योजना का इसमें उल्लेख किया है।

वास्तव में सराहनीय है और फ्लैट्स में....

श्री अध्यक्ष : अब आपका बजट भी सराहनीय है। अब आप समाप्त करें तो अच्छा होगा।

श्री विष्णु मोदी : चलिये, मैं दो बातें और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस सरकार ने इंटर-स्टेट वाटर में जितना इंटरेस्ट लिया है और मैं प्रतिपक्ष के साथियों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि – लम्हों ने खता की, सदियों ने सज़ा पाई' यह सारी जो परेशानी है....

श्री अध्यक्ष : यह सारे के सारे शायर हो रहे हैं आप। पूरा सदन ही, जो कोई भी बोलता है, शेर बिना बोलता ही नहीं है, सब शेर बोल रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : इसलिए आप कृपया नहीं बोलें तो ज्यादा ठीक रहेगा। जब लिग्नाइट की बात करें तब आप सवाल पूछते हैं। इस सरकार में तो सवा दो साल में मनोत साहब को पूछ लेना, जोधपुर के कौन मनोत साहब हैं, उनको एक हजार पावर लिग्नाइट बेस के लिए लीज अलाटमेंट कर दी काम हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन बातें मैं सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। एक तो 99 साल की लीज होल्ड का सिस्टम है हमारे स्टेट में। पहले पड़ोसी राज्यों में भी था लेकिन उन्होंने फ्री होल्ड कर दिया। 99 साल के बाद में कागज को दीमक खा गई होगी या उसके अक्षर नहीं दिखेंगे तो कम से कम एक बड़ा काम करने की आवश्यकता है कि इसको लीज होल्ड से फ्री होल्ड किया जाए और उसमें जो आपको पैसे लेने हैं उसके लिए आप कमेटी बिठा दो तो इस तरह से राज्य सरकार को नुकसान भी नहीं हो और एक लीज होल्डर को उसका फायदा मिले।

दो बातें और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता है....

श्री अध्यक्ष : कह किसको रहे हो सरकार तो मुझे यहां नदारद नजर आ रही है ? No Cabinet Minister is here, माफ करना, क्षमा करना, No Cabinet Minister is here, except the Transport Minister. Except the Transport Minister.

श्री महावीर प्रसाद जैन: माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी जवाबदेही से सारे मंत्री यहां पर बैठे हैं। एक-आध मंत्री होते हैं तो भी नोट करते हैं।

श्री संयम लोढ़ा: यह बजट इतना नीरस है इसलिए।

डा. एन. एस. गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, हमारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ही योग्य हैं और सक्षम हैं उनके सारे सवालों का उत्तर देने के लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन: एक-एक शब्द नोट हो रहा है और आपने देखा है कि सब का जवाब, बाकायदा एक-एक माननीय सदस्य का जवाब दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: वह तो दे देंगे जवाब। वह तो मुख्य मंत्रीजी दे देंगी।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की एक-एक बात का जवाब उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया है।

श्री अध्यक्ष: तो इसमें आपको क्या दिक्कत आई है ?

श्री रामनारायण चौधरी: एक-एक बात का जवाब उन्होंने दिया है।

श्री अध्यक्ष: यह तो अच्छी बात है, अच्छा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़: माननीय सदस्य की शंकाओं का निराकरण हमारे विद्वान माननीय सदस्य ने कर दिया तो धन्यवाद दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह तो जवाबदेही सरकार है और आप तो पहले जवाब ही नहीं देते थे।

श्री रामनारायण चौधरी: मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं। सारे जवाब सरकार की तरफ से उन्होंने दे दिया। ये खुद ही सरकार हैं। अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि सरकार तो है नहीं, वो सरकार खुद ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़: तो इन्हीं का उत्तर मान लें ? आप संतुष्ट हो न ? प्रतिपक्ष के नेता, आप संतुष्ट हो न ?

श्री रामनारायण चौधरी: हां, इनके भाषण से खुश हैं हम।

श्री **राजेन्द्र राठौड़**: आप खुश हो न ?

श्री रामनारायण चौधरी: मैं खुश हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता का सर्टिफिकेट मिलना कोई छोटी बात तो नहीं है।

श्री विष्णु मोदी: I am obliged.

श्री राजेन्द्र राठौड़: सबसे वरिष्ठ और विद्वान प्रतिपक्ष के नेता का।

श्री विष्णु मोदी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भारत सरकार के वित्त मंत्री ने जो को-आपरेटिव बैंक पर टैक्स लगाया है उस पर चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि सात प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को ऋण मिल जाएगा। उस पर उन्होंने सहमति व्यक्त की। आज भी सरकारी बकाया पर, चाहे वह इण्डस्ट्रीज की हो, माइंस की हो, हाउसिंग बोर्ड की हो, जे. डी. ए. की हो या किसी भी विभाग की हो, 18 से 22 प्रतिशत उस पर इंटरेस्ट रेट है। एक तरफ हम सात प्रतिशत इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी एक बड़ी पहल करें और जो भी सरकारी बकाया, 8 मार्च जो उनका जन्म दिन है, उसके आगे से 10 से 12 प्रतिशत तक उसको घटा दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि पानी नीचे जाता जा रहा है लेकिन जहां पानी प्रचुर मात्रा में है वह खारा पानी है

(श्री विष्णु मोदी)

और आज इसी देश में चाहे चेन्नई में हो चाहे दूसरी जगह हो, डी-सेलिनेशन प्लांट, इस तरह की टेक्नोलॉजी डवलप हो गई है कि जिससे कि वो निरन्तर पानी डी-सेलिनेट होता है। तो राजस्थान को इस बात की आवश्यकता है कि वो डी-सेलिनेशन प्लांट, जहां यह खारा पानी है, वहां लगेगा तो हमें भविष्य में इसका लाभ मिलेगा।

अंत में मैं अपनी बात इकोनोमिक टाइम्स, नई दिल्ली दिनांक 7 मार्च, 2006 ''Prince Charles to Hardsell Own Brand in India". मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, यह कागज यहां रख दूंगा लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने जैसे इण्डस्ट्रीज के लिए सेज है वैसे उन्होंने एक आर्गेनिक और हाई-टेक एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर पार्क बनाया है और उस एग्रीकल्चर पार्क में देश की बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने उसमें जमीन ली है और वो आर्गेनिक एग्रीकल्चर, हाइटेक एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर की पहल की है और प्रिंस चार्ल्स वहां जा रहे हैं कि जो उनके ब्रांड हैं वो वहां हों। सरकार ने क्या किया है कि वेयर हाउस बना दिया, फूड प्रोसेसिंग की यूनिट बना दी और इस तरह के बना दिये। आज देश में समय आ रहा है रिटेल का। जयपुर में भी आप देखेंगे, दिल्ली में भी देखेंगे कि जगह -जगह बड़े मॉल बन रहे हैं तो आज रिलायंस जैसी बड़ी कम्पनी रिटेल के बिजनैस में आ रही है तो आगे आने वाला व्यापार रिटेल से होगा और आज राजस्थान को आवश्यकता है कि दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नजदीक हैं अहमदाबाद और उदयपुर। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में जहां पानी भी खूब है, माही का पानी और ज्यादा मिलने वाला है तो वहां पर सूटेबल लैण्ड देखकर जहां एग्रीकल्चर पार्क पंजाब ने बनाया है उस तरह का पार्क राजस्थान में भी बने। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री शांतिलाल चपलोत। सॉरी, नहीं मंत्रीजी वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति

डा. किरोड़ी लाल मीणा (राहत मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही के मौसम बदलाव के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में ओलावृष्टि हुई है। जिला कलक्टर से फोन पर वार्ता कर जानकारी ली गई। जिला कलक्टर, कोटा

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

ने बताया कि कोटा जिले की दीगोद तहसील में 46 गांवों में ओलावृष्टि हुई है जिसमें 30 गांवों में 50 प्रतिशत से कम खराबा हुआ है तथा 16 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है। इसमें से 725 छोटे काश्तकार जिनकी 286.90 लाख हैक्टेयर तथा 1306 सीमांत काश्तकार जिनकी 237.26 हैक्टेयर तथा 2508 बड़े काश्तकारों की 5852.14 हैक्टेयर क्षेत्र में फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है। कोटा जिले को राज्य सरकार द्वारा 50 लाख रुपये दिनांक 6.3.2006 को सहायता राशि वितरण हेतु रिलीज कर दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा 15 लाख रुपये दीगोद तहसील को सरकारी कोष से आहरण कर भिजवा दिये हैं तथा तहसीलदार, दीगोद द्वारा सहायता राशि का वितरण शुरू कर दिया है। केन्द्र सरकार के सी आर एफ नार्म्स के अनुसार सीमांत और लघु सीमांत काश्तकारों को जिनकी फसल का नुकसान 50 प्रतिशत से अधिक हुआ है उन किसानों को सिंचित फसल का ढ़ाई हजार रुपये प्रति हैक्टेयर तथा असिंचित फसल का एक हजार रुपये प्रति हैक्टेयर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। दीगोद तहसील के तीन गांवों काल्या जालमपुरा, चंद्रावला, खेड़ली को छोड़कर सभी गांवों में सहायता राशि ढाई हजार रुपये प्रति हैक्टेयर तथा 10 किलो गेहूं अतिरिक्त रूप से मदद के रूप में वितरण किया जा चुका है। जिन 13 गांवों में राशि वितरण की जा रही है उनमें गोकुलपुरा, नीमोदा, अकरालिया, बालापुरा, श्योपुरा, भखतरी, डूंगरजा, कोटसुवा, ऊदपुरा, भगवानपुर, हरिपुरा, थाला, छीपड़दा हैं। जिला कलक्टर, बारां की प्रारम्भिक रिपोर्ट के आधार पर बारां तहसील के ओलावृष्टि से प्रभावित 19 गांवों में से 15 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है। अन्ता में 9 में से 6 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक, अटरू में 20 गांवों में से 4 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक, छबड़ा में 11 गांवों में से 3 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक एवं किशनगंज में 7 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है। इस प्रकार बारां जिले में कुल 66 गांवों में ओलावृष्टि हुई है जिनमें से 35 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक तथा 31 गांवों में 50 प्रतिशत से कम खराबा हुआ है। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को सहायता हेतु 50 लाख रुपये सहायता राशि दिनांक 6.3.2006 को रिलीज कर दी गई है। जहां भी 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा हुआ है वहां सहायता राशि का वितरण शुरू कर दिया गया है। बांसवाड़ा जिले में बांसवाड़ा तहसील में दानपुर गिरदावर सर्किल में कुछ गांवों में ओलावृष्टि हुई है किन्तु इससे फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसी प्रकार से झालावाड़ जिले में

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

खानपुर तहसील में 18 गांवों में सरसों, धनिया और गेहूं की फसल में लगभग 15 प्रतिशत खराबा होना दर्शाया है। शेष अन्य तहसीलों में किसी भी गांव में फसलों को कोई नुकसान होना नहीं दर्शाया है। डूंगरपुर तथा जालौर जिले में कोई ओलावृष्टि नहीं हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले में अरनोद तहसील के दनोट क्षेत्र के गांव चकुंदा, मुहोडा, अचनारा और चिकली में दिनांक 3.3.2006 को मामूली, हल्की व छुटपुट बारिश के साथ-साथ ओलावृष्टि हुई। अनुमानतः 5-10 मिनट के दरम्यान ओले गिरे। ओलों का आकार मक्का के दाने के बराबर था। मवेशी एवं फसलों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। कल दिनांक 8.3;2006 को भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा एवं करौली जिले में ओलावृष्टि हुई है। भरतपुर जिले की बयाना तहसील के 12 पंचायतों में 38 गांवों में गेहूं की फसलों में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है। सवाई माधोपुर के गंगापुर तहसील के 15 गांवों में 20 से 30 प्रतिशत तक का खराबा होना जिला कलक्टर ने बताया है। दौसा जिले की बांदीकुई तहसील के कुछ गांवों में छुटपुट बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है परन्तु फसल को कोई नुकसान होना नहीं बताया है। करौली जिले की टोडाभीम तहसील के 25 गांव, करौली तहसील के 20 गांव और नादौती तहसील के 20 गांवों में 30 से 50 प्रतिशत तक ओलावृष्टि होने से फसल को नुकसान होने का अनुमान है। इन सभी जिलों की सूचना दूरभाष पर उपलब्ध हुई है क्योंकि उक्त चार जिलों में ओलावृष्टि कल ही हुई है जिसका विस्तृत सर्वे आज शुरू कर दिया गया है, इसके बाद ही वास्तविक नुकसान का आकलन हो सकेगा। भारत सरकार द्वारा तय मापदण्डों के अनुसार जो भारत सरकार ने मापदण्ड तय किये हैं कि सीमांत और लघु काश्तकारों को जिनकी फसल का नुकसान 50 प्रतिशत से अधिक हुआ है, उन किसानों को सिंचित फसल का 2500 रुपये प्रति हैक्टेयर और असिंचित फसल का 1000 रुपये प्रति हैक्टेयर सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यदि किसी क्षेत्र में लगातार दूसरे साल भी ओलावृष्टि से नुकसान होता है तो उस स्थिति में दो हैक्टेयर तक उपरोक्तानुसार बड़े किसानों को भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने यह तय किया है कि एक पैकेज जिसमें जिन गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक फसलों में खराबा हुआ है, उन्हें अभावग्रस्त घोषित किया जायेगा। अभाव की घोषणा के फलस्वरूप राजस्व

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

लगान का स्थगन किया जायेगा। सहकारी अल्पकालिक ऋणों को दीर्घकालिक ऋणों में परिवर्तित किया जायेगा। आबियाना यानी सिंचाई शुल्क माफ किया जायेगा। बड़े किसानों को भी लघु एवं सीमांत किसानों की जोत की सीमा तक दो हैक्टेयर तक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। असहाय लोगों को 50 किलो गेहूं तथा 50 रुपये प्रतिमाह जून, 2006 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, आसमानी बिजली गिरने से तीन लोगों के मरने की सूचना आई है। भरतपुर जिले में दो लोग गोपालसिंह और नेत्रपाल सिंह आसमानी बिजली गिरने से मरे हैं जिनको प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये की राशि आवंटित कर दी गई है। यह पहली बार हुआ है अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के शासन में कभी भी किसी आसमानी बिजली गिरने से किसी व्यक्ति को आज तक मदद नहीं दी जो हमने पहली बार 50 हजार रुपये दी है।

श्री अध्यक्ष: नहीं दी तभी तो वहां बैठे हैं। नहीं दी, तभी ये वहां बैठे हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: बिजली के बारे में एक तुलनात्मक स्टेटमैंट देना चाहूंगा क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता बोले बिना नहीं मानेंगे। ओलावृष्टि से कांग्रेस और भाजपा की तुलनात्मक स्थिति। 1998-99 में 1.17 करोड़ रुपये खर्च किये कांग्रेस ने, 2002-2003 में 1.10 करोड़ रुपये तथा 2003-2004 में 0.46 करोड़ रुपये, टोटल इनके राज में खर्च किया इन्होंने 2.73 करोड़ रुपये और हमारे इस राज में अभी हमने एक करोड़ रुपये रिलीज किये हैं, टोटल अब तक 85 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं।

श्री जुबेर खान: हमारे राज में ओले पड़े ही नहीं थे, तुलना क्यों कर रहे हो? अब क्या करोगे, यह बात बताइये आप तो। तुलना क्यों कर रहे हो?

श्री हरिमोहन शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से दो-तीन बातें कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी: बाड़मेर जिले में ईसबगोल की जो फसल है वह पूर्णतया नष्ट हो गई है। ईसबगोल की फसल ज्यों ही बारिश अगर थोड़ी बहुत भी होती है तो पूर्णतया नष्ट हो जायेगी। आपने बाड़मेर जिले का नाम भी नहीं लिया। कल रात को ही बाड़मेर जिले में बारिश होने से ईसबगोल की फसल पूर्णतया नष्ट हो गई, चौपट हो गई। यह बाड़मेर कलक्टर से आपने पता किया कि नहीं किया? यह रात को तीन-चार बजे बारिश हुई है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह कहा नहीं उन्होंने। उन्होंने कोटा संभाग का दिया है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की सी.आर.एफ. की जो गाइडलाइन हैं...

श्री अध्यक्ष: यह जो वक्तव्य दिया है वह कोटा संभाग का दिया है उन्होंने। आपकी तरफ से कोई था नहीं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा: मैं बाड़मेर जिले का भी बता देता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी: आपने कहा कि सभी कलक्टर्स से सूचना मांगी है तो बाड़मेर कलक्टर से भी आपने इन्फोर्मेशन मांगी होगी...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पाली जिले में भी नुकसान हुआ है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: मंत्री महोदय, पाली जिले में भी बहुत नुकसान हुआ है।

श्री रामनारायण चौधरी: नहीं, वह आपकी तरफ से सुस्ती हुई है। अध्यक्ष महोदय, आपसे मदद चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं। आप लोग बैठ जायें। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, आप बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी: आपके मंत्री महोदय ने आपकी तत्परता की वजह से झटपट में कार्यवाही करके सदन को सूचित किया है, इसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपसे, आप ही निर्णय करें कि 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हो गया वह तो है रिलीफ का हकदार और 50 प्रतिशत से कम यानी 49-50-48 प्रतिशत, यह जो मापदण्ड है, उससे नीचे वाले को कुछ भी नहीं। यह जो फार्मूला है अध्यक्ष महोदय, यह आपको भी उचित प्रतीत होता है तब तो ठीक है अन्यथा इसमें बदलाव की जरूरत है। 50 प्रतिशत लोस हुआ तो फायदा मिलता है, 49 प्रतिशत वाले को कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपसे हाथों-हाथ नहीं चाहता हूं, हाथों-हाथ आपने बचाव कर लिया कि भारत सरकार के फार्मूले के आधार पर आप दे रहे हैं। आपने अपने बचाव में भारत सरकार का रेफरेंस भी दे दिया और भारत सरकार भी ऐसे ही दे रही है लेकिन भारत सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, चाहे किसी भी देश की सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, 50 प्रतिशत से नीचे जिसको नुकसान हुआ है उसको भी उस प्रपोर्शन में मदद दी जानी चाहिए, उस प्रपोर्शन में उसको भी मदद दिया जाना वाजिब है। 51 प्रतिशत वाला, 50 प्रतिशत वाला किसी भी तरफ से ले लेगा, 48-49-40 प्रतिशत नुकसान वाले को कुछ नहीं मिलेगा, यह तो होना चाहिए, जस्टिफिकेशन, न्यायिक दृष्टि से उनको भी रिलीफ दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, शुरूआत हुई है 50 प्रतिशत से, हो सकता है इसके और भी आगे बढ़ जाये। यह तो शुरूआत हुई है। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा: नहीं नहीं, ओलावृष्टि की, अकाल की गाइडलाइन बनी हुई है, उसके अनुसार दे रहे हैं ये, ये अपने पास से क्या दे रहे हैं? हम कह रहे हैं कि 1000 रुपये यह जो दे रहे हैं सिंचित का और असिंचित का 2500 रुपये दे रहे हैं तो क्या इसको बढ़ाने का भी विचार रखते हैं? क्योंकि यह तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों के क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं, उनके बैंक में 10 प्रतिशत पैसा देते ही बीमा कम्पनी में बीमा के नाम पर काटा गया है, उन किसानों को बीमे का एक रुपया मिलने वाला नहीं है। क्या मंत्री महोदय, उन बीमा कम्पनियों को मजबूर करेंगे कि उनको बीमा में राहत के नाम पर कुछ पैसा मिलेगा? यदि पैसा नहीं मिले तो आप बीमा को खतम करें और बीमा को स्वैच्छिक करें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा क्योंकि हाड़ौती में जो इन्होंने बीमा की पालिसी बना रखी है, उस बीमा की पालिसी में हाड़ौती में तहसीलवार या राजस्थान की तहसील को खराबा माना गया है लेकिन हमारे यहां पर तहसील में खराबा हो ही नहीं सकता है क्योंकि अकाल पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है और पश्चिमी राजस्थान को इस बीमा पालिसी से तो लाभ है लेकिन पूरा हाड़ौती संभाग है, इसमें इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा और इसकी यह बीमा पालिसी जो बना रखी है, इसको स्वैच्छिक किया जाना चाहिए क्योंकि हमारा पैसा भी इसमें लग रहा है और हमको मिल भी कुछ नहीं रहा है और इसको कम्पलसरी कर रखा है, बैंकों में कम्पलसरी कर रखा है, बैंकों की दादागीरी चल रही है तो राज्य सरकार इसमें इंटरप्ट करके काश्तकारों को राहत प्रदान करें, ऐसा मेरा इसमें निवेदन है। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग: अध्यक्ष महोदय, जहां पर ओलावृष्टि हुई, वहां तो सरकार ने मदद दे दी, इसके लिए तो आपको बहुत धन्यवाद लेकिन... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: अध्यक्ष महोदय, आपने जो खराबे को तहसीलवार माना है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप यह फैसला करें, तीन खड़े हैं आप, पहले कौनसा बोलेगा?

श्री जोगेश्वर गर्ग: मैं बोल रहा हूं पहले अध्यक्ष महोदय।

श्री हरिमोहन शर्मा: आप आदेश दे देंगी वह बोल देगा।

श्री अध्यक्ष: आप लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा: हां हां तो आप आदेश देंगी वही बोल लेगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग: अध्यक्ष महोदय, पहले मैं खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, पहले मैं खड़ा हूं।

श्री श्रवण कुमार: आप आदेश दें ना।

श्री अध्यक्ष: श्री भरत सिंह।

श्री जोगेश्वर गर्ग: अध्यक्ष महोदय, वैसे भी पहले मैं खड़ा हुआ था।

श्री भरत सिंह: माननीय अध्यक्षजी, माननीय अध्यक्षजी...

श्री अध्यक्ष: गर्ग साहब, आप क्यों खड़े हैं अब? मैंने भरत सिंह का नाम पुकारा।

श्री जोगेश्वर गर्ग: मैं निवेदन करने के लिए खड़ा हूं।

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकारा है भरत सिंह का। नहीं, वह तो ठीक है, आपको इनके बाद दूंगी मौका।

श्री जोगेश्वर गर्ग: मैं बहुत कम बोलता हूं अध्यक्ष महोदय, इनके बाद मेरा नाम होगा।

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकार लिया भरत सिंहजी का। हां, इनके बाद आप बोल लीजिये।

श्री भरत सिंह: माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर प्रदान किया, मैं तहसील से प्राप्त रिपोर्ट साथ में लाया हूं। हमारी दीगोद तहसील के 46 गांव प्रभावित हैं, 30 गांव आंशिक हैं, 16 गांवों में पूर्ण रूप से फसल नष्ट हुई है जिनमें 725 काश्तकारों को सहायता राशि मिलेगी। जो कुल नुकसान हुआ है वह 12 करोड़ राशि का है और जो भुगतान दिया जायेगा वह 13 लाख रूपये का है। यानि एक प्रतिशत राशि का भुगतान होगा। मेरा निवेदन यह है कि जहां आंशिक रूप से नुकसान हुआ है, सरकार की जो आपिने मदद की घोषणा करी, मैं स्वागत करता हूं मगर जो बची है फसल, उसको लेकर तो मंडी में ही जायेगा बेचने। उसकी फसल जब मंडी में बेचने जायेगा, उधर तो ओलों से पिटा और वहां व्यवस्था से पिटा। कोटा संभाग की बात कर रहा हूं मैं, मंत्रीजी उत्तर देंगे उसका, देते हैं वह। कोटा संभाग में आज तक, 8 तारीख तक 9 लाख बोरी सरसों तुली है खुले बाजार में और

(श्री भरत सिंह)

सिर्फ एक लाख बोरी इनके राजफेड और तिलम संघ के कांटों पर बिकी है। 9 लाख बोरी खुले बाजार में, किसान वहां भी पिट रहा है, यहां इन ओलों से पिटा है। मैं तो आपसे यह निवेदन करता हूं कि कम से कम यह तो व्यवस्था कर दें कि वह पिटा हुआ जब मंडी में जाये तो वहां पिटाई न हो। इसका भी, उत्तर जब आप दें तो इसका भी दे दें। 9 लाख खुले बाजार में और एक लाख पूरी व्यवस्था जिसको आप गिना रहे हैं, वह इनके कांटों पर तुली हैं। यह तो संभाग की बात है, राजस्थान का नक्शा आयेगा, उसका उत्तर यह दें।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, ओलावृष्टि से जिनको नुकसान हुआ, उनको सरकार ने सहायता दी, उसके लिए सरकार को बहुत धन्यवाद। गये साल भी यही हुआ था, ओलावृष्टि से जिनका नुकसान हुआ, उनको तो लाभ मिला था लेकिन बारिश से जिनको नुकसान हुआ, जीरा और ईसबगोल, यह दो ऐसी नाजुक फसलें हैं, इनमें एक बूंद पड़ जाये तो नुकसान हो जाता है, यह गये साल भी हुआ जालौर जिले में और बाड़मेर जिले में, इस साल भी हुआ और उनको आप, अब सीआरएफ में कवर होता है या नहीं होता है, वह तो मुझे नहीं पता और काश्तकारों को भी नहीं पता, लेकिन नुकसान हुआ है और इसलिए उनके बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार सरकार करे, गये साल भी नहीं दिया था कुछ भी, इस साल उनको अवश्य कुछ न कुछ राहत दे। अकाल राहत में उनको अभावग्रस्त करे और मुआवजा भी देने की कोशिश करे सरकार, यह मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी: अध्यक्ष महोदयस, ईसबगोल एक ऐसी फसल है जो बरसात की एक बूंद गिरते ही पूरी फसल नष्ट हो जाती है, सारी की सारी।

श्री अध्यक्ष: यह कह दिया उन्होंने, जोगेश्वर गर्ग ने यह बात कह दी। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी: औरों में इतना नहीं होता है, ईसबगोल की फसल में होता है।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाड़ौती संभाग में जहां-जहां खराबा बताया, उसमें बूंदी में केशोरायपाटन जहां से श्री बाबूलालजी मंत्री हैं, वहां पाँच गांवों में जबरदस्त नुकसान हुआ है और आपने

(श्री हरिमोहन शर्मा)

उन गांवों के मामले में, बूंदी जिले के मामले में एक भी गांव का नाम नहीं लिया तो अगर आपको हाड़ौती संभाग की जानकारी लेनी थी और जब हमने यहां पर स्थगन प्रस्ताव लगाया था उसमें इन गांवों का नाम भी था, तो आपने जानबूझ कर बूंदी जिले की उपेक्षा कर उसकी जानकारी नहीं करके सदन को क्यों नहीं बताया। दूसरा मेरा निवेदन है कि गवर्नमैंट आफ इंडिया ने जो क्राइटेरिया बनाया है, ठीक है उन्होंने बनाया, लेकिन नये दृष्टिकोण से, नई सोच से हो सकता है हमने कुछ कम किया हो,आप यह कहना चाहते हैं कि आपने दस लाख दिये, हम तो एक करोड़ दे रहे थे, तो यह आब्लीगेशन नहीं है। नई सोच से, काश्तकारों की जो दुर्दशा हो रही है, उस बात में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य में जो भी परिवर्तन किये जा सकते हैं वह करने चाहिए और मैं यह कहता हूं, जो क्रोप लोन को-आपरेटिव बैंक ने दिया है, आपने स्थगित किया है, जिन-जिन लोगों को को-आपरेटिव लोन कापरेटिव बैंक ने दिया है, वह तो माफ होना चाहिए जब उनकी फसल ही नष्ट हो गई है। वह आप डेफर कर देंगे तो एक मार्जिनल फार्मर, वह कहां से देगा, कहां से लायेगा वह? अगले साल ले आयेगा मार्जिनल फार्मर? जिसके पास छह बीघा जमीन है, चार बीघा जमीन है, वह कहां से ले आयेगा? तो कापरेटिव बैंक के माध्यम से जो क्रोप लोन दिया गया है वह क्रोप लोन भी एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए और इसके साथ जो-जो ओलापीड़ित और जो स्थान हैं उन सभी गांवों को चाहे वह पचास से भी कम हो, तो विशेष रूप से अभावग्रस्त घोषित कर वहां अकाल राहत काम और दूसरे काम उपलब्ध कराये जाने चाहिए। इस दृष्टिकोण से अगर सरकार ने नहीं सोचा..

श्री अध्यक्ष: अब कह दिया। श्री माहिर आजाद। अब आप बिराजिये, कह दी अपनी बात।

श्री हरिमोहन शर्मा: तो आगे आने वाला जो समय है, किसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, आंदोलन करेगा और मुकाबला करेगा और आपको रावला और घड़साना की तरह उन काश्तकारों पर गोली चलाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मेरा सरकार से अनुरोध है, (व्यवधान) आप होकर आये थे, आप दोनों ही होकर आये थे, वहां आप कह आये, इधर से कापरेटिव मिनिस्टर साहब कह आये, इतना लोन माफ कर दूंगा, इतने पैसे दिलवा दूंगा, क्या हुआ, क्राइटेरिया के हिसाब से मिल रहा है, काहे को गये आप लोग वहां, काहे को जनता को

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आश्वासित किया, काहे को लोगों से झूठे वायदे किये, आपने जबरदस्ती वाहवाही(व्यवधान) लूटने के लिए वहां करना, और वास्तविकता दूसरी है इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है...

श्री बाबूलाल वर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले की जो बात कही है माननीय सदस्य ने, मैं आपके ध्यान के लिए यह कहना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिमोहन शर्मा: आप बताओ हुआ कि नहीं हुआ आपके यहां।

श्री बाबूलाल शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले की जो बात माननीय सदस्य ने कही है...

मोहम्मद माहिर आजाद: मेरा नाम पुकारा है मंत्रीजी, एक मिनट।

श्री बाबूलाल वर्मा: मैं खुद वहां जाकर आया था परसों...

मोहम्मद माहिर आजाद: मंत्रीजी, एक मिनट।(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: नुकसान नहीं हुआ है तो कह दो आप कि नहीं हुआ। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इनको गोली चलाने की याद करा रहे हो...

श्री हरिमोहन शर्मा: नुकसान हुआ है तो नाम क्यों नहीं है... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा: नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट फर्द हुई है, यह मैं परसों वहां कन्फर्म करके आया हूं और यह बात बिलकुल, नुकसान के बाद जब...

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाओ, बैठ जाओ।

श्री हरिमोहन शर्मा: आप वहां होकर आये, मैंने यह थोड़े ही कहा कि आप नहीं गये। लेकिन जो नुकसान हुआ है माननीय मंत्रीजी ने क्यों नहीं बताया?(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें बाबूलालजी, माननीय मंत्री। माननीय मंत्री, स्थान ग्रहण करें।

श्री बाबूलाल वर्मा: गिरदावरी हो चुकी है और रिकार्ड में वह चीज आई....(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: वहां जो हुआ है उसको बता ही नहीं रहे हैं।

श्री भवानी सिंह राजावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य हाड़ौती को घड़साना बनाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: अगर अन्याय किया तो हाड़ौती घड़साना बनकर रहेगा।(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत: नहीं-नहीं, आपने कोशिश की, आपसे चक्का जाम ही नहीं हुआ।

श्री हरिमोहन शर्मा: अगर सरकार अन्याय करेगी तो किसान मुकाबला करेंगे, आप गोलियों से भून देना, लेकिन हाड़ौती का किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा, चाहे सरकार कितना ही अत्याचार करे, हम झुकने वाले नहीं हैं।(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत: आप चाहो गोली चला दें, तो किसान आपके कहने में नहीं हैं। हाड़ौती के किसान को पहली बार सहायता हमने दी है। (व्यवधान) हाड़ौती के किसान के दु:ख-दर्द में पहली बार भागीदार हम बने हैं।

श्री बाबूलाल वर्मा: किसान आपके भरोसे नहीं हैं, किसान अच्छी तरह जानते हैं, कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा हितैषी नहीं है। यह घड़ियाली आंसू बहाने वालों को किसान अच्छी तरह से जानते हैं।(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत: बांई मुख्य नहर टूटी, किसान को दूसरे दिन सहायता मिली। अब ओले पड़े तो भी किसान को दूसरे दिन सहायता मिली। लेकिन आप गोलियां चलवा कर किसान को सहायता दिला रहे हो, यह मंसूबे आपके पूरे नहीं हो सकते।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। (व्यवधान) माननीय संसदीय सचिव, माननीय संसदीय सचिव। माननीय संसदीय सचिव। (व्यवधान) हिंडौली से आने वाले माननीय सदस्य, किसान बहुत शांतिप्रिय होता है, इस तरह के उत्तेजनात्मक भाषण देकर के आप उद्वेलित नहीं करें तो अच्छा होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा: यह पहले उत्तेजित मैंने किया था साहब रावला और घड़साना में? टोंक में मैंने उत्तेजित किया था क्या? वह टोंक में मेरे कहने से गोली चली है? रावला और घड़साना में मेरे कहने से गोली चली है?

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्लीज। स्थान ग्रहण करें आप।

श्री हरिमोहन शर्मा: अधिकारों की लड़ाई के लिए, अगर बोलने के लिए बाध्य हो सरकार, तो इनकी गोली खायेंगे, लेकिन उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। आसन कह रहा है,स्थान ग्रहण करें।

श्री जोगाराम पटेल: आपके भड़काये हुए वह पछता रहे हैं अब। अब पछता रहे हैं कि इनके भड़काये हुए भड़क गये हम। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप हार्ट पेशेंट हैं। आप हार्ट पेशेंट हैं..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: जब लड़ाई की बात होती है तो भाग जाते हैं यह, कोई मरा हो तो बता दो। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत: और इन्हीं की बदौलत जो, रावला-घड़साना जो प्रकरण हुआ, वह इन्हीं की सरकार की देन थी..(व्यवधान) इन्हीं की सरकार की देन थी और इन्हीं की बदौलत रावला और घड़साना जो कांड हुआ, आपकी बदौलत था। आपकी सरकारि के ही सारे कारनामे थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन: वहां उकसा कर भाग गये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से दो स्पेसिफिक ...

श्री अध्यक्ष: अब पीछे प्रेस की तरफ क्यों देख रहे हैं आप अब?

मोहम्मद माहिर आजाद: नहीं-नहीं, कुछ नहीं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: प्रेस की तरफ नहीं देख रहा हूं और मैं घूमता भी नहीं हूं, आप गलतफहमी में नहीं रहें। प्रेस वाले कोई दूसरे ही होंगे। प्रेस से कोई लेना-देना नहीं है। रोज बोलते हैं, सोचकर लाते हैं, समझ कर लाते हैं और मुद्दे उठाते हैं, जब प्रेस देखता है, ऐसे नहीं देखता।

श्री अध्यक्ष: तो पीछे क्या देख रहे थे? तो पीछे क्या देख रहे थे?

श्री हरिमोहन शर्मा: ऐसे तो संसदीय सचिव, जो प्रभारी मंत्री हैं संसदीय सचिव, जो सूचना और प्रसारण को देखते हैं, यह काम तो उनका है।

श्री भवानी सिंह राजावत: अच्छा।

मोहम्मद माहिर आजाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से दो स्पेसिफिक सवाल करना चाहता हूं कि आपने डीग में भरतपुर जिले में जो बिजली गिरने से दो महिलाओं की मृत्यु

हुई उनको जो पचास हजार रूपये सहायता की घोषणा की है वह अंतरिम सहायता है या कुल पचास हजार रूपये आप देंगे, पहला सवाल। दूसरा मैं आपसे यह जानना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि मृत्यु के अलावा बीसियों ऐसे लोग हैं जो बिजली गिरने से घायल हुए हैं, उनके बारे में आपकी क्या सोच है, उनको भी कुछ आप सहायता देने का इरादा रखते हैं क्या, आपकी जिला प्रशासन से बात हो गई होगी, कृपया उससे भी सदन को अवगत कराने का कष्ट करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां जी, आप भी बोल दीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद: प्रमोदजी, एक मिनट, जवाब आ जाय। जवाब आ जाय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह उनके बाद में दे देंगे, साथ ही दे देंगे।

श्री प्रमोद जैन 'भाया': वह एक साथ ही दे देंगे न सब। जो राहत की घोषणा की मंत्री महोदय ने, उसके लिए तो मैं उनका धन्यवाद देता हूं लेकिन मेरा निवेदन है एक तो जहां पर ओलों से पचास प्रतिशत से ज्यादा नुकसान है वहां के काश्तकारों के लिए बिजली के बिलों को माफ कराया जावे, यह बहुत जरूरी है। नम्बर दो, जो राहत का पैकेज है, यह बाबा आदम के जमाने का है, आज की तारीख में एक-एक काश्तकार के एक-एक बीघा में दस दस हजार रूपये का नुकसान हुआ है, नुकसान उस स्थिति में हुआ है जब फसल कटने की स्थिति में थी तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार करें। नम्बर तीन, जो बड़े काश्तकारों को वंचित रखा गया है, मेरा इसमें सुझाव है कि कई बड़े ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने भी कर्जा लेकर फसल को बोया है और उनके लिए जो मुआवजा खाली डबल इन्होंने घोषित किया है वह अपर्याप्त है।

उनके जो वास्तविक मुआवजा है उसके अन्तर्गत उन्हें भी उसी बीघा के अनुसार मुआवजा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अब आप क्या पूछेंगे?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: मेरा निवेदन यह है कि क्योंकि सहायता मंत्रीजी

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

सबका जवाब देने वाले हैं तो एक डवटेल का जो मैंने मुद्दा उठाया था कृपया उसमें भी मंत्री महोदय अगर...। जो अकाल राहत कार्यों में लगाते हैं उसमें जो अभी श्रम राशि का जो भुगतान किया जा रहा है कुशल मजदूर और अकुशल मजदूर में जो भेद किया जा रहा है कृपया उसका भी स्पष्टीकरण दिलवाने का कष्ट करें।

श्री श्रवण कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी, आपने खराबा और जो इंश्योरेंस के पैसे देते हैं इसमें तहसील को क्राइटेरिया माना है, हम यह कहना चाहते हैं कि तहसील पूरी कभी खराबे में नहीं आ सकती तो इसको गिरदावर हलका मान करके इसको खराबे में माना जाए।

श्री अध्यक्ष: वो बीमा जिस वक्त कानून बन रहा था उस समय हो गया तहसील का।

श्री श्रवण कुमार: मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को आप जो बड़े किसान मान रहे हो लेकिन अब तो किसान बड़े रहे नहीं सब अलग-अलग हो गये पांच-पांच बीघा जमीन आती है बीच में जो खाता बड़ा है उसी को बड़ा मान करके आप बड़ा खातेदार मान लेते हैं। दादा के नाम जमीन है बेटे के आ गयी, पोते के आ गयी उसको आप बड़ा मान रहे हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं किसान के पास 15 बीघा से ऊपर है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, मंत्री जी देंगे जवाब।

श्री श्रवण कुमार: और केवल उन्हीं लोगों को जिनको छोटा किसान मानकर जो आपके रिकार्ड में छोटे किसान आ गये उन्हीं को आप फायदा दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बस अब आप विराजें।

श्री नरपत सिंह राजवी: ये हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य को बड़ा किसान मानते हैं बाकी को नहीं।

श्री मंगलाराम गोदारा: माननीय अध्यक्षजी, मैं भी एक छोटा सा मंत्री जी को सुझाव दूं कि मेरे डूंगरगढ़ तहसील में भयंकर अकाल है और गिरदावरी पचास प्रतिशत से कम हुई है इसलिए मैं यह चाहता हूं कि गिरदावरी या तो दुबारा करवायें।

श्री अध्यक्ष: केवल ओलावृष्टि पर वक्तव्य दिया है इन्होंने अकाल पर नहीं दिया है। ओलावृष्टि पर दिया है।

श्री मंगलाराम गोदारा: ओलावृष्टि से ही उससे ही ज्यादा खराबा है हमारे तो पहले ही ओलावृष्टि हो गयी।

श्री अर्जुनलाल जीनगर: अध्यक्ष महोदय, एक मेरा भी निवेदन है थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में राश्मी तहसील को अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया जबकि एक इतना सा निवेदन था कि अजवाइन की फसल मेरे यहां अच्छी होती है और वो रबी की फसल है और उस रबी की फसल को खरीफ की फसल में उसकी गिरदावरी कर ली जबकि ऐसा हुआ ही नहीं आज दिन तक वो फसल पक कर के तैयार नहीं हुई जिस समय खरीफ में और उसको इस तरह से ले लिया जिससे कि वो क्षेत्र अकालग्रस्त होते-होते रह गया इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें अजवाइन की फसल को बाहर करके पुन: गणना करवायी जाए तो राश्मी तहसील अकालग्रस्त में घोषित हो सकती है इतना मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले प्रतिपक्ष के नेता का बड़ा अच्छा सुझाव आया उसके बाद में डूंगरगढ़ के माननीय विधायक बोल रहे थे, लूणकरणसर के बोल रहे थे, पिलानी, बारां और सबका यह था, काफी का यह था कि अकाल की गिरदावरी ठीक नहीं हुई उसको सही किया जाए और प्रतिपक्ष के नेता का था कि पचास प्रतिशत से नीचे का जो खराबा हुआ है उस पर विचार किया जाए ओलावृष्टि में । प्रतिपक्ष के नेता काफी प्रभावशाली हैं इनको सोनिया जी ने बुलाकर प्रतिपक्ष का नेता बनाया है तो मैं चाहूंगा कि भारत सरकार की गाइड लाइंस तय है उनमें अगर ये परिवर्तन करवा दें कि पचास प्रतिशत से नीचे का भी अगर इनको कुछ कंपेंसेट किया जा सके तो राजस्थान ...

श्री रामनारायण मीणा: ..(व्यवधान)... सोनिया जी कहां से बीच में आ गयी?

श्री रामनारायण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, आगजनी में जितना भी नुकसान होता है उसका प्रतिशत में उतना मिलता है और यहां आप पचास प्रतिशत से ऊपर वालों को ले रहे हैं नीचे वालों को आप कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं और फायर और फ्लड के अन्दर जितना जिसका लोस हुआ है उसके आधार पर लोस को कंपेंसेट करते हैं। आप तो पचास वालों से ऊपर वालों को ले रहे हैं नीचे वाले तो बेचारे मर जाएं भले ही। अब आप कह रहे हो कि

(श्री रामनारायण चौधरी)

माननीय प्रतिपक्ष के नेता बहुत प्रभावशाली हैं, मैं किस बात का प्रभावशाली हूं राज तो आप लिये बैठे हो।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता बन गये प्रभावशाली तो हो ही।

श्री रामनारायण चौधरी: नहीं-नहीं, काहे का प्रभावशाली हूं ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़: नहीं-नहीं साहब, प्रतिपक्ष का नेता इस सदन का प्रतिपक्ष का नेता है अध्यक्ष महोदय, यह प्रतिपक्ष के नेता हैं इस सदन के इसलिए यह नहीं हो, सकता कि प्रभावशाली नहीं हों काफी प्रभावशाली हैं। इनका प्रभाव चहुं ओर प्रभाव है और अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा... ।

श्री अध्यक्ष: सदन के नेता के बाद ये ही प्रभावशाली हैं। सदन के नेता के बाद प्रतिपक्ष का नेता ही प्रभावशाली है।

श्री हरिमोहन शर्मा: ये आपकी तरह खुद का गुणगान नहीं करते प्रभावशाली होते हुए भी ये कह रहे हैं कि नहीं हैं और आप प्रभावशाली नहीं होते हुए भी कहते रहते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़: ...(व्यवधान)...आपका कितना प्रभाव है, अभी आपका अभिनंदन हुआ था मंडावा में उसमें कितने लोग आये थे। आपका प्रभाव है तभी तो आये थे।

मोहम्मद माहिर आजाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब तो आपने दिया नहीं ...(व्यवधान)... और ये डीग तो मेरे क्षेत्र में आ गया भरतपुर से लेकर उसका तो जवाब दो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़: वहां मुख्य मंत्री बनने की बात भी आयी। वहां यह भी मांग उठी थी कि अगर इसी तरह अभिनंदन होता रहा तो आप अगले मुख्य मंत्री बनेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मोदी साहब ने भाषण दिया कितना शांति और शालीनता से दिया और हमारे पार्लियामेंटरी मिनिस्टर हैं हरदम गुस्से में रहते हैं हर जगह राठौड़ी निकालते हैं। ये क्यों इतना गुस्सा करते हो? इतने क्यों भभकते हो आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़: मैं तो आपका प्रशंसक हूं साहब मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं वो तो आपको ताकत का अहसास दिला रहे हैं।

श्रीमती ममता शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा था और अपने सुझाव दिये थे कि तीस प्रतिशत आय जो कृषि उपज मंडियों की हैं जो बोर्ड में चली जाती है उसको अगर इधर रख लिया जाए तो किसानों को उससे आप आराम से मुआवजा दे सकते हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: मैं मेरा जवाब दे लूं एक बार।

श्रीमती ममता शर्मा: और दूसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि जिसका स्थगन प्रस्ताव था हाड़ौती संभाग का कोटा संभाग का वो तो दब कर रह गया और पूरे राजस्थान की बात होने लगी तो आप माननीय मंत्री महोदय, इसका उत्तर दें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: मैं जवाब दे रहा हूं मेरे कहने का मतलब यह है कि अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं प्रावधान यह है भारत सरकार का कि पचास प्रतिशत से ऊपर जो खराबा है उसी को मदद सीआरएफ के नार्म्स के हिसाब से दी जाएगी उसके नीचे का जो खराबा है उसमें मदद नहीं दी जाएगी। यह मैं सदन को स्पष्ट कर रहा हूं इसमें किसी प्रकार का... ।

श्री रामनारायण मीणा: माननीय मंत्री जी, राजस्थान सरकार कुछ कर सकती है क्या आप दिल्ली ही दिल्ली की बात कहोगे, आप क्या करोगे हमें तो इतना चाहिए । आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो अपने पास से पैसा और नहीं देना चाहते हो तो आप साफ कह दो यह क्या भारत सरकार कभी और कभी सोनिया जी। क्या मतलब है आपका?

श्री रामनारायण चौधरी: आप मंत्रिमंडल में रखें अकाल राहत मंत्री महोदय, यह एक ऐसा इश्यू है यह एक एग्जम्पलरी कदम होगा आपकी सरकार का कि इसको मंत्रिमंडल में रखिये। इस बात पर सोचो । पचास परसेंट से ऊपर वालों का तो ठीक है नीचे वालों का कुछ भी नहीं करोगे?

डा. किरोड़ी लाल मीणा: हम तो प्रतिपक्ष के नेता जी कैबिनेट में भी रख देंगे गांव की गिरदावरी भी दुबारा करा लेंगे सीआरएफ के नार्म्स को भी हम ज्यादा से ज्यादा जैसा आप चाहेंगे वैसा करवा देंगे, आप ऊपर से करवा दोगे क्या? बोलो आप सारे। हम मापदंड से बारह नहीं जा सकते। आप करवा दोगे?

श्री महावीर प्रसाद जैन: आप वहां जाने से क्यों डर रहे हो? वहां जाकर बात करने के लिए ही क्यों डर रहे हैं? प्रतिपक्ष के नेता महोदय, कम से कम वहां जाकर सिफारिश तो कर दें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: ऊपर से जो आ रहा है उसको तो आप बांट ही रहे हैं उसमें सहयोग कितना करेंगे वो बतायें न? आप तो उसमें संशोधन करते जा रहे हैं आप अपना भी तो अब तक का कुछ बताइये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: वो मैं बता रहा हूं । पहली बार राजस्थान में पिछली बार जब ओले पड़े थे तो 28.15 करोड़ के बिजली के बिल माफ किये थे हमने। वो हमने हमारे स्टेट ग्रांट से दिये थे और हमने रिलीफ के वर्क्स करवाये थे जिसमें 35 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ था। आपने एक पाइप एक धेला पिछला रिकार्ड उठा कर देख लें किसी को भी रिलीफ दी हो और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि आसमान से बिजली गिरने से कोई मर जाता था तो एक पाई नहीं देते थे पहले यह शुरूआत हमने की है कि हमने पचास हजार रुपये किये हैं आपने नहीं दिये और अब यह पूछ रहे थे नगर से आने वाले माननीय सदस्य की घायलों का क्या है, तो जो गंभीर रूप से घायल हैं जिनका लिम्ब एम्प्यूट हो गया है तो हमारा प्रावधान है हम उनको 25 हजार रुपये देंगे और ऐसे ही मान लो कोई सीरियस इलाज करा रहा है तो हम उनको पांच हजार रुपये देंगे। हम हर तरह से मदद देने के लिए तैयार हैं । अपनी तरफ से हम पीछे हटने की स्थिति में नहीं हैं। हम इस विकट परिस्थिति में किसान के साथ जो गुजर रही है उस किसान के साथ पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं और हमने उनको अभावग्रस्त घोषित किया है हम वहां काम भी करेंगे लेकिन यह उकसाने की बात जो कई बार कहते हैं हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप जो प्रोवोक मत करो, घड़साना मत बनाओ ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण कर लें हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा: ...(व्यवधान)... आपके मुकाबले में कोई भड़काने वाला व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता मैं कहां लगता हूं आपके।

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: आप तो इतने दिन से सदन में बैठे हो मैंने कोई भड़काने वाली बात नहीं की है । आपने बूंदी की बात की है पाँच गांव की उसमें पचास प्रतिशत से नीचे का खराबा है वो रिकार्ड में नहीं आया उसको हम

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

करेक्ट कर लेंगे और हम आपको सूचना दे देंगे और किसी माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है उसमें मोटी सी बात यह है कि

50 परसेंट से ऊपर का खराबा यह टेलीफोनिक सूचना है और विशेष सर्वे होने के बाद जो सूचना आयेगी हम उनको अकालग्रस्त घोषित करेंगे और मैंने जो घोषणा पैकेज घोषित किया है उसकी हम पालना करेंगे ।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सिर्फ इतना सा पूछना चाहूंगा कि सीआरएफ की जो गाइड लाइन है उसमें राज्य सरकार को कोई रोका थोड़े ही है कि आप अपनी तरफ से सहायता नहीं देंगे ।

श्री अध्यक्ष: अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

श्री जुबेर खान : आप इतना सा बता दीजिए कि केन्द्र सरकार के जो मापदंड हैं उनमें क्या राज्य सरकार पर रोक लगाई है कि वे अपने स्तर पर कोई मदद नहीं दे सकती । आप अपनी तरफ से तो कर सकते हैं । आप सीआरएफ का बहाना लेकर टालमटोल मत कीजिए । या तो आप यह कह दीजिए कि सीआरएफ में रोक लगाई हुई है ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैं किसान को फसल का एक लाख रुपये बीघा देना चाहता हूं आप सीआरएफ की गाइड लाइन में प्रोविजन करा दोगे ?

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है । केन्द्र सरकार ने स्टेट पर रोक नहीं लगाई है । आप हरियाणा के मापदंड देख लीजिए । आपका पडौसी राज्य है हरियाणा में जितना पैसा मिलता है, सीआरएफ तो उनके लिये भी उतना ही है, उनको ज्यादा मुआवजा मिलता है । चाहे पशुधन मर जाये, चाहे आग लग जाये, चाहे ओलावृष्टि हो जाये, चाहे फसल का खराबा हो जाये वह अपने राज्य सरकार के बजट से देते हैं । कोई केन्द्र सरकार ने क्या राज्य सरकार पर रोक लगाई हुई है क्या ? आप क्यों नहीं पहल करते अपनी तरफ से ? आप सीआरएफ के बहाने से यह टालमटोल मत कीजिए ।

श्री वीरेन्द्र मीणा: हमारे 1 हजार 38 करोड रुपये वो तो दिलवा दो आप पहले जिसके लिये पाँच बार हम वहां जाकर आ गये ।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई ।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने डवटेल वाला जवाब नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई । राम का घाटा कभी राज से पूरा नहीं होता है फिर भी मंत्री जी, बीच में नहीं आसन पांवों पर है , फिर भी मंत्री जी जैसा कि नेता प्रतिपक्ष आपको सुझाव दे रहे हैं कम से कम और कुछ नहीं तो उनके बिजली के बिल कुछ समय के लिये स्थगित कर दें जिनके 49 परसेंट हुआ है । ऐसी कोई छोटी मोटी रिलीफ उन्हें भी दे दें क्या दिक्कत है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सदन के सदस्यों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली राशि के संबंध में है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हो चुकी है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : मंत्री महोदय आप डवटेल की राशि का जवाब दें , कोई जवाब नहीं है, ऐसे ही दबायेंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं अब कोई जवाब नहीं देंगे। अब सहकारिता मंत्रीजी खडे हैं। अब नहीं अब चर्चा समाप्त हो चुकी है। चर्चा समाप्त हो चुकी है अबके आपको दे दूंगी । अब आप पूछेंगे तो आपको समय दूंगी।

श्री प्रभुलाल : किसानों के हित की बात है , किसानों को कुचला जा रहा है। मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हो चुकी है, चर्चा समाप्त होने के बाद आसन को बाध्य नहीं किया जाता आप आसन को बाध्य कर रहे हैं। मैं अब चर्चा की अनुमति नहीं दूंगी । चर्चा समाप्त हो गई।

श्री प्रभुलाल : ग्राम में खरीद का कांटा हमेशा खुलता था वह इस साल बंद कर दिया गया है । इस गांव के लोग अपनी ट्रोलियां भर भरकर ओने पोने भावों पर सरसों बेच रहे हैं वह कांटा वापस खुलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हो गई, वह जवाब दे रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं आप सुन ही नहीं रहे हैं, यही तो देंगे वक्तव्य ।

राज्य में सरसों की सरकारी खरीद बाबत

श्री मदन दिलावर (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से राजस्थान में रबी में सरसों की भरपूर फसल होती है तथा देश में सरसों उत्पादन में देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है । रबी सीजन 2006 में राज्य में लगभग 40 लाख मैट्रिक टन सरसों उत्पादन की आशा है । वर्ष 2005 में देश में समर्थन मूल्य पर लगभग 21 लाख मैट्रिक टन की रिकार्ड खरीद हुई थी ।

(श्री मदन दिलावर)

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने हमको 1 अप्रैल से सरसों खरीदने के लिये निर्देश दिये थे परन्तु किसानों की स्थिति को देखते हुए और राजस्थान में जल्दी सरसों की आवक को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार से बात करके इसको 1 मार्च करवा लिया है यानि 1 मार्च से सरसों की खरीद होगी ऐसे आदेश नेफेड ने हमको दिये हैं और उसी आधार पर हमने 1 मार्च से सरसों खरीदने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है । इस वर्ष सरसों की बम्पर फसल को देखते हुए राज्य सरकार व राजफैड द्वारा 20 लाख मैट्रिक टन सरसों की खरीद के लिए 2.35 करोड बोरी बारदाना, भंडारण स्थान एवं किसानों को समय पर भुगतान की व्यवस्था हेतु 3600 करोड रुपये की आवश्यकता होगी । इस हेतु नेफेड को 900 करोड रुपये अग्रिम के रूप में उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया है ।

(समय: 16.42 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

2006-07 में समर्थन मूल्य पर एफ ए क्यू श्रेणी की सरसों की आवक के साथ ही कोटा संभाग में खरीद दिनांक 1.3.06 से आरंभ कर दी गई है । अन्य संभागों में एफ ए क्यू श्रेणी की सरसों की आवक आरंभ होते ही सरसों खरीद आरंभ कर दी जायेगी । एफ ए क्यू से हमारा तात्पर्य नमी कम से कम 8 प्रतिशत हो । दिनांक 8.3.06 तक कोटा संभाग में 1,40,067 बोरी यानि 13,306 मैट्रिक टन राशि की खरीद कर चुके हैं जो कि राजफैड एवं तिलम संघ द्वारा यह खरीद की जा रही है । वर्तमान में भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर संभाग में सरसों में नमी की मात्रा 9 से 20 प्रतिशत के मध्य बतलाई जा रही है । बीकानेर संभाग में अभी सरसों की आवक आरंभ नहीं हुई है, यहां मार्च के अंतिम सप्ताह अथवा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सरसों आने लगेगी । विभिन्न संभागों केन्द्रों पर आ रही सरसों की आवक एवं नमी की मात्रा से स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल 8 प्रतिशत से अधिक नमी की सरसों उपलब्ध हो रही है , जिसे भारत सरकार के गुणवत्ता मापदंडों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा करना संभव नहीं है।

हमने त्वरित कार्यवाही हेतु राजफैड एवं सहकारिता विभाग के मध्य पत्राचार आदि में समय व श्रम की बचत करने तथा बेहतर समन्वय एवं शीघ्र निर्णय हेतु सिंगल फाइल सिस्टम लागू कर दिया गया है । सभी क्रय विक्रय

(श्री मदन दिलावर)

सहकारी समितियों के प्रशासकों को राजफैड द्वारा मोबाइल फोन उपलब्ध कराये गये हैं एवं क्रय केन्द्रों को भी मोबाइल फोन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की जा रही है । राजफैड के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से सरसों खरीद की सूचना ई-मेल द्वारा राजफैड मुख्यालय को प्रेषित की जावेगी ताकि त्वरित रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके । इसी क्रम में राजफैड द्वारा पब्लिक काल सेंटर भी स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष नंबर 1901-1600-2006 बी एस एन एल द्वारा आवंटित किया गया है 1 काल सेंटर प्रारम्भ होने पर किसान भाइयों की समस्याओं का त्वरित गति से समाधान किया जा सकेगा । इस एक नंबर को डायल करने से राजस्थान में कहीं से भी शिकायतकर्ता या सुझाव देने वाला व्यक्ति राजफैड के सम्पर्क में आ जायेगा ।

रबी वर्ष 2006-07 के लिए राजफैड द्वारा प्रथम चरण में 207 एवं तिलम संघ द्वारा 55 क्रय केन्द्रों का चयन किया गया है । समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद एवं तुलाई निर्धारित क्रय केन्द्र पर ही की जायेगी । प्रत्येक क्रय केन्द्र के अंतर्गत आने वाले गांवों को चिह्नित कर क्रय केन्द्र पर प्रचारित किया जा रहा है ताकि किसी केन्द्र पर बेचान हेतु एक निश्चित क्षेत्र से ही किसान आवें एवं किसानों को अपनी जिन्स बेचने हेतु अधिक दूर न जाना पडे । क्रय विक्रय सहकारी समिति/तिलहन उत्पादक सहकारी समिति द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के किसानों की सरसों ही संबंधित क्रय केन्द्र पर गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर क्रय की जायेगी । क्रय केन्द्र के क्षेत्राधिकार का निर्धारण करने के लिए रजिस्ट्रार सहकारी समितियां के परिपत्र क्रमांक 1-300 दिनांक 2.4.2005 द्वारा जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया हुआ है । कलक्टर अपने स्तर पर व्यापक जनहित में क्रय केन्द्रों के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण कर सकेंगे । किसी जिले में कतिपय ग्राम पास के अन्य जिले के क्रय केन्द्र के निकट हो सकते हैं । ऐसे मामले में सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक के अनुसार यह व्यवस्था कर सकेगा कि एक जिले के किसी क्रय केन्द्र के कार्य क्षेत्र में दूसरे निकटवर्ती जिले के निकटवर्ती ग्राम को जोडने के लिए संबंधित संभाग के संभागीय आयुक्त अधिकृत होंगे तथा वे अपने स्तर पर व्यापक जनहित में क्रय केन्द्रों के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण कर सकेंगे । सीधे कृषकों से खरीद के लिए क्रय केन्द्र पर कृषक की पहचान एवं कृषि जिन्स के बुआई के रकबे के समानुपात में पैदावार सुनिश्चित करने के लिए

(श्री मदन दिलावर)

रेवेन्यु पास बुक एवं खसरा गिरदावरी रिपोर्ट देखे जाने के प्रावधान हैं । राजस्व रिकार्ड से संबंधित अनेक प्रकार की कठिनाइयां सामने आई है । समर्थन मूल्य योजना का लाभ वास्तविक किसानों को दिलाने हेतु रेवेन्यु रिकार्ड एवं खसरा गिरदावरी से संबंधित समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के लिए सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 5.4.05 द्वारा जारी कर दिये गये हैं । सरसों की खरहीद गिरदावरी रिपोर्ट/गिरदावरी प्रमाण पत्र लेकर आने वाले किसानों से जिले के औसत उत्पादन के आधार पर की जायेगी । यदि औसत उत्पादन 10 प्रतिशत औसत से अधिक बतलाया जाता है तो संबंधित तहसीलदार से भी गिरदावरी रिपोर्ट/ गिरदावरी प्रमाण-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करवायें जावेंगे । क्रय केन्द्र पर प्राप्त होने वाली गिरदावरी रिपोर्ट/ प्रमाण-पत्र की आकस्मिक (रेंडम) चैकिंग संबंधित तहसीलदार कार्यालय से करवाई जायेगी ताकि व्यापारी या अन्य लोग इसका अनुचित लाभ न उठा सके ।

किसानों से सरसों की खरीद मण्डी समिति द्वारा जारी गेट पास की क्रम संख्या के प्राथमिकता क्रम में की जायेगी तथा इसी क्रम में खरीद निरन्तर जारी रखी जायेगी अर्थात 'प्रथम आवक प्रथम पावक' सिद्धान्त की पालना की जायेगी । क्रय केन्द्र पर आवक बढ़ने की स्थिति में प्रतिदिन की सरसों की तुलाई एवं भंडारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन की खरीद मात्रा निर्धारित की जायेगी तथा क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा किसान को उसकी सरसों की तुलाई के लिए एक निश्चित तिथि की पर्ची जारी की जायेगी ताकि किसान को अनावश्यक रूप से अपनी सरसों तुलाने के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़े और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े । किसान के द्वारा अपनी खसरा गिरदावरी की मूल प्रति एवं पहचान हेतु अन्य प्रमाणिक दस्तावेज क्रय केन्द्र पर प्रस्तुत करने पर केन्द्र प्रभारी द्वारा किसान को तुलाई की दिनांक हेतु जारी की जाने वाली पर्ची पर किसान की गाडी ट्रेक्टर ट्रोली नंबर आदि भी अंकित किया जायेगा ।

जारी की जाने वाली पर्ची पर किसान की गाड़ी,टैक्टर, ट्रोली नम्बर आदि भी अंकित किया जाए। किसान को तुलाई के दिनांक हेतु दी गई पर्ची सरसों की किस्म का प्रमाण नहीं है। तुलाई की पर्ची किसान के अतिरिक्त किसी व्यापारी/आडतिया,बिचौलियों को जारी नहीं की जाएगी। प्रतिदिन जारी की गई तुलाई की पर्ची का लेखा-जोखा तिथि वार रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कैश बुक की भांति प्रतिदिन रजिस्टर में संबंधित पृष्ठ को रेखांकित

(श्री मदन दिलावर)

कर क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। केन्द्रों पर माइश्चर मीटर और विश्लेषण किट उपलब्ध करा दिये गये ताकि मौके पर ही कृषि जिंसों की नमी आदि का परीक्षण किया जा सके यदि किसी और केन्द्र पर भी आवश्यकता हुई तो माइश्चर मीटर उपलब्ध करा दिये जाएंगे। समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद बारदाना, नैफेड उपलब्ध कराया जाएगा। नैफेड का तीव्र गति से बारदाना आपूर्ति हेतु निवेदन किया गया है।

क्रय केन्द्र पर प्रमाणित तराजू, बाट की आवश्यकतानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जैसे-जैसे आवक बढ़ती है उसी अनुरूप तुलाई, कांटा की संख्या में वृद्धि की जाएगी। प्रतिदिन तुलाई का कार्य प्रात: नौ बजे प्रारम्भ होकर सूर्यास्त तक जारी रहेगा। मण्डी में अवकाश के दिन समर्थन मूल्य पर खरीद स्थगित रखी जाएगी। क्रय केन्द्र पर कृषि उपज मण्डी द्वारा छाया, पानी, बिजली आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। राज्य भण्डारण गृहों में भारी मात्रा में 2005 की खरीदी हुई सरसों रखी होने के कारण इस वर्ष भण्डारण स्थान की विकट समस्या है जिसके निराकरण के लिये राज्य सरकार एवम राजफैड निरन्तर भारत सरकार एवं नैफेड के सम्पर्क में है।

नैफेड द्वारा राज्य से बाहर पुरानी सरसों के लदान, निकटवर्ती राज्य उपलब्ध भण्डारण क्षमता का, नई एवं पुरानी सरसों के भण्डारण हेतु आरक्षण तथा जिला प्रशासन के माध्यम से खाली गोदामों की तलाश का प्रयास किया जा रहा है।

श्री सभापति: माननीय श्री अमराराम धोद।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि कोटा सम्भाग के अलावा इन्होंने कहा है कि बाकी में अभी 8 प्रतिशत से ज्यादा नमी आ रही है, कौन से इनके विभाग है जिन्होंने भरतपुर, जौधपुर में नमी नाप ली और वह 10 प्रतिशत से ज्यादा आ रही है। पहला तो यह है कि सरकार की इच्छाशक्ति नहीं है और जहां कोटा की आप बात कर रहे हैं अभी माननीय सदस्य ने कहा कि आपने, मंत्री महोदय ने दिया कि 1 लाख 40 हजार क्विण्टल खरीदा है और 9 क्विण्टल सरसों खुले बाजार में 1400 के भाव से बिक रही है। आपने यहां भी यह अडंगा लगाया है, आपने यह उत्तर नहीं दिया कि बांरा के जिला कलक्टर ने तमाम वसूली ऋण हो, उपनिवेशन हो, पंचायत का बकाया हो, सब बकाया लेने का कलक्टर ने सरकार

(श्री अमराराम)

के निर्देष से किया है, तब सरकार की साफ इच्छाशक्ति है कि सरकार खरीदना नहीं चाहती। उस गरीब की सरसों बाजार में उन बिचौलियों के पास चली जाए और फिर खरीद केन्द्र में हो जाए वरना ऐसे कार्य कलक्टर ने सरकार की इच्छा से किये हैं जब तो सरकार दोषी है वरना ऐसे जिला कलक्टर जो किसान, जो गरीब किसान पर ऋण है वह लेने के बाद गिरदावरी, मैं समझता हूं कि कोई भी गोदाम में सरसों पैदा नहीं होती अगर आप पूरी की पूरी किसान से लेना चाहेंगे और खरीदेंगे तो बाजार में भी 1700 से ऊपर भाव होगा। आप, नहीं खरीदने का कारण है कि कोटा सबडिविजन में एक मार्च को पन्द्रह सौ, साढ़े पन्द्रह सौ भाव थे वह गिरकर आज 1400 पर आ गए । सरकार अगर पूरी की पूरी जितनी आवक है वह खरीदेगी यह गिरदावरी का फलाना, ऋण का, यह अंडगेबाजी नहीं लगायेगी केवल उनके केन्द्र पर ही, जिस तरह हनुमानगढ़ और गंगानगर में सरसों आपने पिछली साल, जितने भी मण्डी में आडतियां हैं उनके यहां आयेगा, आपका इन्सपैक्टर नमी चैक करेगा अगर सही पाया गया तो वहां तुलेगी और उसके बाद में क्रय, जो भी एजेंसी है उसको पेमेंट करेंगी तभी तुल सकती है, ईवन आपके कांटे दो कांटे आपने कोटा सब डिविजनल में अभी अप्रैल में दे रहे हैं टोकन, कहां से आवक बढ़ जाएगी 1 आप बोकर ही उतने ही दे रहे हैं जितने 500 बोरी एक कांटा केन्द्र पर तुल सकती है, अधिक आ कहां से जाएंगे, आयेगे प्राइवेट मण्डी पर। मैं मंत्री महोदय से इतना ही जानना चाहता हूं कि यह जो जिला कलक्टर ने तमाम वसूली करने के बाद गिरदावरी देने का आदेश अगर सरकार के आदेश से निकाला है तो इसको निरस्त फरमाइये और जिन्होंने निकाला है उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए और जो भी किसान लेकर आ रहे हैं उन सबकी सरसों लाने का इंतजाम करेंगे तो निश्चित रूप से होगा लेकिन सरकार की मनोस्थिति यह है, मानसिकता यह है कि किसान...

श्री सभापति: रिपिटेशन नहीं।

श्री अमराराम (धोद) **:** आधे दामों परबिचौलियों के पास जाए और फिर खरीद केन्द्र पर 1700 के भाव से बेच दे, जिसका इंतजाम करना चाहिये जिससे समर्थन मूल्य का आम किसान को फायदा मिले और कम पानी से सरसों पैदा होती है उसमें राजस्थान आगे बढे, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, भरतसिंह जी (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री प्रभुलाल वर्माः 30 गांवों के किसान इधर उधर ट्रोलियां भर भरकर ओने पौने भावों में बेच रहे हैं। किसान को लूटा जा रहा है, उसकी क्या व्यवस्था की जाएगी, मंत्री महोदय थोड़ा बता दीजिये।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री भरत सिंह : माननीय सभापति जी....

श्री सभापति : आप क्वेश्चन पूछिये।

श्री भरत सिंह : क्वेश्चन ही पूछूंगा मैं। एक तो इन्होंने 22 करोड़ की सरसों अभी जो खरीदी है, 1 लाख 40 हजार बोरी, उसकी कीमत हुई 22 करोड़, चैक देना चालू कर दिया क्या, कब देंगे आप चैक एक चीज तो यह? दूसरी चीज, पिछले साल आपने 14 लाख टन खरीदी थी, इस साल आपका 20 लाख टन है। कांटो की संख्या आपने नहीं बढ़ाई। वह सदस्य यही कह रहे है, उनके यहां कांटा था वह तोड़ दिया। जब आपका लक्ष्य 14 से 20 लाख टन है उसकी तैयारी आपने करी है क्या? पिछले साल एक कांटे पर तुल रही थी, ढाई हजार बोरी एक कांटे पर तुल रही थी वहां आप एक हजार तोल रहे हैं और खरीदना चाहते हैं 20 लाख टन, बता रहे है 3600 करोड, आपकी तैयारी उस प्रकार की नहीं है। किसान को मजबूर होकर, यह 9 लाख बोरी खुले बाजार में तुली है यह अव्यवस्था, किसान के सर पर तो कर्ज लेने वाला खड़ा हुआ है। अगर इस व्यवस्था से चलेगे तो हो गई खरीद। इसके बारे में मंत्री जी जवाब दे कि चैक कब दे रहे हैं, कांटा आपने पिछले साल की तुलना में बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया और अगर कांटे तोडे है तो कहां के तोड़े और कहां नये लगाये इसके बारे में स्पष्टीकरण दे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनिट उनका उत्तर आ जाए।

श्री हरिमोहन शर्मा : साथ ही जवाब दे देना। आप साथ ही दे देना।

श्री सभापति : आप पाइंटेड क्वेश्चन पूछें।

श्री रामनारायण मीणा : दो बात पूछना चाहूंगा। पहली बात तो यह सभापति महोदय देई में सात कांटे लगे थे, इस साल आपने दो लगाये है। नैनवां तहसील में बूंदी जिले की सबसे ज्यादा सरसों पैदा हुई है। तहसील हैडक्वाटर तक में आपने कांटा नहीं लगाया, उसका रिजल्ट यह कल मैंने पर्ची देखी है 27 मार्च की पर्ची दी गई है। किसान सेठ को, साहूकार को, आड़तिया को सरसों देगा, सस्ते भाव में देगा और उसके नाम से सरसों तुलेगी, यह जो

(श्री रामनारायण मीणा)

अव्यवस्था हो रही है जिसके खातिर किसान को बरबाद होना पड़ेगा बारह बाहर सौ, चौदह सौ के लिए, दीगोद से आने वाले विधायक ने तो, 1200 में भाव ले रहे हैं। सरकार, एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्रीजी कहती है कि हमने सरसों निकालने के लिए भारत सरकार से बात कर ली और आप कह रहे है कि गौदाम खाली नहीं हैं। आज गोदाम खाली नहीं हैं सरसों आ चुकी है, आधे से ज्यादा सरसों कट चुकी है, बहुत कम सरसों बची है इसलिऐ कृपा करके, यह सवाल नहीं है, हम तो 15 दिन बाद चले जाएंगे, सरसों तुलेगी जून तक... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप पाइंटेड पूछिये, गोदाम की क्या व्यवस्था है, इतना लंबी चौड़ी भूमिका क्यों बना रहे हैं? माननीय महादेव सिंह जी।

श्री रामनारायण मीणा : भूमिका इसलिए बांधनी पड़ रही है कि सरकार जिम्मेदारी से बचना चाहती है, सरकार की मंशा नहीं है। साहूकारों, सेठों पर इसलिए कन्ट्रोल नहीं कर पा रही है। इनकी सोसाइटीज कितनी हैं आपकी कितनी सोसाइटीज क्रय करेंगी। राजफैड के कितने केन्द्र हैं, किस जगह कितनी सोसाइटी की क्षमता है, आपकी क्षमता का आंकलन नहीं है इसलिए मेरा अर्ज करना है कि एक तहसील में कम से कम आप 6 केन्द्र नहीं तो 4 या 5 केन्द्र खोलने की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिल पाएगी, नहीं तो बात यहीं रह जाएगी।

श्री महादेव सिंह खण्डेला : माननीय सभापति महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि सरसों गोदामों में पैदा नहीं होती। सरसों सारी खेतों और किसानों के घर पैदा होती है। यह गिरदावरी सिस्टम अगर हटा दिया जाए और उसके बावजूद जो भी काश्तकार सरसों लेकर आते हैं उसको बेचने की इजाजत दी जाए तो खुले बाजार में सरसों के भाव ऊपर जाएंगे लेकिन खुले बाजार में व्यापारी यह समझते हैं कि किसान की मजबूरी है और उसको गिरदावरी मिलेगी नहीं और गिरदावरी नहीं होने की वजह से वह मजबूर होकर अपने यहां सरसों लाएगा इसलिए इसकी छूट दिलाई जाए जिससे सरसों का .....(व्यवधान)

श्री सभापति: ममता जी।

श्रीमती ममता शर्मा: माननीय सभापति महोदय, बूंदी जो मण्डी है उसमें करीब आठ-आठ, नौ-नौ दिन तक ट्रोलियां खड़ी रहती हैं और उनका

(श्रीमती ममता शर्मा)

नम्बर नहीं आता। पहले भी हमने कलक्टर को भी लिखकर दिया था कि यहां तीन कांटे और खोले जो बड़े-बड़े सेंटर हैं काडेला, ढाबी और नमाना, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी, माननीय मंत्रीजी, आप कुछ विचार रखते हैं कांटे खोलने का या नहीं? क्योंकि किसान को बहुत मार भुगतनी पड़ती है। 8 9 दिन तक वह रूकता है तो उसके दूसरे खर्चे इतने हो जाते हैं कि जितना कमाता है वह नहीं के बराबर हो जाता है।

श्री सभापति: माननीय जुबेर खान जी।

श्री हेमाराम चौधरी: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आपने गिरदावरी रिपोर्ट के लिए किसान को नोड्यूज सर्टिफिकेट लाने का कहा है, किसान अपना ऋण चुकायेगा कहां से? सरसों बेचने के बाद उसकी जेब में पैसा आयेगा तभी तो ऋण चुकायेगा, आप उससे पहले नोड्यूज सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, पैसे चुकाकर नोड्यूज सर्टिफिकेट लाओ। यह लूटने का साफ तरीका है इसलिए यही कहो किसान को लूटना है, हमने कोई तरीका निकाल दिया, बाद में तो वह...

इसलिये वह बनिये के यहां गिरवी रखेगा उससे पहले तय करेगा सरसों बेचने का, तब जाकर के वह कहेगा, पैसा वह बनिया चुकाएगा, फिर नौ ड्यूज सर्टिफिकेट लेगा, फिर होगा। आपने यह जो आदेश किया है, यह सीधा किसानों को लूटता है।

श्री जुबेर खान: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक पिन पाइण्टेड सवाल करना चाहता हूं क्योंकि मेरा रामगढ़ हरियाणा के बिलकुल बार्डर पर है। एक किसान अलवर में अगर बेचने के लिये लाता है तो उसको इतनी परेशानी होती है, उसका माल वहां नहीं तुलता है, कि इसमें नमी नहीं है और वहां किसान फिरोजपुर, झिरका हरियाणा में लेकर जाता है, सुबह लेकर जाता है, शाम को बेचकर आता है, दूसरे-तीसरे दिन पैसा मिल जाता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इतनी कमजोर है क्या कि क्राइटेरिया सब जगह एक होना चाहिए ना। अगर हरियाणा में बिक जाए, पैसा तुरन्त मिल जाए और राजस्थान में 10 मीन-मेख निकालें। इससे लगता है कि सरकार की इच्छा-शक्ति नहीं है। मैं आपको प्रत्यक्षदर्शी बता रहा हूं । हमारे यहां परेशानी इसलिये नहीं है कि लोग तकलीफ करके हरियाणा में चले जाते हैं, लेकिन यह समस्या है, आज मैं बताता हूं फिरोजपुर, झिरका में किसान

(श्री जुबेर खान)

लेकर जाएगा, तुरन्त बेचकर आयेगा और अलवर लेकर आएगा, जैसा मंत्री महोदय बता रहे हैं, उसको 10 परेशानियां होंगी, इसका कोई हल निकलना चाहिए।

श्री प्रमोद जैन 'भाया': माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने कहा कि सभी कांटों पर पानी की, छाया की सारी व्यवस्थाएं कर दी गयी हैं। जबकि यह बिलकुल गलत है। मेरे क्षेत्र में छाया और पानी की बिलकुल व्यवस्था नहीं है। काश्तकार धूप में परेशान हो रहा है। 3-3 दिन तक उसको इंतजार करना पड़ता है।

श्री सभापति: ठीक है, धन्यवाद।

श्री प्रमोद जैन 'भाया': नहीं, साहब..(व्यवधान)..एक मिनट, साहब।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा: माननीय सभापति महोदय, अजमेर सम्भाग में, नागौर जिले में मेड़ता क्षेत्र में सबसे ज्यादा सरसों की फसल है तो वहां... (व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया': दूसरा यह है कि मंत्री महोदय ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में जयनगर जो पुराना कांटा था उसको तोड़कर अपने क्षेत्र में शिफ्ट करवा लिया। इसी तरह विधायक प्रभूलालजी के क्षेत्र में आयना क्षेत्र का जो कांटा था उसको तोड़कर भपोर शिफ्ट करवा लिया । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे क्षेत्र में काश्तकार नहीं रहते हैं। नम्बर तीन, जिला कलक्टर, बारां ने जो पत्र निकाला है कि पहले सिंचाई की वसूली, कर्जे की वसूली पूरी वसूली हो उसी के बाद टीप और खाते की नकल दी जाए, यह बिलकुल गलत और काला कानून है। काश्तकार जब अपनी फसल बेचेगा नहीं तो वसूली का पैसा कहां से जमा करायेगा। इस आदेश को तुरन्त निरस्त करवाने का कष्ट करें।

श्री सभापति: ठीक है, माननीय हरिमोहनजी शर्मा।

श्री प्रमोद जैन 'भाया': नम्बर चार, मंत्री महोदय के परिवारजन हैं, इनके जो क्षेत्र में कांटें हैं।

श्री सभापति: अब आप बैठिये, ऐसा है, आप क्वेश्चन करें।

श्री प्रमोद जैन 'भाया': नहीं साहब, एक मिनट, एक अहम मुद्दा है सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपने क्षेत्र में जो कांटे लगवाकर अपने परिवार वालों से उन पर आधिपत्य जमा रखा है, काश्तकार परेशान हैं।

श्री जोगाराम पटेल: यह व्यक्तिगत आरोप है, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते हैं, आप।

श्री प्रमोद जैन 'भाया': नहीं, व्यक्तिगत क्या है, काश्तकारों के साथ शोषण हो रहा है, उसका बोलना पड़ेगा, घर की दुकान बना रखी है, वहां कांटों को। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री जोगाराम पटेल: नोटिस दें पहले आप। व्यक्तिगत आरोप कैसे लगा रहे हैं आप? पहले नोटिस दें (व्यवधान) पहले नोटिस दीजिए, फिर लगाइये आरोप, ऐसे कैसे आरोप लगा रहे हैं आप। (व्यवधान) पहले नोटिस दीजिए, ऐसे कैसे आरोप लगा रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया': मैं सही लगा रहा हूं।

श्री जोगाराम पटेल: आप नोटिस दीजिए ना,आरोप सही लगा रहे हैं तो। आप नोटिस दीजिए, आरोप सही लगा रहे हैं तो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: पेश करो। बिना तथ्यों के आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये, माननीय सदस्य, आप आपस में बात नहीं करें।

श्री हरिमोहन शर्मा: माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मेरा एक सवाल है कि राजस्थान पत्रिका में आपने विज्ञापन, कोटा सम्भाग की विभिन्न कृषि उपज मण्डियों के द्वारा जहां खरीद की जा रही है उनके लिये आपने टेण्डर आमंत्रित किये हैं हेण्डलिंग चार्जेज के लिये और सभी जगह के लोगों ने हर स्थान के लिये अपने-अपने टेण्डर दिये। क्या कारण था कि अलग अलग स्थानों पर जहां टेण्डर ज्यादा थे वहां तो मंजूर किये और जिन जिलों में जिन मार्केटिंग सोसायटिज के टेण्डर कम थे उन जगह उनको निरस्त कर यह डाइरेक्शन दिया कि उस मार्केटिंग सोसायटिज के व्यवस्थापक अपने हिसाब से जिसको आप टेलीफोन करें उन्हीं को यह काम दें, इसका स्पष्टीकरण दें।

श्री सभापति: माननीय श्री रामचन्द्रजी जारोड़ा, आप पाइण्टेड क्वश्चन पूछ लें, एक।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा: माननीय सभापति महोदय, अजमेर सम्भाग में नागौर जिले में और मेड़ता में सबसे ज्यादा सरसों की पैदावार है, वहां पर अभी तक सरसों की खरीद चालू नहीं की गयी है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वहां सरसों की खरीद चालू करवायें। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं...

श्री सभापति: अब एक बार इनका उत्तर आ जाए।

श्री बाबूलाल नागर: मेरा आ जाए, मेरा तो सिर्फ अनुरोध है, सवाल नहीं है, मंत्रीजी से। (व्यवधान) मेरा तो मंत्रीजी से अनुरोध है, सवाल नहीं पूछ रहा हूं मैं। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा यह आग्रह है, जयपुर जिले में दूदू में सबसे ज्यादा सरसों होती है और 60-70 किलोमीटर तक कोई खरीद केन्द्र नहीं है। मेरे क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी का यार्ड भी है, गोदाम भी है। वह सड़क के ऊपर है। मैंने निवेदन किया था, अध्यक्ष महोदय ने, मैं मंत्री महोदय बोला भी नहीं पाया, उन्होंने यह कहा कि आपका काम हो जाएगा।

श्री सभापति: आप क्वेश्चन पूछें पाइण्टेड।

श्री बाबूलाल नागर: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाह रहा हूं कि सब कुछ उपलब्ध है, मेहरबानी करके दूदू में खरीद केन्द्र खोल दें। हमारे किसानों को 60-60, 70-70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और मेरे क्षेत्र के पास में जहां भी खरीद केन्द्र हैं, उन दोनों खरीद केन्द्रों की अगर सरसों जोड़ते हैं तो 90 प्रतिशत सरसों अकेले मेरे विधान सभा क्षेत्र की है, उन दोनों केन्द्रों पर 10 प्रतिशत उनकी है जहां पर वह खोल रखे हैं। मेरा यह आग्रह है, कृपया मंत्रीजी यह जवाब दें और मेरे अनुरोध को स्वीकार करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय बद्रीलालजी जाट।

श्री बद्रीलाल जाट: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने बहुत ही बड़ा किसानों के हित में कदम उठाया कि वह उचित मूल्य पर सरसों खरीद केन्द्र प्रारम्भ कर चुकी है जो कि एक ऐतिहासिक निर्णय है यह किसानों के उज्जवल भविष्य को दृष्टिगोचर करता है और मुझे विश्वास है कि जिस तरह कोटा सम्भाग में प्रारम्भ किया गया है तो इसी तरह उदयपुर समभाग में कब हम

(श्री बद्रीलाल जाट)

प्रारम्भ करने जा रहे हैं? दूसरा यह है कि कपासन विधान सभा क्षेत्र में अब के इन्द्र भगवान की वजह से पर्याप्त रूप से वर्षा है और सरसों का रिकार्ड तोड़ उत्पादन हुआ है तो इसलिये जो तौल केन्द्र गत वर्ष थे उसके बजाय थोड़े से बढ़ाए जाएंगे तो किसानों के हित में होगा। कालाबाजारी नहीं हो पाएगी और किसान अपने मन के अनुरूप सरसों तौल कर राजस्थान सरकार के विकास के रूप में हाथ बढ़ाएंगे, उनमें केन्द्र निम्न प्रकार है, आकोला, कृषि उपज मण्डी जो गत वर्ष नहीं खोला, जबकि वहां कृषि उपज मण्डी है वहां खोल दिया जाए। दूसरा, भोपालसागर पंचायत हेड-क्वार्टर होते हुए भी गत वर्ष नहीं खोला, निश्चित रूप से मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि वहां एक केन्द्र खोला जाए। (व्यवधान) एक गुमानपुरा चौराहा और एक सिंहपुर और एक कपासन। (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्रीजी, एक मिनट।

श्री महीपाल यादव : सिर्फ एक सवाल, सिर्फ। माननीय सभापतिजी, हमारे बहरोड़ नीमराणा और बानसूर में सिर्फ एक मण्डी यार्ड है, बानसूर। आज तक बानसूर में एक भी केन्द्र नहीं है पूरे बानसूर में। बहरोड़ में तो मैंने कृषि मंत्रीजी से भी निवेदन किया था और इनकी कृपा से शायद यार्ड अगले साल तक बन भी जाए, लेकिन बानसूर में यार्ड होते हुए , बानसूर के किसानों को अलवर जाना पड़ता है।

श्री सभापति: मंत्री महोदय समझ गये।

श्री महीपाल यादव: तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करुंगा,क्या वहां विचार रखते हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: माननीय मंत्रीजी, एक मिनट, साथ में बता देंगे, फिर बताएंगे नहीं।

श्री सभापति: अब आप,प्लीज। इतने सारे क्वेश्चन हो गये, इनका जवाब आने दो।

श्री श्रवण कुमार: मेरे बाद में बताएंगे नहीं बाद में, मंत्रीजी बड़े इंटेलीजेंट हैं, हमारे मंत्रीजी बड़े इंटेलीजेंट हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ और चिड़ावा मण्डी हरियाणा से लगती हुई मण्डी है , वहां भी क्या आप इच्छा रखते हैं, खोलेंगे?

श्री सभापति: बस, ठीक है। मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि किसानों की जितनी सरसों पैदा हुई है वह सारी की सारी खरीदी जानी चाहिए। सरकार इसके लिये तत्पर है, सजग है और हम चाहते हैं कि सब किसानों की सरसों को हम खरीदें। इन्होंने कहा कि बारां कलक्टर ने एक आदेश जारी किया है और उस आदेश के कारण से कई किसानों को परेशानी होगी, ज्योही, मेरी जानकारी में आया, उस आदेश को जिला कलक्टर से बात करके वापस करवा लिया गया, कल ही। और अब इस प्रकार की राजस्थान में कोई समस्या किसानों को नहीं होगी। दूसरी बात कही है कि राजस्थान के किसान, विशेषकर हाड़ौती की बात आ रही है, सांगोद से आने वाले माननीय भरतसिंहजी ने कहा है कि किसानों की सरसों बहुत सारी कृषि उपज मण्डियों में सस्ती बिक रही है। सभापतिजी, आप स्वयं जानते हैं कि जो राजफेड या तिलम संघ जो सरसों खरीदते हैं, उसके कुछ मापदण्ड तय हैं कि नमी 8 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी की 8 प्रतिशत से ज्यादा है, वह जरुर मण्डियों में जा रही होगी। नमी जो आते ही, जो आयी है वह मैं समझता हूं कि शुरू-शुरू में नमी 15 प्रतिशत से लेकर 20-22 प्रतिशत तक भी थी। ऐसी स्थिति में किसान वहां नहीं ला पा रहे हैं और उनको वहां बेचना पड़ रहा था। यदि नमी कम हो जाती है तो मैं समझता हूं कि वह भाव जो आज बेच रहे हैं लगभग वह पड़ जाते होंगे। मैंने उसकी केलकुलेशन नहीं की लेकिन मैं अंदाज लगा रहा हूं। वे जान-बूझकर जा रहे हैं। हमने सब किसानों को कहा है कि आइये, हमने एक तारीख से खरीद प्रारम्भ कर दी है, सरकार की तरफ से खरीद प्रारम्भ कर दी है। आइये यहां जो खरीद केन्द्र हैं उस पर आइये और अपनी सरसों तुलवाइये। फिर मैं आव्हान कर रहा हूं किसानों को कि जिन किसानों की नमी 8 प्रतिशत है उन सब किसानों की सरसों को हम खरीद केन्द्रों पर खरीदेंगे। उनको कहीं मण्डी में बेचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि कूपन दे दिये हैं, टोकन दे दिये हैं और उसमें तारीख डाल दी है, कुछ अप्रैल तक भी गये हैं और कांटों की संख्या कम है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांटों की संख्या हम उत्तरोत्तर बढ़ाते जाएंगे। ज्यों-ज्यों सरसों की आवक बढ़ती जाएगी त्यों-त्यों कांटे बढ़ते जाएंगे। इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे-जैसे वहां पर आवश्यकता होगी वहां पर कांटों की संख्या हम निरन्तर बढ़ाते जाएंगे और जब हमारे कांटों पर तुलाई ज्यादा होने लगेगी तो हमने यह

(श्री मदन दिलावर)

टोकन दिये हैं। जैसे कहीं पर छोटा केन्द्र है तो वहां पर एक हजार बोरी रोज तोलने के टोकन दिये हैं। कहीं पर तीन हजार बोरी रोज तोलने के टोकन दिये हैं तो हम इसको भी यह कर सकते हैं कि जैसे एक दिन में दस हजार बोरी तुलाई की केपेसिटी वहां पर हो जाती है और हमने दो हजार के टोकन दिये हैं तो हम पांच दिन तक की, एक दिन में बुलाकर तुलवा देंगे, यह निर्देश भी हम शीघ्र जारी कर रहे हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। लम्बे समय तक जाना नहीं पड़े।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने एक चिन्ता जाहिर की है कि हमारे यहां पर केन्द्र नहीं खोले गये हैं और कुछ परेशानियां आ रही हैं । मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहूंगा। यह केन्द्र खोलने का अनुमोदन नेफेड करता है और उन्होंने हमको लिखकर दिया है कि आप किसी भी प्रकार से जो हमने अनुमोदित किये हैं केन्द्र, उससे ज्यादा नहीं खोले, अन्यथा हम भुगतान करने की स्थिति में नहीं रहेंगे इसलिए भी हमारी मजबूरी है कि हम अधिक केन्द्र नहीं खोल सकते हैं। फिर भी आपसे सहयोग चाहूंगा क्योंकि भारत सरकार की अधीनस्थ एक सहकारी संस्था है यह, आप वहां हमारा सहयोग करेंगे तो मैं सब माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनसे बात करूंगा। आप हमारा सहयोग करें ताकि हम जन भावनाओं के साथ और मांग के अनुसार वहां केन्द्र खोल सकें।

माननीय रामनारायणजी ने चिन्ता जाहिर की और कहा कि कितने कितने केन्द्र हाड़ौती में खोले गये हैं थोड़ा हमको बतायें। मैं उनको जानकारी दे देता हूं कि बूंदी सबसे पहले, राजफैड के माध्यम से 8 केन्द्र और तिलम संघ के माध्यम से 5 केन्द्र खोले गये हैं। कोटा में राजफैड के माध्यम से 6 केन्द्र और तिलम संघ के माध्यम से 18 केन्द्र खोले गये हैं। बूंदी में राजफैड के माध्यम से 8 केन्द्र, पांच केन्द्र और बारां में राजफैड के माध्यम से 16 केन्द्र और तिलम संघ के माध्यम से 6 केन्द्र खोले गये हैं। कुछ माननीय सदस्य राजस्थान भर में सरसों की खरीद में हो रही, केवल कोटा सम्भाग में हो रही है, इसमें चिन्ता जाहिर की है। मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैंने पहले भी मेरे वक्तव्य में निवेदन किया था कि कोटा में पहले बुवाई होती है और पहले बुवाई होने के कारण कटाई पहले होती है और जब कटाई पहले होती है तो वहां पर सरसों पहले आती है इसलिए वहां पर हमने सरसों की खरीद पहले प्रारम्भ की है और आपसे यह निवेदन कर दूं कि जयपुर, भरतपुर, अजमेर,

(श्री मदन दिलावर)

उदयपुर और जोधपुर सम्भाग में हम होली के बाद सरसों खरीद प्रारम्भ कर देंगे ताकि राजस्थान के इन तमाम सम्भागों के किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। बीकानेर सम्भाग में भी हम अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सरसों की खरीद प्रारम्भ कर देंगे क्योंकि अभी वहां पर सरसों आने नहीं लगी है। कटाई नहीं हुई है परन्तु हमारा अनुमान है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सरसों आएगी तो हम वहां पर खरीद प्रारम्भ कर देंगे । हरियाणा का कहा कि हरियाणा में तो जल्दी बेचकर आ जाते हैं किसान और यहां पर लेट हो रहा है। हरियाणा में समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद प्रारम्भ नहीं हुई है, माननीय सदस्य, आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं इसलिए तथ्य आपके गलत हैं, सोच-समझ कर यहां पर बोलें तो ठीक रहेगा।

कृषि उपज मण्डी के मामले में कहा गया कि छाया-पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। अभी हमने तोलना प्रारम्भ किया है। माननीय कृषि मंत्रीजी से हमने निवेदन किया और उन्होंने सब कृषि मण्डियों को निर्देश दे दिये हैं कि जहां-जहां पर सरसों की खरीद केन्द्र खोले गये हैं वहां-वहां पर छाया पानी की व्यवस्था कर दें और वह कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है। मैंने बहुत सारे माननीय सदस्यों का जवाब देने का प्रयत्न किया है। मेरी जानकारी के अनुसार मैंने सबका जवाब दे दिया है और कोई भी बात होगी तो मैं जवाब दे दूंगा।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सारी बातें आ गयी हैं, माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' : जयनगर में जो स्वीकृतशुदा केन्द्र था, अयाणा में जो स्वीकृतशुदा केन्द्र था, जिसको आपने तोड़कर इनके विधान सभा क्षेत्र में शिफ्ट किया तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: चर्चा समाप्त। ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' : इसको वापस स्थापित करने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते हैं और उनको वहां पर तोड़ने का कारण क्या रहा ? ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर: माननीय सभापति महोदय, माननीय भरत सिंहजी ने कहा है कि भुगतान कब करेंगे ? आपकी चिन्ता यही है। ज्यों ही नेफेड

(श्री मदन दिलावर)

हमको धन उपलब्ध कराएगा हम तुरन्त भुगतान कर देंगे और मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आज भारत सरकार इसके लिए मीटिंग भी कर रही है और शीघ्र ही हमको राशि उपलब्ध करवाने वाली है। ज्यों ही वह राशि उपलब्ध कराएगी त्यों ही हम भुगतान कर देंगे।

बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि मेरे परिवार ने सरसों के केन्द्र आधिपत्य में ले लिये हैं। मैं सहकारिता विभाग का मंत्री हूं। मेरे डिपार्टमैंट में मेरे परिवार का कोई भी सदस्य नौकरी नहीं करता है। कर्मचारी नहीं है, जो आधिपत्य में ले लेगा और वहां क्रय-विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से क्रय करवाया जा रहा है । तिलम संघ के माध्यम से क्रय करवाया जा रहा है इसलिए माननीय सदस्य, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस सदन के समक्ष इस प्रकार की चर्चा नहीं करें। ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय जो जवाब दे रहे हैं वह बिलकुल गलत दे रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं बिलकुल सत्य है। इनके परिवारजनों ने कर्मचारियों पर दबाव देकर और जबरदस्ती टोकन लिये जा रहे हैं और किसान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री जुबेर खान: माननीय सभापति महोदय, मैंने मंत्री महोदय से यह निवेदन किया था कि आज कि तारीख में ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर: मैं आज ही निरस्त करता हूं यदि मेरे परिवार वालों ने कोई टोकन लिया हो तो ...(व्यवधान) मैं उनको आज ही निरस्त करता हूं, यदि मेरे परिवार वालों ने लिये हैं तो ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मैंने खरीद केन्द्र खोलने की मांग की थी।...(व्यवधान) मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक खरीद केन्द्र नहीं है।...(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा: यह झूठा आरोप लगा रहे हैं मंत्रीजी के ऊपर।...(व्यवधान) सदन को गुमराह करने का माननीय सदस्य को कोई अधिकार नहीं है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): केन्द्र तोड़कर अपने क्षेत्र में ले रहे हैं और हमारे क्षेत्र में एक भी खरीद केन्द्र नहीं है और उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये, माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शार्मा: मेरा जवाब नहीं आया। ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: इस तरह से यह किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त। आसन पांवों पर, सबका जवाब आ गया है।

श्री हरिमोहन शर्मा: नहीं-नहीं, मेरा जवाब नहीं आया है। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सबका जवाब आ गया, चर्चा समाप्त।

श्री बाबूलाल नागर : हमारे एक केन्द्र नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: राजफैड ने जो टेण्डर मांगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री हरिमोहन शर्मा: वह मंजूर कर दिये हैं क्या ...(व्यवधान) जहां पर कम रेट हुई उनके टेंडर निरस्त करके उस का-आपरेटिव वालों को कह दिया कि मैं टेलीफोन करूं, उसको दे देना । ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' : माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का सवाल है, उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि केन्द्र क्यों तोड़े गये ? उनके विधान सभा क्षेत्र में क्यों स्वीकृत करवाये गये। यह बताया जाए ...(व्यवधान) यह क्या बात हुई कि मेरे क्षेत्र के केन्द्र तोड़ दिया और और अपने विधान सभा क्षेत्र में लगा लिया? ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : यह अन्याय है। इतना बड़ा अन्याय है। मंत्री महोदय तोड़कर अपने विधान सभा क्षेत्र में ले गये। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' : माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : जिन क्षेत्रों में केन्द्र नहीं है वहां पर यह खोलना नहीं चाहते हैं क्या ? ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर : इस तरह से किसानों के साथ कुठाराघात है, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपना स्थान ग्रहण करें। ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जयनगर में पहले केन्द्र था या नहीं था ? अयाणा में केन्द्र था या नहीं था ? ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' : उसको उन्होंने अपनी विधान सभा क्षेत्र में शिफ्ट किया या नहीं किया ? किया तो उनके क्या कारण रहे ? ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से पुकार रहा हूं, आप बिराजिये। ...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत: माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान: माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी ने जो मेरे ऊपर कहा था कि ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं है, मैंने तुलना की है गत वर्षों से, जब अलवर में इस बार इसकी खरीद नहीं की जा रही है अभी तो तुलना कैसे करेंगे ? कैसे करेंगे? हरियाणा में, यह है कि इस साल तो अलवर में अभी शुरूआत ही नहीं की है। गत वर्षों में जब कभी भी सरसों की खरीद हुई है तो हम लोगों को मजबूरी में हरियाणा बेचनी पड़ती है और इस बार भी मैं आपके माध्यम से बता दूंगा, जब अलवर में केन्द्र शुरू होगा और हरियाणा में शुरू होगा तो तुलना करके देख लीजिए कि यहां का किसान हरियाणा में अच्छी तरह से, खुशहाली से बेचता है या अलवर के इनके सेंटर में बेचता है ? ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिये। ...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मुख्य मंत्रीजी जो कि वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए कल जो बजट पेश किया, उसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करने के साथ-साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा है। उन्होंने सहृदयता के साथ, लांज हार्टेड होकर ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' : माननीय सभापति महोदय, मेरे केन्द्र के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिलवाया है आपने। माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने जो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बीच में व्यवधान पैदा नहीं करें ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' : व्यवधान क्या बात है ? माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का केन्द्र तोड़कर किसानों का शोषण हो रहा है और आप कह रहे हैं कि व्यवधान पैदा कर रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए था इस बात का कि किन कारणों से इन्होंने केन्द्र तोड़े । ...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत: माननीय सभापति महोदय, एक- डेढ़ घंटे के बाद तो नम्बर आया है बोलने का और सारा लिंक बिगड़ जाता है फिर।...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपसे कृपापूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' : माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के काश्तकारों का शोषण मैं सहन नहीं कर सकता। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये आप।

श्री शांतिलाल चपलोत: यह क्या हो रहा है, बैठिये आप। ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' : माननीय सहकारिता मंत्रीजी को यह बताना होगा कि उन्होंने मेरे क्षेत्र का केन्द्र तोड़कर अपनी विधान सभा क्षेत्र में कैसे ले लिया ? ...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत: सबका ठेका आपने ही ले रखा है क्या? ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल: यह व्यवधान है, माननीय सदस्य बोल रहे हैं और उसमें जानबूझकर व्यवधान कर रहे हैं।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' : कोई व्यवधान नहीं कर रहा हूं मैं। ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल: यह जानबूझकर व्यवधान किया जा रहा है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनके लिए वे बोल रहे हैं। वे प्रारम्भ हो गये हैं, बोलना शुरू हो गये हैं, उसके बाद व्यवधान कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' : यह किसानों से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल: यह समय जाया कर रहे हैं, व्यवधान कर रहे हैं और जो सदस्य व्यवधान करता है उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाए। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप क्यों व्यवधान कर रहे हैं? माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से पुकारूंगा। ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' : माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात कह रहा हूं। ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल: व्यवधान कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हो गयी । ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन'भाया': मैं अपनी जगह सही हूं, माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने मेरे क्षेत्र के साथ द्वेषतापूर्ण व्यवहार किया है वह बिलकुल सही है।

श्री जोगाराम पटेल: वह बिलकुल असत्य आरोप हैं। तथ्यहीन आरोप हैं। (व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन'भाया': तथ्यहीन आरोप हैं तो वह स्पष्टीकरण दें कि जय नगर में केन्द्र था या नहीं था ? अयाणा में केन्द्र था या नहीं था? उन्होंने उसे अपने क्षेत्र में शिफ्ट किया या नहीं किया?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर(खारची): आपके पास कोई तथ्य नहीं हैं, मंत्रीजी इसका जवाब देदें न, हां या ना में, जो भी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य इतने उत्तेजित हैं कि उन्होंने माइक को तोड़ दिया। (व्यवधान)....

श्री प्रमोद जैन'भाया': मैंने नहीं तोड़ा साहब, माइक पहले से टूटा हुआ है। (व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़: यह विधान सभा है या क्या है? यहां तर्कों के आधार पर बात होती है, ताकत के आधार पर होती है क्या? आपने चर्चा समाप्त कर दी।..(व्यवधान)..

श्री सभापति: मुझे आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। मैं आपसे कृपापूर्वक निवेदन कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन'भाया': आप मेरी पीड़ा को समझें, मेरे क्षेत्र के काश्तकारों की पीड़ा को समझें। मैं जो कह रहा हूं बिलकुल वाजिब कह रहा हूं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: मंत्रीजी हां या ना में जवाब दे। ...(व्यवधान) ...

श्री राजेन्द्र राठौड़: यह अंकित होने से मना करो आप । .. (व्यवधान) ..

श्री प्रमोद जैन'भाया': इस बात को स्पष्ट करें कि जय नगर में केन्द्र था या नहीं था और उसको उन्होंने अपने क्षेत्र में शिफ्ट किया या नहीं किया? ...(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य: यह माननीय सदस्य को उकसा रहे हैं। ऐसे नहीं जा रहे हैं वह उकसा रहे हैं वैल में जाने के लिये। ..(व्यवधान) ...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: माननीय सभापति महोदय, अधिकारों का हनन हो रहा है।..(व्यवधान)...

(श्री प्रमोद जैन'भाया', माननीय सदस्य द्वारा वेल में धरना)

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, जो वित्त मंत्रीजी भी हैं, कल राजस्थान का बजट पेश किया। यह बजट सर्वांगीण विकास की दृष्टि से पेश किया गया। सभी वर्गों के लिये पेश किया गया। कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जो इस बजट से वंचित रह जाये, उनके लाभों से वंचित रह जाये। ...(व्यवधान) ..

मोहम्मद माहिर आजाद: नहीं, एक माननीय सदस्य वैल में धरने पर बैठे हैं, हाउस की परम्परा रही है, यह क्या बात हुई?

श्री जोगाराम पटेल: आपने धरने पर बैठाया, आपने कहा धरने पर बैठ जाओ, आपने उकसाया है। (व्यवधान) ...

श्री बंशीलाल खटीक: आप लोगों ने उकसा कर धरने पर बिठा दिया। ..(व्यवधान) ..

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: मंत्रीजी जवाब दे। माननीय सभापति महोदय, हमारे सदस्य धरने पर बैठे हैं और इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, यह गलत है। ..(व्यवधान)..

श्री बंशीलाल खटीक: सदन में व्यवधान डाल रहे हो। ...(व्यवधान) ...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: मंत्रीजी, जवाब देदें। ..(व्यवधान) ..

श्री सभापति: आप कृपया आपस में बात न करें। ..(व्यवधान) ..

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): दबाव डालकर जवाब दें, यह इस प्रकार की गतिविधि नहीं होनी चाहिये और अंकित भी हो रहा है। ..(व्यवधान) ..

श्री सभापति: नहीं अंकित कहां हो रहा है?

श्री नरपत सिंह राजवी: कम से कम हाउस को इन – आर्डर करें। आपने चर्चा आरम्भ कर दी है।

श्री शांतिलाल चपलोत: माननीय सभापति महोदय, यह छठी बार मैंने आपको सम्बोधित किया है और बराबर व्यवधान हो रहा है।..(व्यवधान) ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप क्यों व्यवधान कर रहे हैं?

श्री शांतिलाल चपलोत: मैंने आज तक कभी किसी को व्यवधान नहीं किया और माहिर जी से क्षमा चाहूंगा कि मुझे उनका नाम पुकारना पड़ रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने ... ..(व्यवधान).

श्री सभापति: अंकित न हो।

मोहम्मद माहिर आजाद: ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़: ×××

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

मोहम्मद माहिर आजाद: ×××

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। आप बैठिये।

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

(माननीय सदस्य श्री प्रमोद जैन'भाया' का वेल में धरना समाप्त)

श्री शांतिलाल चपलोत: हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सर्वस्पृशी बजट पेश किया है। ''सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कद्चित दु:ख भागभवेत्।''

सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग अच्छे हों, कोई किसी प्रकार के दु:ख को प्राप्त नहीं हो। इस बात की सोचकर यह बजट पेश किया गया है। कल उनका जन्मदिन भी था और महिला दिवस भी था और यह बजट पूरा का पूरा मैं कहना चाहूंगा माताओं के लिये समर्पित किया है। उसके लिये भी मैं उनको बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। हमारे शास्त्रों में हमारी मां का स्थान सबसे ऊंचा है। शास्त्रकारों ने कहा है – ''यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, रमते तत्र देवता'' जहां नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है वहां देवता भी निवास करते हैं। मुझे आज प्रसन्नता है कि हमारे इस प्रान्त में गवर्नर सरस्वती के रूप में यहां बिराजमान हैं राजस्थान में, तो दुर्गा

(श्री शांतिलाल चपलोत)

के रूप में हमारे स्पीकर साहब भी बिराजमान हैं और लक्ष्मी के रूप में हमारी मुख्य मंत्रीजी बिराजमान हैं। मैं यह कहना चाहूंगा इस नारी वर्ष में या नारी दिवस के अवसर पर जो बजट पेश किया गया है, मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमने योजना का आकार 8150-60 के आसपास भेजा, परन्तु केन्द्र सरकार ने यह सोचकर कि वास्तव में राजस्थान की सरकार बहुत ही उम्दा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, विकास का काम कर रही है, मितव्ययता अपना रही है, खर्चों में कटौतियां कर रही है इसलिए उन्होंने उस योजना का आकार 8500 करोड़ से ज्यादा का किया। यह हमारे लिये प्रसन्नता की बात है। हमारे कुछ मित्र कह रहे हैं या कह सकते हैं कि हमारे यहां पैसा कहां से आयेगा, खर्चा कहां से होगा, हम इसको मीट-आउट कैसे करेंगे ? मैं उन्हें निवेदन करना चाहता हूं पहले केन्द्रीय करों में हमें 5.473 प्रतिशत मिलता था, अब वह बढ़कर 5.609 प्रतिशत हुआ है यानि .123 प्रतिशत ज्यादा बढ़ा है। इसमें भी कम से कम 100-200 करोड़ रूपया राजस्थान को अधिक मिलने की संभावना है। इससे भी हमारा काम अच्छी तरह से चल सकेगा।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मंत्रीजी ने बहुत ही उम्दा काम किया। सारी दुनियां में, सारे हिन्दुस्तान में किसी ने डंका बजाया है तो हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने बजाया है। उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के सारे मंत्रियों की कान्फ्रेन्स हुई उसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सबसे अच्छा काम राजस्थान का बताया शिक्षा के क्षेत्र में। मैं उन्हें बार-बार बधाई देना चाहता हूं। दो बजट पहले पेश हुए माननीय सभापति महोदय, दोनों बजटों में कितने स्कूल खोले गये। 16-17 हजार प्राथमिक शालाएं, 4-5000 मिडल स्कूलें, 900 के आसपास सैकण्डरी स्कूल और 400-450 हायर सैकण्डरी स्कूलें, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है अब की बार 16,000 राजीव गांधी पाठशालाओं को क्रमोन्नत करके शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करके प्राथमिक शालाएं बनाई जा रही हैं। 5000 मिडल स्कूलें बनाना, उच्च प्राथमिक बनाना, यह अपने आप में बहुत बड़ा काम है। यही नहीं माननीय सभापति महोदय, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये गत वर्ष इन्होंने 37-38 हजार अध्यापकों की भर्ती की, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। राजस्थान होने के पश्चात् आज तक सरकारी नौकरियों में किसी भी विधा

(श्री शांतिलाल चपलोत)

में यानि शिक्षा में लें, चाहे और किसी विभाग में लो, इतनी नियुक्तियां एक साथ कभी नहीं हुई। मैं उसके लिये राजस्थान सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ-साथ परित्यक्ताओं का विचार कभी किसी ने नहीं किया। 'अगला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध, आंखों में है पानी।'

इस तरीके का एक सोच था, आज उसको मिटाकर उसको सबल नारी के रूप में, सशक्त नारी के रूप में देखकर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, शिक्षा मंत्रीजी ने परित्यक्ताओं, 600-700 माताओं को नौकरी दी, 2200-2500 विधवाओं को नौकरी दी, इससे ज्यादा बात क्या हो सकती है?

शिक्षाकर्मियों को वापस मैन धारा में लाकर आर.पी.एस.सी. के माध्यम से लोगों को नियुक्तियां दीं, बिलकुल ट्रांसपेरेन्सी, किसी प्रकार का कोई काम इधर-उधर नहीं कि किसी की सिफारिश से कोई काम हो जाये, उस प्रकार का हमारे मंत्री महोदय ने किया है। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा अब की बार इस बजट में कितना भारी पैसा शिक्षा विभाग के लिये रखा है। 26 हजार द्वितीय श्रेणी के अध्यापक और पांच हजार द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों को भर्ती किया जायेगा। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जिन-जिन स्थानों पर, 126 स्थान राजस्थान में जो पंचायत समितियां हैं उसमें आई.टी.आई. नहीं है उसमें भी इन्होंने खोलने का मानस बनाया है। बारह-तेरह पालिटेक्निक कालेज खोलने का मानस बनाया है, हर उपखण्ड पर कालेज देने का मानस बनाया है। यदि सरकार नहीं खोल सकती तो उसको किसी न किसी स्वपोषित विद्यालय के नाते या कोई और सज्जन जो प्रारम्भ करना चाहे तो वह कर सकते हैं, उन्हें जमीन भी देंगे, उनको आधा यानि 50 परसेंट उसको बनाने का कंट्रिब्यूशन का पैसा देंगे। इससे ज्यादा और क्या शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है।

ज्यूलोजी और यह डिपार्टमेंट हमारे यहां है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यूलोजी डिपार्टमेंट उदयपुर में है, उसको भी थोड़ा सा और ज्यादा विकसित किया जाना चाहिए, सारे हिन्दुस्तान में ज्यूलोजिकल डिपार्टमेंट, पहले राजस्थान में और हिन्दुस्तान में भी डा. रोड़े के नेतृत्व में सबसे पुराना डिपार्टमेंट उदयुपर में ही था और आज भी उसमें और ज्यादा काम किया जा सकता है, ऐसा मेरा निवेदन है।

हायर सेकण्डरी, सेकण्डरी और स्कूलों के लिए शोचालयों के लिए 27

करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। 27 करोड़ का, इससे ज्यादा और क्या काम हो सकता है।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने म्यूजियम और म्यूजियोलोजी, इसके लिए भी पैसा रखा है। मैं इसके लिए माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पुरातत्व के हिसाब से यह विभाग भी खोलें आप। मैं और श्रीमान शेखावत साहब अहमदाबाद गये थे, अहमदाबाद में कोबा में एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है वहां पर किताबों का रख-रखाव कैसे किया जा सकता है, उसको आप देखें, बहुत ही तगड़ा है। उसमें राजमाता सिंधिया भी पधारी थीं उस समय, सुन्दरलालजी पटवा भी पधारे थे, शेखावत साहब भी पधारे थे, किस तरीके से रखा जाता है, उससे आपको पता लग जायेगी कि जैसलमेर में जो किताबों का हमारा भण्डार है उसको हम किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। इसके बारे में भी आज आपको विचार करने की आवश्यकता है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मेरा इतना ही कहना है कि बल्लभनगर तहसील में बालासर जगह है उसमें पांच हजार, छः हजार साल पुराने अवशेष मिले हैं, मैंने मंत्रीजी को भी चिट्ठी लिखी है, मैंने मुख्य मंत्रीजी को भी चिट्ठी लिखी है, उनका पत्र भी आया है, इसी तरीके से गिलुंड मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक स्थान है जहां पर सात-आठ हजार वर्ष पुराने अवशेष निकले हैं, वहां म्यूजियम बनाया जा सकता है, पूना की इंस्टीट्यूट वहां आती है और अभी वहां खुदाई का काम बराबर चलता है। इसी तरीके से आयड़ में भी जो म्यूजियम है, आयड़ सभ्यता बहुत पुरानी है, उस म्यूजियम को भी बहुत ज्यादा संभालने की आवश्यकता है, वह रख-रखाव के अभाव में बहुत ज्यादा संग्रहित नहीं हो रही है। इसी तरीके से उदयपुर के पास इसवा स्थान है, वहां पर पांच-पांच हजार साल पुराने माइन्स के अवशेष मिले हैं, उसको भी पुरातत्व विभाग के हिसाब से देखा जा सकता है। दरीबा में भी मिले हैं, उसको भी देखा जा सकता है। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

युवाओं के लिए खेल मंत्रालय ने भी काम किया है। 13 जगह युवा शाखाओं का निर्माण होगा, एक करोड़ से ज्यादा उसमें खर्च होगा और विज्ञान-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी इस सरकार ने काम करने का एक संकल्प किया है। विज्ञान-प्रौद्योगिकी क्षेत्र आज का बढ़ता हुआ क्षेत्र है, इसके बिना हमारी तरक्की

(श्री शांतिलाल चपलोत)

संभव नहीं है। पहले गत सरकार ने पांच सालों वर्षों में 25 करोड़ रुपया ही उस पर खर्च किया और हमारी सरकार ने इन दो सालों में और इस तीसरी साल को जोड़ लें तो 173 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किया है और यदि दो साल आगे आने वाले और यदि दो साल आगे आने वाले और करेंगे तो 200 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा। यानि आपने पांच साल में किया 25 करोड़ और हम पांच साल में 200 करोड़ करेंगे, कम से कम आठ गुना ज्यादा हम सूचना और प्रौद्योगिकी में खर्च करेंगे। ऐसा मेरा मानना है।

सभापति महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमने बहुत कुछ किया है। गत वर्ष भी भर्तियां की हैं और इस वर्ष भी 13 मेडिकल स्टाफ के लिए 555 चिकित्सक, 372 नर्स और 54 नर्सिंग ट्यूटर लगाये हैं, 100 चिकित्सक अभी और लेने हैं, 200 ए.एन.एम. को ले रहे हें और इसके साथ-साथ 700 नयी भर्तियां चिकित्सा के क्षेत्र में नर्सों की की जा रही है। दस सामुदायिक केन्द्र, 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 100 उप-स्वास्थ्य केन्द्र और कोटा मेडिकल कालेज को बनाने के लिए दस करोड़ दिया इस बजट में। इसी तरीके से मेडिकल रिलीफ सोसायटी के थ्रू सारे काम कराने का एक संकल्प हमने लिया है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इतना काम जब आपने किया है तो मेरा इतना-सा निवेदन है कि उदयपुर में सुपर स्पेशलिटी की कई जगह ऐसी हैं जिनको देखा जाना नितान्त आवश्यक है। सिटी-स्कैन वहां है, एम.आर.आई. की मशीन भी लगी हुई है, हार्ट के लिए काम तो प्रारम्भ हो गया है किन्तु आज भी उनको उदयपुर से अहमदाबाद जाना पड़ता है, मुम्बई जाना पड़ता है या फिर दिल्ली जाना पड़ता है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस स्थिति को देखते हुए, आदिवासी इलाके को देखते हुए वहां की जनसंख्या की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वहां सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल में मदद की जाए। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

सभापति महोदय, ग्रामीण विकास के लिए हमारी सरकार ने गत वर्ष 774 करोड़ रुपया खर्च किया और अब एक वर्ष में बिलकुल डबल छलांग, 1400 करोड़ खर्च किया। आप कहने को तो कह सकते हैं कि केन्द्र सरकार दे रही है, केन्द्र सरकार दे रही है, आपको कब मना किया था? आपको कह रहे थे तो कि हम तो भूखे हैं, हम तो नंगे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम तो लाचार हैं। आपने तो लाचारी बतायी।

आपने कहा कि हमने कर्ज लिया, सन् 1990 में जब भैरोंसिंहजी

शेखावत मुख्य मंत्री बने थे उस समय 8000 करोड़ का ही कर्जा राजस्थान पर था और श्रीमान् भैरोंसिंहजी शेखावत 1998 के बाद मुख्य मंत्री नहीं रहे उस समय 23000 करोड़ का ही कर्जा था, यानि कुल मिलाकर के 16000 करोड़ का हमने लिया और 16000 करोड़ के बजाय 18000 करोड़ की परिसम्पत्तियां बनायीं। गत सरकार के नुमाइन्दे सब यहां से गायब हो चुके हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 23500 करोड़ 1998 में कर्जा और माननीय अशोक गहलोत जब छोड़ कर गये तो 52500 करोड़ का कर्जा, 29000 करोड़ रुपया आपने कहां लगाया? क्या विकास के काम किये? यह हम को कह रहे हैं, आज उल्टी बात हो रही है, भैंस गाय को कह रही है कि तू काली है, क्या भैंस पूरी की पूरी गोरी है? ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय मंत्रीजी, कम से कम आप तो नियमों का पालन करो, अपनी जगह से बोलो।

एक माननीय सदस्य : आप क्या कर रहे हो?

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्री ही कानून तोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, सभापति महोदय। ...(व्यवधान)...

हमारे भाई ने विधान सभा में कहा किसान, 68-69 हजार करोड़ का कर्जा हो जाएगा। काम करेंगे तो होगा, आपने तो 29 हजार करोड़ रुपए का कुछ नहीं किया। चार्वाक हमारे देश में हुआ, उसने कहा

' यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम् कृत्वा घृतम् पीवेत
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत:'

जब तक जीओ सुख से जीओ, कर्जा करके घी पिओ, यह मनुष्य जन्म बार-बार आने वाला नहीं है। खाओ पीओ चक छाणो और मौज करो और यही काम अशोक जी गहलोत ने किया। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं सिसोदिया गार्डन में आपने एक बहुत बड़ी रैली की थी और सारी दुनियां के लोगों को, प्रवासी राजस्थानियों को, भारतीयों को बुलाया, लक्ष्मी मित्तल भी आए, रैली रैला जैसा भी आप कहो उसमें बुलाया, आओ इन्वेस्टमैंट करो, राजस्थान आपके लिए बाहें बिछा रहा है, फूल बिखेर रहा है आओ तो सही। एक भी आया? लक्ष्मी मित्तल ने कोई इन्वेस्टमैंट किया, जो आज स्टील किंग है दुनियां का, वह भी आया था, मुझे भी उसमें बुलाया गया था, क्या हुआ? एक नहीं आया (व्यवधान) और एक इन्वेस्टमैंट नहीं हुआ।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मैं माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं हमने ग्रामीण विकास के लिए दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव योजना बनायी उसमें पचास गांवों को नशे से मुक्ति दिलायेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे । कोई अछूता नहीं रहे यह हम करना चाहते हैं । हमने इस साल तैंतीस हजार इन्दिरा आवास बनाने का सोचा है, ग्रामीण विकास के लिए बाइस करोड़ रुपया इसमें खर्च होगा। हमारे मित्र चले गये, मेवात क्षेत्र के विकास के लिए दस बालिका आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं या बनाये जा रहे हैं और दो करोड़ पचास लाख रुपया उसमें लगायेंगे ढ़ाई करोड़, यह क्या कम है यह सर्वस्पर्शी है। किसी जाति का भेद नहीं, क्षेत्र का भेद नहीं, भाषा का भेद नहीं, सर्वांगीण विकास करने के लिए यह बजट पेश किया गया है आवासीय विद्यालय का।

बायो फ्यूल के लिए भी हमने कोशिश की है । पहली बार इस राजस्थान सरकार ने रतनजोत के बारे में सोचना प्रारम्भ किया है कोई समझता ही नहीं था रतनजोत होती क्या है । पहली बार उसी से हम डीजल का काम लेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैंने स्वयं ने मोटर साइकिल को सरसों के तेल से चलते देखा है चित्तौड़ में और उसका एवरेज उस समय सोलह रुपए का भाव था सरसों के तेल का और बारह या चौदह डीजल का भाव था पर वह डबल चलती थी सरसों के तेल से, इतनी उसमें ग्रिसिंग की मात्रा रहती है । इसी तरीके से रतनजोत करंज इसको हम भी प्राथमिकता से बुवाना चाहते हैं जिससे बायो फ्यूल हमको मिल सके। करंज मैंने अपने क्षेत्र में सन् 1990 में हजारों करंज चन्देरा गांव में बोए आज वह गांव...

श्री श्रवण कुमार : सरसों के तेल से मोटर साइकिल चलती है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको क्या तकलीफ है?

श्री शांतिलाल चपलोत : श्रवण जी, आप देख लेना ..(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा : डीजल इंजन भी चलता है।

श्री श्रवण कुमार : चपलोत साहब जवाब देने में सक्षम हैं हम भी चाहते हैं ऐसी कोई योजना है तो...

श्री कन्हैया लाल मीणा : मैं बताऊंगा आपको रविवार के दिन चलना।

श्री सभापति : आपने तो नहीं चलाई चपलोत साहब ने चलाई है, आपको क्या तकलीफ है?

श्री शांतिलाल चपलोत : पांच-पांच, दस-दस लाख की आमद पंचायतों को उस करंज के पेड़ से हो रही है । उससे उनको फ्यूल भी मिलता है, लकड़ी तो मिलेगी। उसके अलावा जो उसका बीज है उससे तेल मिलेगा। पंचायतें सैल्फ सफिशिएंट होंगी। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं जितनी वेस्ट लैण्ड पड़ी हुई है उसके लिए बहुत अच्छी जमीन की ज्यादा जरूरत नहीं है उसके लिए वेस्ट लैण्ड ही काफी है और उसमें उसको बोया जा सकता है। सभापति महोदय, आप जानते हैं एक सज्जन, मैं अभी उनका नाम भूल रहा हूं कुमावत या कुमार लगाते हैं और उन्होंने पाली में बहुत अच्छा वृक्षारोपण भी किया है, बहुत अच्छी जड़ी बूटियां बोई हैं और सिनाय के पत्ते जगह-जगह बोए हैं । वह सिनाय के पत्ते एक्सपोर्ट होते हैं और उस सिनाय के पत्तों को मुल्य पच्चीस या तीस रुपये किलो जाता है जो क्योंकि अंग्रेज या पश्चिमी क्षेत्र के लोग खाना जो खाते हैं उसमें डबल रोटी खाते हैं, कब्जी हो जाती है तो सिनाय की फांकी लेने से या उसकी गोली बनाने से दस्त साफ रहता है इसलिए वह सिनाय के पत्ते काफी मात्रा में बोए जाते हैं । वह आप जानते हैं उन्हें, मुझे अच्छी तरह पता है उन्होंने काफी अच्छा काम किया। सड़कों पर कहीं पर भी सिनाय के पत्तों को बुवाकर माताओं को काम लिया जा सकता है, बेरोजगार लोगों को काम दिया जा सकता है। हजारों की संख्या में लोग सिनाय के पत्ते को बेचकर के अपना जीवन यापन कर सकते हैं ।

आदरणीय सभापति महोदय, साइल टैस्टिंग ....

श्री श्रवण कुमार : चपलोत साहब दस उपयोग के आदमी हैं बैद भी हैं, इंजीनियर भी हैं और अच्छे वकील भी हैं और अच्छे सभापति भी हैं ।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय सभापति महोदय, साइल टैस्टिंग लैबोरेट्री सब जिलों में लगाई है। अब सबडिविजनल हैडक्वार्टर पर भी सहभागिता से यह की जा सकती है। किसानों के लिए कितना काम किया जा रहा है, किसान भवन जयपुर में बनेगा। आज तक कभी किसी ने सोचा किसान की बात सब करते हैं परन्तु किसान कहां रहेगा। गांव से आया है उसकी आवश्यकता क्या है, शाम को जाएगा तो थैला लेकर तो जाकर कहां ठहरेगा, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सोचकर किसान भवन बनाने के लिए जयपुर में स्थान नीयत किया है और प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर एक एक किसान भवन बनाने के लिए कहा है । इससे ज्यादा बात और क्या हो सकती है किसानों के हित में और क्या काम हो सकता है । मैं उसके लिए हमारे मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

(समय : 18.19)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लड़कियों को कृषि में, उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए पहले एक हजार रुपये साल के मिलते थे उसको बढ़ा करके कि लड़कियां पढ़ें, माता ने घर का पालन किया, लालन किया, माता ने घर को बनाया, माता ने घर को संवारा, वह माता आज उपेक्षित हो जाए यह सरकार को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए सरकार ने यह सोचा है कि माताओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इसलिए उन माताओं को, उन बच्चियों को शिक्षा देने के लिए एक हजार रुपया जो दिया जाता है उसको हमने तीन हजार कर दिया है तीन गुना यही नहीं किया है कालेज में पढ़ने के लिए, कालेज की एजूकेशन के लिए जहां तीन हजार थे वहां उन्होंने पांच हजार कर दिया इससे बढ़िया और क्या काम हो सकता है ।

बीज के बारे में कहना चाहूंगा, प्रमाणीकरण बीज एक लाख पचास हजार क्विंटल गत वर्ष हुआ पर अबकी बार लक्ष्य तय किया है। सरकार सर्टिफाइड बीज काश्तकारों को उपलब्ध कराएगी, अच्छे बीज उपलब्ध कराएगी जिससे अच्छी फसल पैदा हो तो 9 लाख क्विंटल प्रमाणीकरण बीज अबकी बार तैयार करने का सरकार ने लक्ष्य बनाया है इससे ज्यादा और क्या हो सकता है।

पशुधन के लिए हमारे यहां पशु हमारा धन है पहले शास्त्रों में और भगवान कृष्ण ने तो गायें चराई हैं, कितना पशुओं से लगाव होगा, भगवान राम ने गो रक्षा के लिए सब कुछ किया है पशुधन को बचाने के लिये हमने पूरा प्रयत्न किया है। उन्नत किस्म के पशु हों उसके लिये पशु ब्रिडिंग पालिसी का निर्धारण कर रहे हैं। यही नहीं इनकी अच्छी चिकित्सा हो, 50 नये पशु चिकित्सालय, 100 नये उप केन्द्र, 200 नये पशु चिकित्सक भर्ती किये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशाला बायोलाजिकल प्रोडक्टस लेबोरेटरी बने, देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशाला बने इसके लिये हमने पहल की है और मुख्य मंत्रीजी इसमें बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। टिश्यू कल्चर बने उसके लिये वेक्सीनेशन का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

मैं मारीशस गया था। मैंने मारीशस में देखा पाइप में एक लिक्विड बहाया जा रहा है और उसके ऊपर छेद है और उस छेद पर आधा-आधा किलो

के टमाटर लगे हुए हैं और एक कमरे में छह जगह पाइप लगाकर खेती कर रहे हैं। जापान में भी इस तरीके का मैंने देखा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमें वास्तव में दूसरे राष्ट्रों के मुकाबले में आगे बढ़ना है तो हमें अब अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना पड़ेगा। केवल कह देने से काम नहीं चलने वाला है...

श्री उपाध्यक्ष : चपलोत साहब, अब कनक्लूड कीजिये।

श्री शांतिलाल चपलोत : मुझे पता नहीं है, साढ़े पांच बजे तक तो भाई लोग मुझे डिस्टर्ब करते रहे।

श्री उपाध्यक्ष: फिर भी आपने करीब-करीब सब बातें कह ही दी हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत: नहीं कही है। अभी तक तो मैंने स्टार्ट ही किया है। आप कहेंगे जैसे कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मंत्री महोदय ने...

श्री उपाध्यक्ष : टाइम दिया है घंटे का।

श्री शांतिलाल चपलोत : संसदीय मंत्री ने कहा है कि आपको एक घंटा दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी का समय है और हमारे दूसरे वक्ता बोल रहे हैं, आपने समय आबंटित किया है हमें 14 घंटे, अब एक घंटा भी बोलें, शुरू ही किया है इन्होंने तो।

श्री उपाध्यक्ष : बाकी सदस्य रह जायेंगे। बाकी जूनियर सदस्य रह जायेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई बात नहीं है।

श्री शांतिलाल चपलोत : साढ़े पांच बजे बाद मैंने प्रारम्भ किया है। कोई बात नहीं मैं तो बैठ जाता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं-नहीं, बोलो आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ा शार्ट में कर दीजिये। सब ज्ञान की बात है।

श्री शांतिलाल चपलोत : वन्य जीव में भी पचास हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कर रहे हैं। 92 लाख पौधों का वितरण, क्या वन्य जीवों के लिये काम किया जा रहा है ?

सहकारिता के क्षेत्र में भी पहले कई दिनों से चुनाव नहीं हुए, हमने

चुनाव करवाये। कोई स्पेस ऐसा नहीं छोड़ा, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चुनाव करवाये। अब हम कृषि उपज मंडी समितियों के चुनाव कराने जा रहे हैं। यह हमारी सरकार की सुहृदयता है कि किस तरीके से हम प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। हम सहकारिता में जो स्पिन फैड गुलाबपुरा और गंगापुर में है, मिल को ठीक किया गया है, उसी गति से हनुमानगढ़ की जो मिल है उनको भी बनाना चाहते हैं। सहकारिता के क्षेत्र में जो मिलें लगी हुई हैं उसको हम सुधारना चाहते हैं, उसके लिये भी हम बहुत काम कर रहे हैं।

उद्योगों के लिये पूरे प्रयत्नशील हैं। गत वर्ष भी हमने एक लाख लोगों को रोजगार दिया और अब की बार भी हमने संकल्प दोहराया है कि एक लाख लोगों को ठीक हम रोजगार देंगे। ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगेंगे। एम.आई. रोड पर माल बना रहे हैं जिससे हस्तशिल्पी लोग हमारे यहां आ सकें और काम करने वाले लोग उसमें अधिक से अधिक व्यवसाय कर सकें, इस प्रकार का काम किया जा रहा है। सिलोरा किशनगढ़ में ढाई सौ करोड़ रुपये लगाकर टैक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है और अलग अलग जगह एक स्टोन पार्क बनाया जा रहा है।

उपाध्यक्षजी, पर्यटन के लिये 66 करोड़ रुपये योजना मद में थे और इससे हमारा विकास हुआ और अब की बार भी हमने पूरा विकास के लिये 50 करोड़ रुपया इसके लिये रखा है जिसमें हवेलियों को ठीक कराना, दरवाजों को ठीक कराना, जो हमारे मोन्यूमेंटस हैं, हमारी धरोहर हैं, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य की पालना के लिये हम यह सब कर रहे हैं।

सड़क में तो हमने कीर्तिमान स्थापित किये ही हैं। सारे देश में सड़क के मामले में राजस्थान फर्स्ट रहा है, मैं इसके लिये सड़क मंत्रीजी यानि हमारे मंत्रीजी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिये समय दे रहे थे।

श्री शांतिलाल चपलोत : इन्होंने राज्य के मार्गों को उच्च मार्ग बनाने के लिये रिकार्ड से अन्तरराष्ट्रीय स्तर का बनाना, यह तय किया है और उसमें 18 जनवरी, 2006 को कार्य प्रारम्भ भी कर दिया गया है। मेगा हाईवे बनाये जायेंगे। 400-400, 300-300 किलोमीटर के फलौदी से प्रारम्भ होगा। फलौदी से रामजी की गोल 292 किलोमीटर, हनुमानगढ़ से किशनगढ़ 460 किलोमीटर, अलवर से सिकंदरा 81 किलोमीटर, लालसोट से कोटा 195

किलोमीटर, मेगा हाइवे और यह सभी काम जनवरी, 2008 तक पूर्ण कर दिये जायेंगे। इससे ज्यादा एक मंत्री कर भी क्या सकता है और एक सरकार कर भी क्या सकती है ? इतना काम किया है। कांग्रेस की सरकार ने एक दिन में चार किलोमीटर, 9 दिन चले और ढाई कोस चले और हम एक दिन में 12 किलोमीटर रोड़ बना रहे है। यह कह रहे हैं आबादी घट गयी इसलिये संख्या ज्यादा हो गयी गांवों की, यह हो गया और केन्द्र सरकार ने पैसा दिया। केन्द्र सरकार ने तो पहले भी दिया था। केन्द्र सरकार ने तो 55 लाख टन गेहूं गत सरकार को भी दिया था पर आपने उसकी यूटिलिटी क्या की और वापस उसका रिटर्न क्या दिया ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं पांच वर्षों में जो निवेश है हम उसको चार गुना करके 8443 करोड़ रुपया करेंगे और प्रथम दो वर्षों में 2087 करोड़ का हमने निवेश कर दिया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में हमने सारे गांवों को जोड़ने के साथ-साथ 17 आरओबी एवं 25 उप मार्गों का निर्माण भी प्रस्तावित किया है। रेलवे ओवर ब्रिज, आपमें तो सोच आई ही नहीं, क्यों आये, 17 रेलवे ओवर ब्रिज, 25 उप मार्ग बनाना प्रस्तावित किया है। ट्रेक बना रहे हैं। ड्राइविंग ट्रेक नौसिखिया लोग गाडि़यां कहीं भिड़ा ना दें, इसलिए ट्रेक पर सीख कर फिर जाओ सड़क पर। सड़क 120-130 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हैं। अब वह आपकी तरह या मध्य प्रदेश में पहली सरकार के जैसे 25 किलोमीटर एक घंटे में चलने वाली सड़के नहीं हैं, यह राजस्थान की सड़कें हैं और योग्य मंत्री ने इसको तैयार करवाया है।

श्री संयम लोढ़ा : राठौड़ साहब, इससे बढ़िया सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल सकता। यह आर एस एस का सर्टिफिकेट नहीं है, यह पूर्व विधान सभाध्यक्ष का सर्टिफिकेट भी है, यह पूर्व महामंत्री का सर्टिफिकेट भी है।

श्री जुबेर खान : इससे ज्यादा नहीं मिल सकता और यह जब है कि आप एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहे हैं। यह सर्टिफिकेट तो तब मिल रहा है। अगर सौ-दो सौ करोड़ खर्च करते तो पता नहीं कितने सर्टिफिकेट मिलते।

श्री उपाध्यक्ष : दिल से दे रहे हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : उपाध्यक्षजी, विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। एक वर्ष में 1991 करोड़ विद्युत उत्पादन के लिए दे रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। (व्यवधान) गये साल बहुत तारीफ की है, पर अभी

(श्री शांतिलाल चपलोत)

भी करूंगा। गत वर्ष प्रतिदिन हमने 100 लाख यूनिट खरीदी है, 525 करोड़ रुपये की बाहर से बिजली खरीदी है और हाहाकार नहीं होने दिया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस राज में मैं टोंक में चुनाव में गया था, वहां पर यह हालात थे कि लाइनें की लाइनें कई गांव की बिलकुल काट दी गयी, 20-20, 25-25 दिन अंधेरे में थे। यह हमने नहीं किया, न हम यह करना चाहते हैं।

मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बात सत्य है कि नहीं (व्यवधान) आप थे ही नहीं मैंने खूब तारीफ कर दी। रिनोवेशन 850 फीडर का किया है और अब हम 3500 फीडर का रिनोवेशन कर रहे हैं यही नहीं कर रहे हैं, नये ग्रिड स्टेशन बना रहे हैं जिससे छीजत नहीं हो और दो-चार नहीं बना रहे हैं, 34 के.वी. के हम नये ग्रिड बना रहे हैं। कितना काम इसमें किया, 80 हजार से ज्यादा कनेक्शन इन दो सालों में हम दे चुके हैं यही नहीं जिन लोगों के कनेक्शन बरसात नहीं होने से, अकाल पड़ने से सात-सात वर्ष से कटे हुए थे । यही नहीं किया है इस खेत में कुआ है और यह खेत का ही एक भाग है, यहां पर कुआ है और यहां पानी खत्म हो गया और यहां से कनेक्शन शिफ्ट करना है और वहां ले जाना है उसके चार्जेज लगते थे 50-52 हजार उसको डेढ़-दो हजार रूपये प्रति हार्स पावर का करके साढ़े सात हजार-आठ हजार में कनेक्शंस शिफ्ट हो रहे हैं । हमने यही नहीं किया है पहले एक खम्भे के चौदह हजार लगते थे और आपको दस खम्भे चाहिंए तो डेढ़ लाख रूपया हो तो आप कनेक्शन ले सकते हैं (व्यवधान) इनका ही था, प्रतिपक्ष का ही था । मैं ज्यादा किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं ।

श्री जुबेर खान : मावली से आने वाले सदस्य वह बात बता रहे हैं जो 1998 से पहले थी क्यों कि यह तब थे । यह सारे काम हुए हैं लेकिन गहलोत साहब की सरकार के समय हुए हैं । कुओं का परिवर्तन, शिफ्टिंग, पांच साल से ज्यादा यह मैं आपको रिकार्ड पर चैलेंज करके कहता हूं मावली से आने वाले माननीय सदस्य कि जो बातें कह रहें हैं यह योजनाएं और कार्यक्रम और नियम अगर कांग्रेस सरकार के समय में लागू नहीं हुए हों तो आप जो कहेंगे हम भुगतने को तैयार हैं क्योंकि इनकी याददास्त सिर्फ 1998 से पहले की है जो यह कह रहे हैं । यह सही है कि उस समय 11 हजार रूपये पोल के लगते

(श्री जुबेर खान)

थे । यह भी सही है कि शिफ्टिंग के 52 हजार लगते थे । लेकिन यह सब गहलोत साहब के समय में खतम कर दिये गये थे । It is on record.

श्री शांतिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बात कह रहे हैं वह सही नहीं है । यह डेढ़-दो महीने पहले ही श्रीमत पांडे साहब ने आदेश जारी किये हैं और उसकी कापी मेरे पास में हैं । मैंने सारे क्षेत्र में भिजवायी है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 4500 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लिग्नाइट के आधार पर हम उद्योग लगा रहे हैं बिजली लगाने को और उसके लिए वेस्ट को आधार बनाया है और उसमें एक हजार मेगावाट बिजली बल्कि चार हजार करोड़ का प्राइवेट के रूप में निवेश होगा जो आज तक कि राजस्थान में निवेश हुआ है उसमें सबसे बड़ा निवेश प्राइवेट कोई होगा तो यह वेस्ट वालों का होगा । यह जो कारखाना लगा रहे हैं उसमें लगेगा।

आरएसएमएम, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड ने पवन ऊर्जा में काम किया है और 12-14 मेगावाट बिजली पैदा की, 270 लाख यूनिटस एक वर्ष में उन्होंने ग्रिड स्टेशन को सप्लाई की । यदि यह सप्लाई नहीं हो तो 15 हजार टन कार्बन डाई आक्साइड वायुमंडल में फैलती । इतना बड़ा काम उन्होंने भी किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप बिजली मंत्री भी रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा बिजली मंत्रीजी से अनुरोध है कि यह जो सौर ऊर्जा है यह बेकार जा रही है । इस राजस्थान का तापमान 47-48 डिग्री सेल्यिसस रहता है । लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं । लॉस एंजिल्स, अमेरिका में कई लोग दो सौ बीघा के खेत में सौर ऊर्जा से पम्प चलाकर के काम ले रहे हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि कोई सरकारी बिल्डिंग ऐसी नहीं बचनी चाहिए जिस पर सौर ऊर्जा के यंत्र नहीं लगे हों । क्यों नहीं लगने चाहिंए, लगने चाहिएं, हमको यह करना चाहिए। यदि हमको ऊर्जा बचानी है, काश्तकार को देनी है तो हम उसके लिये कर सकते हैं और मैंने अपने घर में एक यंत्र लगवाने के लिए कर दिया है, खाना तो आजकल उसी से उदयपुर में बनवा रहे हैं । इसमें क्या दिक्कत है । खाने में भी इसको काम में लिया जा सकता है । सौर ऊर्जा का उपयोग अवश्य करिये, सूर्य की गर्मी आपके और मेरे कहने से कोई कम होने वाली नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बढ़िया, अब आप कनक्लूड कीजिये । आपको एक घंटा हो गया है ।

श्री शांतिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, सरसों अब निकल रही है। सरसों का बहुत सारा कचरा आयेगा तो बायो मास से हम काफी चीजें बना सकते हैं । गोबर गैस संयंत्र से भी छोटी-मोटी बिजली पैदा की जा सकती है । मैं पिछले दिनों तीन दिसम्बर को जोधुपर में गया वहां एक गौ-शाला को देखा। वहां पांच सौ गायें हैं और उसने कम से कम सात कारखाने लगा रखे हैं । उसने पानी निकालने के लिए पम्प यानि टयूबवैल मशीन लगा रखी है, कुट्टी काटने की मशीन लगायी हुई, दवाइयां बनाने की मशीन लगी हुई हैं, गायों के पेशाब को शुद्विकरण करने की मशीन लगी हुई है और उसके साथ में वर्मित कंपोस्ट की खाद का काम किया हुआ । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से जो सरसों का कचरा इक्ट्ठा हो जायेगा उसका बायोमॉस का किसी न किसी तरीके से पावर प्रोजेक्ट हम लगा सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि संपूर्ण स्वस्थता अभियान में जनवरी तक 214235 आवासीय शौचालयों का निर्माण राजस्थान में हुआ और डीपीईपी में 48892 विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण हुआ और अब की बार 97 करोड़ रुपयों का काम इसमें प्रस्तावित किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्रीजी यहां नहीं बिराज रहे हैं । पहले तो मैं उन्हें और माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने देवास-द्वितीय स्टेज का शिलान्यास किया गयी 15 तारीख की । हमें प्रसन्नता है कि वह पानी जो गुजरात की नदियों में जाकर के समुद्र में जा रहा था जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था उस पानी को रोककर के उदयपुर में पेयजल की समस्या का भी निस्तारण किया जाये और पर्यटन विकास के लिए काम किया जाये । यह तो बहुत अच्छी बात हुई लेकिन मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि देवास-द्वितीय के बाद तृतीय और चतुर्थ स्टेज यदि इसको कम्पलीट नहीं की तो केवल उदयुपर में पेयजल की समस्या तो हल हो जायेगी लेकिन वल्लभनगर, मावली, गिरवा ऐसे कई स्थान हैं जो बहुत ही एक्युट शार्टेज में पानी की रहते हैं उनका क्या होगा । मेरे भाई नन्दजी भी यहां बिराजे होंगे । हमने जाखम से भी पानी लाने के लिए मावली और वल्लभ नगर के लिए योजना दे रखी है । वह फिजिबल हो तो वह नहीं तो देवास-तृतीय, चतुर्थ स्टेज को बनाकर के पानी वहां पहुंचाया

(श्री शांतिलाल चपलोत)

जाये । यदि यह नहीं हुआ तो राजसमंद भी तरसा रहेगा । राजसमंद की आज झीलें सूख गयी हैं । राजसमंद का पानी मारवाड़ से होकर के समुद्र में जा रहा है । उस पानी को रोककर हम गोमती में डलवा सकते हैं और गोमती के जरिये राजसमंद में लाया जा सकता है । मेरा इतना ही निवेदन है कि अब की बार सिंचाई के मामले में यह जरूर है कि भीखा भाई नहर का निर्माण कर रहे हैं उसके लिये तो उनको बधाई पर इसके लिए मेवाड़ शायद आज भी अछूता रहा है । मैं मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर थोड़ा विचार करें । एकीकृत फलोरिसस नियंत्रण में तीन और पांच पीपीएम के जो इलाके हैं, पानी खराब हैं तो उसके लिए शुद्वीकृत करने के लिए काम किये जो रहे हैं उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं ।

बीसलपुर से टौंक जिले के 427 गांवों को और दो कस्बों को पानी दिया जायेगा, उसके लिए भी मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में पेयजल के लिए 3529 करोड़ रुपए की 17 योजनाएं चल रही है। मैं दूरगामी परिणाम के लिए कहना चाहता हूं, आने वाले दो-चार साल में 6,660 करोड़ रुपए लागत की 12 वृहद परियोजनाएं सरकार बना रही है, चिह्नित की गई हैं इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। जो स्टेट्समैन होता है वह 100 साल आगे की सोचता है, जो पोलिटिशियन होता है वह आज की सोचता है, वह अभी की सोचता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि वह स्टेट्समैन की तरह सोच रही हैं और 100 साल आगे की, 50 साल आगे की सोचकर इस प्रान्त में काम कर रही है। ये लघु सिंचाई परियोजनाएं जब पूरी हो जाएंगी तो 1 लाख हैक्टेयर में ज्यादा सिंचाई होगी। 57 हजार हैक्टेयर में खालों का निर्माण कर रहे हैं। अण्डेरी, लाशी, पिपलाद, गाडरिन, चार नई परियोजनाएं भी प्रारम्भ की जाएगी इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात को देखकर आप थोड़ा सा प्रयास करें कि हमारे मावली और वल्लभनगर और उदयपुर को भी पानी मिले। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 26 जिलों में 415 लघु सिंचाई परियोजनाएं, 612 करोड़ 39 लाख लागत की, 6 वर्ष में पूरी करके 1 लाख 27 हजार हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा बढ़ाई जाएगी।

यूरोपियन कमीशन आया है, उसके साथ 450 करोड़ रुपए की स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, जिससे 10 जिलों की 25

(श्री शांतिलाल चपलोत)

पंचायत समितियों में पानी का काफी काम होगा। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के आधुनिकीकरण पर 300 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं, पानी बेकार जा रहा है उसके लिए इतना प्रयत्न किया जा रहा है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी बधाई की पात्र हैं। 20 हजार हैक्टेयर में खालों के निर्माण के लिए भी सरकार प्रयत्नशील है। सिद्धमुख-नोहर परियोजना में 22 हजार और अमरसिंह-जस्साना में 10 हजार हैक्टेयर में सिंचाई के लिए 18 करोड़ और 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, सिंचाई के क्षेत्र में इतना बड़ा प्रावधान इससे पहले कभी नहीं हुआ, मैं इसके लिए सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

चम्बल की दांयी नहर 7 करोड़ और बांयी नहर 20 करोड़ रुपए लगाकर ठीक कराई जा रही है, उसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। स्लम एरिया में भी बाहर से सफाई और ठोस कचरा निस्तारण का काम किया जा रहा है। आज ही मैंने अख़बार में देखा है कि आवासन मण्डल ने एक प्रतिशत ब्याज कम कर दिया है। कल जैसे ही मुख्य मंत्रीजी ने कहा, आवासन मण्डल ने ब्याज की दर एक प्रतिशत घटा दी, इससे 50 हजार आवण्टी लाभांवित होंगे। किसी भी क्षेत्र को मुख्य मंत्रीजी ने छोड़ा नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : चपलोत साहब, कन्कलूड कीजिए।

श्री शांतिलाल चपलोत : बस मैं खतम कर रहा हूं।

टीनेन्सी एक्ट में भी कुछ प्रोविजन किए जा रहे हैं, जरीब के स्थान पर मीट्रिक प्रणाली लागू करना एक अच्छा प्रयास है।

(समय : 18.55)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जितनी सरकारी बिल्डिंगें हैं उनमें पानी को रोकने के लिए व्यवस्था की जाए, जैसे यह विधान सभा है, इसका पूरा पानी खड्डों में या नीचे कोई न कोई टैंक बनाया जाए, उसमें इकट्ठा किया जाए तो मेरे हिसाब से 10 लाख लीटर से कम नहीं होगा। इसी प्रकार से जो सरकारी बिल्डिंगें हैं उसमें एक-एक, दो-दो लाख लीटर पानी सिंचाई करने के लिए उपलब्ध हो सकता है। सरकार तुरन्त आदेश दें कि

सरकार की कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं होगी जो अगली बरसात तक छत का दो-दो लाख लीटर पानी इकट्ठा नहीं करेगी, उसके लिए तुरन्त यह काम किया जाना चाहिए। यदि वास्तव में हम जल ग्रहण करना चाहते हैं। मैंने तो काफी कराया है। मैं एक और बात निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप वास्तव में करना चाहते हैं तो आप सौराष्ट्र जाकर देखें कि किस तरह से उन्होंने पानी का उपयोग किया है। जो पानी बहकर चला जाता था उसको उन्होंने कुएं में डाला, 70 फीट का कुआ है, 20 फीट उसमें पानी है, 50 फीट खाली है और चार बार वह भर गया तो 20 फीट पानी अन्दर नीचे चला गया, 200 फीट पानी चार बार, फिर जा सकता है, खेत में पानी होने से कितनी ज्यादा आमद काश्तकार की बढ़ेगी, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कुओं में पानी डलवाया जाए, खेत का पानी खेत में, 50 गुणा 50 गुणा 10 का कोई खड्डा खोदकर, जो बेकार पड़ी हुई हो जगह उसमें बनाकर पोलिथिन की थैलियां लगाकर पानी का संग्रहण करके वहां पर वृक्षारोपण करके पानी को ड्रिप इर्रिगेशन से काम लिया जा सकता है। यदि हम शिवजी को मानते हैं तो शिवजी एक-एक बून्द से प्रसन्न रहते हैं, एक-एक बून्द उन पर टपकाया जाता है, जब शिवजी इससे खुश हो सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं खुश हो सकते? वृक्ष क्यों नहीं खुश होंगे इसलिए ड्रिप इर्रिगेशन का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करना चाहिए। वास्तव में यदि हम पानी का काम करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मावली से आने वाले माननीय सदस्य, आपको एक घण्टा पूरा हो गया है।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्षजी, आपने मुझे पुकारा था उसके बाद सवा घण्टा तो दूसरे लोगों ने ले लिया, मैं बस अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : 5.15 पर बोलना शुरू किया था आपने।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं आधा मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विधवाओं के लिए, जो सैनिक सैकण्ड वर्ल्ड वार में मारे गए उनके लिए, 300 से 600 कर दी पेंशन, 200 से 400 कर दी, इससे ज्यादा बढ़िया और क्या काम हो सकता है। सारे राजस्थान में लाखों लोग आशीष देंगे कि हमारी पेंशन 200 से 400 हो गई। हो सकता है

(श्री शांतिलाल चपलोत)

कि उसमें कहा जाए कि केन्द्र सरकार का सहयोग है लेकिन बिना राजस्थान सरकार के सहयोग तो हो नहीं सकता। राजस्थान और केन्द्र में कुल मिलाकर 285 इस प्रकार की योजनाएं हैं जिसका पैसा हम उठाना ही नहीं जानते। मैं सांसद रहा हूं इसलिए मुझे पता है कि कई डिपार्टमेंटों में हजारों करोड़ रुपए ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई उठा कर ले जाता है तो आन्ध्र ले जाता है, सबसे ज्यादा कोई उठा कर ले जाता है तो कर्नाटक ले जाता है, सबसे ज्यादा अगर कोई उठा कर ले जाता है तो तमिलनाड़ उठा कर ले जाता है और हम लोग उसमें वंचित रह गए क्योंकि किसी में पांच प्रतिशत, किसी में दस प्रतिशत और किसी में पन्द्रह प्रतिशत स्टेट को मिलाना पड़ता है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी तरफ से मिलाकर स्टेट का पैसा दिया है। मैं अधिक बात नहीं कहता हुआ क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि टैक्स में जो छूट दी है, ऑटोमोबाइल के लिए, आटो पार्ट्स के लिए निवेश होगा, हमारे प्रदेश में 4 प्रतिशत टैक्स लगा हुआ था, वह खतम कर देने से आटो पार्टस के विक्रेता, बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्री लगाने के लिए यहां आकर्षित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे जो समय दिया, ज्यादा समय हो गया इसलिए मैं ज्यादा बात न कहते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम

उतिष्ठ्त: जागृत: प्राच्य वरानि बोधत्,

उठें, जागें और जब तक लक्ष्य सिद्ध न हो जाए इस राजस्थान को, महान राजस्थान, शक्तिशाली राजस्थान, मजबूत राजस्थान नहीं बना देंगे तब तक चुपचाप नहीं बैठेंगे।

अश्वम् नैव गजम् नैव व्याघ्रम् नैव च नैव च,

अजा पुत्रम् बलिम् जात देवो दुर्बल गाटर,

कभी भी घोड़े की बलि नहीं दी जाती है, अश्वम् नैव, गजम् नैव, हाथी का भी कोई बलिदान नहीं देता है, व्याघ्रम नैवच नैवच और शेर का तो कभी नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं देता है। अजा पुत्रम् बलिम् जात, वह बेचारा बकरी का बच्चा, गरीब, दीन हीन, कृशकाय, दुबला-पता मरियल, उसका बलिदान दिया जाता है। जो कमजोर होते हैं, जो राष्ट्र कमजोर होता है, जो प्रान्त कमजोर होता है, उसको सब घेर कर किक मारते हैं इसलिए हम इस हिन्दुस्तान को और राजस्थान को मजबूत स्टेट बनाकर के दम लेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सीकर से आने वाली माननीय सदस्या के पास जो सदस्या बैठी हुई हैं, वह अख़बार सदन में पढ़ रही है, अख़बार सदन में नहीं पढ़ा जाता है, कई देर से मैं देख रही हूं, आप अख़बार को यूं करके पढ़ रही हैं, पढ़ना हो तो भी यहां नहीं पढ़ा जाता है, घर पर पढ़कर आइए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो उतिष्ठत: जागृत: के साथ अपना उद्बबोधन समाप्त किया है, मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि राजस्थान की सरकार ने जो 3 बजट इस सदन में प्रस्तुत किए और जो 3 बजट भाषण पढ़े गए हैं, बजट भाषण को इस सदन में पढ़ने के बाद यह सरकार उतिष्ठत: जागृत: की भावना में नहीं रहती है और उस बजट भाषण को भूल जाती है। इतना ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की मुख्य मंत्री के इस बार के बजट भाषण से यह तो राजस्थान की जनता को समझ में आने लगा है कि इस तीसरे साल उनको इस बात का अहसास होने लगा है कि यह परों की उड़ान, हौसलों की उड़ान छोड़कर हमें लोगों को दोनों पैरों के साथ चलाना है जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बधाई दी गई, बहुत अभिनन्दन किया गया, लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सर्वोच्च सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री ने अपने बजट भाषण के बिन्दु 6 में यह कहा है ''बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें इस वर्ष से क्रियान्वित की जा रही हैं। इन सिफारिशों के अंतर्गत हमारा केन्द्रीय करों में हिस्सा मामूली वृद्धि के साथ 5.473 प्रतिशत के स्थान पर 5.609 प्रतिशत हो गया है।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका जिक्र तो किया, पर यह कहा कि इस साल हमको 200 करोड़ रुपया बढ़ जाएगा या 100 करोड़ रुपया बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा होता जिस खुले दिल के साथ राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री शेर पढ़ती है वो इस बात को भी कहतीं कि केन्द्र सरकार से इस साल इस प्रतिशत की वजह से राजस्थान को 1041 करोड़ रुपया ज्यादा प्राप्त होगा। जो पिछले साल 5330 करोड़ रुपया केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा प्राप्त हुआ है...

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय सदस्य, वह पैसा अभी तक मिला नहीं है और उसके लिए हम लोग चार दफे केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी के पास जाकर मिल चुके हैं और वह पैसा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। वह 1038 करोड़ रुपये है आपकी जानकारी के लिए।

श्री संयम लोढ़ा: मैं जो बातें पढ़ रहा हूं यह राजस्थान की मुख्य मंत्री ने इस सदन के अंदर जो आय-व्ययक अध्ययन प्रस्तुत किया है उसके अंदर से पढ़ रहा हूं। अगर उसके अंदर यह फीगर नहीं दिया हुआ हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय करों में राज्य का अंश संशोधित अनुमान 2005-06 530008, यह रिवाइज एस्टीमेट आपकी मुख्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है और जो बजट एस्टीमेट मुख्य मंत्री ने प्रस्तुत किया 637093 । ...(व्यवधान) कितना हुआ? मेरा फीगर गलत है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है।

श्री संयम लोढ़ा : कैसे-कैसे को वित्त राज्यमंत्री बनाकर बिठा दिया आपने? इस राजस्थान के सर्वोच्च सदन में क्या बोलना चाहिए उनको यह पता नहीं है। कल बजट पेश किया गया है आज इनको जानकारी नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज्यादा राजस्थान की जनता के जनादेश की तौहीन नहीं हो सकती और मुख्य मंत्रीजी को यह सर्टिफिकेट दे देना, उनके चयन का कि किस रूप में वे राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राजस्थान का कैसा वित्तीय प्रबंधन करना चाहते हैं, यह पोल खुल गई इस सदन के अंदर आपकी और आपकी सरकार की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कैसे पोल खुल गई?

श्री संयम लोढ़ा : आपके मंत्री को ही मालूम नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बारहवें वित्त आयोग पूरे हिन्दुस्तान के अंदर ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यहां अध्यक्ष महोदय देख रहे हैं, आसन देख रहा है ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा : आप अपनी जानकारी दुरुस्त करके आयें। क्या मालूम नहीं है अभी आठ दिन पहले हम जाकर आये हैं इस पैसे के लिए?

श्री संयम लोढ़ा : माननीय पार्लियामैंट्री मिनिस्टर महोदय, हम जो यहां पर बात कह रहे हैं हम जानते हैं कोई हमारे बोलने से आपका राज पलटने वाला नहीं है। राजस्थान की जनता ने हमको आदेश दिया है कि एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी है तो अपनी कमियों को ठीक करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप तो प्रतिपक्ष की भूमिका निभाओ, छोड़ो इन बातों को।

श्री संयम लोढ़ा : धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करना चाहता हूं..

श्री अध्यक्ष : अब डिस्टर्ब मत करना कोई भी।

श्री संयम लोढ़ा : एक बिन्दु मैंने राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री के इस साल के बजट भाषण का आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया। पिछली साल 2005-06 में माननीय मुख्यमंत्रीजी ने जो बजट भाषण पढ़ा था उसका भी एक बिन्दु मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। बिन्दु संख्या 11 जो 2005-06 में पढ़ा गया- ''योजना के आकार में वृद्धि के साथ-साथ हमने योजनान्तर्गत व्यय की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 2002-03 में कैपीटल आउटले मात्र 2570 करोड़ रुपये का ही था। वर्ष 2003-04 में हमने कैपीटल आउटले को बढ़ाकर 3444 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2004-05 में 3900 करोड़ रुपये किया। वर्ष 2005-06 के बजट अनुमानों में कैपीटल आउटले 5161 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है।'' आपकी माननीय मुख्यमंत्री के समझ में आ गया इस साल के बजट भाषण में एक शब्द कैपीटल आउटले का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? कैपीटल आउटले के बजट एस्टीमेंट 2004-05 में जो 4173.28 करोड़ रुपये था रिवाइज एस्टीमेट में आपने घटाकर 3900.88 करोड़ रुपये कर दिये और एक्चुअल एक्सपेंडीचर में उससे भी घटकर 3488.288 कर दिया। मतलब 684 करोड़ रुपया कम कर दिया। इसका मतलब क्या है इसका मतलब साफ है राजस्थान में जो परिसम्पत्तियों के सृजन में धन खर्च होना था वह आपने नहीं किया। 2005-06 में क्या हुआ कैपीटल आउटले का? बजट एस्टीमेट था 5160.92 करोड़ का। आपने कल रिवाइज एस्टीमेट क्या पेश किया 4688.869 करोड़ का। क्यों क्या हाल है कैपीटल आउटले का? जब 2005-06 का रिवाइज एस्टीमेट 4088 करोड़ का पेश किया है आपने इस साल 5024 करोड़ रुपये का प्रस्तुत कर दिया। कोई जवाब है इस सरकार के पास इस बात का?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं देनी चाहिए, आपकी नेता है, सदन की नेता है, राजस्थान की जनता ने जनादेश दिया है हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं अच्छा काम करेगी तो हर मुद्दे पर देंगे, दिल खोलकर देंगे, लेकिन अगर कहीं कमी नजर आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि आपका ध्यान आकृष्ट करें।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करें, उस कमी को दूर कराने की कोशिश करें, राजस्थान की जनता को न्याय दिलाने की कोशिश करें। अब रेवेन्यू रिसीप्ट का मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं बहुत गुणगान करते हैं कांग्रेस की सरकार को बहुत गाली देते हैं अशोक गहलोत ने राजस्थान का कबाड़ा कर दिया, कांग्रेस ने भट्ठा बैठा दिया राजस्थान का। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस रेवेन्यू रिसीप्ट की बात हम करते हैं 2004-05 के अंदर अगर आप बजट एस्टीमेट से एक्चुअल एस्टीमेट को घटाएं तो जो बढ़ोतरी है वह 379.52 करोड़ की है। मतलब 2.183128 परसेंट। यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है?

आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2000-2001 के अंदर तत्कालीन कांग्रेस सरकार की वजह से जो बजट एस्टीमेट रेवेन्यू रिसीप्ट का 11222 करोड़ प्रस्तावित किया गया था उसको एचीव किया 12401 करोड़ रुपये। मतलब 10.51 परसेंट रेवेन्यू रिसीप्ट वर्ष 2000-2001 के अंदर बढ़ी। इतना बड़ा इतिहास, कितना बेहतरीन काम करने का, बेहतरीन प्रबंध करने का वित्तीय प्रबंधन करने का राजस्थान के सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम तत्कालीन सरकार ने किया। रेवेन्यू एक्सपेंडीचर में क्या स्थिति है आपकी? 2005-06 का आपका बजट एस्टीमेट क्या था 22061 करोड़। आपने रिवाइज एस्टीमेट क्या किया, 21611 करोड़। क्यों? आप खर्चा नहीं करना चाहते? आपने प्रस्तावित कर दिया 24034 करोड़। जब आपने पहले ही जो प्रावधान रेवेन्यू एक्सपेंडीचर का किया वो आप खर्च नहीं कर पाये तो अब 24 हजार करोड़ का प्रस्तुत करना राजस्थान की जनता को क्यों गुमराह करना चाहते हो?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं राजस्व घाटे का 2005-2006 का बजट एस्टीमेट प्रस्तुत किया था 1523 करोड़, माइनस में बताया था, फिर रिवाइज एस्टीमेट में 865 करोड़ रुपये आ गया और अब 2006-07 में आप माइनस 43 पर आ गये। आप राजस्व व्यय करेंगे नहीं और दिखाएंगे कि घाटा कम हो गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार लगातार और हमारे सत्ता पक्ष के सदस्य सिवाय बधाइयों के कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह बजट जिस रूप में

(श्री संयम लोढ़ा)

बढ़ा है, इसका आकार कैसे बढ़ा है, कैसे प्रस्ताव आये उसमें किनका क्या योगदान है मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया है, लेकिन इस पैसे का राजस्थान की मौजूदा सरकार किस रूप में उपयोग कर रही है, किस रूप में इसका खर्चा कर रही है यह देखने की आवश्यकता है।

आपका बिजली पर कर शुल्क, टैक्स व शुल्क में बढ़ोतरी है, आपने 2004-05 में 44276 लाख रुपये प्राप्त किये। 2005-06 का रिवाइज एस्टीमेट 49924 लाख रुपये का है। 2006-07 के अनुमान में आपने 57605 लाख रुपये का प्रस्ताव किया है। यह पैसा राजस्थान की गरीब जनता की जेब से आएगा, इसका आंकड़ा बढ़ाकर आप क्या साबित करना चाहते हो? राजस्थान का गरीब उपभोक्ता, राजस्थान का आम उपभोक्ता, जिसको आपने चुनाव के अंदर वादा किया था कि हम बिजली की दरों को तर्कसंगत करेंगे और यह कांग्रेस किसानों की दुश्मन है, इसके राज में तो बिजली के बिल में करंट आ रहा है। यह बढ़ा हुआ पैसा क्या साबित कर रहा है? राजस्थान के किसान, राजस्थान के बिजली उपभोक्ता के साथ खिलवाड़ करने का काम यह सरकार कर रही है। और इस सरकार द्वारा पेश किए हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े इस बात का गवाह हैं, अब आप बहुत तारीफ कर रहे हो, बहुत कायाकल्प हो जाएगा, ये खालें बन जाएंगे, ये नहर बन जाएगी लेकिन यह भी देखने की चेष्टा, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के हित में हमको करना पड़ेगा कि कुल एक्सपेंडीचर में विकास व्यवस्था का प्रतिशत कितना है जो 2005-06 के अन्दर आपने बजट पेश किया था और बजट अनुमान आपने पेश किये, 2005-06 में जो रिवाइज्ड एस्टीमेट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किये हैं उसमें से कुल व्यवस्था में से विकास व्यय का प्रतिशत है 58.59 और माननीय अध्यक्ष महोदय, 2006-07 के जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं, वह विकास व्यय का प्रतिशत घट कर 57.38 प्रतिशत पेश किया गया है। आप तो पिछले साल से भी पीछे आ रहे हो, फिर किस रूप में आप वाहवाही किये जा रहे हो, किस रूप में आप ढोल नगाड़े पीट रहे हो, किस रूप में बधाइयों की झड़ी लगा रहे हो ? राजस्थान की जनता को जवाब देना पड़ेगा आपको। यह जो अभी राजस्थान के विकास को ठप करने का काम राजस्थान को पीछे ले जाने का काम राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी और यह सरकार कर रही है इससे बड़ा धोखा राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की जनता के साथ नहीं हुआ होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को

(श्री संयम लोढ़ा)

पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ का अवसर मिला है तो राजस्थान की जनता की अपेक्षाएं भी उतनी ही हैं लेकिन इस कीमत पर नहीं कि आप विकास के मद की कटौती कर दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक सेवाओं के व्यय का कुल व्यय में प्रतिशत कितना है, बहुत इम्पोर्टेंट बिन्दु है, 2005-06 में रिवाइज्ड एस्टीमेट जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किये हैं, सामाजिक सेवाओं के व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत है 37.48 और इस साल आपने क्या प्रस्ताव पेश किया है, क्या प्रतिशत बैठ रहा है 36.30, अब आप बताइए राजस्थान को आप कहां ले जा रहे हैं ? योजना का आकार देखने से या पैसे की मद बढ़ाने से या पैसे का फीगर बढ़ाने से राजस्थान की जनता का भला होने वाला नहीं है, राजस्थान की जनता का भला तब होगा जब सामाजिक सेवाओं पर और विकास के काम पर आप व्यय का प्रतिशत इस बजट में आप बढ़ा कर दिखाते तो राजस्थान की जनता का भला होता और हम भी यहां खड़े होकर आपको धन्यवाद देते कि राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी आपने जो बजट पेश किया है, राजस्थान के उस गरीब आदमी, गांव में बैठे हुए आदमी, कच्ची बस्ती में बैठे हुए आदमी के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, वह समाज के सबसे अन्तिम छोर पर बैठे हुए गरीब आदमी जो अपने परिवार का जीवन यापन नहीं कर सकता उसके जीवन को ऊंचा उठाने का संकल्प आपका इस बजट में हमको दिखता है लेकिन मुझे बहुत खेद है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता की उन अपेक्षाओं को यह बजट पूरा नहीं करता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, अभी हमारे मावली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे।, एक क्रान्तिकारी परिवर्तन, यह 21वीं सदी है और आपने तकनीकी शिक्षा में क्या प्रावधान किया है? 2005-06 के रिवाइज्ड एस्टीमेट में 4468.84 लाख रुपये का प्रावधान था और 2006-07 के जो बजट एस्टीमेट आपने पेश किये हैं, वह घट कर 4387.34 पर आ गये हैं। अब तकनीकी क्षेत्र में आप राजस्थान को आगे ले जाना चाहते हैं, राजस्थान के नौजवान का भविष्य आप बढ़ाना चाहते हैं, उसके जीवन को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं तो आपको यह प्रस्ताव बजट का बढ़ाकर लाना चाहिए था जिससे कि नौजवान को महसूस होता कि तकनीकी क्षेत्र के माध्यम से उसके अन्दर पारंगत होकर इस समाज की सेवा करने का मन में कोई इरादा और संकल्प रखता।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी, इसमें तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि वे खेल की बहुत प्रेमी हैं। जब इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ, मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनका कि उन्होंने पूरा दिन दिया, उन्होंने पूरा मैच देखा और पूरा समय दिया। राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों के अन्दर यह संदेश गया कि राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी क्रिकेट के खेल के प्रति कितनी रूचि रखती हैं, क्रिकेट से उनका कितना लगाव है लेकिन बहुत खुशी होती कि जिस बजट का राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी के रूप में इस सदन में पेश कर रही हैं, खेलों में भी अपने उसी प्रेम को व्यक्त करती, अपनी जेब उसी रूप में खेलों के लिए ढीली करती लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि 2005-06 के रिवाइज्ड एस्टीमेट में जहां 2973.43 लाख रुपये का प्रावधान था, खाली अभी युवा सेवाओं के लिए इस साल के बजट अनुमान 2732.58 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, मतलब खेल और युवा सेवाओं का भी पैसा आपने घटाया है और युवा बोर्ड के गठन का फैसला हुआ है पर राजस्थान की नौजवान प्रतिभाओं को आगे लाने का काम सरकार करना चाहती है, सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रतिभा, साहित्यिक क्षेत्र की प्रतिभा, उन सब को एक अवसर देना चाहती है लेकिन आपने पूरे साल के लिए उस युवा बोर्ड के लिए प्रावधान क्या किया है ? फकत 40 लाख रुपये राजस्थान के करोड़ों नौजवानों की सांस्कृतिक प्रतिभा के उन्नयन के लिए, इस सरकार का दिल कितना तंग है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है, मुझे बहुत खुशी होती कि मुख्य मंत्रीजी जब पेशेवर कलाकारों को यहां नचाने के लिए और यहां राजस्थान भर में उनकी डुगडुगी पिटवाने के लिए करोड़ों रुपये पर्यटन के माध्यम से और राजस्थान दिवस के नाम पर खर्च करती है, फूंकती हैं, बहुत खुशी होती अगर राजस्थान की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए भी कोई पैसे का इंतजाम वह करती, लेकिन नहीं, उनके मन में वह सोच नहीं है, वह संकल्प नहीं है कि राजस्थान के नौजवान को आगे लाने के लिए उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए भी कुछ करना है, यह पेशेवर लोगों को नचाने से राजस्थान के नौजवान का भला नहीं होगा, राजस्थान की सांस्कृतिक प्रतिभा को आगे आने का अवसर नहीं मिलेगा इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि वह पुनर्विचार करे जो प्रस्ताव किये गये हैं उन पर और

(श्री संयम लोढ़ा)

राजस्थान के नौजवानों के भले के लिए राजस्थान के नौजवान प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए पर्याप्त धन का प्रावधान करके आगे आएं ताकि हम भी उनको धन्यवाद दे सकें कि आपने राजस्थान की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो आपको जनादेश दिया है उसका संकल्प आपने काम करने की चेष्टा में है और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं बहुत किसान को लेकर, गांव के लोगों को लेकर बहुत भारी आह्वान सत्ता पक्ष की ओर से आता है जैसे कि असली खैरख्वाह तो यही हैं लेकिन बहुत खुशी होती अगर इस सरकार के बजट में भी गांव का वही चेहरा दिखता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जलापूर्ति योजनाओं के लिए प्रावधान हुआ, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं 2005-06 का रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या है 25874.99 लाख रुपये और 2006 में बजट अनुमान क्या पेश किये गये हैं 24892.97 लाख मतलब ग्रामीण क्षेत्र की जलापूर्ति योजनाओं में भी पैसे घटाने का काम इस सरकार ने किया है। अब गांवों में आपका क्या चेहरा बनेगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आर्थिक सेवाओं पर व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय की मद के अन्दर जो कृषि सेवाओं का बिन्दु दिया गया है 2005-06 का रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या है 90520 लाख रुपये, 2006-07 का बजट अनुमान क्या है 82750 लाख, यह आपकी सरकार का चेहरा है, यह मुंह लेकर किसानों के बीच में जाएंगे आप ? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं क्या दाओस की दुनिया, क्या दाओस के सपने, कहां दाओस के उस आर्थिक संसार के माध्यम से राजस्थान के भविष्य निर्माण की कल्पना और विज्ञान व प्रौद्योगिकी के अन्दर इस आर्थिक सेवाओं के मद में ही 2005-06 के अन्दर क्या प्रावधान संशोधित अनुमान हैं 559.42 लाख रुपये, इस साल क्या आपने प्रस्ताव पेश किये हैं 599 से घटकर 537 लाख, ऐसे दाओस की दुनिया का संदेश राजस्थान को देंगे ? ऐसे दाओस का संदेश राजस्थान के कौन-कौन में फैलाएंगे कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अन्दर हम यह परिवर्तन लाने का मन रखते हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं बहुत किसानों के हितैषी हैं आप, बहुत किसानों की चिंता है आपको और बहुत किसानों का भला करना चाहते हैं और किसानों के हक में सब कुछ ले जाना चाहते हैं लेकिन जब बजट की बारी आती है, जब पैसे खर्च करने की बारी

आती है तो कृषि कार्य के अन्दर क्या प्रावधान रखते हैं ? 2005-06 का रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या 378 करोड़, 379 मान लो और 2006-07 का बजट एस्टीमेट क्या है 289 करोड़ रुपये मतलब 99 करोड़ रुपये आपने कम किया है कृषि कार्य के लिए और अगर प्रतिशत पर जाऊं तो 26 प्रतिशत पैसा आपने...

श्री अध्यक्ष: 99 लाख, करोड़ नहीं, 99 लाख।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 99 करोड़ कम किया है, 378 और 279 में से आप माइनस कर लें 99 करोड़ रुपये कम किया है और आप अगर फरमाएंगे तो जहां यह फीगर दिया है उस किताब में से देखकर आपको निवेदन कर दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय।

सहकारिता में 2005-06 का रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या है ? 36.42 करोड़ और 2006-07 का बजट एस्टिमेट क्या पेश किया है ? 29.76 करोड़ रुपये। मतलब 6.6 करोड़ रुपया घटाने का काम किया है। 18 प्रतिशत की कटौती सहकारिता के क्षेत्र में की गई है। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 2005-06 का कुल खाद्यान्न उत्पादन क्या है। 2004-05 में जो खाद्यान्न उत्पादन आपका 122 लाख मैट्रिक टन था वह घटकर 118 पर आ गया है। किस बात की डींगें हांक रही है सरकार और किस बात पर अपनी पीठ थपथपा रहे हो? औद्योगिक उत्पादक सूचकांक क्या है आपका ? 2004-05 का जो 224 था वह 2005-06 में 202 पर आ गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि दो साल में बहुत कायाकल्प कर दिया, राजस्थान की तस्वीर बदल दी, राजस्थान के दु:ख दूर कर दिये, चारों तरफ विकास का एक नया पैमाना स्थापित कर दिया लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, सितम्बर, 2005 में जो राष्ट्रीय औसत सामने आया है, क्या है राष्ट्रीय औसत ? बैंक की शाखाएं कितनी हैं प्रति लाख ? भारत में जो 6.2 प्रति लाख है, सितम्बर, 2005 में राजस्थान में 5.5 थी। प्रति व्यक्ति जमा क्या है ? जो भारत का औसत है 16995 सितम्बर, 2005 में और राजस्थान का क्या है ? राजस्थान का 7293 है। प्रति व्यक्ति साख क्या है ? हिन्दुस्तान का औसत 11569 और राजस्थान का 5284 और सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर क्या है ? हिन्दुस्तान का औसत 3200 है और हमारा 122 है। स्थिर कीमतों पर हिन्दुस्तान का क्या है ? 2586 और हमारा है 70 रुपये। पीठ थपथपाओ पर, पीठ थपथपाने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा

(श्री संयम लोढ़ा)

कि राष्ट्रीय औसत के मुकाबले पर राजस्थान को हम कहां लेकर के खड़े हैं। मैं यह नहीं कहता कि आपके अकेले की कोशिश होनी चाहिए, हम सबकी मिली-जुली कोशिश होनी चाहिए कि राजस्थान के आदमी को हम आगे बढ़ाने का काम कैसे करें। प्रति व्यक्ति आपकी विद्युत खपत क्या है ? हिन्दुस्तान का औसत 390 किलोवाट प्रति घंटा और राजस्थान का 294 है। जमा राशि में वृद्धि का प्रतिशत क्या है ? हिन्दुस्तान का औसत 20.5 प्रतिशत है और राजस्थान का औसत 12 प्रतिशत है। ऋण व जमा का अनुपात, इसमें भी हम हिन्दुस्तान के औसत से 4 प्रतिशत पीछे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत दावे किये रोजगार देने के। प्रधान मंत्री रोजगार योजना में 2005-06 में आपकी क्या उपलब्धि है ? लक्ष्य था आपका 18700 और स्वीकृति तो आपने 13 हजार की पर ऋण बांटा कितने लोगों को? 3293 लोगों को। यह आपकी उपलब्धि है। रीको ने इस साल में कितने भूखण्ड दिये एस. सी. के लोगों को ? पूरे राजस्थान में 25 लोगों को दिये। बहुत एस. सी. का कायाकल्प करना चाहते हैं, यह आपका आंकड़ा है। आर.एफ.सी. के क्या हाल हैं ? ऋण वितरण किये आपने 220 करोड़ रुपये का और वसूली कितनी की ? 207 करोड़ की। ऐसे औद्योगिक विकास करना चाहते हो क्या ? खादी ग्रामोद्योग का क्या है ? लक्ष्य है 1042 का और स्वीकृति 672 की। यह हमारा औद्योगिक विकास का हाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो औद्योगिक उत्पादन है, दूध का कितना कम हुआ प्रोडक्शन ? 18.21 प्रतिशत कम हुआ 2004 की तुलना में 2005-06 के अन्दर। चावल में 42 प्रतिशत कम हुआ, खाद्य तेल में 20 प्रतिशत कम हुआ, सिंथेटिक धागा में 8 प्रतिशत कम हुआ। सिंथेटिक कपड़ा में टैक्सटाइल नगर बना रहे हो, टैक्सटाइल पार्क बना रहे हो, क्या बना रहे हो, टैक्सटाइल कपड़ा में 19 प्रतिशत कम हुआ। सुपर फास्पेट में 45 प्रतिशत कम हुआ, लॉयम के अन्दर 87 प्रतिशत कम हुआ, जिंक में 10 प्रतिशत कम हुआ, सरिया-छड़ों में 27 प्रतिशत कम हुआ, टीन कंटेनर में 16 प्रतिशत कम हुआ। किसानों के बहुत हितैषी हो, ट्रांसफार्मर का प्रोडक्शन 37 प्रतिशत राजस्थान में आपके इस एक साल के ड्यूरेशन में कम हुआ है। रेडियेटर में 6 प्रतिशत कम हुआ। बहुमूल्य पत्थर में 6 प्रतिशत कम हुआ। पानी के मीटर में 33 प्रतिशत कम हुआ। यह हमारा औद्योगिक उत्पादन का अचीवमेंट है। अब सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार, खूब गाली दे रहे थे अशोक गहलोत ने राजस्थान का भट्टा बिठा दिया लेकिन यह आपकी सरकार

(श्री संयम लोढ़ा)

के द्वारा इस सदन में कल पेश किये गये आंकड़े क्या कहते हैं ? वर्ष 2000 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में मिलाकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 12 लाख 46 हजार लोगों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार दिया था और 2001 में 12 लाख 2 हजार लोगों को रोजगार दिया और आपका क्या अचीवमेंट है? 2004 का 11 लाख और 2005 का भी 11 लाख। मैंडेट है या क्या है वह तो आप अपना आत्मालोचन आप कर लेना। इसी तरीके से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मैं सारे एक-एक स्कीम के आंकड़े नहीं रखना चाहता, इस सदन का बहुत अमूल्य समय है लेकिन विशेष केन्द्रीय सहायता योजना की प्रगति ले लो, शहरी पोत ले लो, ग्रामीण पोत ले लो, ऑटो रिक्शा ले लो, गैर बैंकिंग में आप कुओं का विद्युतिकरण ले लो, कुओं की ब्लास्टिंग ले लो, कहीं आप टार्गेट के आस-पास नहीं हैं। एस. सी., एस. टी. के तो 44 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी में और राज्य आयोजना मद में क्या प्रावधान था ? 2005-06 में 549.54 करोड़ रुपये और खर्चा कितना किया ? 174 करोड़ रुपये। सर्टिफिकेट दे देंगे वहां आदिवासी इलाके के लोग आपको। विशेष केन्द्रीय सहायता एस. सी., एस. टी. में क्या प्रावधान था? 32.84 करोड़ का और खर्चा कितना किया ? 7.89 करोड़। केन्द्र प्रवर्तित में क्या प्रावधान था ? 78.18 करोड़ और खर्चा किया 19.42 करोड़। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो यह बजट भाषण में घोषणाएं करती हैं उसके बाद में इस भाषण को पढ़ने की भी चेष्टा करें कि जो आपने राजस्थान की जनता से कहा है उसमें कितनी क्रियान्विति हो रही है उसको देखने की भी चेष्टा करें। एक बार बजट भाषण पढ़ने के बाद उसको इस तरह से अलमारी में बंद करके रख दिया जाता है, उसका यह नतीजा होता है कि इस तरह के लक्ष्य और इस तरह के आंकड़े हमको देखने पड़ते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो-जो बजट घोषणाएं इन्होंने की थीं, 'ओल्ड एज होम' यह राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने 2005-06 में कितने बना दिये ? मैंने मेरे कोटे से चार लाख रुपये दिये वृद्ध कल्याण केन्द्र बनाने के लिए। उसकी स्वीकृति के लिए राज्य सरकार का भेजा गया पर अध्यक्ष महोदय, आज 8 महीने हो गये, वह स्वीकृति देने तक का काम राजस्थान की सरकार ने नहीं किया। जहां एम. एल. ए. लैड से पैसे एम. एल. ए. देने को तैयार है वहां आप स्वीकृति देने को तैयार नहीं हो और खुद के बनाने की तो बात ही छोड़ो आप। आपका कोई

(श्री संयम लोढ़ा)

अचीवमेंट इसके अन्दर नहीं है। ... (व्यवधान) मेरी नीयत खराब है तो ठीक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विधवाओं और विकलांगों को 10 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा, कब घोषणा की थी ? 2005 के मार्च में। मेरी चुनौती है कि दिसम्बर, 2005 तक एक केस बता दें राजस्थान में कि राजस्थान में एक विधवा और एक विकलांग को अगर 10 किलो गेहूं दिया गया हो तो। एक केस बता दो पूरी सरकार यहां बैठी हुई है। आपने मार्च में घोषणा की थी....

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित: आपको कितने उदाहरण बतायें ? जालौर जिले के बतायेंगे 10 किलो गेहूं वाले।

श्री संयम लोढ़ा: मैं दिसम्बर, 2005 तक का कह रहा हूं। दिसम्बर, 2005 तक एक आदमी को लाभान्वित किया हो....

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित: जो शिक्षा में रोजगार दिया वो भी तो कहो न। जो रोजगार दिया वो तो कहो न।

श्री संयम लोढ़ा: आप बोल लिये, मैंने तो डिस्टर्ब नहीं किया आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक महिला के रूप में इस पद पर विराजमान हैं, मैं राजस्थान की महिलाओं के लिए आपके माध्यम से लाभ लेने के लिए यह बात कहना चाहता हूं कि आपने इसमें घोषणा की कि विधवा व विकलांगों को 10 किलो गेहूं दिया जाएगा। अब वह महिला जिसकी पेंशन वृद्ध के रूप में स्वीकृत हो गई और वो विधवा है उसको वह पेंशन नहीं मिल रही है। उसको वो 10 किलो गेहूं जो फरवरी से देना चालू किया है वो नहीं मिल रहा है क्योंकि यह घोषणा विधवा और विकलांग के लिए थी तो क्या इस सरकार में कोई यह सोचने वाला आदमी नहीं है कि वो विधवा जिसकी अगर वृद्ध के रूप में पेंशन स्वीकृत हो गई है तो हम 10 किलो गेहूं उसको भी दे दें लेकिन नहीं, आप इस स्कीम की क्रियान्विति नहीं देखना चाहते। घोषणा कर दी, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि दो साल हो गये, सरकार सिर्फ घोषणा करती रही, आज तक खेल नीति ला नहीं पाई।

इसके अलावा आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक इन्होंने कहा कि भेड़ पालकों के कल्याण के लिए हम अविका कवच, अविकापाल जीवन रक्षक व अविरक्षक नाम की योजनाओं से एक वर्ष में एक

(श्री संयम लोढ़ा)

लाख भेड़ पालकों को लाभान्वित करेंगे। पूरे 2005 के साल के अन्दर आपने एक को भी लाभान्वित किया हो तो उसका आंकड़ा यहां पर लाकर के रख देना। आपके अधिकारियों को इस योजना के बारे में मालुम तो नहीं है। यह हमारे प्रभारी मंत्री यहां पर विराजमान हैं, इनको इस बात की पूरी जानकारी है कि जिले में अधिकारियों की क्या हालत बनी हुई है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, यह बजट राजस्थान के सामाजिक सरोकारों के अनुरूप नहीं है, राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता और चूंकि यह सरकार वित्तीय प्रबन्धन में माहिर है....

और बेहतरीन वित्तीय प्रबन्ध करना चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं कि अम्बूजा सीमेंट जिसको लीज दी गई थी और उसके साथ ही यह राजस्थान की सरकार ने यह शर्त लगाई थी कि अगर आपने काम शुरू नहीं किया तो हर साल एक करोड़ रुपये पैनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। छह करोड़ रुपये उसकी पैनल्टी बनती थी। वह अम्बूजा सीमेंट राष्ट्रीय स्तर का जो माइंस का बोर्ड बना हुआ है, उसमें अपील के लिए गई, उसके पक्ष में फैसला हुआ, छह करोड़ रुपये का सवाल था। राजस्थान की सरकार इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील के लिए क्यों नहीं जा रही है? आप तो एक-एक पैसा बचाना चाहते हैं, आप तो वित्तीय प्रबन्ध करना चाहते हैं। क्यों फाइल पर इस बात के आर्डर हो गये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं राजस्थान की जनता की ओर से कि जहां छह करोड़ रुपये का मामला इन्वाल्व हो, क्यों फाइल पर इस बात के आर्डर हो गये कि इस मामले में अपील नहीं की जायेगी? मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता पर अगर इस सरकार का दामन साफ है, अगर यह सरकार पारदर्शिता में विश्वास करती है तो इमिजिएट उसको हाइकोर्ट में उस फैसले के खिलाफ अपील के लिए जाना चाहिए, नहीं तो राजस्थान के लोग इस बात के लिए अंगुली उठायेंगे कि क्यों इस फाइल पर दस्तखत हो गये कि इसमें विशेष अपील नहीं की जाये, क्या किसका लेना-देना है?

इसके अलावा भी अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आबू रोड का मामला है। आबू रोड ग्रोथ सेन्टर के लिए रीको द्वारा जमीन एक्वायर करने का मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय, 1990 के दशक में उसके लिए पार्टी को भुगतान हो गया पर 1990 में जो सम्परिवर्तन भूमि रूपान्तरण किया गया, उस मामले में तत्कालीन कलक्टर को ए.सी.डी. कोर्ट

(श्री संयम लोढ़ा)

की ओर से सज़ा हुई और रीको उस सम्परिवर्तन के खिलाफ अपील में गई। रेवेन्यु मिनिस्टर ने अब 2005 में उस पार्टी के पक्ष में फैसला दे दिया कि वह सम्परिवर्तन ठीक हुआ। मैं उस फैसले में नहीं जाना चाहता, रेवेन्यु मिनिस्टर की जो मर्जी हो वह फैसला करे लेकिन जिस बात के लिए पांच लाख रुपये का भुगतान उस पार्टी ने प्राप्त कर लिया, जो सरकार राजस्व मंत्री के उस फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील में जाने की बजाय सिरोही के कलक्टर से कहकर उसकी तरमीम करवाने का काम कर रही है, जहां पांच लाख रुपया मुआवजा ले लिया और अब डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजे का आप किस बात का उसको दे रहे हो और क्यों राजस्व मंत्री के फैसले के खिलाफ अब हाइकोर्ट में अपील नहीं करनी चाहिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन अगर सरकार के फैसले इस तरीके से होंगे तो लोग आरोप लगायेंगे और लोग यह कहेंगे कि आपका दामन साफ नहीं है, इसलिए सरकार को आगे बढ़कर इस मामले में अपील करनी चाहिए।

इसके अलावा भी मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बगराना में रीको के द्वारा जो जमीन ली गई थी और यहां पर जो डवलपमेंट करना चाहिए था, उसमें राजस्थान हाइकोर्ट की सिंगल बैंच ने पार्टी के पक्ष में फैसला कर दिया कि ''प्रथम आओ प्रथम पाओ'' उस सिद्धान्त पर उसको जमीन दी जाये और रीको ने जो निर्णय किया था उस निर्णय को अपास्त कर दिया। अब उस मामले में भी एडवोकेट के द्वारा यह राय दी गई थी कि इसमें हाइकोर्ट में अपील की जाये। मैं जानना चाहता हूं कि 85,000 वर्गमीटर के जमीन के मामले में वह कौनसी ताकतें हैं जो राजस्थान सरकार को बाध्य कर रही है, लिखित में आदेश देने पर विवश कर रही है कि इसमें अपील नहीं की जाये जबकि एडवोकेट यह कह रहा है कि इसमें अपील की जाये। इस तरह से यह करोड़ों रुपयों के मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के जो तौर-तरीके हैं, यह सरकार जिस रूप में काम कर रही है और जिस रूप में व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए फैसले कर रही है, राजस्थान की जनता आपको बख्शेगी नहीं और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मैं यह नहीं कहता कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को इन सब फैसलों की जानकारी

(श्री संयम लोढ़ा)

होगी लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो मेरा धर्म है कि मैं उनकी जानकारी में यह सब बातें लाऊं और अगर इस सरकार का दामन साफ है, इसमें किसी प्रकार की कोई हेराफेरी या लेनदेन नहीं हुआ है तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को आगे बढ़कर इस सदन को, राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाना चाहिए कि हम इस मामले में अपील करेंगे और नहीं तो यह आरोप मैंने जो लगाया है, यह राजस्थान के सर्वोच्च सदन में लगा है। मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने यह जो बजट पेश किया है, यह बजट राजस्थान के सर्वांगीण विकास की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, राजस्थान के सामाजिक सरोकारों का निर्वहन नहीं करता, इसलिए इस बजट का मैं पुरजोर विरोध करता हूं और आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपके प्रति बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट में कोई बोलना चाहें तो। श्री रामलाल शर्मा। पांच मिनट और बोल देंगे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी माननीय वसुन्धराजी ने कल यह बजट 2006-2007 पेश किया, यह बजट इस प्रदेश की जनता को समर्पित है और मैं समझता हूं, सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से और सभी वर्गों को जोड़ते हुए यह बजट इस प्रदेश के विकास में साधक होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजगार एक ऐसी समस्या है और रोजगार के माध्यम से कई कार्य ऐसे तय होते हैं और रोजगार यदि किसी व्यक्ति को मिलता है तो मैं समझता हूं कि रोजगार के माध्यम से अपराधों की संख्या में भी कमी आती है। रोजगार यदि किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसका सोच भी बदलता है, उसका कार्य भी बदलता है और जब पेट की भूख शांत होती है तो व्यक्ति राष्ट्र और समाज के प्रति सार्थक होकर काम करता है। मैं समझता हूं कि पिछले दो-सवा दो साल के अन्दर इस प्रदेश में युवा शक्ति को जो रोजगार दिया है, उस रोजगार की बदौलत आज युवा के चेहरे पर मुस्कान है और उस मुस्कान की वजह से इस प्रदेश का युवा सार्थक होकर इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बार-बार यह कहते हैं कि यह तो केन्द्र सरकार की योजनाओं के

(श्री रामलाल शर्मा)

माध्यम से रोजगार मिला है, नौकरियां मिली हैं। मैं समझता हूं, केन्द्र की सरकारें तो पहले भी थीं, आपके कार्यकाल में तो रोजगार नहीं मिला और जिन 50,000 युवाओं को रोजगार मिला है, मैं यह बताना चाहूंगा कि उसका एक प्रतिशत युवा भी अपने पथ से भटक जाता और एक प्रतिशत युवा भी अगर समाज को अवरोध करने का कार्य करता तो अपराधों की संख्या में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी होती। मैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को धन्यवाद देना इसलिए चाहता हूं कि पिछले सवा दो साल में जो राज्य सरकार ने बढ़िया काम किये हैं, उनकी प्रशंसा इनके मुख से भी सुनने को मिली है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में दो-तीन बिन्दुओं को आपके माध्यम से छूने का प्रयास करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में जितना कार्य हुआ, वह अपने आपमें एक ऐतिहासिक कार्य है। यदि किसी बाजार में बोरी खाद्यान्न खरीदने की आवश्यकता हो तो परखी लगाकर बानगी देखने की आवश्यकता होती है, पूरी बोरी खोलकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती और यदि मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की चर्चा करूं तो उसी के अन्दर 200 विधान सभा क्षेत्रों में विकास का पता अपने आप ही लग सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को कि वर्ष 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय मेरे विधान सभा क्षेत्र में 105 राजकीय प्राथमिक विद्यालय थे और आज स्थिति यह है कि 43 प्राथमिक विद्यालय खुल चुके हैं और 58 राजीव गांधी पाठशालाएं थीं, वह भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनने वाली हैं, जिनमें से 45-46 तो बन भी चुकी हैं। इसी तरीके से यदि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति देखें तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2003 में 58 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे और आज उनकी संख्या बढ़कर पिछले सवा दो साल में लगभग 35 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया।

श्री जुबेर खान: माननीय अध्यक्षजी, सरकारी मुख्य सचेतक महोदय, देखिये बहुत बोलने वाले हैं इसलिए आप इसको कम से कम आधा घंटे का समय और बढ़वाइये। आपकी तरफ से एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उसके बाद एक और बोलेंगे, एक हमारा बोल ले, तब तक बढ़वाइये क्योंकि लोग बोलना चाहते हैं क्योंकि आज दो मंत्रियों के वक्तव्य आ गये, समय उसमें निकल गया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष: चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य के भाषण की समाप्ति तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रामलाल शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी बजट के अन्दर जिन्हें रोजगार देने की बात कही गई है, 16000 राजीव गांधी पाठशालाओं को राजकीय प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित करने की बात शिक्षा के क्षेत्र में कही गई, 5000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की बात कही गई, लगभग पिछले सालों में 37,000 नियुक्तियां इस सरकार के द्वारा दी गई...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, खड़े नहीं हुआ जाता है यहां। माननीय सदस्या, या तो आप बैठ जायें या स्थान पर चली जायें।

श्री रामलाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, सबसे बढ़िया बात तो यह लगी कि राज्य सरकार की यह योजना नहीं है कि सभी स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाय, क्रमोन्नत करते जायें, लेकिन जब तक विद्यालयों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, जब तक वहां पर अध्ययन-अध्यापन कराने वालों की व्यवस्था नहीं होती, तब तक मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक प्रयास नहीं हो सकते और अब की बार इस बजट में प्रावधान किया गया कि लगभग 1387 जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उन विद्यालयों के अंदर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने 27 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा। आसीन्द और टोडाभीम, दो स्थानों के ऊपर जन सहभागिता के तहत महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा इस बजट में की गई है। तो मैं समझता हूं कि जिन उप-खण्ड स्तर पर महाविद्यालय नहीं हैं, वहां पर जन सहभागिता के आधार पर सरकार के सहयोग से महाविद्यालय खोले जाने की जो घोषणा की गई है, मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इस प्रदेश को आगे लाने के लिए एक सार्थक प्रयास होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब सरकार बनी थी तो मेरे तीन पीएचसी के ऊपर पदों की रिक्तता थी, चौमूं के सीएचसी की स्थिति यह थी कि कोई भी मरीज यदि दो

(श्री रामलाल शर्मा)

टांके लगाने के लिए भी जाता था तो उसे जयपुर तुरंत रेफर कर दिया जाता था। लेकिन मैं समझता हूं कि आज स्थिति वहां बदली है, लगभग तीन नई पोस्ट स्वीकृत की हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी पीएचसी थीं उन सभी पीएचसी के अंदर आज पद भरे हुए हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर माननीय चिकित्सा मंत्री चौमूं क्षेत्र के अंदर विकास में और भी सार्थक प्रयास करेंगे।

मैं तो राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ जो माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं उनका धन्यवाद दो बातों के लिए देता हूं कि उदयपुरिया मोड़ से लेकर खेजरोली सीमा तक इन्होंने एक करोड़ सत्ताइस लाख रूपये देकर हमारे चौमूं क्षेत्र की जो जनता को सड़क की रिपेयरिंग करके, सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है और उन किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया है, इनसे एक मेरी छोटी सी मांग है क्योंकि जब यह अपने क्षेत्र में जाते हैं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है क्योंकि अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र से गुजरने के लिए माननीय मंत्री महोदय को लगभग पन्द्रह और बीस मिनट एक किलोमीटर में लगते हैं और मैं समझता हूं कि अब की बार बजट में जो 25 उपमार्गों या बाई-पास का प्रावधान किया गया है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान तो यह कर पाने में सफल होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कृषि मंत्रीजी को, कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2 करोड़ 56 लाख रुपये की सड़क कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा स्वीकृत करके मैं समझता हूं कि राज्य में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 56 लाख रुपये मेरे विधान सभा क्षेत्र में इन्होंने स्वीकृत किये हैं इसलिए यह धन्यवाद के पात्र हैं। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, अब वह आंकड़ों का जाल मेरी समझ से तो बाहर है, यह घटा और यह बढ़ा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सरकार बनी थी उस समय मैं जेडीए के आयुक्त थानवी साहब के पास गया और मैंने जाकर मेरे क्षेत्र के विकास की अर्जी उनको पेश की कि मेरे क्षेत्र के अंदर यह विकास होना चाहिए और इसके लिए जो भी चालीस-पचास लाख रुपये हैं, इन कार्यों की आप स्वीकृति प्रदान कीजिये। उन्होंने कहा कि ओवरड्राफ्ट चल रहा है। मैंने सोचा कि आयुक्त महोदय ने हो सकता है कि गुमराह करने के लिए यह बात कही हो। मैंने मंत्रीजी से आग्रह किया। इन्होंने भी कहा कि ओवरड्राफ्ट है, अभी जेडीए में पैसा नहीं है। लेकिन मुझे आज खुशी है इस बात की कि मेरे विधान सभा क्षेत्र

का कोई ज्यादा या पूरा क्षेत्र जेडीए के क्षेत्र में नहीं है, मात्र नगरपालिका का क्षेत्र है और दो पंचायतें जैतपुरा और अणतपुरा है, इतने छोटे से क्षेत्र में लगभग 12 करोड़ रुपये के विकास के कार्य अभी चल रहे हैं और मैं समझता हूं कि जनता को यदि यह कहें कि जेडीए में ओवरड्राफ्ट चल रहा है, पैसा नहीं है तो जनता के वह बात समझ में नहीं आती। लेकिन पैसा कहां से आये, पैसा कहां से लगे, विकास के लिए ...

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के उप नेता, थोड़ा ध्यान रखा करो।

श्री रामलाल शर्मा : जनता यह चाहती है कि विकास किस तरीके से हो रहा है, विकास कैसा हो रहा है। इसलिए मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि चौमूं क्षेत्र के विकास में यह भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में आईटीआई खोलकर माननीय मुख्य मंत्री महोदय और उप शिक्षा मंत्रीजी ने बहुत बड़ा उपकार किया है और जब तक हर हाथ को रोजगार नहीं मिलेगा, मैं समझता हूं कि स्वावलम्बन का जो सपना है हमारा, वह सपना पूरा नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने अपने पुराने क्षेत्र को उपकृत किया, आप पर कोई अहसान नहीं किया।

श्री रामलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पूरे दिन समय निकाल कर क्रिकेट का मैच देखा। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य से मैं कहना चाहूंगा कि पूरे राज्य में जयपुर और जोधपुर पहले दो ही युवा आवास बने हुए थे, इस सरकार के आने के बाद में अजमेर, कोटा...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, खड़े नहीं रहें।

श्री रामलाल शर्मा : उदयपुर, इन स्थानों के ऊपर युवा आवास बन चुके हैं और अब की बार इस बजट में, जो 2006-07 का है, उसमें लगभग तेरह जिलों के अंदर युवा आवास खोलने की घोषणा की गई है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का निश्चित रूप से खेलों को बढ़ावा देने का पूरा-पूरा मन है और आने वाले समय के अंदर इस प्रदेश के युवा खिलाड़ी आगे आयें और इस देश का ही नहीं, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं को प्रतिपादित करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता, इतना

(श्री रामलाल शर्मा)

मैं जरूर कह सकता हूं कि यह माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, यह बजट निश्चित रूप से निर्धन व्यक्ति को, जो आशाभरी निगाहों से इस सदन की और देखता है, प्रदेश के मुख्य मंत्री की और देखता है, उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाला बजट है और पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के माध्यम से इस सरकार ने संवेदनशील होने का एक संदेश आम आदमी को देने का प्रयास किया है। इस योजना से निश्चित रूप से गांव की झोंपड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम होगा और इस बजट के माध्यम से जो ग्यारह हजार सहयोगिनियों की भर्ती की जो घोषणा की गई है, मुझे लगता है कि शायद प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य तो यह सोचते होंगे कि गरीब का ठेका तो हमने ले रखा है, गरीब की झोंपड़ी देखते ही इनका मन तर हो जाता है कि अपना वोट बैंक आ गया, और चुनावों के अंदर तो यह इशारा करके कहते हैं कि यहां तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है। निश्चित रूप से इनके मन में यह शंका है कि आने वाले समय के अंदर जो गरीब आदमी है, वह गरीब आदमी इस सरकार के जो कार्यि हैं उन कार्यो से प्रभावित होकर निश्चित रूप से प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेलों के माध्यम से युवा शक्ति को तरासने का काम, अन्तरराष्ट्रीय प्रतिभाओं को करने का काम, एसएमएस में इनडोर स्टेडियम का निर्माण, खिलाडियों के टीए,डीए में वृद्धि, सिंथेटिक ट्रेक का निर्माण और शूंटिंग रेंज के लिए लगभग 150 करोड़ रूपये की जमीन देकर और 20 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च करने का प्रावधान करके निश्चित रूप से खेलों को या प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास करेंगे।

एक बार पुन: मैं समझता हूं कि जो बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पेश किया है, यह बजट आम आदमी, किसान, गरीब वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, उसके सपनों को साकार करने वाला बजट है और यह बजट निश्चित रूप से इस प्रदेश को गति देगा, प्रदेश के विकास को गति देगा। आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2006 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.09 बजे शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2006 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

निवाई में ट्रोमा अस्पताल की स्थापना

109. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जयपुर-टोंक राजमार्ग पर बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर निवाई में ट्रोमा अस्पताल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ती दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुये चालू वित्तीय वर्ष में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवाई में हड्डी रोग एवं निश्चेतन विशेषज्ञता के चिकित्सा अधिकारियों के पद स्वीकृत किए गए हैं। इस केन्द्र पर सर्जरी, मेडिसिन, स्त्रीरोग, नेत्ररोग एवं शिशु रोग विशेषज्ञ के पद तथा एक्सरे, ई.सी.जी. रोगी वाहन की सुविधाएं पूर्व से ही उपलब्ध है।

निवाई से 30 किलोमीटर की दूरी पर जिला अस्पताल टोंक स्थापित है जहां सभी प्रकार के विशेषज्ञों की सुविधाएं उपलब्ध है।

राजकीय विद्यालयों के शिक्षण कार्य में सुधार हेतु कार्य-योजना

110. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के कई शहरों में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों में अधिक संख्या में छात्र/छात्राओं की बढ़ोत्तरी हो रही है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि निजी विद्यालयों में अच्छी गुणवत्ता का शिक्षण कार्य होने एवं छात्र/छात्राओं के लिये अच्छी सुविधायें होने के कारण अभिभावकों द्वारा छात्र/छात्राओं को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने से सरकारी विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की संख्या नहीं बढ़ रही है या तेजी से घट रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर में कई सरकारी विद्यालयों को बंद करने की स्थिति पैदा हो गई ? जयपुर शहर में ऐसे कितने प्राथमिक

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

विद्यालय हैं जिनमें छात्र/छात्राओं की संख्या 50 से कम है? विद्यालयों के नामों की सूची कक्षावार छात्र/छात्राओं की संख्या सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सरकारी विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के लिये सुविधायें बढ़ाने, शिक्षा के लिये अच्छा महौल बनाने एवं शिक्षण कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये कक्षा में सौ प्रतिशत रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को विशेष वेतन वृद्धि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। शहरी क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों में छात्र संख्या में बढ़ोतरी के निम्न कारण है :-

1. निजी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षण की सुविधा का उपलब्ध होना।
2. निजी प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता लेने की बाध्यता से मुक्ति।
3. निजी विद्यालयों का पर्याप्त संख्या में खुलना।
4. शहरी क्षेत्र के लोगों का निजी विद्यालयों की तरफ रुझान।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। जयपुर शहर में 43 प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या 50 से कम है। विद्यालयों की कक्षावार छात्र संख्या सहित विवरण परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(4) जी नहीं। सरकारी विद्यालयों में छात्रों के लिये सुविधायें बढ़ाने, शिक्षा के लिये अच्छा महौल बनाने एवं शिक्षण कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने तथा अच्छा परिणाम देने वाले शिक्षकों को प्रशंसा प्रमाण-पत्र दिये जाने का प्रावधान है।

परिशिष्ट-क

जयपुर शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय का नामांकन (50 से कम छात्र/छात्रा)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	कक्षा-1		कक्षा-2		कक्षा-3		कक्षा-4		कक्षा-5		कक्षा 1 से 5 का योग		
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	योग
1.	राप्रावि सिरसी वार्ड नं: 2	08	08	06	12	02	06	02	06	04	02	20	28	48
2.	राप्रावि कोली बस्ती	09	17	06	12	-	-	-	-	-	-	15	29	44
3.	राप्रावि कोकाबास	05	04	01	05	01	04	-	03	01	02	08	18	26
4.	राप्रावि गोविन्दारा कच्ची बस्ती	09	14	01	06	-	-	-	-	-	-	10	20	30
5.	राप्रावि सावियों की ढ़ाणी	05	06	-	06	01	03	-	-	-	-	06	15	21
6.	राप्रावि सुर्खीया	07	08	01	05	04	03	01	03	-	02	13	20	33
7.	राप्रावि चिमनपुरा	03	07	03	07	-	04	03	-	-	01	09	19	28
8.	राप्रावि हसनपुरा बास	08	01	07	07	07	03	02	02	05	01	29	14	43

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	कक्षा-1		कक्षा-2		कक्षा-3		कक्षा-4		कक्षा-5		कक्षा 1 से 5 का योग		
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	योग
9.	राप्रावि गुजर की ढ़ाणी	11	07	05	07	05	01	04	02	01	04	26	21	47
10.	राप्रावि कटपूतलीनगर	13	10	08	09	02	01	-	02	01	-	25	22	47
11	राप्रावि विनोदीलाल जी मंदिर	06	04	06	03	02	08	06	01	03	01	23	17	40
12.	राप्रावि विनोबा बस्ती	12	02	07	06	07	05	03	01	03	02	32	16	48
13.	राप्रावि सूर्य नगर	06	12	05	07	05	03	01	03	01	-	18	25	43
14.	राप्रावि रामटोला विद्याधर	04	10	01	04	-	-	-	-	-	-	05	14	19
15.	राप्रावि बन्धा बस्ती शितल निवास-I	10	04	02	06	04	05	02	03	02	04	20	22	42
16.	राप्रावि जे.पी. कालौनी	15	15	05	09	05	01	02	-	-	-	23	25	48
17.	राप्रावि जे.पी. कालौनी-III	04	10	02	07	-	-	-	-	-	-	06	17	23
18.	राप्रावि बीड अवधपुरी	15	10	08	06	04	-	-	02	-	-	27	18	45

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	कक्षा-1		कक्षा-2		कक्षा-3		कक्षा-4		कक्षा-5		कक्षा 1 से 5 का योग		
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	योग
19.	राप्रावि व्यास कालौनी	12	04	04	03	03	01	-	-	-	-	19	08	27
20.	राप्रावि संजय नगर कच्ची बस्ती	03	12	08	02	02	04	02	02	01	-	16	20	36
21.	राप्रावि राजीव नगर हसनपुरा	10	10	12	13	-	-	-	-	-	-	22	23	45
22.	राप्रावि धानका बस्ती	12	10	07	10	05	01	-	-	-	-	24	21	45
23.	राप्रावि महावर नगर	06	03	02	01	-	01	-	01	-	-	08	06	14
24.	राप्रावि मेहनत नगर	08	05	10	12	-	-	-	-	-	-	18	17	35
25.	राप्रावि ओ.टी.एस.	03	04	02	02	08	07	05	05	-	05	18	23	41
26.	राप्रावि मालवीय नगर 5 से 15	12	09	05	04	04	07	-	-	-	-	21	20	41
27.	राप्रावि सिन्धी कंवरनगर	08	13	04	02	05	03	01	04	02	02	20	24	44

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	कक्षा-1		कक्षा-2		कक्षा-3		कक्षा-4		कक्षा-5		कक्षा 1 से 5 का योग		
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	योग
28.	राप्रावि टीला नं. 7 जवा. नगर	10	24	-	-	-	-	-	-	-	-	10	24	34
29.	राप्रावि नारसिंहबाबा की ढ़ाणी	05	05	01	01	01	04	-	03	01	02	08	15	23
30.	राप्रावि करीमनगर खानिया	12	15	10	05	02	01	01	01	-	-	25	22	47
31.	राप्रावि वेदपुरी	07	13	-	06	01	-	-	01	-	01	08	21	29
32.	राप्रावि पर्वतपुरी	08	09	02	02	04	01	-	02	-	02	14	16	30
33.	राप्रावि जागृति बस्ती	02	03	01	01	01	02	-	01	-	-	04	07	11
34.	राप्रावि सिन्धी बस्ती (आगरा रोड)	02	03	01	01	-	-	-	-	-	-	03	04	07
35.	राप्रावि खानियां बन्ध	13	-	01	-	01	-	-	-	-	-	15	-	15
36.	राप्रावि मथुरावालों की हवेली	02	03	-	-	-	-	-	-	-	-	02	03	05

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	कक्षा-1		कक्षा-2		कक्षा-3		कक्षा-4		कक्षा-5		कक्षा 1 से 5 का योग		
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	योग
37.	राप्रावि इदगाह बस्ती	12	20	04	04	-	-	-	-	1	-	17	24	41
38.	राप्रावि जियाउद्दीन कालोनी	05	07	02	06	02	-	03	-	-	-	12	13	25
39.	राप्रावि कबिला बस्ती	12	06	09	02	01	01	06	06	-	-	22	15	37
40.	राप्रावि दरगाह बस्ती	12	09	09	10	-	1	-	5	-	3	21	28	49
41.	राप्रावि पर्वतपुरी	09	07	02	-	01	-	02	01	-	-	14	08	22
42.	राप्रावि मेहरा बस्ती (गंगापोल)	07	07	02	02	01	02	-	04	-	-	10	15	25
43.	राप्रावि आजाद नगर (जवाहर नगर)	08	04	21	15	-	-	-	-	-	-	29	19	48

किशनगंज में प्रस्तावित एनीकट

111. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विगत तीन वर्षों में किस-किस योजनान्तर्गत कहां-कहां पर कितनी-कितनी लागत के एनीकटों का निर्माण करवाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिन एनीकटों का निर्माण किया गया उनमें आज भी पानी उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने नवीन एनीकट बनाया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में 79 एनीकट के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 59 कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा 20 कार्य प्रगति पर है। सूची मय निर्माण लागत के परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) पूर्व में प्राप्त प्रस्तावों में से 6 एनीकट स्वीकृत किये गये हैं शेष को उपलब्ध वित्तीय संसाधन अनुसार स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-अ

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में बनाये गये एनीकटों की सूची

क्र. सं.	तहसील	एनीकट का नाम	पास के गांव का नाम	स्वीकृत वर्ष	व्यय की गई राशि लाखों में	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
योजना का नाम :- सहरिया विकास योजना						
1	शाहबाद	कोटड़ा	कोटड़ा	2002-03	2.55	प्रगति पर
2	शाहबाद	सेमली फाटक	सेमली फाटक	2002-03	9.89	पूर्ण
3	शाहबाद	भोयल	भोयल	2002-03	7.60	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
4	किशनगंज	पगारा	पगारा	2002-03	4.47	प्रगति पर
5	किशनगंज	कुंदा	कुंदा	2002-03	3.73	प्रगति पर
6	किशनगंज	सिमलोदा	सिमलोदा	2002-03	-	प्रगति पर
7	शाहबाद	मलवाया नाला	मलवाया नाला	2003-04	4.09	प्रगति पर
योजना का नाम :- सहरिया विशेष रोजगार योजना						
1	शाहबाद	खुसियारा	खुसियारा	2004-05	2.60	प्रगति पर
2	शाहबाद	महोदरा	महोदरा	2004-05	1.60	प्रगति पर
3	शाहबाद	समरानिया	समरानिया	2004-05	1.10	प्रगति पर
4	शाहबाद	तेलनी	तेलनी	2004-05	4.59	पूर्ण
5	शाहबाद	गोयरा	गोयरा	2004-05	2.76	पूर्ण
6	शाहबाद	पाजनरी	पाजनरी	2004-05	3.25	पूर्ण
7	शाहबाद	बसेली	बसेली	2004-05	1.44	प्रगति पर
8	शाहबाद	कोटडा	कोटडा	2004-05	0.07	प्रगति पर
9	शाहबाद	सन्दोकडा	सन्दोकडा	2004-05	0.87	प्रगति पर
10	किशनगंज	छिनोद	छिनोद	2004-05	0.42	प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7
11	किशनगंज	भंवरगढ़	भंवरगढ़	2004-05	1.42	प्रगति पर
12	किशनगंज	बासथुनी	बासथुनी	2004-05	3.15	प्रगति पर
13	किशनगंज	बकनपुरा	बकनपुरा	2004-05	3.99	प्रगति पर
14	किशनगंज	धुवाधह	घटटी	2004-05	1.43	प्रगति पर
15	किशनगंज	ख्यावदा	ख्यावदा	2004-05	1.36	प्रगति पर
16	किशनगंज	बजरंगगढ़	बजरंगगढ़	2004-05	2.15	प्रगति पर
17	किशनगंज	रानीबडौद	रानीबडौद	2004-05	4.60	पूर्ण
18	किशनगंज	तेजाजी का नाला	किशनगंज	2004-05	2.65	पूर्ण
योजना का नाम :- स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (विशेष कम्पोनेन्ट)						
1	किशनगंज	अर्जुनपुरा	अर्जुनपुरा	2002-03	12.56	पूर्ण
2	किशनगंज	गोपालपुरा	गोपालपुरा	2002-03	14.67	पूर्ण
3	किशनगंज	बेजारीघाट	करणपुरा	2002-03	12.24	पूर्ण
4	किशनगंज	सकरावदा	सकरावदा	2002-03	12.92	पूर्ण
5	किशनगंज	खेडली	खेडली	2002-03	8.94	पूर्ण
6	किशनगंज	रामपुरिया	रामपुरिया	2002-03	11.71	पूर्ण
7	किशनगंज	बमनदेह	बमनदेह	2002-03	9.92	पूर्ण
8	किशनगंज	माधोपुर	माधोपुर	2002-03	12.10	पूर्ण
9	किशनगंज	खण्डेला	खण्डेला	2002-03	10.72	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
10	किशनगंज	अचारपुरा	अचारपुरा	2002-03	17.75	पूर्ण
11	किशनगंज	खाखरा 11	खाखरा 11	2002-03	15.08	पूर्ण
12	किशनगंज	चन्द्रपुरा	चन्द्रपुरा	2002-03	16.32	पूर्ण
13	किशनगंज	मिसाई	मिसाई	2002-03	5.88	पूर्ण
14	किशनगंज	सोडाना	सोडाना	2002-03	7.65	पूर्ण
15	किशनगंज	स्वरूपपुरा	स्वरूपपुरा	2002-03	7.73	पूर्ण
16	किशनगंज	खेरूना	खेरूना	2002-03	9.88	पूर्ण
17	किशनगंज	जनकपुर	जनकपुर	2002-03	11.08	पूर्ण
18	किशनगंज	बिसलाई	बिसलाई	2002-03	11.09	प्रगति पर
19	किशनगंज	श्रीपुरा	श्रीपुरा	2002-03	12.96	पूर्ण
20	किशनगंज	कालीमाटी	कालीमाटी	2002-03	13.52	पूर्ण
21	किशनगंज	कोसम	कुलनदी	2002-03	12.82	पूर्ण
22	किशनगंज	इकलेरा	इकलेरा	2002-03	8.30	पूर्ण
23	किशनगंज	ख्यावदा	ख्यावदा	2002-03	13.14	पूर्ण
24	किशनगंज	कटकाड	कुडीगांव	2002-03	9.74	पूर्ण
25	किशनगंज	छत्रागंज	छत्रागंज	2002-03	9.66	पूर्ण
26	किशनगंज	करवरीखुर्द	करवरीखुर्द	2002-03	15.09	पूर्ण
27	शाहबाद	बाण गंगा	सीताबाडी केलवाड़ा	2002-03	11.47	पूर्ण
28	शाहबाद	बीलखेडा	बीलखेडा	2002-03	9.29	पूर्ण
29	शाहबाद	सनवाडा	सनवाडा	2002-03	12.02	पूर्ण
30	शाहबाद	अमरोद	अमरोद	2002-03	12.07	प्रगति पर
31	शाहबाद	कस्बाथाना	कस्बाथाना	2002-03	3.85	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
32	शाहबाद	घेसुआ	घेसुआ	2002-03	12.09	पूर्ण
33	शाहबाद	खादरी	खादरी	2002-03	7.22	पूर्ण
34	शाहबाद	झिरनियादह	झिरनियादह	2002-03	14.87	पूर्ण
35	शाहबाद	सेमरा	सेमरा	2002-03	18.16	पूर्ण
36	शाहबाद	कस्बाथाना प्रथम	कस्बाथाना प्रथम	2002-03	6.44	पूर्ण
37	शाहबाद	शाहबाद	शाहबाद	2002-03	29.97	पूर्ण
38	शाहबाद	राजाधर	फरेदुआ	2002-03	16.51	पूर्ण
39	शाहबाद	शुमधरा	शुमधरा	2002-03	12.39	पूर्ण
40	शाहबाद	तिलंगवा	तिलंगवा	2002-03	4.84	पूर्ण
41	शाहबाद	चौराखेड़ी	चौराखेड़ी	2002-03	15.63	पूर्ण
42	शाहबाद	कस्बानोनेरा	कस्बानोनेरा	2002-03	12.48	पूर्ण
43	शाहबाद	भरौली	भरौली	2002-03	8.61	पूर्ण
44	शाहबाद	बसेली	बसेली	2002-03	11.58	पूर्ण
45	शाहबाद	सांधरी	सांधरी	2002-03	10.91	पूर्ण
46	शाहबाद	होडाखेडा	होडाखेडा	2002-03	10.42	पूर्ण
47	शाहबाद	बीलखेडामाल	बीलखेडामाल	2002-03	12.16	पूर्ण
48	शाहबाद	मुहाल	मुहाल	2002-03	7.94	पूर्ण
49	शाहबाद	बडारा	बडारा	2002-03	10.79	पूर्ण
50	शाहबाद	ढिकवानी	ढिकवानी	2002-03	8.66	पूर्ण
51	शाहबाद	भोयल	भोयल	2002-03	6.81	पूर्ण
52	शाहबाद	पालकोनाडी	पालकोनाडी	2002-03	7.04	पूर्ण
53	किशनगंज	स्वांस	स्वांस	2003-04	7.64	पूर्ण
54	किशनगंज	करवारीखुद द्वितीय	करवारीखुद	2003-04	5.92	पूर्ण

फुलेरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कें

112. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) **:** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्ष 2000 से 2003 तक कौन-कौनसी सड़कें कहां-कहां व कितनी-कितनी राशि की बनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में किसी ग्राम में सड़क बनाने के लिए जनसंख्या का क्या मानदण्ड निर्धारित था?

(3) क्या यह सही है कि उक्त वर्षो में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में मानदण्ड के अनुसार निर्धारित जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले गांवों में भी सड़कें बनवाई गयी हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कें बनाई गई और इनके बनाने के क्या आधार रहे?

(4) क्या निर्धारित मानदण्डों की अवहेलना करने के लिए अधिकारी/ कर्मचारी दोषी हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी?

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत वर्ष 2000 से 2003 तक 14 सड़कों का निर्माण किया गया है। विवरण परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है।

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किसी गांव को सड़क से जोड़े जाने का मानदण्ड वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 500 तक की आबादी के गांवों को जनसंख्या की प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाना था।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट ''अ''

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000 से 2003 तक बनाई गई सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	लागत (लाखों में)
1	डेहरा से अगरपुरा	21.05
2	ईटावा से कंवरपुरा	7.09
3	त्योद से त्योदा	26.45
4	हिंगोनिया से लोहरवाड़ा	39.85
5	जोबनेर सिनोदिया सड़क से मूंडवाड़ा	7.90
6	जोबनेर पचकोडिया सड़क से भोजपुरा खुर्द	20.53
7	भैसलाना से भूखरों की ढाणी	20.98
8	रलावता से देवा का बास	47.49
9	बाधवास से डीसा	29.19
10	बधाल लूणियावास सड़क से तुर्कियावास	8.37
11	बड़ी डूंगरी से मोहनपुरा	33.30
12	छोटी डूंगरी से रामपुरा वाया जालरा, अभयपुरा	55.46
13	भैंसलाना से श्यामपुरा वाया डोगीवालों का बास	47.15
14	जोबनेर सिनोदिया सड़क से डोडवाडियों का बास	10.86
	कुल योग :-	**375.67**

सहाड़ा की आबंटन योग्य पेटाकाश्त भूमि

113. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के तालाबों की पेटाकाश्त भूमि है? यदि हां तो किन-किन तालाबों की? क्या सरकार द्वारा सभी पेटाकाश्त भूमियों को पेटा खाली होते ही काश्तकारों को आवंटित कर दी गयी?

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

यदि हां, तो ऐसी कितनी भूमि है जिन पर पेटा आवंटन समय पर नहीं करने के कारण काश्तकारों द्वारा अतिक्रमण किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ऐसे अतिक्रमी काश्तकारों को फसल सहित बेदखल कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) काश्ताकारों के समय पर पेटा आवंटित नहीं करने के क्या कारण रहे? क्या सरकार समय पर पेटा आवंटित नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की तहसील सहाड़ा एवं रायपुर में तालाबों की पेटाकाश्त भूमि निम्न प्रकार है :-

तहसील सहाड़ा

क्र.सं.	ग्राम नाम	तालाब का नाम	रकवा हैक्टर में
1.	गिरडिया	फतेहसागर तालाब	10.00
2.	गिरडिया	भोपालसागर तालाब	10.00
3.	पोटला	पोटला तालाब	26.00
4.	आटाबडा	आटाबाडा बांध	4.40
5.	डेलाणा	झवरों का तालाब	4.80
6.	उल्लाई	काला तालाब	4.30
7.	रूपारेल	रूपारेल तालाब	2.16
8.	सहाड़ा	सहाड़ा तालाब	2.00
9.	कांगणी	कांगणी तालाब	22.75
10.	शिवरती	शिवरती तालाब	4.30
तहसील रायपुर			
1.	थला	पीथलपुरा	6.69
2.	अर्जुनगढ़	अर्जुनगढ	24.49
3.	मौखमपुरा	नया तालाब	4.65
		वांडोला तालाब	7.65

(राजस्व मंत्री)

4.	झडौल	नया तालाब	30.48
5.	शिवनाथपुरा	शिवनाथपुरा तालाब	12.76
6.	बोराणा	संग्राम सागर	10.35

उपरोक्त तालाबों की पेटाकाश्त भूमि का आबंटन कर दिया गया है। ऐसी कोई पेटा काश्त योग्य भूमि नहीं है, जिसका आवंटन समय पर नहीं होने के कारण काश्तकारों द्वारा अतिक्रमण किया गया हो।

(2) जी नहीं।

(3) पेटा आबंटन समय पर कर दिया गया है। अत: किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

पाली में खादी ग्रामोद्योग उद्यमियों को ऋण

114. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कितने कर्मचारी कार्यरत हैं?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कार्यालयों में भी खादी ग्रामोद्योग विभाग का कर्मचारी सेवाएं देता है? यदि हां, तो जिले की कितनी पंचायत समितियों में, कितने समय से कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं रह सका? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत 5 वर्षों में वर्षवार पाली जिले में खादी ग्रामोद्योग विभाग के पास कितने आवेदकों द्वारा ऋण हेतु आवेदन दिया गया तथा कितनों को ऋण दिलाने हेतु विभिन्न बैंकों से सिफारिश की गयी एवं कितने ऋण प्राप्त करके अपना उद्योग स्थापित कर सके?

(4) क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न बैंकों को लक्ष्य आवंटित किया गया है? यदि हां, तो पाली जिले की कौन-कौनसी बैंकों ने लक्ष्य पूरा नहीं किया? उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाली जिले में खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए 6 कर्मचारी कार्यरत है।

(2) जी हां। कर्मचारियों की उपलब्धता स्वीकृत पदों से कम होने के

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

कारण पाली जिले की 5 पंचायत समितियों में संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार पद रिक्त है।

(3) विगत 5 वर्षों में 1044 आवेदकों द्वारा ऋण हेतु आवेदन किया गया, जिनमें से 990 आवेदन पत्रों की सिफारिश कर विभिन्न बैंकों को भिजवाया गया एवं 335 आवेदकों ने ऋण प्राप्त कर अपना उद्योग स्थापित किया। बैंकवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी हां। स्टेट बैंक आफ इण्डिया, यूको बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, पी.सी.सी.बी., आर.आर.बी. (एम.जी.बी.) एवं दी बैंक आफ राजस्थान लि. ने निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं किये हैं। बैंकों के विरुद्ध कार्यवाही राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

परिशिष्ट-1

पाली जिले की पंचायत समितियों में कार्यरत ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी/रिक्त पदों का विवरण

क्रमांक	नाम कार्मिक	पदनाम	पंचायत समिति	रिक्त दिनांक
1.	श्री प्रदीप अजमेरा	ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी	पाली	-
2.	श्री शांतिलाल व्यास	ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी	रोहट	-
3.	श्री सुखदेव जाट	ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी	रानी	-
4.	श्री रूपनारायण नारोलिया	ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी	मारवाड जंक्शन	-
5.	श्री वीर कुमार जैन	ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी	बाली	-
6.	-	-	देसूरी	20.05.2005
7.	-	-	रायपुर	25.07.2000
8.	-	-	जैतारण	03.07.2004
9.	-	-	सोजत	13.07.2005
10.	-	-	सुमेरपुर	24.07.2004

परिशिष्ट-2

गत पांच वर्षों में वर्षवार बैंक वित्त मार्जिन मनी योजनान्तर्गत आवेदन पत्र लक्ष्य/प्राप्त/प्रेषित/स्वीकृत आवेदन पत्रों का विवरण

क्र. सं.	बैंक का नाम	वर्ष 2001-02 में				वर्ष 2002-03 में				वर्ष 2003-04 में				वर्ष 2004-05 में				वर्ष 2005-06 में				योग			
		लक्ष्य	प्राप्त	प्रेषित	स्वीकृत	लक्ष्य	प्राप्त	प्रेषित	स्वीकृत	लक्ष्य	प्राप्त	प्रेषित	स्वीकृत	लक्ष्य	प्राप्त	प्रेषित	स्वीकृत	लक्ष्य	प्राप्त	प्रेषित	स्वीकृत	लक्ष्य	प्राप्त	प्रेषित	स्वीकृत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**
1	S.B.B.J.	5	34	34	9	25	65	65	35	15	39	39	11	-	-	-	-	-	-	-	-	45	138	138	55
2	S.B.I.	1	7	7	1	2	7	7	-	5	6	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	20	2
3	O.B.C.	1	7	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	3	2	2	2	-	6	13	7	4
4	B.O.B.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	-	-	-	4	1	1	-
5	P.N.B.	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	C.B.I.	2	3	3	2	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	5	2
7	UCO	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
8	CA-NARA BANK	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
9	P.C.C.B.	10	27	21	-	10	29	29	10	-	27	21	-	19	66	58	15	25	85	79	19	64	234	208	44

क्र. सं.	बैंक का नाम	वर्ष 2001-02 में				वर्ष 2002-03 में				वर्ष 2003-04 में				वर्ष 2004-05 में				वर्ष 2005-06 में				योग			
		लक्ष्य	प्राप्त	प्रेषित	स्वीकृत	लक्ष्य	प्राप्त	प्रेषित	स्वीकृत	लक्ष्य	प्राप्त	प्रेषित	स्वीकृत	लक्ष्य	प्राप्त	प्रेषित	स्वीकृत	लक्ष्य	प्राप्त	प्रेषित	स्वीकृत	लक्ष्य	प्राप्त	प्रेषित	स्वीकृत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**
10	B.O.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	5	3	3	-	7	5	5	2
11	R.R.B. (M.G.B.)	90	209	209	94	85	197	188	81	25	126	121	22	-	-	-	-	-	-	-	-	200	532	518	197
12	PALI ZILA BHUMI V.B.	-	-	-	-	-	4	4	-	5	5	5	2	10	38	34	19	10	44	42	8	25	91	85	29
13	U.CO.P. BANK	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
14	VIJAYA BANK	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-
	योग :-	**110**	**292**	278	**107**	**125**	**303**	**294**	**126**	**50**	**204**	**193**	**36**	**35**	**111**	**99**	**39**	**46**	**134**	**126**	**27**	**366**	**1044**	**990**	**335**

तारांकित प्रश्न संख्या-115

(स्थगित)

कालाडेरा (चौमूं) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

116. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालाडेरा में जनवरी, 2003 से दिसम्बर, 2005 तक आन्तरिक एवं बाह्य रोगियों की संख्या प्रतिमाह कितनी रही?

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालाडेरा से नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मध्य दूरी कितनी है?

(3) क्या सरकार भौगोलिक स्थिति एवं मरीजों की संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालाडेरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालाडेरा में जनवरी 2003 से दिसम्बर, 2005 तक के आउटडोर एवं इनडोर रोगियों की संख्या का माहवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालाडेरा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौमूं 10 किलोमीटर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोविन्दगढ़ 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(3) आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक, स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना संभव हो सकेगा।

परिशिष्ट ''अ''

माह का नाम	वर्ष 2003 आउटडोर	इनडोर	वर्ष 2004 आउटडोर	इनडोर	वर्ष 2005 आउटडोर	इनडोर
जनवरी	1033	8	1093	8	1382	15
फरवरी	1250	7	1197	11	2323	25

माह का नाम	वर्ष 2003 आउटडोर	इनडोर	वर्ष 2004 आउटडोर	इनडोर	वर्ष 2005 आउटडोर	इनडोर
मार्च	1573	22	1301	15	2008	70
अप्रैल	1240	39	1430	21	1795	193
मई	1769	63	1322	65	2068	368
जून	1355	19	1459	15	1680	86
जुलाई	1578	4	2059	5	2219	79
अगस्त	3193	40	3079	1	2569	85
सितम्बर	2137	30	3112	151	2081	49
अक्टूबर	1057	7	2141	97	2241	55
नवम्बर	1185	4	1698	149	1709	21
दिसम्बर	1496	3	1382	7	4208	9

हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में महाविद्यालय की स्थापना

117. श्री विनोद कुमार (हनुमानगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में जिला मुख्यालय में स्नातक/स्नातकोतर कालेज खोलने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ में उक्त कालेज नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार हनुमानगढ़ में उक्त कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में कला, वाणिज्य, विज्ञान संवर्ग के साथ या कोई प्रोफेशनल कालेज भी खोलने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार जिला हनुमानगढ़ में जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये इंजीनियरिंग/मेडिकल कालेज भी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में नये महाविद्यालय खोले जाने के मानदण्ड निम्नानुसार है-

1. महाविद्यालय के लिए आवश्यक भवन आदि उपलबध हो।

2. प्रस्तावित स्थान के 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 4 सीनियर सैकेण्डरी स्कूल संचालित हो।

3. प्रस्तावित स्थान के 30 किलोमीटर की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय संचालित ना हो।

4. प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए उपयुक्त हो।

उपरोक्त मानदण्डों के अतिरिक्त नया महाविद्यालय आरम्भ करते समय कतिपय अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे-निजी महाविद्यालय आरम्भ करने पर संचालकों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार के मानदण्ड तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की सभी शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करना, महाविद्यालय में छात्रों उपयोगी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को लागू करना यथा: खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक सेवा, एन.सी.सी., आदि।

नियमों की प्रति (परिशिष्ट-1) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। बजट वर्ष 2005 में हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर महिला महाविद्यालय प्रारम्भ करने की घोषणा की गई थी जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा भवन बना कर टोकन लीज पर किसी निजी संस्था को उपलब्ध करवाया जावेगा एवं इस निजी संस्था को आवर्ती-अनावर्ती व्यय वहन करना होगा। जिसकी क्रियान्विति के तहत शैक्षणिक सत्र 2006-07 से सिंगोदिया शिक्षा समिति, मेहन्दी बाग टोंक को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर महिला महाविद्यालय प्रारम्भ करने की स्वीकृति इस विभाग के पत्रांक: 83 दिनांक 13.1.2006 के द्वारा जारी की गई है।

(3) जी नहीं। जिला हनुमानगढ़ में वर्तमान में 20 महाविद्यालय संचालित है, जिनमें कला, वाणिज्य, विज्ञान संकाय के साथ प्रोफेशनल कोर्सेज भी संचालित है।

(4) जी नहीं। हनुमानगढ़ में इंजीनियरिंग/मेडिकल कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-1

राज्य में नये महाविद्यालय खोले जाने के मानदण्ड निम्नानुसार है

1. महाविद्यालय के लिए आवश्यक भवन आदि उपलब्ध हो।

2. प्रस्तावित स्थान के 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 4 सीनियर सैकेण्डरी स्कूल संचालित हो।

3. प्रस्तावित स्थान के 30 किलोमीटर की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय संचालित ना हो।

4. प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए उपयुक्त हो।

उपरोक्त मानदण्डों के अतिरिक्त नया महाविद्यालय आरम्भ करते समय कतिपय अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे-निजी महाविद्यालय आरम्भ करने पर संचालकों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार के मानदण्ड तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की सभी शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करना, महाविद्यालय में छात्राओं उपयोगी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को लागू करना यथा: खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक सेवा, एन.सी.सी. आदि।

सोमकागदर बांध (खैरवाड़ा) की क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत

118. श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में सोमकागदर की नहरें क्षतिग्रस्त हैं? क्या सरकान इन नहरों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। वर्ष 2005-06 में रुपये 15.30 लाख के कुछ आवश्यक कार्य स्वीकृत कर कराये जा रहे है जो मार्च 2006 तक पूर्ण किये जाने प्रस्तावित है। नहरों की मरम्मत के रुपये 161.50 लाख के कार्यों को वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर, जिला कलक्टर, उदयपुर से धन राशि प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिये जायेंगे।

राज्य में निजी क्षेत्र द्वारा सड़क निर्माण हेतु समझौता

119. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट कम्पनी आफ राजस्थान लिमिटेड का कम्पनीज एक्ट अथवा अन्य विधान के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया गया है? यदि हां, तो उसके मेमोरेण्डम आफ आर्टिकल्स की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अथवा उक्त कम्पनी ने किसी भी प्रकार का एग्रीमेन्ट अथवा एम.ओ.यू. पर राजस्थान के विभिन्न भागों में सडक निर्माण हेतु हस्ताक्षर किये हैं? यदि हां, तो किन शर्तों पर व किन सडकों के लिये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिन शर्तो के साथ राजस्थान में सड़क निर्माण के लिये जिस निजी कम्पनी से एग्रीमेंट अथवा समझौता अथवा एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये हैं उन शर्तों के संबंध में सरकार ने पूर्व में समाचार पत्रों के माध्यम से ओपन टेण्डर अथवा अन्य प्रकार से सार्वजनिक रूप से अन्य कम्पनियों को भी जानकारी दी थी? यदि हां, तो किन समाचार पत्रों में व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या इस कार्य को अन्जाम देने के लिये इस निजी कम्पनी के किसी व्यक्ति को सी.एम.डी. बनाने की सहमति सरकार ने दी है? यदि हां, तो उसका क्या आधार है?

उत्तर

(1) जी हां। रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कम्पनी आफ राजस्थान लिमिटेड का कम्पनीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। मेमोरेण्डम आफ आर्टिकल्स की प्रति संलग्न है।

(2) राज्य सरकार ने रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट कम्पनी आफ राजस्थान लिमिटेड एवं आई.एल. एण्ड एफ.एस. के साथ अंशधारक और भागीदारी एवं विकास अनुबन्ध किया है। कम्पनी द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों की शर्ते भागीदारी एवं विकास अनुबन्ध में उल्लेखित है। जिसकी प्रति संलग्न है। जिन सडक मार्गों को विकसित किया जायेगा उनके नाम निम्न प्रकार है:-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1. फलौदी से रामजी की गोल

2. हनुमानगढ़ से किशनगढ़

3. अलवर से सिकन्दरा

4. लालसोट से कोटा एवं बारां से झालावाड़

(3) जी नहीं। परन्तु राज्य में आधारभूत विकास हेतु राज्य ईपीआरसी मंच द्वारा 15 सितम्बर, 2004 को प्रथम बैठक में मेगा हाइवे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सहभागिता आधार पर राज्य सरकार को कम्पनी गठन करने हेतु अनुशंसा की गई थी। राज्य सरकार ने राज्य में मेगा हाइवे परियोजना के लिये इस क्षेत्र में अग्रणी कम्पनी आई.एल. एण्ड एफ.एस. के साथ अनुबन्ध कर एक भागीदारी कम्पनी स्थापित की है। आई.एल. एण्ड एफ.एस. कम्पनी सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, यू.टी.आई, एच.डी.एफ.सी., स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रायोजित कम्पनी है। राज्य सरकार ने पूर्व में सड़क क्षेत्र में किये गये कार्यों के संतोषप्रद निष्पादन को देखते हुए आई.एल. एण्ड एफ.एस. को इस कार्य हेतु चिन्हित किया। मेगा हाइवे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भागीदारी एवं विकास अनुबन्ध को विधि सम्मत राय से राज्य सरकार को नियमानुसार सम्पादित किया गया है।

(4) जी हां। रिडकोर कम्पनी के अध्यक्ष राजस्थान राज्य सरकार के मुख्य सचिव है। अशंधारक अनुबन्ध के पैरा संख्या 6.10 के अनुरूप, प्रबन्ध निदेशक का नामांकन भागीदारी कम्पनी आई.एल. एण्ड एफ.एस. द्वारा राज्य सरकार की सहमति से किया जाना है। रिडकोर के संचालक मण्डल की प्रथम बैठक दिनांक 20 नवम्बर, 2004 को लिए गये निर्णय के अनुसार प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति को अनुमोदित किया गया। बैठक में अध्यक्ष मुख्य सचिव एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अन्य निदेशक उपस्थित थे।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा में राजस्व भूमि का आबादी विस्तार हेतु भू-रूपान्तरण

120. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत 25 वर्षों में कोटा जिले के गांवों में आबादी के विस्तार हेतु कितनी-कितनी भूमि का आबादी में आवंटन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(2) क्या सरकार आबादी विस्तार के कारण राजस्व भूमि पर बसे गांवों की भूमि को आबादी में परिवर्तित कर नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में गत 25 वर्षों में आबादी के विस्तार हेतु की गयी भूमि आवंटन का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(2) जी हां। सरकारी भूमि पर पुरानी बसी आबादी को नियमन हेतु समय-समय पर आदेश/परिपत्र जारी किये जाते रहे हैं। वर्तमान में आदेश दिनांक 30.1.06 जारी कर नियमन किये जाने की व्यवस्था की गई हे। प्रति संलग्न है

(विवरण/प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

तिलहन उद्योग के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्य-योजना

121. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार की क्या कार्य-योजना है? गत 2 वर्षों में कृषि से संबंधित कुल कितने उद्योग प्रदेश में स्थापित हुए? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में सरसों व सोयाबीन के कुल कितने क्रशिंग यूनिट्स हैं तथा इनसे प्रदेश में कुल उत्पादित सरसों व सोयाबीन का कितना प्रतिशत माल का क्रशिंग होता है? जिलेवार क्रशिंग यूनिट्स की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आयातित खाद्य तेल व नेफेड की गलत बिक्री प्रक्रिया से राजस्थान का तिलहन उद्योग प्रभावित हो रहा है व वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन के नियम लागू होने के बाद से प्रदेश में सोयाबीन व सरसों के क्रशिंग यूनिट बन्द हो गये हैं? यदि हां, तो कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कृषि संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु रीको द्वारा जोधपुर, गंगानगर तथा कोटा में तीन एग्रो फूडपार्क विकसित किये गये हैं।

(उद्योग मंत्री)

उद्योग निदेशालय में एग्रो एण्ड फूड प्रोसेसिंग सैल का गठन किया गया है। धनिये एवं जीरे के लिये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन की स्थापना की गई है। राज्य निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के अन्तर्गत विशेष छूट प्रदान की जाती है। गत दो वर्षों में स्थापित कृषि आधारित उद्योगों की सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में सरसों एवं सोयाबीन की कुल 1853 क्रशिंग इकाइयां है। सूची परिशिष्ट ''ख'' पर अवलोकनीय है। उक्त क्रशिंग इकाइयों की क्रशिंग क्षमता लगभग 40 लाख मै. टन है जो कि प्रदेश में उत्पादित सरसों एवं सोयाबीन का लगभग 86 प्रतिशत है। प्रत्येक वर्ष में वास्तविक क्रशिंग की मात्रा अनेक मुद्दों पर निर्भर करती है यथा उत्पादन, सोयाबीन/सरसों की कीमत, मांग इत्यादि।

(3) आयातित तेल की मात्रा एवं उसकी कीमत तथा नैफेड की नीतियों से राजस्थान का तिलहन उद्योग प्रभावित होना स्वभाविक है। वर्तमान में राज्य कुल 156 तिलहन इकाइयां बन्द हैं। (सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।) राज्य की क्रशिंग इकाइयों के बन्द होने के कई कारण हैं, जैसे आयातित तेल की कीमत कम होना, सरसों की कीमत अधिक होना आदि।

परिशिष्ट-''क''

प्रदेश में गत दो वर्षों में स्थापित इकाइयों की संख्या

क्र. सं.	जिला	गत दो वर्षों में स्थापित इकाइयों की संख्या
1.	अजमेर	35
2.	अलवर	9
3.	बांसवाड़ा	5
4.	बारां	2
5.	बाड़मेर	6
6.	भरतपुर	3
7.	भीलवाड़ा	10
8.	बीकानेर	17
9.	बून्दी	3
10.	चित्तौड़गढ़	4

1	2	3
11.	चूरू	8
12.	दौसा	8
13.	धौलपुर	12
14.	डूंगरपुर	12
15.	हनुमानगढ़	5
16.	जयपुर (ग्रामीण)	17
17.	जयपुर (शहर)	16
18.	जैसलमेर	1
19.	जालौर	6
20.	झालावाड़	14
21.	झुन्झुनूं	11
22.	जोधपुर	51
23.	करौली	48
24.	कोटा	31
25.	नागौर	1
26.	पाली	15
27.	राजसमन्द	9
28.	सवाईमाधोपुर	27
29.	सीकर	7
30.	सिरोही	7
31.	श्रीगंगानगर	18
32.	टोंक	29
33.	उदयपुर	109
	योग	**556**

परिशिष्ट-''ख''

सरसों व सोयाबीन इकाइयों का विवरण

क्र.सं.	**जिला**	**सरसों व सोयाबीन क्रशिंग इकाइयों की संख्या**	**बन्द इकाइयों की संख्या**
1.	अजमेर	10	
2.	अलवर	41	14
3.	बांसवाड़ा	-	

1	2	3	4
4.	बारां	25	22
5.	बाड़मेर	17	10
6.	भरतपुर	532	
7.	भीलवाड़ा	9	
8.	बीकानेर	28	
9.	बून्दी	82	
10.	चित्तौड़गढ़	29	7
11.	चूरू	15	
12.	दौसा	28	
13.	धौलपुर	6	
14.	डूंगरपुर	22	
15.	हनुमानगढ़	55	17
16.	जयपुर (ग्रामीण)	27	6
17.	जयपुर (शहर)	72	
18.	जैसलमेर	6	
19.	जालौर	75	1
20.	झालावाड़	5	
21.	झुन्झुनूं	67	23
22.	जोधपुर	167	
23.	करौली	55	
24.	कोटा	123	
25.	नागौर	16	
26.	पाली	22	10
27.	राजसमन्द	-	
28.	सवाईमाधोपुर	53	
29.	सीकर	15	
30.	सिरोही	8	
31.	श्रीगंगानगर	95	45
32.	टोंक	125	1
33.	उदयपुर	23	
	योग	**1853**	**156**

थारपारकर नस्ल की गायों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्य-योजना

122. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की थारपारकर नस्ल की गायें पशुपालक सदियों से पालते आए हैं?

(2) क्या यह सही है कि थारपारकर नस्ल की गायें अधिक मात्रा में दूध देती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी गायों की नस्ल सुधार हेतु पशुपालकों को अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस रूप में?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। गांयों की नस्ल सुधार हेतु वर्तमान में पशुपालकों को कोई अनुदान देने का विचार नहीं है।

चित्तौड़गढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी वाहन

123. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व इससे ऊंचे की श्रेणी के चिकित्सालयों में एम्बुलेंस (रोगी वाहन) उपलब्ध कराई जाती है?

(2) क्या सरकार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी व कनेरा में एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी में एम्बुलेंस उपल्बध है, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कनेरा में एम्बुलेंस उपलब्ध कराने हेतु सांसद निधी से राशि रुपये 2.50 लाख की स्थानीय जिला परिषद द्वारा स्वीकृति जारी की गई है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ढाणी खुड़ाणी किरताण ग्राम (चूरू) हेतु पेयजल व्यवस्था

168. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर का गांव ढ़ाणी खुड़ाणी किरताण जल प्रदाय योजना से जुड़ा हुआ है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त गांव में पानी पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। गांव ढाणी खुड़ाणी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना किरताण-खैरू बड़ी से जुड़ा हुआ है परन्तु योजना पर अनियमित विद्युत आपूर्ति (प्रतिदिन अधिकतम 4 घंटे ट्रिपिंग के साथ) एवं इस योजना का अन्तिम छोर का गांव होने के कारण वर्तमान में इस योजना से पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है।

पेयजल समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु ग्राम में उपलब्ध कुएं में डी.सी.बी. कराकर निर्मित 2 भू-तल जलाशयों से माह नवम्बर, 2005 से 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

ग्राम में स्थाई पेयजलापूर्ति के लिए उक्त क्षेत्रीय योजना हेतु अलग से डेडीकेटेड पांवर फीडर की स्वीकृति ली जाकर राशि रुपये 5.37 लाख जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सादुलपुर को जमा करा दी गई है एवं विद्युतीकरण का कार्य अप्रैल, 2006 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। तदुपरान्त क्षेत्रीय योजना के स्रोत ग्राम किरताण से ग्राम ढाणी खुड़ाणी में नियमित रूप से मानदण्डानुसार पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

सिरोही खण्ड के अधिशेष वाहनों का दुरुपयोग

169. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पूल गठन के पश्चात अधिशेष वाहनों को संबंधित विभाग के पास सुरक्षित रखने बाबत आदेश सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं? यदि हां, तो वर्ष 2000 में जिला कलक्टर सिरोही द्वारा इस संबंध में कितने आदेश जारी किय गये? विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेशों के विपरीत वाहन संख्या जीप आर.जेड. डब्ल्यू-1732 माडल 1970 को लगातार 5 वर्ष तक चालू रखा गया? यदि हां, तो क्या इस संबंध में जांच विचाराधीन है? यदि हां, तो जांच की क्या प्रगति रही तथा इसमें कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश दिनांक 22.6.2000 के द्वारा सिरोही जिले के विभिन्न विभागों के 20 वाहनों को अधिशेष घोषित किया गया। जारी आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं अपितु कलक्टर (पूल), सिरोही के संशोधित आदेश दिनांक 24.10.2000 की अनुपालना में वाहन संख्या आर.जेड. डब्ल्यू.-1732 (जीप) को अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड सिरोही के पूल में पुन: स्थानान्तरित करने के उपरान्त इस वाहन को उल्लिखित दिनांक के उपरान्त से विभाग की योजनाओं के संधारण एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उपयोग में लिया जा रहा है। संशोधित आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

जिला कलक्टर, सिरोही के मार्फत प्राप्त शिकायत पर जांच उपरान्त वस्तुस्थिति से कलक्टर कार्यालय को विभाग द्वारा अवगत करा दिया गया है एवं वर्तमान में कोई जांच विचाराधीन नहीं है। वाहन का उपयोग निर्देशानुसार ही किया जा रहा है अत: कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

परिशिष्ट ''अ''

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (पूल) सिरोही।

क्रमांक/पूल/2000/147 दिनांक 22-6-2000

निमित्त :-

शासन सचिव महोदय,

स्टेट मोटर गैराज विभाग,

राज. जयपुर।

विषय :- विभागीय पूल का गठन एवं अधिशेष वाहनों की सूचना।

प्रसंग : आपका परिपत्र सं. पं. 21(17)साप्र/1/92 दिनांक 15-5-2000

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक परिपत्र के सन्दर्भ में जिले में गठित पूल वाहनों एवं अधिशेष वाहनों की सूचना परिशिष्ट-ग में संलग्न प्रेषित है।

सादर।

भवदीय,

संलग्न :- परिशिष्ट 'ग' ह.

जिला कलक्टर (पूल) सिराही

परिशिष्ट-ग

जिले में गठित कुल वाहनों एवं अधिशेष वाहनों की सूचना

जिला सिरोही

क्र.सं.	विभाग का नाम	पूल वाहन (कुल संख्या)				अधिशेष वाहन (कुल संख्या)			
		कार	जीप/जिप्सी	ट्रक	अन्य	कार	जीप/जिप्सी	ट्रक	अन्य
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	अति. कलक्टर (विकास) डी.आर.डी.ए. सिरोही	1	1	-	-	-	1	-	-
2.	मुख्य कार्यकारी अधि. जिला परिषद सिरोही	2	-	-	-	-	1	-	-
3.	अधिशासी अधिकारी न. पा. सिरोही	-	1	-	-	-	-	-	-
4.	अधिशासी अधि. ना.पा. शिवगंज	-	1	-	-	-	-	-	-
5.	अधिशासी अधिकारी न.पा. पिण्डवाडा	-	1	-	-	-	-	-	-
6.	अधिशासी अधिकारी न.पा. आबूरोड	-	-	-	1 ट्रेम्स	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	आयुक्त न.पा. आबू पर्वत	-	3	-	-	-	1	-	-
8.	क्षेत्रीय उप निदेशक आई.सी.डी.एस. सिरोही	-	-	-	-	-	3	-	-
9.	विकास अधिकारी पं.सं., सिरोही	-	1	-	-	-	-	-	-
10.	विकास अधि. पं.सं., शिवगंज	-	1	-	-	-	-	-	-
11.	विकास अधि. पं.सं., रेवदर	-	1	-	-	-	-	-	-
12.	विकास अधि. पं.सं. पिण्डवाडा	-	1	-	-	-	-	-	-
13.	विकास अधि. पं.सं. आबूरोड़	-	1	-	-	-	-	-	-
14.	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड सिरोही	-	2	-	-	-	1	-	1 ट्रेकर
15.	खनि. अभियन्ता सिरोही	-	1	-	-	-	-	-	-
16.	जिला साक्षरता अधि. सिरोही	-	1	-	-	-	-	-	-
17.	अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. सिरोही	-	1	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	जिला अन्धता निवारण समिति सिरोही	-	1	-	-	-	-	-	-
19.	जिला आबकारी अधि. सिरोही	-	1	-	-	-	-	-	-
20.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव) आबू पर्वत	-	1	-	-	-	-	-	-
21.	क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको आबू रोड़	-	1	-	-	-	-	-	-
22.	वाणिज्य कर अधि. सिरोही	-	1	-	-	-	-	-	-
23.	मंडल वन अधि., सिरोही	-	1	-	-	-	1	-	-
24.	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र सिरोही	-	1	-	-	-	-	-	-
25.	भू प्रन्धक अधि. सिरोही	-	1	-	-	-	-	-	-
26.	उप निदेशक कृषि (विस्तार) सिरोही	-	2	-	-	-	2	-	-
27.	वरिष्ठ भू वैज्ञानिक खान एवं भू विज्ञान, सिरोही	-	1	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	सहायक अभियन्ता भू-जल विभाग, सिरोही	-	1	-	-	-	-	-	-
29.	प्रभारी भू जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान	-	1	-	-	-	-	-	-
30.	सहायक निदेशक पशुधन विकास, सिरोही	-	1	-	-	1	-	-	-
31.	जिला शिक्षा अधि. (माध्य.), सिरोही	-	1	-	-	-	-	-	-
32.	जिला परिवहन अधि., सिरोही	-	1	-	-	-	-	-	-
33.	संरक्षण अधि. दांतीवाड़ा परियोजना (वन), आबूरोड़।	-		-	-	-	-	-	-
34.	जिला जन सम्पर्क अधि., सिरोही।	-	1	-	-	-	-	-	-
35.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. सिरोही	-	7	-	-	-	7	-	-
36.	अधि. अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग सिरोही।	-	-	-	1 ट्रेकर	-	1	-	-
	योग :-	**4**	**42**	-	**2**	-	**19**	-	**1**

कलक्टर सिरोही

परिशिष्ट 'ब'

कार्यालय जिला कलक्टर (पूल) सिरोही

क्रमांक/पूल/2000/541 दिनांक 24-10-2000

संशोधन आदेश

स्टेट मोटर गैराज विभाग राज. जयपुर के परिपत्र सं. एफ21(17) साप्र/1/92 दिनांक 31-8-2000 के क्रम में अधिशासी अभियन्ता से प्राप्त प्रस्तावों पर पुन: विचार कर उक्त विभाग/संस्था में निम्नानुसार वाहनों के एक पूल का निर्धारण किया जाता है:-

क्र.सं.	पंजीयन सं.	वाहन का प्रकार	माडल वर्ष
1	2	3	4
1) आरजेडब्ल्यू	2756	ट्रेक्टर	1978
2) आरजेडब्ल्यू	1732	जीप	1977

कलक्टर (पूल)सिरोही

सीकर की पेयजल व्यवस्था हेतु पाइप लाइन

170. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर शहर में गत तीन वर्षों में कहां-कहां कितनी-कितनी मीटर पाइप लाइन डाली गई? स्थलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सीकर शहर में डाली गई पाइप लाइन का नक्शा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर शहर में गत तीन वर्षों में डाली गई पाइप लाइन का वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-'क' पर उपलब्ध है।

(2) सीकर शहर में डाली गई पाइप लाइन का नक्शा संलग्न परिशिष्ट-'ख' पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बनीपार्क क्षेत्र में आर.यू.डी.आई.पी. द्वारा स्वीकृत अपूर्ण पेयजल योजनाएं

171. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में आर.यू.डी.आई.पी. द्वारा किस-किस क्षेत्र में स्वीकृत पेयजल योजना के कार्य अधूरे हैं, जिन्हें अभी तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को नहीं संभलाया गया है? क्या सरकार आगामी गर्मी में उक्त योजनान्तर्गत पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) निर्धारित अवधि तक उक्त पेयजल योजनाओं का कार्य पूरा नहीं करने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में आर.यू.आई.डी.पी. के अन्तर्गत स्वीकृत पेयजल योजनाओं को संलग्न परिशिष्ट-'अ' में दी गई तिथि के अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को संभलाया जाना प्रस्तावित है। परिशिष्ट-'अ' के क्र.सं. 1 एवं 2 पर महेश नगर तथा महारानी फार्म के संधारण के सन्दर्भ में लेख है कि योजना अधिग्रहण से पूर्व संधारण के संदर्भ में आधारभूत आवश्यकताओं का प्रबंधन किया जा रहा है ताकि योजना संभालने के पश्चात संधारण सुचारू रूप से हो सके।

(2) निर्धारित अवधि तक उक्त पेयजल योजनाओं का कार्य पूरा नहीं होने के कारण मुख्य कारण सीमेन्ट, स्टील एवं पाइप आदि की कीमतों में वृद्धि आदि रहा है।

परिशिष्ट 'अ'

क्रम संख्या	योजना का नाम	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तान्तरित करने की संभावित तिथि
1	महेश नगर क्षेत्र	योजना पूर्ण
2	महरानी फार्म क्षेत्र	योजना पूर्ण
3	कल्याण नगर क्षेत्र	जून, 2006
4	विद्युत नगर, निर्माण नगर क्षेत्र	मई, 2006
5	झोटवाड़ा उत्तर क्षेत्र (दादी का फाटक के पास का क्षेत्र)	मई, 2006
6	शेष झोटवाड़ा क्षेत्र	जुलाई, 2006

बारां की प्रस्तावित पेयजल योजनाएं

172. श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां के किस-किस स्थान पर पेयजल योजना का सर्वे कार्य पूर्ण होकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट/तखमीने प्राप्त हो चुके है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रस्तावित योजनाओं में किस-किस योजना पर कितनी-कितनी राशि के व्यय का अनुमान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रस्तावित योजनाओं पर कब तक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रस्तावित किस-किस पेयजल योजना को किस-किस स्त्रोत/स्थान से पानी प्राप्त होगा एवं इससे कितनी-कितनी आबादी लाभान्वित होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) वांछित विवरण परिशिष्ट-'अ' में समाहित है।

(3) परिशिष्ट-'अ' में उल्लिखित योजनाओं के सन्दर्भ में विवरण निम्न प्रकार है-

(अ) 8 पेयजल योजनाओं में से 1 योजना (ग्राम-भंवरगढ़) की स्वीकृति दिनांक 4.3.2006 को हो चुकी है।

(ब) 4 पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव स्वीकृति पूर्व तकनीकी जांच प्रक्रिया में हैं। तकनीकी जांच में इन योजनाओं के सही पाये जाने पर इनकी स्वीकृति के सन्दर्भ में निर्णय लेना सम्भव होगा।

(स) शेष 3 योजनाओं पर सक्षम स्तर पर पाई गई तकनीकी कमियों का सुधार किया जा रहा है। इसके उपरान्त इन योजनाओं के संशोधित प्रस्ताव बनाये जाकर इनकी स्वीकृति पर निर्णय लेना सम्भव होगा।

(4) वांछित विवरण परिशिष्ट-'अ' में समाहित है।

परिशिष्ट-अ

बारां जिले में प्रस्तावित पेयजल योजनाएं जिनके प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन है

क्र.सं.	प्रस्तावित पेयजल योजना का नाम	योजना में सम्मिलित ग्राम	योजना की अनुमानित लागत (लाख रु.)	योजना में प्रस्तावित स्रोत	लाभांवित होने वाली आबादी वर्ष 2001 के अनुसार	विशेष विवरण/प्रस्ताव की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	पुनर्गठित ग्रामीण जल योजना भंवरगढ़, तहसील किशनगंज	भंवरगढ़	87.92	ग्राम भंवरगढ़ में 2 नलकूप	7200	दिनांक 4.3.06 को स्वीकृत
2	ग्रामीण जलयोजना बिलेण्डी-सुखनेरी, तहसील छीपाबड़ौद	बिलेण्डी सुखनरी	17.47	ग्राम बिलेण्डी में 1 नलकूप	2541	बोर्ड कार्यालय/नीति निर्धारण समिति में विचाराधीन
3	ग्रामीण जल योजना टांचा, तहसील छीपाबडोद	टांचा	21.92	ग्राम ढांचा में 2 नलकूप	3898	बोर्ड कार्यालय/नीति निर्धारण समिति में विचाराधीन
4	ग्रामीण जल योजना मोखमपुरा तहसील छीपाबड़ौद	मोखमपुरा	9.76	ग्राम मोखमपुरा में 1 नलकूप	1245	बोर्ड कार्यालय/नीति निर्धारण समिति में विचाराधीन

1	2	3	4	5	6	7
5	ग्रामीण जल योजना झनझनी तहसील छीपाबड़ौद	झनझनी	9.08	ग्राम झनझनी में 1 नलकूप	1165	बोर्ड कार्यालय/नीति निर्धारण समिति में विचाराधीन
6	पुनर्गठित ग्रामीण जल योजना कवाई सालपुरा, तहसील अटरू	कवाई सालपुरा	74.07	ग्राम कवाई में 2 नलकूप	7969	संशोधित प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।
7	पाइप्ड ग्रामीण जल योजना मोठपुर तहसील अटरू	मोठपुर	23.00	ग्राम मोठपुर में 1 नलकूप	4000	संशोधित प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।
8	क्षेत्रीय ग्रामीण जल योजना अटरू खेडलीगंज शेरगढ़ देह परवन नदी से तहसील अटरू	1 . अटरू खेडलीगंज	1035.00	शेरगढ़ देह (परवन नदी)	16466	संशोधित प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।
		2. शेरगढ़				
		3. बरखेड़ी				
		4. केरवालिया				
		5. नारायणपुरा				
		6. करजूना				
		7. अचरावा				

1	2	3	4	5	6	7
		8. महला				
		9. कटावर				
		10. बलदेवपुरा				
		11. डढ़वाड़ा				
		12. बिछालस				
		13. खरखड़ा लोथन				
		14. बम्बोरी				
		15. अन्ताना				
		16. बानपुर				
		17. काचरा				
		18. काचरी				
		19. लक्ष्मीपुरा				
		20. खेड़ली बांसला				
		21. नयागांव				

अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीन परिवारों को भू-आबंटन

173. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़, सीकर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में हजारों की संख्या में भूमिहीन परिवार विभिन्न ग्राम व ढाणियों में निवासरत हैं एवं इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के परिवार भी सम्मिलित हैं?

(2) क्या सरकार राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के भूमिहीन परिवारों के उत्थान हेतु भूमि एवं विकास कोष की स्थापना कर भूमि आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। अनुसूचित जाति/जनजाति को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 11 (3)(ख) में पूर्व से ही भूमि आवंटन में प्राथमिकता देने का प्रावधान है।

नवलगढ़ तहसील के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

174. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि तहसील नवलगढ़ द्वारा कुछ नये राजस्व ग्राम बनाने के प्रस्ताव तैयार करवाकर सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं? यदि हां, तो नये प्रस्तावित राजस्व ग्रामों के प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त प्रस्तावों की सूची ''क'' के अनुसार नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जा चुके है। अधिसूचना दिनांक 20.2.2006 की प्रति संलग्न सूची 'ख' पर उपलब्ध है।

सूची ''क''

राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:राम/भू.अ/जी-2/प-268 ( )/2001/1581-84 दिनांक 30/01/2006

उप शासन सचिव,
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- नवीन राजस्व ग्राम बनाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला कलक्टर, झुंझुनूं ने अपने जिले की तहसील नवलगढ़ के मूल राजस्व ग्राम से सटे मजरें/ढ़ाणी को नवीन राजस्व ग्राम बनाने के प्रस्ताव मण्डल में निम्नानुसार भिजवाये है:

नाम तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम व जनसंख्या	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम व जनंसख्या	क्षेत्रफल हैक्ट. में	दूरी कि.मी.
नवलगढ़	झाड़ड/8013	भेरूवास/900	206.29	1.0
	कोलसिया/5198	खेदडों की ढाणी/400	211.94	3.0
		नेहरों की ढाणी/950	504.28	3.0
	कारी/5649	गुसाई की ढाणी/950	312.75	3.0
		डूडियों की ढाणी/500	222.14	3.0
	बिरोल/4743	झाझडियों की ढाणी/1100	293.04	2.0
	पबाना/3098	मीलनगर/400	205.35	2.0
	खिरोड़/8508	तुरकानी जोहड़ी/400	395.42	5.0
		मीठारवालों की ढाणी/300	204.04	4.0
	बुगाला/5175	हनुमानजी की ढ़ाणी/1120	649.32	4.0
	सौंथली/3095	खरीटों की ढाणी/500	249.16	2.0
		पुनियों की ढाणी/500	331.18	2.0
	ढिगाल/2998	स्वामी की ढाणी/350	204.19	2.0
	किरोड/5126	नोहरा/800	110.54	4.0

जिला कलक्टर झुंझुनूं से प्राप्त मूल प्रस्ताव संलग्न कर अनुरोध है कि उक्त मजेर/ढ़ाणी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.1996/14.08.2001 के अनुसार नवीन राजस्व ग्राम बनने की श्रेणी में आते है। अत: राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम-15, 1956) की धारा 16 के अन्तर्गत रखे गये प्रावधानों के अनुसार इन मजरे/ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने संबंधी अधिसूचना निर्वाचन विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ:- 2/1/2/सेल्स/निर्वा/2002/3643 दिनांक 27.08.2002 के द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के समाप्त हो जाने के बाद ही जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

निबन्धक,

राजस्व मण्डल राजस्थान,

सूची ''ख''

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रं.प. 9(25)राज-1/02/पार्ट जयपुर, दिनांक 20.2.2006

अधिसूचना

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 (एक्ट 15 जून, 1956) की धारा-16 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला झुंझुनूं की तहसील उदयपुरवाटी, नवलगढ़ के 11 मूल ग्रामों से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कालम संख्या-4 में अंकित 15 मजरों/ढाणियों को एतद पश्चात गांव के रूप में माना तथा अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल वर्तमान गांव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-5 के अनुसार होगा :-

क्र.सं.	नाम तहसील	मूल गांव का नाम	प्रस्तावित नये गांव का नाम	क्षेत्रफल (है.मैं)
1	2	3	4	5
1.	उदयपुरवाटी	1. गुडा	1. गुडा ढहर	506.83
2.	नवलगढ़	2. झांझड़	2. भैंरूवास	206.29

1	2	3	4	5
		3. कोलसिया	3. खदेड़ों की ढाणी	211.94
			4. नेहरों की ढाणी	504.28
		4. कारी	5. गुसाई की ढाणी	312.75
			6. डूडियों की ढाणी	222.14
		5. बिरोल	7. झाझडियों की ढाणी	293.04
		6. पबाना	8. मलिनगर	205.35
		7. खिरोड़	9. तुरकानी जोहड़ी	395.42
			10. मीठारवालों की ढाणी	204.04
		8. बुगाला	11. हनुमानजी की ढाणी	649.32
		9. सौंथली	12. खरीटों की ढाणी	249.16
			13. पुनिया की ढाणी	331.18
		10. ढिगाल	14. स्वामी की ढाणी	204.19
		11. किरोड़	15. नोहरा	110.54

आज्ञा से,
जगमोहन श्रीवास्तव
शासन उप सचिव

जयपुर के पुराने अभिलेख का रखरखाव

175. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले का पुराना राजस्व अभिलेख (रिकार्ड) भू-प्रबन्धन के लिए सीकर भिजवाया गया है? यदि हां, तो कब? क्या यह अभिलेख जहां से लिया गया है, वहां जमा करवा दिया गया? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही हे कि अभिलेख पुराना रिकार्ड शाखा में जमा न कराने से पक्षकारों को नकल लेने में परेशानी हो रही है? यदि हां, तो इसके

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

लिए कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार जयपुर जिले के भू-प्रबन्ध विभाग का पुराना अभिलेख कार्यालय जलेबी चौक से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) विभाग के पुराने अभिलेख को नष्ट करने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये जा **रहे हैं**? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जो अभिलेख भिजवाया गया एवं पुन: प्राप्त हुआ, का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**अभिलेख का विवरण**	**कार्यालय जिसके द्वारा रिकार्ड भिजवाया गया**	**भू-प्रबन्ध अधिकारी, सीकर द्वारा जिन-जिन कार्यालयों के वापिस सुपुर्द किया गया का विवरण**
1.	चालू जमाबन्दी (पड़त सरकार), तहसील आमेर	तहसीलदार, आमेर दिनांक 19.2.1983	तहसीलदार आमेर को दिनांक 28.3.1998 से 23.1.1999 तक
2.	जयपुर नगरीय सीमा से 12 मील क्षेत्र में स्थित आमेर तहसील के गांवों के तरमीम ट्रेस सन 1971	भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर दिनांक 22.2.1983	जिला कलेक्टर, जयपुर के अभिलेखागार में दिनांक 14.5.1998
3.	तहसील आमेर की गत व हाल सर्वे शीट व मिसल बन्दोबस्त	भू-प्रबन्ध आयुक्त, कार्यालय (ओल्ड रिकार्ड) जयपुर से दिनांक 21.3.1983 एवं 19-5-1983	108 गांवों की सर्वे शीट व 9 ग्रामों के चकत राशि ट्रेस, ओल्ड रिकार्ड, जलैबी चौक, जयपुर एवं शेष अभिलेख जिला कलक्टर, जयपुर के अभिलेखागार में दिनांक 16.1.2001 से 15.7.2004 तक

(राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। उपयुक्त स्थान की तलाश की जा रही है।

(4) 1. पुराने नक्शों को दोनों ओर से लेमिनेशन करवाया गया है।

2. जो बस्तें एवं रैक्स खराब हो गई थी, उनकी मरम्मत करवाई गई है।

3. अभिलेखागार की फर्श एवं दीवारों की मरम्मत करवाई गई है।

4. दीमक एवं कीड़ों को नष्ट करने हेतु समय-समय पर कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है।

सिकराय के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

176. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या चिकित्सा एंव स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला दौसा में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं? इन्हें किस-किस वर्ष में खोला गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्धारित स्टाफ है? यदि नहीं, तो क्यों? किस-किस उप स्वास्थ्य केन्द्र पर कब से कितने व कौन-कौन से पद रिक्त हैं? इन पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

(4) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? सरकार इन्हें कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला दौसा में 234 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है पंचायत समितिवार उप स्वास्थ्य केन्द्र के नामों की स्वीकृति वर्ष सहित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। दौसा जिले में समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्धारित मापदण्डानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद स्वीकृत है। दौसा जिले में

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों का मय रिक्ति अवधि सहित पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट स पर उपलब्ध है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त भरा जाना संभव हो सकेगा।

(4) विधान सभा क्षेत्र सिकराय के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थावार विवरण निम्न प्रकार है।

चिकित्सा संस्था का नाम	**पदनाम**	**रिक्त पदों की संख्या**
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिकराय	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिकन्दरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाण्डारेज	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1

कनिष्ठ विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना संभव हो सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

निवाई के चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन

177. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के कितने पद कहां-कहां स्वीकृत है तथा उनमें से कौन-कौनसे पद कहां व कब से रिक्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल)

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों/चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का अवधि सहित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा। शहरी क्षेत्र में चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को स्थानान्तरण पर से प्रतिबंध हटने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेगे।

(3) भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार पंचायत समिति निवाई से एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की कमी है। आगामी वित्तीय वर्ष में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर पंचायत समिति निवाई के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना संभव हो सकेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाई में स्वीकृत शैय्याओं का वर्ष 2005 में 25.21 प्रतिशत उपयोग रहा है इसलिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाई की शैय्याओं में वृद्धि किये जाने पर विचार किया जाना समुचित नहीं होगा।

परिशिष्ट –अ

विधान सभा क्षेत्र निवाई के अन्तर्गत आने वाली चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का मय रिक्ती अवधि सहित विवरण निम्न प्रकार है

चिकित्सा संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अवधि जब से रिक्त है।
1	2	3	4	5
प्रा. स्वा. केन्द्र निवाई	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	1	-	-

1	2	3	4	5
	कनिष्ट विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	-	-
	कनिष्ट विशेषज्ञ (शिशु)	1	-	-
	कनिष्ट विशेषज्ञ (नेत्र)	1	-	-
	कनिष्ट विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	-	-
	वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी	1	-	-
	चिकित्सा अधिकारी	2	1	11/05
	चिकित्सा अधिकारी (पी.जी. निश्चेतन)	1	-	-
	चिकित्सा अधिकारी (पी.जी. हड्डी रोग)	1	-	-
	स. रेडियोग्राफर	1	-	-
	लैब टेक्नीशियन	1	-	-
प्रा. स्वा. केन्द्र झिलाय	वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी	1	-	-
	चिकित्सा अधिकारी	1	1	10/05
	लैब टेक्नीशियन	1	-	-
प्रा. स्वा. केन्द्र बनानी	चिकित्सा अधिकारी	1	-	-
	लैब टेक्नीशियन	1	-	-
प्रा. स्वा. केन्द्र दतवास	चिकित्सा अधिकारी	1	-	-
	लैब टेक्नीशियन	1	-	-
प्रा. स्वा. केन्द्र राहोली	चिकित्सा अधिकारी	1	-	-
	लैब टेक्नीशियन	1	-	-
प्रा. स्वा. केन्द्र डागस्थल	चिकित्सा अधिकारी	1	-	-

1	2	3	4	5
	लैब टेक्नीशियन	1	-	-
प्रा. स्वा. केन्द्र सिरस	चिकित्सा अधिकारी	1	-	-
	लैब टेक्नीशियन	1	-	-
प्रा. स्वा. केन्द्र पराना	चिकित्सा अधिकारी	1	-	-
	लैब टेक्नीशियन	1	-	-
प्रा. स्वा. केन्द्र अरनिया केदार	चिकित्सा अधिकारी	1	-	-
	लैब टेक्नीशियन	1	-	-

सवाईमानसिंह चिकित्सालय जयपुर में रोगी अनुपात में उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि

178. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों चिकित्सकों के कितने-कितने पद स्वीकृत है? इनमें से वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में स्थापित विभिन्न आधुनिक उपकरणों में सही रूप में उपयोग हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों व क्या सरकार उनकी मरम्मत/नये उपकरण लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त चिकित्सालय में कितने रोगी वाहन हैं एवं उनमें से कितने नकारा हो चुके हैं और कितने किस-किस काम में आ रहे हैं? क्या सरकार मरीजों की संख्या को देखते हुए नये रोगी वाहन क्रय करने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मरीजों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जांच से संबंधित सभी उपकरणों की संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो अतिरिक्त रूप में कौन-कौन से उपकरण कब तक स्थापित कर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में कार्यरत आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत	रिक्त
1.	आचार्य	60	4
2.	सह आचार्य	79	10
3.	सहायक आचार्य	96	15
4.	चिकित्साधिकारी	17	-
5.	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	2	-
6.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	-

(2) जी हां। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्थापित विभिन्न उपकरणों का सही उपयोग किया जा रहा है। मशीनों/उपकरणों के खराब होने की सूचना संबंधित विभाग से प्राप्त होने पर संबंधित फर्मो से मशीनों/उपकरणों का यथासंभव तत्काल ठीक करवा दिया जाता है।

(3) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कुल सात रोगी वाहन है। इनमें से दो रोगी वाहन नकारा हो चुके है जिनके निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष पांच रोगी वाहनों का उपयोग रोगियों की प्राण रक्षा, सेवा सुश्रुषा, उपचार की आपातकालीन व्यवस्था संपादन, रोगियों को लाने व छोड़ने की सुविधा, वीवीआईपी विजिट के दौरान मेडिकल टीमों के कार्यो हेतु किया जा रहा है। चिकित्सालय की आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नये रोगी वाहन क्रय किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

(4) जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आवश्यक नये उपकरण क्रय किये जाने की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में नई कैथ लैब की स्थापना किया जाना प्रक्रियाधीन है।

नोखा (बीकानेर) रैफरल चिकित्सालय का क्रमोन्नयन

179. श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

(1) नोखा, लूणकरणसर, खाजूवाला, पूगल कोलायत, डूंगरगढ़ तहसील में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं? क्या सरकार उक्त तहसीलों में और स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार नोखा के रैफरल अस्पताल को 100 बैड का स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नोखा, लूणकरणसर, खाजूवाला, पूंगल, कोलायत एवं डूंगरगढ़ तहसील में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	**तहसील का नाम**	**तहसीलवार स्वीकृत प्रा. स्वा. केन्द्रों की संख्या प्रा.स्वा. केन्द्र सा. स्वा. केन्द्र**	**तहसीलवार स्वीकृत प्रा. स्वा. केन्द्रों की संख्या उप स्वा. केन्द्र प्रा.स्वा. केन्द्र**
1.	नोखा	8+2	70+8
2.	लूणकरणसर	6+1	43+6
3.	खाजूवाला	1+1	31+1
4.	पूंगल	1+0	7+1
5.	कोलायत	7+1	56+7
6.	डूंगरगढ़	7+1	45+7

जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार जिला बीकानेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना संभव हो सकेगा।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नोखा में वर्तमान में 50 शैय्याऐं स्वीकृत हैं स्वीकृत शैय्याओं का वर्ष 2005 में 48.64 प्रतिशत उपयोग रहा है। इसलिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नोखा को 100 शैय्याओं में क्रमोन्नत किया जाना समुचित नहीं होगा।

फुलेरा के चिकित्सालयों में रिक्त पद

180. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न श्रेणी के स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं और इनमें से कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं तथा अब तक रिक्त पदों को भर दिया जाएगा?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा, किश्नगढ़-रेनवाल, जोबनेर, सांभर व बधाल में चिकित्सकों के अतिरिक्त पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संस्थानवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञों एवं चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत पदों के अनुरूप विशेषज्ञों एवं चिकित्सा अधिकारियों की कमी होने के कारण विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी के पद नहीं भरे जा सकें।

कनिष्ट विशेषज्ञ के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव होगा।

(3) राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी फुलेरा, जोबनेर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनगढ़ रेनवाल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बधाल में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, इसलिए उक्त चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के अतिरिक्त पद स्वीकृत करवाया जाना समुचित नहीं होगा। आगामी वित्तीय वर्ष में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के अतिरिक्त पद सृजित करवाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांभर में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार चिकित्सकों के कम पदों को सृजित करवाया जाना संभव होगा।

परिशिष्ट अ

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत आने वाली चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संस्थानवार विवरण निम्न प्रकार है

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	कनिष्ट विशेषज्ञ	1	-
किशनगढ़ रैनवाल	कनिष्ट विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	-
	चिकित्सा अधिकारी	2	-
	वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन	1	-
	रेडियोग्राफर	1	-
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांभरलेक			
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	1	1
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन)	1	1
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1	-
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (बालरोग)	1	-
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	-
	चिकित्सा अधिकारी	2	-
	लैब टैक्नीशियन	1	-
	सहायक रेडियोग्राफर	1	-
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बधाल	चिकित्सा अधिकारी	1	1

चिकित्सा संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
	लैब टैक्नीशियन	1	-
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करणसर	चिकित्सा अधिकारी	1	-
	लैब टैक्नीशियन	1	-
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिंगोनिया	चिकित्सा अधिकारी	2	-
	लैब टैक्नीशियन	1	-
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागावास	वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी	1	-
	लैब टैक्नीशियन	1	-
	चिकित्सा अधिकारी	1	-
राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी केन्द्र जोबनेर	चिकित्सा अधिकारी	1	-
	चिकित्सा अधिकारी	1	-
राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी केन्द्र फुलेरा	चिकित्सा अधिकारी	1	-
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डीभीम सिंह	लैब टैक्नीशियन	1	-
	चिकित्सा अधिकारी	1	-
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भैंसलाना	लैब टैक्नीशियन	1	-

केकड़ी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ का रिक्त पद

181. श्री गोपाल लाल धोबी (केकड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केकड़ी (अजमेर) में स्त्री रोग विशेषज्ञ (महिला गायनिक) का पद कितने समय से रिक्त है?

(श्री गोपाल लाल धोबी)

(2) क्षेत्रीय विधायक द्वारा इस पद को भरने के लिए कब-कब मांग की गई एवं उन पत्रों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार उक्त पद को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केकड़ी (अजमेर) में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का पद दिनांक 14.12.2004 से रिक्त है। डा. नीता यादव, चिकित्सा अधिकारी (पी.जी. स्त्री रोग) को केकड़ी में कार्य सम्पादन हेतु लगाया जा चुका है।

(2) क्षेत्रीय विधायक द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केकड़ी में कनिष्ट विशेषज्ञ (स्त्री रोग) के पद को भरने के लिये जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मांग की गई। जिला कलक्टर अजमेर ने दिनांक 22.08.05 को राज्य सरकार को उक्त पद को भरने हेतु पत्र लिखा। राज्य सरकार ने जिला कलक्टर अजमेर को दिनांक 22.10.2005 को पत्र लिखकर अवगत कराया कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त उक्त पद को भरा जाना संभव हो सकेगा।

(3) जी हां। कनिष्ट विशेषज्ञ (स्त्री रोग) के पद की वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 की रिक्तियों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयेजित किये जाने हेतु प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को भिजवाये जा चुके हैं। डीपीसी होने पर कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग) के रिक्त पद को भरने के प्रयास किये जायेंगे। जैसा कि बिन्दु एक में वर्णित है डा. नीता यादव चिकित्सा अधिकारी (पी.जी. स्त्री रोग को केकड़ी में कार्य सम्पादन हेतु लगाया जा चुका है।

राष्ट्रीय/राज्य मार्गों की सीमाओं पर अवैध निर्माण

182. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में राष्ट्रीय/राज्य मार्गों एवं प्रमुख सड़कों पर निर्माण निर्धारित मानदण्डों के विरुद्ध कराये जा रहे हैं? यदि हां, तो सरकार इन निर्माणों को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार रखती है?

(श्री जुबेर खान)

(2) सरकार इन सड़कों/मार्गों पर से अवैध निर्माण को हटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) नियमानुसार अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही की जाती है।

डेगाना के ग्रामीण क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़कें

183. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 व 2005-06 के दौरान कुल कितने किलोमीटर डामर की सड़कों का निर्माण किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत कराया गया? विवरण ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डेगाना तहसील मुख्यालय की विलेजपोर्शन की करीब 2.5 किलोमीटर लम्बाई की सड़क पूर्णतया क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि तहसील डेगाना में और भी कई स्थानों पर विलेज पोर्शन की सड़कें पूर्णतया क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो कहां-कहां की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों को शीघ्र ठीक कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 व 2005-06 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित डामर की सड़कों का ग्रामवार एवं कार्यवार विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में दर्शाया गया है।

(2) जी नहीं। डेगाना विलेज पोरशन की लगभग 1.0 किमी. लम्बाई में सड़क पिछले लगभग 3 साल से ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित नालियां एवं घरों के पानी का निस्तारण सड़क पर करने के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी हां। क्षतिग्रस्त विलेज पोरशन की सड़कों का पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट ''ब'' में दर्शाया गया है।

(4) जी हां। विलेज पोरशन की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 व 2005-06 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित डामर की सड़कों का ग्रामवार एवं कार्यवार विवरण

क्र. सं.	वर्ष	योजना का नाम	कार्य का नाम	निर्मित सड़क की लंबाई	लाभावित गांवों का नाम
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	2002-03	सी.आर.एफ.	बाडीघाटी-थंवला-भैरून्दा-डेगाना-तरनाऊ सड़क किमी 26/0 से 66/0	40.0	थांवला, ढाणीपुरा, शाहपुरा भैरून्दा, सूरियास, पूंदलोता डेगाना
		आर.यू.पी.-फेज-1			
			कुचेरा-निम्बडी चांदावता	4.0	निंबडी चांदावता
			डेगाना-खाटू किमी. 0/0 से5/0 व13/0 से 23/0	15.0	चांदारूण, किरोदा, मांझी जाखेडा
			रेण से सांजू किमी. 0/0 से 6/0 व 24/0 से 29/0	11.0	बच्छवास, दागडी, हिरणी ढाणी

1	2	3	4	5	6
			सम्पर्क सड़क झगड़वास बाई पास 0/0 से 4/0	4.0	झगडवास
			थांवला-पुरोहितासनी 0/0 से 3/0	3.0	थंवला सिंधलास
			संपर्क सड़क आकेली 0/0 से 4/0 व 6/0 से 8/0	6.0	आकेली
			संपर्क सड़क रातादूंढा 0/0 से 4/0	4.0	रातादूण्ढा
			डेगाना-बग्गड सड़क किमी. 7/ व8	2.0	तिलानेस
		आर.यू.पी.-फेज-II	पुरोहितासनी-थांवला 8/0 से 18/0	10.0	पुरोहितासनी
			संपर्क सडक चुई से चुआ 2/0 से 7/0	5.0	चुआ. चुई
			नसीराबाद-रियां-पादू 18/0 से 27/0	9.0	आलनियावास
			मेडता-भैरून्दा-हरसौर 122/0 से 145/0	23.0	डोडियाना, भैरून्दा, हरसौर
			डेगाना-सांजू-तरनाऊ 85/0 से 90/0	5.0	
			योग :-	**141.00 किमी.**	
2.	2003-04	मिसिंग लिंक			
			लेगों की ढाणी से बोफली	1.25	बोफली
			रेण से सांजू वाया चूडियास	5.75	चूडियास

1	2	3	4	5	6
			बांवरला से सिरासना	6.0	बंवरला सिरासना
	2003-04	पी.एम.जी. एस.वाई. फेज-III	डामर सड़क कार्य		
			झगडवास से नून्द	5.0	नूंद
			सम्पर्क सड़क गून्दीसर	3.43	गून्दीसर
			सम्पर्क सडक रावलियास	4.6	रावलियास
			सम्पर्क सडक सारसण्डा	6.861	सारसण्डा
			सम्पर्क सड़क तामडोली	1.0	तामडोली
			सम्पर्क सडक आच्छोजाई	6.221	आच्छोजाई
			सम्पर्क सडक हबेचर	4.61	हब्बर
			सम्पर्क सडक बनवाडा	2.0	बनवाडा
			सम्पर्क सडक खारिया कलां	2.8	खारियाकलां
			सम्पर्क सडक भारली	1.875	भारली
			सम्पर्क सड़क गोल	3.0	गोल
			सम्पर्क सडक जैतपुरा कलां	2.735	जैतपुरा कलां
			योग :-	57.132 किमी.	

1	2	3	4	5	6
3.	2004-05	पी.एम.जी. एस.वाई. फेज-चतुर्थ	डामर सड़क कार्य		
			केरिया रावां से खेड़ी चम्पा	3.0	चम्पाखेड़ी
			जालसू से मोगास	8.5	मोगास, सुखवासनी
			सम्पर्क सड़क दूगौर दासा	0.55	दुगौर दासा
		सी.आर.एफ.	रिनिवल स्टेट हाइवे संख्या 18 किमी. 68/0 से 72/0 व 80/0 से 85/0	9.0	डेगाना लंगोड
			योग :-	**21.05 किमी.**	
4.	2005-06	पी.एम.जी. एस.वाई विश्व बैंक	डामर सड़क कार्य		
			टंगस्टन माइन्स से जालसू खुर्द	5.5	जालसू खुर्द, रैंवत
			ईडवा से केरियारांवा	9.37	मोडरिया, सुदरी, केरियारावां
			पालियावास-नथावड़ा	7.5	नथावड़ा
			सम्पर्क सड़क पीपलिया	4.7	पीपलिया
		डब्ल्यू.बी.एम.-बी.टी. फेज-प्रथम			

1	2	3	4	5	6
			डामर सडक कुचेरा-निम्बडी चांदावता किमी 0/0 से 4/0	4.0	ढाढरिया कलां
			सम्पर्क सड़क पुनास 0/0 से 1/500	1.5	पूनास
			बाबाजी प्याऊ से दूगौर बच्छवारी किमी 0/0 से 6/0	6.0	बच्छवारी
			संपर्क सड़क बिखरनियां खुर्द 0/0 से 5/0	5.0	बिखरनिया खुर्द
			संपर्क सड़क भदवासी 0/0 से 1/0	1.0	भदवासी
			संपर्क सड़क डाओली मीठी 0/0 से 8/0	8.0	डाओलीमीठी, कंवाल
			किरोद से कुत्यासनी 0/0 से 3/0	3.0	कुत्यासनी
			संपर्क सडक लवादर 0/0 से 1/0	1.0	लवादर
			डामर सडक बाडीघाटी-किला 0/0 से 4/0	4.0	किला
			डामर सड़क टेहला-सूदवाड-भैरून्दा किमी 0/0 से 3/0	3.0	सूदवाड
			सम्पर्क सड़क थाटा 0/0 से 2/500	2.5	थाटा

1	2	3	4	5	6
		आर.एम.यू. पी. फेज-प्रथम	डेगाना-हरसौर किमी 0/0 से 6/500	6.5	डेगाना, किरड
			सम्पर्क सड़क लाडपुरा 0/0 से 4/0	4.0	लाडपुरा
			योग :-	76.57 किमी.	

परिशिष्ट ''ब''

डेगाना विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त विलेज पोर्शन सड़कों का विवरण

क्र.सं	**सड़क का नाम**	**गांव का नाम**	**सड़क की श्रेणी**
1	दांतीवाड़ा-पीपाड़सिटी-मेड़तासिटी परबतसर सड़क	डोडियाना	एस.एच. 21
2	मेड़तासिटी-मोरि-बग्गड़-ईडवा-डेगाना सड़क	डेगाना जंक्शन	एम.डी.आर 24
3	ब्यावर से निंबीजोधा वाया पीसांगन लाडपुरा-भैरून्दा-डेगाना-खाटू-बाठडी सड़क	टेहला चांदारूण मांझी किरोदा जाखेड़ा	एस.एच. 59
4	डेनागा-हरसौर सड़क	जावला/ मेहराणा	ओ.डी.आर.3
5	रेण से सांजू सड़क	बच्छवास खुडी कलां दागड़ी सांजू	वी.आर. 79
6	रेण से निम्बोला सड़क	निम्बोला	वी.आर. 515
7	रेण से ईडवा सड़क	देवला बांवरला	वी.आर. 54

क्र.सं	सड़क का नाम	गांव का नाम	सड़क की श्रेणी
8	पादूकलां-मेवड़ा-पालियास सड़क	मेवड़ा	वी.आर. 238
9	पालियास-जावला वाया निम्बड़ी कलां सड़क	मांडल जोधा पालड़ी कलां मांडल देवा	वी.आर. 66
10	निम्बड़ी कोठारिया से मेहराणा वाया राजलौता सड़क	निम्बड़ी कोठारिया रलियावता राजलोता	वी.आर. 67
11	थांवला-पुरोहितासनी सड़क	थांवला	वी.आर. 78
12	सम्पर्क सड़क कितलसर	कितलसर	वी.आर. 162
13	सम्पर्क सड़क मोरियाना से मोड़ी कलां सड़क	मोड़ी कलां	वी.आर. 163
14	कुचेरा-निम्बड़ी चांदावता-ढाढरिया कलां	निम्बड़ी चांदावता	वी.आर. 236
15	हिम्मतनगर-जालसू नानक सड़क	हिम्मतनगर जालसू नानक	वी.आर. 237
16	बुटाटी बस स्टेण्ड से चर्तुदासजी का मन्दिर सड़क	बुटाटी	वी.आर. 343

निजी क्षेत्र द्वारा सड़क निर्माण हेतु व्यय राशि का आकलन

184. डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार राज्य में चार सड़कों का निर्माण पब्लिक प्राइवेट योजना के अन्तर्गत करा रही है? यदि हां, तो 30 मार्च, 2006 तक इन सड़कों के निर्माण हेतु कितनी राशि की योजना के वित्तीय भार का आंकलन किया गया तथा यह सम्पूर्ण योजना का कितने प्रतिशत राशि का है?

(2) क्या यह सही है कि सड़कों के निर्माण की पूरे वित्तीय खर्चे का आकलन तथा री-पेमेन्ट का निर्धारित किये बिना 05 करोड़ की हिस्सा पूंजी के

(डा. सी. पी. जोशी)

बिना टेण्डर प्रक्रिया अपनाये निजी कम्पनी को निर्माण, रख-रखाव तथा वसूली का कार्य दे दिया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपये अंश राशि के रूप में एवं 120 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन ऋण के रूप में रिडकोर को किया। जो सम्पूर्ण परियोजना की कुल लागत का 9.67 प्रतिशत है।

(2) जी नहीं। सड़क विकास के क्षेत्र में अग्रणी कम्पनी आई.एल. एण्ड एफ.एस. द्वारा पूर्व में अन्य राज्यों में किये गये कार्यों के संतोषप्रद निष्पादन को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस कार्य हेतु चिन्हित किया। राज्य सरकार ने राज्य में मेगा हाइवे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आई.एल. एण्ड एफ.एस. के साथ अनुबन्ध कर के भागीदारी कम्पनी स्थापित की है।

राज्य सरकार द्वारा कम्पनी गठन करने हेतु 5 करोड़ की अंश राशि प्रथमत: दी थी। इस कार्य हेतु कुल अंश राशि 25 करोड़ रुपये अंशधारक अनुबन्ध के अनुसार दी गई है।

लसाड़िया की सड़कों का डामरीकरण

185. श्री गौतम लाल मीणा (लसाड़िया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लसाडिया में ऐसे कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय है जो मेटल सड़क से जोड़ दिये गए हैं, परन्तु डामरीकरण नहीं किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों की सड़कों को डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लसाडिया के 67 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 7 पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो वर्तमान में मैटल सड़क से जुड़े हुए हैं। किन्तु उनका डामरीकरण नहीं किया गया है। जो इस प्रकार है:-

1. बिलाड़िया
2. चरी

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

3. झड़ोली

4. नलवा

5. ढिकिया

6. नया बोरिया

7. आमलवा

(2) जी हां। उक्त 7 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 6 पंचायत मुख्यालय (बिलड़िया, चरी, झड़ोली, नलवा, ढिकिया, एवं आमलवा) डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. फेज-तृतीय (RIDF-XI) योजना में प्रस्तावित है जिनकी स्वीकृति अपेक्षित है। एक पंचायत मुख्यालय नया बोरिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वतय: डामर सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।

सैंथल-बालाहेड़ी (दौसा) सड़क को विशेष दर्जा

186. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मेजर डिस्ट्रीक्ट रोड (एम.डी.आर.) सड़क घोषित करने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सैंथल से कुण्डल-निमाली-देलाड़ी-आभानेरी-पून्दरपाड़ा-लोटवाडा-बेजूपाडा-बालाहेड़ा-बालाहेडी से राष्ट्रीय राजमार्ग-संख्या-11 की लम्बाई क्या है?

(3) क्या सरकार इस सड़क को मेजर डिस्ट्रीक्ट रोड़ (एम.डी.आर.) घोषित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) मुख्य जिला सड़कें वो सड़कें हैं जो प्रत्येक जिले के उत्पादन एवं व्यवसायिक केन्द्र को एक दूसरे से जोड़ती है या राज्य मार्गों एवं रेल लाइनों के यातायात को ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाने की क्षमता रखती हो।

(2) सैंथल से कुण्डल-निमाली-कोलवा-देलाडी-आभानेरी-पून्दरपाडा-लोटवाडा-बैजूपाडा-बालाहेड़ा-बालाहेड़ी से राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-11 की कुल लम्बाई 84 कि.मी. है।

(3) जी नहीं।

पोकरण (बाड़मेर) हेतु बाइपास

187. श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार यातायात, सैनिक व पर्यटन तथा मेलार्थियों के वाहनों की अधिकता को देखते हुए, पोकरण शहर से बाइपास सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राष्ट्रीय राज मार्ग सड़क नम्बर-114 व नम्बर 15 के बाइपास का निर्माण भारत सरकार से सम्बन्धित है।

सहाड़ा (भीलवाड़ा) की अंतर जिला मिसिंग सड़कें

188. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में अंतर जिला डामरीकृत मिसिंग सड़कें कितनी है तथा इनकी लम्बाई कितने किलोमीटर है? मिसिंग सड़कों को जोड़ने से कौन-कौन से गांव लाभान्वित होंगे? सरकार उक्त अंतर जिला मिसिंग सड़कों को किस-किस वर्ष में स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अन्तर जिला डामरीकृत सड़कों में मिसिंग लिंक की तीन सड़कें हैं। तीन सड़कों के मिसिंग लिंक की कुल लम्बाई 20.25 कि.मी. है, इन तीन सड़कों में से एक मिसिंग लिंक सड़क नेगडियाखेड़ा से कुरज चौराया डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. फेज-द्वितीय में स्वीकृत है एवं एक अन्य मिसिंग लिंक सड़क सोनियाणा से रेवाड़ा डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. फेज-तृतीय में प्रस्तावित है। शेष रही मिसिंग लिंक सड़क बागड़ से साकरड़ा का निर्माण राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर करता है। इन मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण से लाभान्वित होने वाले गांवों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

क्र.सं.	मिसिंग लिंक सड़क का नाम	लम्बाई किमी	वर्तमान स्थिति	लाभान्वित होने वाले गांव	योजना का नाम जिसमें प्रस्तावित है।
1	नेगड़ियाखेड़ा (भीलवाड़ा) से कुरज चौराया (राजसमन्द)	9.00	डब्ल्यू. बी.एम	नेगडियाखेड़ा	डब्ल्यू.बी. एम. से बी.टी. द्वितीय चरण में स्वीकृत है
2	सोनियाणा (भीलवाड़ा) से रेवाड़ा (चित्तौड़गढ़)	6.00	डब्ल्यू. बी.एम	सोनियाणा रेवाड़ा	डब्ल्यू.बी. एम. से बी.टी. तृतीय चरण में प्रस्तावित है
3	बागड़ (भीलवाड़ा) से साकरड़ा (राजसमन्द)	5.50	फेयर वेदर	बागड साकरड़ा	किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है

बामनवास की मिसिंग लिंक सड़कें

189. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जिन गांवों को जोड़ा गया है वे मात्र एक तरफ से ही जुड़ गया है, वे मात्र एक तरफ से ही जुड़ पाये हैं, उन जुड़े गांवों के पास के गांव जो 2-4 कि.मी. की दूरी पर बिना जुड़े रहे गये जिनको सड़क से जुड़े गांवों में सीधे आने-जाने की बजाय काफी चक्कर काटकर आना जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उन मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास के मिंसिग लिंक रोड़ करेल से फलसावटा 3 किलो मीटर, भेडोली से घाटा बीज गोदाम 6 किलो मीटर व जटलाव से बपुई 4 किलो मीटर, बपुई से लाखनपुर 3 किलो मीटर मुकनपुरा से उदगांव रोड 3.5 किलो मीटर टिगरिया से मोरल नदी 2

(श्री हीरालाल)

किलो मीटर का प्रस्ताव पूर्व में भिजवाया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार इन मिसिंग लिंक ग्रेवल सड़कों को बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को केवल एक तरफ से बारहमासी सड़क से जोड़ने के प्रावधान हैं। इन जुड़े गांवों के पास के गांव को जो 2-4 किमी. की दूरी पर बिना जुड़े रह गये हैं को जोड़ने का कार्य राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री सड़क योजना में गांवों को आपस में जोड़ने हेतु नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण इस योजना के लक्ष्यों में नहीं है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बामनवास के मिसिंग लिंक रोड़ करेल से फलसावटा, 3 किमी. में ग्राम फलसावटा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अन्य तरफ से डामर सड़क से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार करेल भी दूसरी ओर से डामर सड़क से जुड़ा हुआ है।

भेडोली से घाटा बीज गोदाम मिसिंग लिंक 6 किमी. में ग्राम भेडोली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनानतर्गत अन्य तरफ से जुड़ा हुआ है। घाटा बीज गोदाम राजस्व ग्राम नहीं है।

जटलाव से बपूई 4 किमी. में जटलाव ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत अन्य तरफ से डामर सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है, ग्राम बपूई दूसरी तरफ से डामर सड़क से जुड़ा हुआ है।

बपूई से लाखनपुर 3.0 किमी में ग्राम बपूई अन्य तरफ से डामर सड़क से जुड़ा हुआ है तथा ग्राम लाखनपुर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत दूसरी तरफ से डामर सड़क से जुड़ा हुआ है।

मुकुन्दपुरा से उदगाव रोड 3.50 किमी. में ग्राम मुकुन्दपुरा को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत डामर सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है तथा ग्राम उदगांव डामर सड़क पर स्थित है।

टिगरया से मोरेल नदी 2.0 किमी. में ग्राम टिगरया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत अन्य तरफ से डामर सड़क से जुड़ा हुआ है। मोरेल नदी के दूसरी तरफ निमोद ग्राम स्थित है जो दूसरी तरफ से डामर सड़क से जुड़ा हुआ है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उपरोक्त सभी कार्य मिसिंग लिंक के हैं तथा पूर्व में स्वीकृति हेतु नहीं भिजवाये गये थे तथा इनका निर्माण कार्य राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व प्राथमिकता पर निर्भर है।

बावनपुरा (बस्सी) ग्राम हेतु प्रस्तावित काजवे

190. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) **:** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी तहसील चाकसू के ठीकरिया गूजरान से देहलाला तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क का कार्य कब चालू किया गया तथा कार्य कब पूर्ण हुआ? क्या इस योजना के तहत बनने वाली सड़कों की कोई समय सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ठीकरिया गूजरान से देहलाला तक बनाई गई सड़क में ग्राम बावनपुरा के पास पाइप लगाकर काजवे बनाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो क्या सरकार इसे पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी तहसील चाकसू में ठीकरिया गूजरान से दहलाला तक की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क का कार्य 21.06.2003 को शुरू किया गया तथा कार्य दिनांक 20.05.2004 को पूर्ण किया गया। इस योजना के तहत कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा कार्यादेश देने की तिथि से 3.00 करोड़ तक के पैकेज के लिये 9 माह व 3.00 करोड़ से अधिक के पैकेज के लिये 11 माह है।

(2) जी नहीं। उक्त वर्णित सड़क पर ग्राम बावनपुरा के पास पाइप लगाकर काजवे बनाना आवश्यक नहीं होने के कारण प्रस्तावित नहीं था।

मावली (उदयपुर) तहसील के सड़क विहीन ग्राम

191. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में 600 से 1000 की आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ा जा चुका है? यदि हां, तो क्या जिला उदयपुर के ऐसे सभी गांवों को सड़क से जोड़ा जा चुका है?

(श्री शांतिलाल चपलोत)

(2) क्या सरकार तहसील मावली जिला उदयपुर में कुचोली विजणवास से विकरणी, विकरणी से मारूवास नोउवा से विकरणी को इस वर्ष जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। 1) **कुचोली** :- तहसील मावली जिला उदयपुर का ग्राम कुचोली (जनसंख्या 889) मेटल सड़क द्वारा पोलट्री फार्म से कुचोली से जुड़ा हुआ है। उक्त सड़क का डामरीकरण हेतु डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी.आर.डी. एफ.- XI के तहत फेज-तृतीय में प्रस्तावित है।

जी हां। 2) **बिजणवास से बिकरणी** :- बिजणवास से बिकरणी (जनसंख्या-1118) मेटल सड़क है। यह सड़क डब्ल्यू. बी. एम. से बी.टी. आर.आई.डी. एफ.– XI के तहत फेज-तृतीय में प्रस्तावित है।

जी नहीं। 3) **बिकरणी से मारूवास** :- वर्तमान में राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधानों के मद्देनजर रखते हुए बिकरणी से मारूवास नई सड़क का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

जी नहीं। 4) **नउवा से बिकरणी** :- वर्तमान में राज्य सरकार के वर्तमान में सीमित वित्तीय संसाधनों के मध्यनजर रखते हुए नउवा से बिकरणी नई सड़क का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

राज्य में उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति

192. मोहम्म्द माहिर आजाद (नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में उर्दू अध्यापकों के पद रिक्त है? यदि हां, तो कहां-कहां और कब से?

(2) क्या सरकार 20 छात्रों पर उर्दू विषय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अजमेर में स्थापित उर्दू शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में सीटे बढ़ाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में उर्दू अध्यापकों के रिक्त पद एवं कब से रिक्त है का विवरण परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(2) गुजराल समिति की सिफारिशों के क्रम में प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कक्षा में 10 अथवा प्राथमिक विद्यालय में 40 छात्र तथा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कक्षा में 15 अथवा विद्यालय में 60 विद्यार्थी होने पर आवश्कयता के आधार पर शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, से सीधी भर्ती एवं विभागीय चयन समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही उर्दू के रिक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

(4) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

वरिष्ठ शिक्षाकर्मियों को बोनस

193. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत कार्यरत वरिष्ठ शिक्षाकर्मियों को राजकीय नियमानुसार पूर्व में बोनस दिया जाता रहा है? यदि हां, तो कब से तथा क्या नवम्बर, 2005 में दीपावली पर वरिष्ठ शिक्षाकर्मीयों को बोनस दिया गया है? यदि हां, तो कब व कितने शिक्षाकर्मियों को? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या वरिष्ठ शिक्षाकर्मियों को सरकार द्वारा समय-समय पर तृतीय श्रेणी अध्यापक की तरह राजकीय नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि व मंहगाई भत्ता दिया जा रहा था? यदि हां, तो क्या जुलाई, 2005 के बाद उपरोक्त दोनों लाभ दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा राजस्थान सरकार शिक्षाकर्मी बोर्ड के अधीन कर्मचारियों को 9, 18, 27 वर्ष का चयनित लाभ दिया गया है? यदि हां, तो अभी तक कितने कर्मचारियों को यह लाभ दिया गया तथा जिन शेष कर्मचारियों को इस योजना से लाभान्वित नहीं किया गया, सरकार उनको लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) परियोजना अवधि में पूर्ववर्ती बोर्ड द्वारा वरिष्ठ शिक्षाकर्मियों को बोनस नहीं दिया जाकर त्यौहार उपहार दिया जाता था, जो वर्ष 1999 तक दिया गया। इसके बाद किसी प्रकार का त्यौहार उपहार वरिष्ठ शिक्षाकर्मियों को नहीं दिया गया। परियोजना अवधि की समाप्ति के पश्चात यह भुगतान अब दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(2) परियोजना अवधि में वरिष्ठ शिक्षाकर्मियों को बोर्ड के निर्णयानुसार प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी। इस प्रोत्साहन की गणना तृतीय श्रेणी शिक्षक की वेतन वृद्धि के अनुरूप की जाती थी। 30 जून, 2005 को परियोजना समाप्ति के पश्चात पूर्व बोर्ड भंग हो जाने के कारण अब राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11.08.2005 के अनुसार शिक्षाकर्मियों के मानदेय में बोर्ड कोई वृद्धि नहीं करेगा तथा 1.07.2005 से समस्त शिक्षाकर्मियों को कार्य हेतु अनुबन्ध भरना होगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11.8.2005 के विरुद्ध शिक्षाकर्मियों ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ से स्थगन प्राप्त किया है अत: प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है न्यायालय के निर्णयानुसार विचार किया जाकर निर्णय लिया जायेगा।

(3) राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड में परियोजना अवधि में कार्यरत कार्मिकों पर राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड के पर्सनल एवं सेवा नियम 1994 लागू थे। इन नियमों के अध्यधीन नियुक्त, दिनांक 30.06.2005 तक कार्यरत पात्र 19 कार्मिकों को 9,18,27 का चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है। बोर्ड में कार्यरत कार्मिकों पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11.08.2005 के अनुसार अनुबंध आधारित व्यवस्था परियोजना की समाप्ति के पश्चात् दिनांक 1.07.2005 से लागू की गई है, उक्त आदेश के विरुद्ध कार्मिकों ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ से स्थगन प्राप्त किया है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। न्यायालय के निर्णयानुसार विचार किया जाकर निर्णय लिया जायेगा।

सलूम्बर के सीनियर बालिका माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पद

194. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में एक ही बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है? यदि हां, तो बालिका उच्च माध्यमिक

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

विद्यालय, सलूम्बर में, कौन-कौन से विषय अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय गिंगला तथा बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सैरिया को सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सलूम्बर में विषय अध्यापकों के निम्न पद रिक्त हैं :-

पदनाम	**विषय कब से रिक्त**
व्याख्याता-हिन्दी	07/05
व्याख्याता-सा.शास्त्र	09/05
व्याख्याता-भौ.शास्त्र	09/04
वरि. अध्या.-विज्ञान	07/01
वरि. अध्या. गणित	08/04
वरि. अध्या.-अंग्रेजी	07/99
वरि. अध्या.-उर्दू	10-02

राजस्थान लोक सेवा आयोग से एवं विभागीय चयन समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

(2) इन विद्यालयों को निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप गुणावगुण के आधार तथा बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर क्रमोन्नत हेतु विचार किया जावेगा।

बाड़मेर में बालिका विद्यालयों का क्रमोन्नयन

195. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने के लिए विशेष पैकेज घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री तगाराम चौधरी)

(2) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के कितने प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत हुए क्रमश:10-15 व 20 वर्ष हो गये और अब भी उच्च प्राथमिक ही हैं?

उत्तर

(1) गत दो सत्रों में बाड़मेर जिले में 32 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर तथा 11 माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किये गये हैं। जिनमें बालकों के साथ-साथ बालिकाएं भी अध्ययन करती है। इन क्रमोन्नत विद्यालयों में से 02 राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केवल बालिकाओं के लिये है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में 05 विद्यालय 10-15 वर्ष से तथा 15 विद्यालय 20 वर्ष से उच्च प्राथमिक स्तर पर संचालित है।

नदबई के विद्यालयों की अधिग्रहीत भूमि

196. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर जयपुर-आगरा फोरलेन निर्माण कार्यान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के किन-किन राजकीय विद्यालयों की भूमि को अधिग्रहीत किया गया? स्थान वार एवं विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों की अधिग्रहीत भूमि के एवज में अन्यत्र विद्यालय भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर जयपुर-आगरा फोरलेन निर्माण कार्यान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक एवं संस्कृत शिक्षा के एक भी विद्यालय की भूमि अधिग्रहीत नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। भूमि अधिग्रहीत ही नहीं है।

पंचायत समिति के शिक्षकों का स्थायीकरण/वेतन स्थिरीकरण

197. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नरेन्द्र नागर)

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बस्सी के ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनियमितताएं पाई गई हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समिति में शिक्षकों को सही समय पर वेतन नहीं दिया जाता? वेतन देने के ब्यौरे का वर्ष, 2005 की तारीख सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बस्सी में शिक्षकों के न तो समय पर वेतन स्थरीकरण किये जाते हैं न ही स्थायीकरण व उनकी सर्विस बुकों में सही एवं सही समय पर इन्द्राज किया जाता है? ऐसे शिक्षकों, जिनका अभी तक स्थायीकरण फिक्शेसन सही नहीं किया गया है, की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार दोषी कर्मचारी/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। पंचायत समिति बस्सी के अध्यापकों को वेतन भुगतान की तारीख सहित वर्ष 2005 का माहवार विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(3) पंचायत समिति बस्सी में शिक्षकों के वेतन स्थरीकरण व स्थाईकरण समय पर नहीं करवाये जाने बाबत कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बस्सी के विरुद्ध कर्मचारियों को वेतन समय पर न देने बाबत प्राप्त शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन है।

(4) जांच प्रक्रियाधीन है। दोषी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट-'क'

माह का नाम	शिक्षा विभाग के कर्मचारी	भुगतान तिथि	पंचायतराज कर्मचारी	भुगतान तिथि
जनवरी, 05	280	24.02.2002	409	11.03.2005
फरवरी, 05	280	16.03.2005	410	14.03.2005
मार्च, 05	351	21.04.2005	420	19.05.2005
अप्रैल, 05	410	10.05.2005	427	19.05.2005

माह का नाम	शिक्षा विभाग के कर्मचारी	भुगतान तिथि	पंचायतराज कर्मचारी	भुगतान तिथि
मई, 05	415	04.06.2005	428	06.06.2005
जून, 05	417	09.07.2005	428	30.07.2005
जुलाई, 05	418	10.08.2005	433	01.09.2005
अगस्त, 05	418	09.09.2005	434	10.09.2005
सितम्बर, 05	418	08.10.2005	434	13.10.2005
अक्टूबर, 05	420	29.10.2005	455	29.10.2005
नवम्बर, 05	426	01.12.2005	456	06.12.2005
दिसम्बर, 05	434	04.01.2005	456	04.01.2005

कोटड़ा (उदयपुर) पंचायत समिति में सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत निर्माण कक्षा कक्ष

198. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति कोटड़ा में सर्वशिक्षा अभियान में कहां-कहां पर कक्षा कक्ष निर्माण कराये जाने की स्वीकृति वर्ष, 2004 से अब तक दी गई एवं कहां पर स्वीकृति के बाद निरस्त की गई?

(2) क्या कोटड़ा में सर्वशिक्षा अभियान में भवन निर्माण के कार्यों को ठेके पर दिया गया? यदि हां, तो किस-किस ठेकेदार को कहां-कहां पर कितनी राशि में?

(3) क्या किसी पंचायत या स्थान से एस.डी.एम.सी. या ग्रामवासियों की शिकायत सरकार को मिली कि सर्व शिक्षा अभियान कोटड़ा में काम घटिया कराया जाकर आर्थिक क्षति हो रही है? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या अब सरकार कार्यों की जांच कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) पंचायत समिति कोटड़ा में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत वर्ष 2004 से अब तक कुल 50 राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक-एक कक्षा-कक्ष निर्माण कराये जाने की स्वीकृति दी गई एवं इनमें से 10 कक्षा कक्षों की स्वीकृति निरस्त की गई।

(शिक्षा मंत्री)

स्वीकृति व निरस्त कार्यो की सूची क्रमश: परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सर्व शिक्षा अभियान में भवन निर्माण कार्य विद्यालय की सम्बन्धित ''विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति'' के माध्यम से करवाया जाता है।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत किसी पंचायत या एस.डी.एम.सी. या ग्रामीणवासियों से सरकार को नहीं मिली है, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक क्षति हुई हो। शिकायत मिलने पर सरकार जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेगी।

परिशिष्ट-1

स्वीकृत कक्षा कक्ष निर्माण की सूची :

क्र.सं.	**वर्ष 2004-05**
1.	रा.प्रा.वि. साला घाटी
2	रा.प्रा.वि. आदुजी का वास
3	रा.प्रा.वि. आमरी
4	रा.प्रा.वि. बयाना
5	रा.प्रा.वि. खोखरा मगरा
6	रा.प्रा.वि. गांधी सरना
7	रा.प्रा.वि. टेपुर
8	रा.प्रा.वि. निचली कुण्डाल
9	रा.प्रा.वि. भुला की आमली
10	रा.प्रा.वि. तान्दला
11	रा.प्रा.वि. नायर
12	रा.प्रा.वि. भंवरा खेत
13	रा.प्रा.वि. भंवरिया फला
14	रा.प्रा.वि. रणेशजी
15	रा.प्रा.वि. गाडलिया
16	रा.प्रा.वि. पावटी कला
17	रा.प्रा.वि. पावटी, खुर्द
18	रा.प्रा.वि. वाली
19	रा.प्रा.वि. बड़ला
20	रा.प्रा.वि. खेड़ा

क्र.सं.	वर्ष 2005-06
21	रा.उ.प्रा.वि. बेरण
22	रा.उ.प्रा.वि. भाडेर
23	रा.उ.प्रा.वि. कलिम
24	रा.उ.प्रा.वि. गोगरूद
25	रा.उ.प्रा.वि. रूजिया खुणा
26	रा.उ.प्रा.वि. भुतवड़
27	रा.उ.प्रा.वि. झेर
28	रा.उ.प्रा.वि. वीरपुरा
29	रा.उ.प्रा.वि. पडावली खुर्द
30	रा.उ.प्रा.वि. ढेंडसारिया
31	रा.उ.प्रा.वि. बोडीकला
32	रा.उ.प्रा.वि. लुक
33	रा.उ.प्रा.वि. गुरा
34	रा.उ.प्रा.वि. देवला
35	रा.उ.प्रा.वि. माण्डवा
36	रा.उ.प्रा.वि. निचली सुबरी
37	रा.उ.प्रा.वि. मातासुला
38	रा.प्रा.वि. तेजावास
39	रा.प्रा.वि. पडलई
40	रा.प्रा.वि.अम्बावा
41	रा.प्रा.वि.उपलाथला
42	रा.प्रा.वि. मुण्डावली
43	रा.प्रा.वि. कुन्ती का लेवा
44	रा.प्रा.वि. सुरा
45	रा.प्रा.वि. कुकड़ा खेड़ा
46	रा.प्रा.वि. जाम्बुआ
47	रा.प्रा.वि. मालदर कला
48	रा.प्रा.वि. आड़ीसरी
49	रा.कृप्रा. वि. लाम्बाहल्दु
50	रा.प्रा.वि. समीजा

परिशिष्ट-2

निरस्त किये गए कक्षा कक्षों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	निरस्ती का कारण
		वर्ष 2004-05
1	रा.प्रा.वि. खेखरामपुरा	खोखरा मगरा संकुल, जुडा में पूर्व में राजीव गांधी विद्यालय था। जिसमें एक ही कक्षा कक्ष था 1 वर्ष 2004-05 में इस राजीव गांधी विद्यालय में 50 छात्रों का नामांकन होने के कारण तथा इसके क्रमोन्नत होने की संभावना के कारण ब्लाक कार्यालय द्वारा एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष ब्लाक प्रोफाइल में प्रस्तावित किया गया था। चूंकि यह विद्यालय क्रमोन्नत नहीं हुआ अत: कक्षा कक्ष की स्वीकृति निरस्त की गई। क्रमोन्नति उपरान्त इसमें कक्षा कक्ष पुन: स्वीकृत कर निर्माण कराया जावेगा।
2	रा.प्रा.वि. बडला	पूर्व में ग्राम बडला में रा.प्रा.वि. स्वीकृत था, परन्तु विद्यालय प्रारंभ नहीं हो पाया। तत्पश्चात, लोक जुम्बिश परियोजनान्तर्गत मुक्तांगन के रूप में प्राथमिक शाला चलायी गई, जिसमें एक कक्षा कक्ष (जो अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है), निर्मित था। लोक जुम्बिश परियोजना समाप्त उपरांत यहां पर वर्तमान में कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय नहीं चल रहा है। अत: स्वीकृति निरस्त की गई।
3	रा.प्रा.वि. गांधी सरना	उक्त विद्यालय में कक्षा कक्ष के लिए भूतल पर पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं होने तथा प्रथम तल पर पूर्व निर्मित भवन के तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं होने के कारण यह कार्य निरस्त किया गया। जमीन की उपलब्धता होने पर आगामी वर्ष में यह कार्य करवाया जाएगा।

क्र.सं.	कार्य का नाम	निरस्ती का कारण
4	रा.प्रा.वि. पावटी खुर्द	राजकीय प्राथमिक विद्यालय पावटी खुर्द में 69 छात्रों का नामांकन होने व एक कक्षा कक्ष होने से अतिरिक्त कक्षा कक्ष स्वीकृत किया गया। स्वीकृति पश्चात् ज्ञात हुआ कि इस विद्यालय में पूर्व में अन्य योजना (प्रधानमंत्री ग्राम्योदय योजना) के तहत एक कक्षा कक्ष का निर्माण कराय गया एवं उसका मजदूरी भुगतान समय पर न होने से परिस्थितिजन्य कारणों से संबंधित एस.डी.एम.सी. द्वारा सर्व शिक्षा अभियान में स्वीकृत यह कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया। जन प्रतिनिधियों, एस.डी.एम.सी. एवं ग्रामवासियों से अनवरत सम्पर्क करने के पश्चात् भी लम्बे समय तक कार्य प्रारम्भ नहीं होने से लक्ष्यों की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्य को इस वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृति निरस्त की गई। एस.डी.एम.सी. से सहमति प्राप्त कर यह कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पुनः स्वीकृत कर कराया जाएगा।
वर्ष 2005-06		
5	रा.उ.मा.वि. भाडेर	इस वर्ष पर्याप्त वर्षा होने से द्विचक्रीय फसल लेने के कारण विद्यालय तक पहुंच उपलब्ध नहीं होने से यह कार्य इस वित्तीय वर्ष में निरस्त किया जाकर आगामी वित्तीय वर्ष में कराया जाना प्रस्तावित है।
6	रा.प्रा.वि. कुन्ती का लेवा	इस वर्ष पर्याप्त वर्षा होने से द्विचक्रीय फसल लेने के कारण विद्यालय तक पहुंच उपलब्ध नहीं होने से यह कार्य इस वित्तीय वर्ष में निरस्त किया जाकर आगामी वित्तीय वर्ष में कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	निरस्ती का कारण
7	रा.प्रा.वि. कुकड़ा खेड़ा	उक्त विद्यालय में कक्षा कक्ष के लिए भूतल पर पर्यापत जमीन उपलब्ध नहीं होने तथा प्रथम तल पर पूर्व निर्मित भवन के तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं होने के कारण यह कार्य निरस्त किया गया। जमीन की उपलब्धता होने पर आगामी वर्ष में यह कार्य करवाया जाएगा।
8	रा.उ.प्रा.वि. लुक	उक्त विद्यालय में कक्षा कक्ष के लिए भूतल पर पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं होने तथा प्रथम तल पर पूर्व निर्मित भवन के तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं होने के कारण यह कार्य निरस्त किया गया। जमीन उपलब्धता होने पर आगामी वर्ष में यह कार्य करवाया जाएगा।
9	रा.प्रा.वि. पडलई	इस विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा कक्ष के लिए भूमि की अनुपलब्धता थी साथ ही उक्त विद्यालय में नियमित अध्यापकों के कार्यरत नहीं होने से शिक्षा मित्र केन्द्र संचालित किया गया। स्थायी अध्यापकों के पदस्थापन होने तथा नियमित विद्यालय के संचालन होने की स्थिति में आगामी वित्तीय वर्ष में प्रथम तल पर उक्त कार्य सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है।
10	रा.उ.प्रा.वि. माण्डवा	उक्त विद्यालय में कक्षा कक्ष के लिए भूतल पर पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं होने तथा प्रथम तल पर पूर्व निर्मित भवन के तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं होने के कारण यह कार्य निरस्त किया गया। जमीन उपलब्धता होने पर आगामी वर्ष में यह कार्य करवाया जाएगा।

वाटर हार्वेस्टिंग के द्वितीय चरण में प्रस्तावित एनीकट्स

199. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में प्रथम चरण में प्रथम चरण में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कितनी-कितनी लागत के कितने-कितने एनीकट स्वीकृत किये गये और उनमें से कितने एनीकट अधूरे हैं तथा कितनों पर अभी तक कार्य आरंभ नहीं हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस योजना के द्वितीय चरण में किन-किन जिलों में कितने-कितने एनीकट स्वीकृत किये गये और कितनों का निर्माण हुआ व कितने अधूरे हैं और कितनों पर कार्य आरंभ नहीं हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट 2004-05 और 2005-06 में से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में प्रथम चरण में विधान सभा क्षेत्र अनुसार स्वीकृत किये गये एनीकटों की संख्या, राशि एवं पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या, अपूर्ण कार्यों की संख्या तथा अभी तक प्रारम्भ नहीं हुए एनीकटों के कार्यों की संख्या परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) इस योजना के द्वितीय चरण में प्रत्येक जिले में स्वीकृत एनीकटों की संख्या, पूर्ण हुए एनीकटों की संख्या, अपूर्ण एनीकटों की संख्या एवं अभी तक प्रारम्भ नहीं हुए एनीकटों की संख्या परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में संशोधित बजट प्रावधान 14.00 करोड़ रुपये के विरुद्ध 8.73 करोड़ रुपये का व्यय किया गया तथा वर्ष 2005-06 में संशोधित बजट प्रावधान 95.0 करोड़ रुपये के विरुद्ध जनवरी, 2006 तक 91.43 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

(कार्यों की संख्या विवरण अधिक होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

मेण्डी बांध (बूंदी) हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

200. श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामरतन बैरवा)

(1) क्या यह सही है कि मेण्डी (बूंदी) बांध का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी पूरी मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो किस कारण तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार व्यक्ति के नाम एवं पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में की गई धारा-4 भू-अवाप्ति अधिनियम की कार्यवाही मियाद बाहर हो जाने से पुन: धारा-4 की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो धारा-4 की कार्यवाही की स्वीकृति कब तक प्राप्त कर ली जाएगी तथा पूर्व में धारा-4 की कार्यवाही मियाद बाहर हो जाने के लिए किस स्तर पर कौन जिम्मेदार है?

(3) क्या मुआवजा प्रकरण की कार्यवाही जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति में परिवाद संख्या 36/2000 पर दर्ज हो जाने के बाद भी मुआवजा अदा किये जाने की कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब हुआ है? यदि हां, तो क्यों तथा किस कारण?

(4) क्या सरकार वर्तमान दर पर या पूर्व में निर्धारित दर की राशि ब्याज सहित भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है किन्तु 75 प्रतिशत भुगतान आपसी सहमति के आधार पर किया जा चुका है। पूर्ण भुगतान नहीं करने का कारण यह था कि पूर्व में भूमि अवाप्ति अधिकारी चम्बल परियोजना का पद था जिसके द्वारा मुआवजे की कार्यवाही की जानी थी। किन्तु इस पद के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप मुआवजे की कार्यवाही लम्बित रही। माह जनवरी, 2006 में उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली को इस कार्य के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है। अत: मुआवजे की कार्यवाही पुन: शुरू कर 31 मार्च, 2006 तक मुआवजे का भुगतान करने के पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। मुआवजा भुगतान की कार्यवाही एक प्रशासनिक प्रक्रिया है एवं इसमें होने वाली देरी के लिए व्यक्तिश: कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) परिवाद संख्या 36/2000 से सम्बन्धित श्री भूरामीणा का नाम पूर्व की धारा-4 में सम्मिलित था, किन्तु भूलवश उनका नाम धारा-6 में

(सिंचाई मंत्री)

सम्मिलित नहीं हो सका था। इस कारण स्वीकृत एवार्ड में उनका नाम नहीं है। अत: उनको मुआवजा देने हेतु पुन: धारा-4 करा दी गई है। इनको 75 प्रतिशत भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है।

(4) भूमि अधिग्रहण करते समय जो दर थी उसी के अनुरुप भुगतान करने के प्रावधान नियमों में है एवं नियमानुसार ब्याज दिया जाना प्रस्तावित है। भूमि अवाप्त अधिकारी द्वारा एवार्ड जारी करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा आवश्यक बजट व साख सीमा जारी किये जाने पर भुगतान किया जा सकेगा।

बाली के स्वीकृत अपूर्ण कार्य

201. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में वर्ष 2002 से अब तक कौन-कौन से कार्य कितनी राशि के कहां-कहां स्वीकृत कराये गये? पूर्ण अपूर्ण प्रस्तावित कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बाबत क्षेत्रीय जनता, किसान वर्ग, पंचायत जनप्रतिनिधियों, क्षेत्रीय विधायक से भी सरकार को पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो वर्ष 2002 से अब तक प्राप्त पत्रों का विवरण मय उन पर की गई कार्यवाही के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त वर्षो के दौरान क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर कार्यों की स्वीकृति पूर्णता, अपूर्णता, प्रस्तावना बाबत क्षेत्रीय विधायक को अवगत कराया गया है? यदि हां, तो इस बाबत क्षेत्रीय विधायक को प्रेषित पत्रों की क्रमांक, दिनांक, पावती सहित पत्रों की प्रतियां, सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अपूर्ण प्रस्तावित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में वर्ष 2002 से अब तक विभिन्न योजनाओं में 121 कार्य राशि 873.87 लाख के स्वीकृत करवाये गये जिनका कार्यवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' में दर्शाया गया है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र बाली के जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों की प्रतिलिपि परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(3) यथा सम्भव, विधायक महोदय द्वारा उक्तांकित सूचना चाहे जाने पर उपलब्ध कराई जाती है।

(4) जी हां।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगनहर पुनर्निर्माण हेतु कृषि उपज मण्डी श्री गंगानगर से प्राप्त राशि

202. श्री ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गंगनहर पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट में श्री गंगानगर जिले की किन-किन कृषि उपज मण्डी समितियों से सरकार द्वारा कितना-कितना धन प्राप्त किया गया?

(2) क्या यह सही है कि यह राशि सरकार कृषि उपज मण्डी समितियों को वापस लौटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा गंगनहर के आधुनिकीकरण हेतु अपने स्तर पर 787.43 लाख रुपये की राशि जमा करवाई गई है जिसका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों से गंगनहर आधुनिकीकरण हेतु धनराशि जमा कराने बाबत जारी स्वीकृतियों में जमा की गई राशि कृषक उपज मण्डी समितियों को वापिस लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट-'अ'

श्रीगंगानगर जिले की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा गंगनहर के आधुनिकीरण हेतु अपने स्तर पर 787.43 लाख रुपये की जमा राशि का विवरण

क्र.सं.	कृषि उपज मण्डी समिति का नाम	राशि (लाखों में)
1.	कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) श्रीगंगानगर	500.00
2.	कृषि उपज मण्डी समिति (फल व सब्जी) श्रीगंगानगर	100.80

क्र.सं.	कृषि उपज मण्डी समिति का नाम	राशि (लाखों में)
3.	कृषि उपज मण्डी समिति, गजसिंहपुर	48.75
4.	कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीविजयनगर	43.45
5.	कृषि उपज मण्डी समिति, जैतसर	25.42
6.	कृषि उपज मण्डी समिति रिडमलसर	22.75
7.	कृषि उपज मण्डी समिति, पदमपुर	46.26
	योग :-	**787.43**

थानागाजी के क्षतिग्रस्त बांध

203. श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में स्टेट समय के कितने बांध हैं एवं इनमें से कितने क्षतिग्रस्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में स्टेट काल के कितने बांध टूटे हुए हैं? सरकार उक्त बांधों की मरम्मत कब तक करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ स्टेट समय के कुल 257 बांध हैं इनमें से 32 बांध क्षतिग्रस्त हैं, सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त 32 क्षतिग्रस्त बांधों में से 28 बांधों का कार्य मार्च, 2006 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है एवं शेष 4 बांधों में से 3 बांधों की मरम्मत हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं जिनको स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ठीक करवाया जाना सम्भव होगा एवं एक बांध की मरम्मत का कार्य व इन विभाग की आपत्ति के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है, सूची विवरण परिशिष्ट–'अ' पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ स्टेट काल का कोई भी बांध टूटा हुआ नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रूपवास व बयाना के क्षतिग्रस्त बांध

204. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास तथा बयाना में गत 5 वर्षों में किस-किस बांध की मरम्मत की गई? क्या सरकार इस वर्ष टूटे हुए बांधों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में भूमि कटाव व पानी की रोकथाम हेतु नये बांधों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र रूपवास तथा बयाना में किसी भी बांध की मरम्मत का कार्य नहीं करवाया गया। जी हां। इस वर्ष पूर्व में क्षतिग्रस्त रूपवास विधान सभा क्षेत्र के 4 बांध तथा बयाना विधान सभा क्षेत्र 2 बांधों की मरम्मत के कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है।

(2) जी नहीं। इन क्षेत्रों में नवीन बांध हेतु कोई भी साइट तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाई गई है।

मोह वोरदा तालाब (कोटा) की मरम्मत

205. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हरीशचन्द्र सागर बांध से नदी में सिर्फ चार माह बहाव रहने के कारण नहरों में अक्टूबर माह में पानी बन्द हो जाता है?

(2) क्या सरकार उक्त बांध के कमाण्ड एरिया की सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए नया बांध बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि मोह वोरदा में रियासतकालीन निर्मित तालाब बना हुआ है तथा इसमें पानी का भराव नहीं होता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तालाब की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी हां। भंवरासा ग्राम के पास कालीसिंध नदी पर कालीसिंध वृहद सिंचाई परियोजना बनवाना प्रस्तावित है। कालीसिंध परियोजना की प्रारम्भिक रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को भेज दी गई है, जो विचाराधीन है। परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत होने पर विस्तृत सर्वे कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी, जिससे हरिशचन्द्र सागर परियोजना के कमाण्ड एरिया में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

(3) जी हां।

पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों व पशुधन सहायकों के रिक्त पद

206. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में पशु चिकित्साधिकारियों तथा पशुधन सहायकों के कितने पद सृजित हैं तथा उनमें से कितने रिक्त हैं? पदवार पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों में से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कितने-कितने पद रिक्त हैं तथा उनको भरने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पशुधन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होते हुये भी रिक्त पद शहरों के अनुपात में गांवों में अधिक हैं? यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने की सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र नैनवां (बूंदी) में उक्त प्रकार के सृजित पदों के अनुपात में कितने पद किस-किस स्थान पर कब से रिक्त हैं? चिकित्सालयवार कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जरखोदा (नैनवां) में कितने पद सृजित हैं तथा उनमें से कितने रिक्त हैं तथा कितने भरे हुये हैं? रिक्त पद भरने तथा अन्यत्र पदस्थापित कर्मचारियों को वापिस यथास्थान पर लगाये जाने के लिये की जा रही कार्यवाही सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 1404 पद पशु चिकित्सा अधिकारियों के एवं 3610 पद

(पशुपालन मंत्री)

पशुधन सहायकों के पद सृजित हैं।

पदवार निम्न पद रिक्त हैंः-

1. पशु चिकित्सा अधिकारी–382

2. पशुधन सहायक–1280

अतिरिक्त पदों में 454 पद समेकित रूप से पशुधन सहायक लगाये हुये हैं एवं 274 पदों पर स्कन्ध सहायक व पर्यवेक्षक को कार्य की दृष्टि से लगाया हुआ है। भौतिक रूप से स्पष्ट 552 पद रिक्त हैं।

(2) उक्त में से पशु चिकित्सा अधिकारियों के 26 पद शहरी क्षेत्र व 356 पद ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त हैं तथा पशुधन सहायकों के 37 पद शहरी क्षेत्र व 515 ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त हैं। पशु चिकित्सा अधिकारियों के 200 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को अर्थना की गई है। पशुधन सहायकों के सीधी भर्ती के पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

(3) जी हां।

शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सा कर्मियों का अनुपात निम्नानुसार है :

क्षेत्र	**स्वीकृत पद**	**रिक्त पद**	**रिक्त पद का प्रतिशत**
शहरी	633	63	9.25 प्रतिशत
ग्रामीण	4381	871	19.88 प्रतिशत

रिक्त पदों पर पदस्थापन आवश्यकता अनुरूप किया जाता है।

(4) विधान सभा क्षेत्र नैनवा (बून्दी) में पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पशुधन सहायक के रिक्त पदों का चिकित्सालयवार कारण सहित विवरण अनुसंलग्न ''क'' पर उपलब्ध है।

(5) जरखोदा (नैनवां) में एक पशुधन सहायक का पद सृजित है, जो जुलाई, 2005 से रिक्त है। ग्राम जरखोदा में पशु चिकित्सा सहायक का पद नहीं होने के कारण पदोन्नति पर गये कर्मी को वापस पदस्थापित करना संभव नहीं है।

अनुसंलग्नक-क

नैनवां विधान सभा क्षेत्र नैनवां (बूंदी) में कार्यरत संस्थाओं में सृजित एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं	संस्था का नाम	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी			पशु चिकित्सा अधिकारी			पशु चिकित्सा सहायक			पशुधन सहायक			रिक्त रहने का कारण (विशेष विवरण
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	प्रदेश में पदों की रिक्तियां अधिक होने के कारण
1.	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय नैनवां	1	1	-		स्वीकृत नहीं			स्वीकृत नहीं		1	1	-	
2.	पशु चिकित्सालय, देई		स्वीकृत नहीं		1	1	-	1	1	1		स्वीकृत नहीं		
3.	पशु चिकित्सालय, बासी		स्वीकृत नहीं		1	1	-		स्वीकृत नहीं		2	1	1	
4.	पशु चिकित्सालय, करवर		स्वीकृत नहीं		1	1	-	1	1	-		स्वीकृत नहीं		
5.	पशु चिकित्सालय, समिधी		स्वीकृत नहीं		1	-	1	1	-	1		स्वीकृत नहीं		
6.	उपकेन्द्र, जरखोदा		स्वीकृत नहीं			स्वीकृत नहीं			स्वीकृत नहीं		1	-	1	

साहवा लिफ्ट नहर निर्माण हेतु आबंटित राशि

207. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या इंदिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इंदिरा गांधी नहर परियोजना की साहवा लिफ्ट नहर का निर्माण कितने से कितने किलोमीटर तक कर दिया गया है?

(2) इस नहर के निर्माण के आखिरी टेण्डर किस-किस किलोमीटर के कब-कब हुये?

(3) क्या यह सही है कि अभी आगे के टेण्डर पर रोक लगाई हुई है? यदि हां, तो क्यों? यह रोक कब तक हटा दी जायेगी?

(4) उक्त नहर निर्माण के लिये वर्ष 2005-06 तक के क्या-क्या लक्ष्य थे? कितने लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकी है? बजट कितना था एवं कितना उपयोग हुआ तथा कितना लैप्स हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त नहर निर्माण के लिये आबंटित बजट की राशि पूरी खर्च नहीं होने के क्या कारण हैं? इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) साहवा लिफ्ट नहर के निर्माण का कार्य 107.800 किमी. में से 105.3 किमी. एवं वितरण प्रणालियों के निर्माण के कार्य 806 किमी. में से 356 किमी. तक पूरे किये जा चुके हैं।

(2) इस नहर के निर्माण के आखिरी टेण्डर वर्ष 2004-05 में स्वीकृत हुए हैं। सूची प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) वर्ष 2005-06 में 4.30 किमी. नहर एवं 70.49 किमी. वितरण प्रणाली के लक्ष्य थे, जिसके विरुद्ध माह जनवरी, 2006 तक 3.90 किमी. नहर एवं 69.88 किमी. वितरण प्रणाली का कार्य करवाया जा चुका है। वर्ष 2005-06 में बजट 31.73 करोड़ रुपये है, माह जनवरी, 2006 तक 23.65 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। तथा आबंटित बजट की पूर्ण राशि खर्च होना संभावित है।

(5) 31 मार्च, 2006 तक बजट राशि खर्च करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रपत्र-अ

चौ. कुम्भाराम आर्य (साहवा) लिफ्ट नहर के निर्माण के आखिरी टेण्डर वर्ष 2004-05 में स्वीकृत हुए की सूची

क्र. सं.	साहवा वितरिका के रीच का नाम	स्वीकृत टेण्डर कि.मी.	टेण्डर की दिनांक
1.	चौ. कुम्भाराम आर्य (साहवा) नहर के किमी. 100 से 103	3.00	8.10.2004
2.	चौ. कुम्भाराम आर्य (साहवा) नहर के किमी. 106 से 107.800	1.8	30.10.2004
3.	चौ. कुम्भाराम आर्य (साहवा) नहर के किमी. 103 से 106.00	3.00	3.3.2005
4.	रायटूण्डा माइनर किमी. 0 से 5.400	5.4	29.9.2004
5.	साहवा वितरिका 13.5 से 19.00	5.50	13.10.2004
6.	साहवा वितरिका 19.00 से 24.00	5.00	9.2.2005
7.	साहवा वितरिका 24 से 30.00	6.00	9.03.2005
8.	धीरवास माइनर 0.00 से 10.900	10.9	19.1.2005
9.	साहवा माइनर 0 से 5.00	5.00	18.02.2005
10.	पूनरास माइनर 0.00 से 4.600	4.6	1.3.2005
11.	भूरवास माइनर 0.00 से 4.00	4.00	2.3.2005
12.	भामरान माइनर 0 से 1.800	1.8	2.3.2005
13.	केलाश माइनर 0 से 17.600	17.6	30.3.2005
14.	प्रेमपुरा माइनर 0 से 2.850	2.85	16.11.2004
15.	बिसरासर वितरिका 29.050 से 33	3.95	8.1.2005
16.	कल्लासर माइनर 0 से 9.700	9.7	10.3.2005
17.	सुई सब ब्रान्च किमी. 15 से 17	2.00	18.2.2005
18.	सुई सब ब्रान्च किमी. 17 से 19	2.00	18.2.2005
19.	सुई सब ब्रान्च किमी. 19 से 22	3.00	18.2.2005
20.	सुई सब ब्रान्च किमी. 22 से 25	3.00	18.2.2005
21.	हरिपुरा माइनर 0 से 6.450	6.45	18.1.2005
22.	जेतसीसर माइनर 0 से 10.175	10.175	16.2.005
23.	मायला माइनर 0 से 10.00	10.00	24.1.2005

राज्य के मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृति

208. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): क्या उच्च शिक्षा (चिकित्सा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मेडिकल कालेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है? यदि हां, तो कितनी-कितनी?

(2) क्या यह सही है कि इन छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर नहीं दी जाती है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार भविष्य में इन्हें समय पर छात्रवृति दिलवाये जाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। मेडिकल कालेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचति जनजाति के छात्रों को केन्द्र सरकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति उक्त वर्ग के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को 740/- रुपये प्रतिमाह एवं डे-स्कोलर छात्रों को 330/- रुपये प्रतिमाह की दर से अनुरक्षण भत्ते के रूप में दी जाती है।

(2) जी हां। छात्रवृत्ति का वितरण केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होने पर किया जाता है। छात्रवृत्ति मद में केन्द्र सरकार से राशि का आवंटन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से होने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा कर दिया जाता है। केन्द्र सरकार से आवश्यकतानुसार राशि समय पर प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जा रहा है। राशि प्राप्त होते ही भुगतान समय पर करने की व्यवस्था कर दी जायेगी।

उच्च शिक्षा स्तर में सुधार हेतु कार्य-योजना

209. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उच्च शिक्षा सचिव की एक रिपोर्ट में सरकारी कालेजों व अधिकांश विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल पर कई गंभीर टिप्पणियां की गई हैं और यह उल्लेख है कि ''वैश्वीकरण के युग में इस तरह की शिक्षा का कोई औचित्य ही नहीं'' है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि व्याख्याता आपसी मिलीभगत कर सरकारी कालेजों और विश्वविद्यालयों में उपस्थित ही नहीं होते और एक दो व्याख्याता ही उपस्थित होते हैं जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो पाती है? यदि हां, तो सरकार इन व्याख्याताओं पर नियंत्रण करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने एवं शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और कब तक?

उत्तर

(1) तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा तीन-चार महाविद्यालयों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस सम्बन्ध में एक कमेटी का गठन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिये गये हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने एवं शैक्षणिक महौल बनाने के लिये सरकार द्वारा निम्न कदम लिये गये हैं :-

1. समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों का सम्मेलन वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, जिसमें राज्य के महाविद्यालयों में शैक्षणिक सुधार हेतु सुझाव आमंत्रित कर निर्णय लिये जाते हैं। साथ ही महाविद्यालयों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण करने का भी प्रयास किया जाता है।
2. संभाग स्तर पर भी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठकें आयोजित कर महाविद्यालयों में गुणात्मक सुधार लाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।
3. छात्रहित को ध्यान में रखकर कई महाविद्यालयों में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जा चुके हैं तथा शेष महाविद्यालयों में सत्र 2006-07 से रोजगारोन्मुखी पाठयक्रम प्रारम्भ करने की प्रक्रिया जारी है जो छात्रों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

4. स्वमूल्यांकन प्रपत्र के द्वारा प्राचार्य अपने महाविद्यालय की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करते हैं तथा तदनुसार महाविद्यालय की स्थिति में सुधार लाने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।
5. नैक टीम द्वारा 62 राजकीय महाविद्यालयों का निरीक्षण कर 59 महाविद्यालयों को ग्रेडिंग प्रदान की जा चुकी है। नैक टीम द्वारा निरीक्षण उपरान्त महाविद्यालय की स्थिति में गुणात्मक सुधार हेतु दिये गये सुझावों पर महाविद्यालयों द्वारा कार्यवाही की जा रही है, जिससे ग्रेडिंग में सुधार हो सके। महाविद्यालय द्वारा किये जा रहे प्रयासों की आयुक्तालय द्वारा लगातार मोनिटरिंग की जा रही है।
6. वैश्वीकरण के इस युग में छात्रों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु उन्हें अंग्रेजी में दक्षता हासिल कराने की दृष्टि से 41 राजकीय महाविद्यालयों में अंग्रेजी में दक्षता कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, जिससे लगभग 3000-5000 छात्र लाभांवित हो सकेंगे। इस कार्यक्रम को अन्य महाविद्यालयों में भी प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
7. राज्य स्तर पर महाविद्यालयों की ग्रेडिंग करना तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार करना विचाराधीन है।

महाशीर प्रजाति की मछली का संरक्षण एवं संवर्धन

210. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या मत्स्य पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) महाशीर मछली प्रदेश की किन-किन नदियों में पाई जाती है तथा क्या इस प्रजाति की मछली विगत वर्षों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्तमान में यह प्रजाति प्राय: लुप्त हो चुकी है?

(2) क्या यह सही है कि महाशीर (गेमफिश) मछली होने के कारण पर्यटक व शौकीन व्यक्ति इन मछलियों के शिकार आनन्द उठाते थे?

(3) क्या सरकार प्रदेश में पर्यटन में बढ़ोत्तरी व राजस्व प्राप्त करने हेतु ''महाशीर फिशिंग'' को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु योजना बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) महाशीर मछली प्रदेश की चम्बल, बनास, माही एवं इनकी सहायक नदियों के पहाड़ी क्षेत्रों में निर्मित जलाशयों में पाई जाती है। इस प्रजाति की मछलियां विगत वर्षों में सामान्य मात्रा में पाई जाती थी एवं वर्तमान में कम मात्रा में पाई जाती हैं, परन्तु यह प्रजाति लुप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। प्रदेश में महाशीर प्रजाति की मछली के संरक्षण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए महाशीर फिशिंग को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता।

चौमूं के संस्कृत महाविद्यालयों में रिक्त

211. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय, कालाडेरा एवं चीथवाड़ी में कितने पद व्याख्याताओं एवं कर्मचारियों के कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, कालाडेरा में व्याख्याताओं एवं कर्मचारियों का एक भी पद रिक्त नहीं है किन्तु राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, चीथवाड़ी में व्याख्याताओं (साहित्य) का एक पद मार्च, 2004 से रिक्त है।

(2) जी हां। उक्त रिक्त पद को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या /103 की सूची)

राज्य के सामान्य शिक्षा के एवं कृषि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्टाफ के वर्गवार स्वीकृत पद एवं कार्यरत पदों का विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	स्वीकृत पद				कार्यरत			
		प्रोफेसर	एसो. प्रोफेसर	असि. प्रोफेसर	कुल	प्रोफेसर	एसो. प्रोफेसर	असि. प्रोफेसर	कुल
1	राज. वि. वि. जयपुर	61	135	703	899	91 (चयनित-2, एक्स केडर-1, सी.ए.एस-88	212 (चयनित-9, एक्स केडर-11, सी.ए.एस.-192	3 (283 तदर्थ)	306 (283 तदर्थ)
2	मो.ला.सु. वि.वि., उदयपुर	26	52	184	262	-	13	75 (19 तदर्थ)	88 (19 तदर्थ व्याख्याता)
3	ज.ना.व्या. वि.वि. जोधपुर	49	122	492	663	2	31	311 (18 तथर्थ)	344 (18 तदर्थ व्याख्याता)
4	म.द.स. वि.वि. अजमेर	13	26	19	58	5	12	14	31

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	स्वीकृत पद				कार्यरत			
		प्रोफेसर	एसो. प्रोफेसर	असि. प्रोफेसर	कुल	प्रोफेसर	एसो. प्रोफेसर	असि. प्रोफेसर	कुल
5	व.म.खु. वि.वि. कोटा	7	8	21	36	4 (2 चयनित 2 सी.ए.एस.)	8 (1 चयनित 7 सी.ए.एस)	5	17
6	राज्य कृषि विवि. बीकानेर	43	178	504	725	15	67	368	450
7	म.प्र.कृ.प्रौ. वि.वि. उदयपुर	33	134	393	560	5	84	264	353
8	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पद सृजित नहीं हैं।							
9	बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पद सृजित नहीं हैं।							
	कुल	232	655	2316	3203	122	427	1040	1589